MMC 303 एमएमसी–303

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय

विकास पत्रकारिता

(Development Journalism)

Uttarakhand Open University

School of Journalism and Media Studies

Behind Transport Nagar, Vishwvidyalaya Marg, Haldwani (Nainital)

263139 Uttarakhand

अध्ययन परिषद

प्रो0 गोविन्द सिंह
निदेशक,
पत्रकारिता एवं मीडिया अध्ययन विद्याशाखा,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय।

प्रो0 आशा राम डंगवाल
निदेशक,
पत्रकारिता एवं जनसंचार केन्द्र
हे0 नं0 ब0 ग0 केन्द्रीय विश्वविद्यालय,
श्रीनगर गढ़वाल।

प्रो0 हेमंत जोशी
भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली।

डॉ0 गोविन्द पंत राजू
वरिष्ठ पत्रकार
लखनऊ, उ0 प्र0

डॉ0 चण्डी प्रसाद पैन्यूली
विभागाध्यक्ष
पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग
बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालयव, झाँसी, उ0 प्र0

पाठ्यक्रम संयोजक

डॉ0 राकेश चन्द्र रयाल
सह आचार्य
पत्रकारिता एवं मीडिया अध्ययन विद्याशाखा,
उ0 मु0 वि0 वि0 हल्द्वानी, नैनीताल।

इकाई लेखन

डॉ0 राकेश चन्द्र रयाल
सह आचार्य
पत्रकारिता एवं मीडिया अध्ययन विद्याशाखा,
उ0 मु0 वि0 वि0 हल्द्वानी, नैनीताल।

डॉ0 चण्डी प्रसाद पैन्यूली
विभागाध्यक्ष
पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग
बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालयव, झाँसी, उ0 प्र0

पाठयक्रम सम्पादन

डॉ0 शिव प्रसाद जोशी
वरिष्ठ पत्रकार, देहरादून, उत्तराखण्ड।

प्रकाशन वर्ष : सितम्बार, 2011, 2018 पुन: प्रकाशन 2022

कॉपीराइट :@ उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय ।

प्रकाशक : कुलसचिव, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय ।

इस सामग्री के किसी भी अंश को उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी की लिखित अनुमति के बिना किसी भी रूप में अथवा मिमियोग्राफी चक्रमुद्रण द्वारा या अन्यत्र पुन: प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है।

MMC 303 एमएमसी–303

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय

विकास पत्रकारिता

(Development Journalism)

इकाई नं0	इकाई का नाम	पृ0 सं0

इकाई-1 विकासः अर्थ, अवधारणा, प्रक्रिया और विकास संचार

इकाई-2 विकसित और विकासशील समाजः विशेषताएं और अंतर

इकाई-3 विकास पत्रकारिताः अर्थ, अवधारणा, परिभाषा, दर्शन, प्रक्रिया और सिद्धांत

इकाई-4 विकास पत्रकारिताः मीडिया की भूमिका, रणनीतियां, बाधाएं, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिकः अध्ययन और अनुभव

इकाई-5 विकास पत्रकारिताः नीति, रणनीति, कार्य योजनाएं और लोकतंत्र का विकास

इकाई- 6 कृषि संचार और ग्रामीण विकास

इकाई- 7 कृषि प्रसार के प्रतिरूप

इकाई- 8 विकास समर्थित संचार

इकाई- 9 विकास एवं ग्रामीण प्रसार संगठन

इकाई- 10 विकास के लिए उपलब्ध आर्थिक ढांचा

इकाई- 01

विकास: अर्थ, अवधारणा, प्रक्रिया और विकास संचार

इकाई की रूपरेखा :

1.1 प्रस्तावना

1.2 उद्देश्य

1.3 विकास

- 1.3.1 अर्थ
- 1.3.2 परिभाषा
- 1.3.3 अवधारणा
- 1.3.4 प्रक्रिया

1.4 विकास संचार

- 1.4.1 विकास संचार का महत्व
- 1.4.2 विकास संचार का भविष्य

1.5 विकास से जुड़ी मौलिक बातें

- 1.5.1 भोजन
- 1.5.2 आवास
- 1.5.3 वस्त्र
- 1.5.4 रोजगार

1.6 अभ्यास प्रश्न

1.7 सारांश

1.8 शब्दावली

1.9 संदर्भ ग्रंथसूची

1.10 सहायक उपयोगी/पाठ्यसामग्री

1.11 निबंधात्मक प्रश्न

1.1 प्रस्तावना:

विकास का संबंध मनुष्य की बेहतरी से है। सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक और आर्थिक बेहतरी की प्रक्रिया ही विकास है। इस लिहाज से यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है। लोकतंत्र में विकास का अर्थ मताधिकार और जनता द्वारा चुनी हुई सरकार का शासन ही नहीं है, विकास का अर्थ राजनैतिक व्यवस्थाओं का कुशल संचालन ही नहीं है, विकास एक सार्वभौम उन्नति की मांग करता है। यह प्रक्रिया जीवन स्थिति को बेहतर बनाने से लेकर आर्थिक रूप से सशक्त व्यक्ति, समाज और राष्ट्र तक जाती है। लेकिन आर्थिक रूप से सशक्त होना ही विकास नहीं है। सामाजिक न्याय के पैमानों, सामाजिक जवाबदेही के स्तरों पर भी विकास को आंका जाता है। इसी तरह शिक्षा भी है जिसका बुनियादी उद्देश्य न सिर्फ पढ़े लिखे समाज का निर्माण है बल्कि ऐसे समाज का निर्माण जो जिम्मेदार, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और अधिकारों के प्रति सचेत हो। इस इकाई में हम विकास की संस्कृति का विवेचन करेंगे। विकास कैसे संभव है और मनुष्य जीवन में इसकी क्या अहमियत है, और आखिर विकास की प्रक्रिया काम कैसे करती है, ये सब बातें हम इस इकाई में पाएंगें।

विकास की परिभाषा और अवधारणा के साथ-साथ हम विकासशील और विकसित जैसी अवधारणाओं को समझने की कोशिश करेंगे. कुछ देश विकसित क्यों कहलाते हैं, कई देश विकासशील क्यों कहे जाते हैं, इसकी विवेचना करेंगे. विकसित और विकासशील अवस्थाओं के क्या लक्षण हैं, मानक क्या हैं, ये जानेंगे।

1.2 उद्देश्य:

मनुष्य जीवन और व्यवहार और समाज का ऐसा कोई क्षेत्र या पहलू नहीं है, जहां विकास की बात न की जा सकती हो। विकास को समझने के लिए हमें जीवन के हर पहलू की ओर झांकना होता है। सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक आर्थिक और राजनैतिक संपन्नता या विपन्नता के पैमाने पर हम विकास को देखते हैं। सामाजिक रूप से पिछड़ा समाज असल में विकास में पिछड़ा समाज है। हर स्तर पर आप देखेंगे कि बात घूम फिरकर विकास के आसपास ही टिक जाती है।

इस इकाई में आप जानेंगेः

1. विकास की अवधारणा
2. विकास की परिभाषा
3. विकास की प्रक्रिया

4. विकास संचार का अर्थ
5. विकास संचार का महत्त्व
6. विकास से जुड़े अन्य तथ्य

1.3 विकास:

संयुक्त राष्ट्र के मानवीय एवं सामाजिक विकास समूह के विशेषज्ञों के अनुसार राष्ट्रीय आय और उसकी वृद्धि के आंकड़े विकास के सूचक नहीं है, विकास का संबंध मनुष्यों से और मनुष्यों के लिए है. यानी विकास का आधार और लक्ष्य यही है कि वह मनुष्य गरिमा और जीवन के काम आए.

1.3.1 अर्थ:

वास्तविक विकास को इक्कीसवीं सदी के संदर्भ में देखें तो उसका अर्थ है, एक ऐसी सकारात्मक प्रक्रिया जिसमें मानव कल्याण पर्यावरण सुरक्षा, प्राकृतिक संसाधनों का विकास, विज्ञान, प्रौद्योगिकीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार और अन्य बुनियादी सुविधाएँ। विकास संचार के नए विशेषज्ञों ने विकास की प्रक्रिया में परम्परा और संस्कृति के मूल्यों को भी समाहित कर दिया है।

1.3.2 परिभाषा:

संयुक्त राष्ट्र ने विकास को मनुष्य विकास के संदर्भ में परिभाषित किया है. नोबेल पुरस्कार विजेता विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री गुन्नार मिर्डल ने विकास को परिभाषित करते हुए कहा है कि "विकास पूरी सामाजिक व्यवस्था का ऊर्ध्वगमन है." यानी समाज को निरतंर प्रगति की ओर अग्रसर रखने वाली प्रक्रिया को ही विकास कहेंगे. विकास के सिद्धान्तों और उसके प्रभावों से अलग, केंद्र में 'मनुष्य' है और उसका समग्र समाज ही उसकी सारी क्षमताओं और उपलब्धियों का प्रतीक है. मनुष्य समाज का सामूहिक विकास ही देश का राष्ट्रीय विकास माना गया है. संचार विद्वान केवल जे कुमार के मुताबिक, "यथासंभव अपनी सामर्थ्य और अपने संसाधनों के बल पर टिके प्रत्येक समाज के भीतर से ही विकास आकार लेता है." जाहिर है समाज के विकास का बाहरी मॉडल या किसी किस्म का हस्तक्षेप विकास की स्वाभाविकता को अवरुद्ध करता है और स्थानीय समाज और उसके लोगों में गुस्सा, भय, निराशा और कुंठा पैदा करता है. इसीलिए बार बार इसी बात पर जोर दिया जाता है कि किसी भी किस्म के विकास में जन भागीदारी

अवश्य होनी चाहिए. उन्हें विकास का भागीदार बनाए बिना उनके विकास की कल्पना करना बेमानी है.

1.3.3 अवधारणा:

विकास की जो अवधारणाएं अतीत(19वीं और 20वीं शताब्दी) से अब तक देखी जा रही हैं, उनमें बुनियादी रूप से तीन बातें निहित हैं- वे हैं अर्थशास्त्र, राजनीति और जनसंख्या(इकोनोमिक्स, पॉलिटिक्स, पॉप्युलेशन.) 1960 के आखिरी दशकों और 70 के शुरुआती दशकों में जब दक्षिण पूर्व एशिया में विकास समाचार की अवधारणा सामने आई तो प्रेस फाउंडेशन ऑफ एशिया ने एक शब्दावली गढ़ दी थी- डेप्थ न्यूज़. (DEPth NEWS) . डी से डेवलेपमेंट. इ से इकोनोमिक्स और पी से पॉप्युलेशन. (लेंट और विलनियलम 1979)
जे वी विलयिनलम ने विकास संचार पर लिखी अपनी किताब(डेवलेपमेंट कम्युनिकेशन इन प्रेक्टिस, 2009, सेज) में उपरोक्त बिंदुओं का जिक्र किया है. उनके मुताबिक 21वीं सदी में प्राथमिकताएं पूरी तरह नहीं बदली हैं. सूचना प्रौद्योगिकी के इस दौर में बस अंतर ये आ गया है कि विकास की अवधारणाएं और उससे जुड़ी पेचीदगियों को नए सूचना माहौल में समझने की जरूरत है. संचार का पूरा स्वरूप बदल गया है- निरंतर बदलाव की ओर अग्रसर है, न्यू मीडिया और वैकल्पिक मीडिया ने विकास की पूरी बहस में एक छाप छोड़ दी है. नई टेक्नॉलजी न सिर्फ संचार बल्कि विभिन्न सामाजिक राजनैतिक आयामों को नया कर रही है. कुल मिलाकर एक नई सांस्कृतिक परिस्थिति हमारे सामने हैं जिसमें बदली हुई सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक और तकनीकी स्थितियां अंतर्निहित हैं.

विकास संचार विषय के अन्य विद्वान डॉ एसएल शर्मा का मानना है कि विकास की अवधारणा में अधिकतर आर्थिक-भौतिक सम्पदा के मुद्दों को तरजीह दी जा रही है और सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों को कमतर माना जा रहा है। डॉ शर्मा ने पांच प्रमुख अवधारणाओं को विश्लेषित करते हुए अपने तर्क दिए हैं-

- पूर्व के समाजविज्ञानियों के अनुसार विकास का अर्थ ही सामाजिक विकास है, इसमें सामाजिक संगठन की शक्ति एवं क्षमता की वृद्धि ही विकास का पैमाना मानी जाती है.
- पश्चिमी अवधारणा विकास को आर्थिक वृद्धि से जोड़ती है और उसका पैमाना है सकल राष्ट्रीय उत्पाद(जीएनपी).

- मार्क्सवादी मॉडल विकास का पैमाना जीएनपी को तो मानता है पर उसका तर्क है कि जीएनपी का सही बंटवारा हो, तभी विकास जन अपेक्षाओं के मुताबिक माना जा सकता है.
- मनुष्य की बुनियादी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए चौथी विचारधारा यह है कि जीएनपी को फिर से परिभाषित किया जाए और इंसानी विकास का पैमाना यह हो कि उसे हासिल हो रही सुविधाएं और सेवाएं जीवन प्रत्याशा में वृद्धि करती हों. तभी विकास सुनिश्चित माना जाएगा.
- एक विचारधारा यह है कि विकास पुनः परिभाषित हो, शोषण से मुक्ति मिले और आत्मनिर्भरता आए.

डॉ शर्मा ने विकास की उपरोक्त अवधारणाओं को अधूरा बताया है क्योंकि इनमें समाज, संस्कृति और नैतिकता का उल्लेख विकास के नए सन्दर्भों में नजर नहीं आता है.

1.3.4 विकास प्रक्रिया:

विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, शैक्षिक और अन्य कई आयामों को जोड़ा जा सकता है. ये समस्त कारक एक साथ सक्रिय होकर उस प्रक्रिया का हिस्सा बन जाते हैं जिसे विकास कहा जाता है.(प्रोफेसर बलदेवराज गुप्त)

जब हम किसी समाज के विकास की बात करते हैं, तो इसमें समूचे देश का बहुआयामी विकास निहित होता है और यह विकास उसके नागरिकों के समस्त मानवीय पक्षों का होना चाहिए. औद्योगिकीकरण, आधुनिकीकरण तो मात्र इसके कुछ कारक हो सकते हैं, विकास वस्तुतः मानव के जीवन स्तर से जोड़कर देखा जाना चाहिए, भारत में पंचायत स्तर पर विकास के कार्य और उसके निर्णयों में भागीदारी अब होने लगी है. यानी सत्ता का विकेन्द्रीकरण हुआ है. आम जन का महत्त्व संसद से पंचायत तक हुआ है. विकास की नीतियों से लेकर उसकी प्रक्रिया और उसके लाभ में भी हिस्सेदारी आमजन को विकास से जोड़ती है. बकौल प्रो. बलदेवराज गुप्त, विकास बहुआयामी क्रान्ति का रूप लेता जा रहा है। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना(मनरेगा), खाद्यान्न सुनिश्तिता, शिक्षा का अधिकार आदि विकास के पैमाने बनते जा रहे हैं. लोगों को अपनी संस्कृति और स्थानीय सामाजिक मूल्यों की धरोहर का पूरा लाभ मिलना चाहिए. किसानों की जमीन अगर विकास के लिए ली जाती है तो ऐसे बेहतर मुआवजे का बिल

ससंद में रखा गया है जो विकास के कार्य में मददगार साबित होगा(हालांकि भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर अभी राजनैतिक दलों और नेताओं में मतभेद बने हुए है.)

1.4 विकास संचार :

विकास संचार की अवधारणा दक्षिण पूर्व एशिया में सामने आई थी. पिछले कई दशकों से राष्ट्रीय विकास के सन्दर्भ में इसका उपयोग लोगों को विकास के सभी पहलुओं और आयामों के बारे में शिक्षित और सूचित करना है. "विकास संचार एक ऐसी संचार प्रविधि और प्रक्रिया है जिसके जरिए लोगों को जीवन और विकास के सभी पहलुओं के बारे में शिक्षित किया जाता है." विकासशील राष्ट्रों में विकास के अनेक अकादमिक कार्यक्रम विभिन्न संगठनों के माध्यम से शुरू हुए. कई राष्ट्रीय, अन्तरराष्ट्रीय, क्षेत्रीय गोष्ठियां और सेमिनार किए गए. कई प्रकाशनों और चर्चाओं में विकास संचार, जन संचार का का हिस्सा बनने लगा.

आज विकास संचार यूनेस्को का एक वरीयता प्राप्त कार्यक्रम बन चुका है. अनेक संस्थाएं यथा एशियन मास कम्युनिकेशन रिसर्च एण्ड इनफॉरमेशन सेंटर, सिंगापुर, फिलिपींस का प्रेस फाउंडेशन ऑफ एशिया, नीदरलैण्ड्स का ग्राफिक मीडिया सेन्टर तथा भारत का नेशनल काउंसिल फॉर डेवलेपमेन्ट कम्युनिकेशन इस ओर काफी काम कर रहे हैं.

विकास संचार को अनेक अर्थशास्त्रियों, समाजशास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों एवं राजनीतिशास्त्रियों ने अपने अपने क्षेत्र के अनुसार परिभाषित किया. राजनीति विज्ञानी ल्युनिस पाई ने विकास को राजनीति शास्त्र में नया आयाम दिया. अगर इन सबके विचारों को एक जगह रखकर हम इसे परिभाषित करें तो विकास संचार का रूप कुछ इस तरह सामने आएगाः

"विकास संचार एक ऐसा फोरम है जिसके जरिए लोग सामुदायिक विकास, सामाजिक बदलाव, पुनर्निर्माण, राष्ट्रीय विकास और दूसरी प्रक्रियाओं की बेहतरी के लिए अपना योगदान दे सकने लायक शिक्षित और सूचित और संस्कारित हो पाते हैं."

दरअसल यह पूरे विकास संचार का निचोड़ है. विकास संचार वस्तुतः विकास की आवश्यकता को प्रचारित करे और लोगों की आशाओं और अपेक्षाओं को जोड़े और लोग उसमें प्रतिभागी बनने के लिए सक्रिय हों और उन्हें उनकी जरूरत की शिक्षा विकास संचार के जरिये दी जाए.

विकास संचार का लक्ष्य है समाज को पिछड़ेपन से निकालकर एक बेहतर समाज का निर्माण करना, स्वयं भागीदारी करना और बेहतरी के सभी अवसरों का पूरा पूरा लाभ उठाना. सामूहिक लाभ की शक्ति का समुचित उपयोग और प्रयोग करने की क्षमता और योग्यता लोगों में

होनी चाहिए. अपनी बेहतरी के लिए स्वयं निर्णय लेने की उनमें समझ पैदा हो- यही विकास संचार का लक्ष्य है.

विकास संचार की प्रक्रिया में समाज के सभी सदस्यों की सामूहिक बौद्धिकता(कलेक्टिव विज़डम), अनुभव, कौशल, प्रतियोगी सम्पूर्णता इस तरह सकारात्मक ढंग से बढ़े कि वे विभिन्न कार्यक्रमों-योजनाओं जैसे मनरेगा या शिक्षा या खाद्यान्न के अधिकार से जुड़े अधिकतम लाभ उठा सकें. विकास संचार का मूल उद्देश्य पिछड़ो और वंचितो को सूचना और सुविधा मुहैया कराना है ताकि विकास की प्रक्रिया उनके दरवाजे तक पहुंच सके.

विकास संचार में आधुनिक और परम्परागत दोनों माध्यमों की अधिकांश एशियाई और अफ्रीकी देशों में आज भी जरूरत है. क्योंकि आज भी इन देशों में सरकारी निर्भरता का बोलबाला है. विकास का लक्ष्य तेजी से तभी हासिल किया जा सकता है जब विकास संचार की प्रक्रिया को स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर स्थानीय लोगों के सहयोग से संचालित किया जाए. पंचायतें इसकी एक मिसाल हैं.

भारतीय जन संचार संस्थान, नई दिल्ली के पूर्व निदेशक और वरिष्ठ पत्रकार एमवी देसाई का मत था कि विकास संचार में विकास सम्बन्धी नीतियों, उपलब्धियों और प्रभावों का ब्यौरा होता है. जैसे कृषि विकास, खाद्यान्न उत्पादन, परिवार नियोजन, श्रमिक कल्याण और सामाजिक बदलाव, लोकतन्त्र में भागीदारी, विकास कार्यक्रमों में सक्रिय हिस्सेदारी, राष्ट्रीय एकता और समाज कल्याण के अनेक कार्यक्रम इसमें शामिल रहते हैं. विकास संचार में टॉप टू बॉटम एप्रोच के बजाय डाऊन टू अप एप्रोच ही असरदार साबित होती है. प्रक्रिया की शुरुआत में भले ही ऊपर से यानी शासन या सरकार या संस्थान से संचार सामग्री या संसाधन निचले स्तर तक आता है लेकिन एक बार इसके वहां पहुंच जाने के बाद इसके संचालन की डोर ऊपर से ही थामे रखने से पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य ही विफल हो जाता है. निचले स्तर पर विकास संचार का एक सामूहिक भागीदारी की भावना के साथ इस्तेमाल किया जाना चाहिए. उसमें आगे किसी भी किस्म का सरकारी या गैर सरकारी या कॉरपोरेट हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए. ग्रास रूट लेवल यानी जमीनी स्तर से विकास संचार को लागू कर राष्ट्रीय स्तर पर इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए.

1.4.1 विकास संचार का महत्व:

विकास संचार के सभी प्रयास, चाहे वे व्यक्तिगत स्तर पर किये गये हों या किसी समूह, समुदाय, संगठन या सरकार द्वारा, उनका लक्ष्य आखिरकार मनुष्य हित ही होना चाहिए।

विकासशील समाज की समस्याएं - भारत सहित एशिया और अफ्रीका के अनेक देशों के सामने गरीबी सबसे बड़ी समस्या है. गरीबी कई बीमारियों और बुराइयों को जन्म देती है और समाज और राष्ट्र को कमजोर और निराश करती है। ऐसी व्यवस्था में शोषण को पनपने का पूरा अवसर मिलता है। पहले संयुक्त राष्ट्र ने गरीबी के स्तर को भोजन की कैलोरी से जोड़ कर उसका पैमाना बनाया था। आज वह पैमाना अनेक देशों और सरकारों ने खारिज कर दिया, इसे प्रतिव्यक्ति आय से जोड़ा गया है।

भारत में सत्तर के दशक में गरीबी को केन्द्र में रखकर इसे खत्म करने के लिए केन्द्र सरकार ने एक मुहिम चलाई थी। 'गरीबी हटाओ' और इस मुद्दे पर चुनाव भी लड़े गये थे। गरीब को परिभाषित किया गया था, उसके नाम से अनेक कल्याण कार्यकम सरकारी व गैर सरकारी स्तर पर चले थे। बैकों का राष्ट्रीयकरण तक हुआ था। पब्लिक सेक्टरों की बाढ़-सी आ गयी थी। अज्ञानता और दकियानूसी विचार विकास और आधुनिकता को अपनाने में प्रायः बाधक बनते हैं। जनसंचार के कार्यक्रमों द्वारा इस समस्या को कम किया जा सकता है। भारत में प्रिन्ट मीडिया यह कार्य बरसों से करता आ रहा था। बाद में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया- रेडियो एवं टेलीविजन ने भी इसमें अपना योगदान किया। सिनेमा मनोरंजन के साथ सामाजिक नैतिकता के लिए सौ वर्षो से प्रयासरत है। कई डॉक्युमेन्ट्रीज के जरिए विकास के कार्यो को दर्शकों से रूबरू कराया जाता है। परम्परावाद और कठमुल्लापन आधुनिकीकरण को रोकने के भरसक प्रयास करते हैं जिन्हें विकास संचार और मीडिया के जरिये ही खत्म किया जा सकता है, नये मूल्यों की स्थापना और पुराने मूल्यों में बदलाव मीडिया के लिए चुनौती भरा काम बन चुका है।

भूख, गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और असमानता और अन्याय जैसी बुराइयां भारतीय समाज में गहरे तक व्याप्त हैं। क्षेत्रवाद भाषा, धर्म, जाति और कई रूढियां विकास में आज भी बाधक हैं। किसानों, कामगारों, शिल्पकारों, महिलाओं एवं कमजोर वर्ग के लोगों को व्याप्त समस्याओं से छुटकारा दिलाने की रणनीतियाँ बनाकर विकास संचार के माध्यम से उन्हें कार्यान्वित करने की महती जरुरत है।

1.4.2 विकास संचार का भविष्य:

संचार समस्त सामाजिक प्रक्रियाओं का आधार है। समाज चाहे कितना भी परम्परावादी हो या अत्यन्त आधुनिक, दोनों का कार्य व्यवहार और कारोबार संचार पर ही आधारित है। संचार प्रौद्योगिकी विकास में, संरचना परिर्वतन में, कार्य और सेवाओं में अत्यन्त प्रभावशाली बदलाव लाई है।

पिछड़े और परम्परावादी समाज को बेहतर और आधुनिक जीवन अपनाना होगा. इसके लिए उसे विकास के आधुनिक मॉडलों की जरूरत पड़ेगी. और ये बदलाव अपनी संस्कृति और मूल्यों को सुरक्षित रखते हुए यानी अपनी जड़ों से जुड़े रहकर भी लाया जा सकता है. विकासशील देशों को परस्पर सहयोग बढ़ाना होगा. भारत इसमें अग्रणी भूमिका निभा सकता है जो सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपनी जगह बना चुका है और विकास संचार के आयामों को बेहतर रूप से समझ सका है.

संचार क्रान्ति का दौर जारी है। निश्चित तौर पर सुधार की गुंजाइश भी बढ़ती जा रही है। विकास को वंचितों के दरवाजे पहुंचाना, उन्हें भागीदार बनाना और इस तरह उन्हें लाभान्वित करना मीडिया की चुनौती है। लोगों की आर्थिक खुशहाली के साथ साथ मास मीडिया के जरिये आधुनिकीकरण लाने की लर्नर और रोजर्स की दलील को संचार गुरू विल्बर श्रैम का भी समर्थन प्राप्त है। मास मीडिया एक बहुआयामी स्तंभ सिद्ध हुआ है जहाँ तक आधुनिकीकरण का सवाल है, इसमें मीडिया की भूमिका पूरी दुनिया ने स्वीकारी है। श्रैम मीडिया को सामाजिक परिवर्तन का एजेन्ट मानते हैं। संयुक्त राष्ट्र और यूनेस्को के मुताबिक "देशों में आर्थिक और सामाजिक विकास की प्रक्रिया में प्रेस, रेडियो प्रसारण, फिल्म और टेलीविजन सुविधाओं के निर्माण के लिए एक ठोस योजनापरक कार्रवाई की जरूरत है."

मीडिया का काम है कि वह वक्त की जरूरत को समझे. आवश्यकता के प्रति जागरुकता उत्पन्न करे। क्योंकि वर्तमान हालत से इस आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो रही है। अतः कार्यप्रणाली और व्यवहार को बदलना होगा। आवश्यकता की पूर्ति के लिए लोग कार्यप्रणाली और व्यवहार को बदलें या तकनीक और प्रौद्योगिकी दूसरों से उधार ले (मदद लें) जिससे आवश्यकता की पूर्ति हो। विरोध की स्थिति आने पर अपने मूल्य आड़े आयें तो उनसे कैसे निपटना और बदलना है, इसके लिए लोगों को तैयार होना होगा। अपने मूल्य और संस्कृति को सुरक्षित रखते हुए हम विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और बेहतर जीवन स्तर अपना सकते हैं।
मीडिया चिंतक विल्बर श्रैम और आईपी तिवारी के मुताबिकः

लोग आवश्यकताओं के बारे में अलग ढंग से सोचें, इसके बाद अगर असंतुष्ट हैं तो अपने कार्य और व्यवहार को बदलें या काम करने की तकनीक बदलें, प्रौद्योगिकी अपनी बनायें या किसी से सहयोग लें, उसके बाद बदली हुई व्यवहार स्थितियों और तकनीकी माहौल से उसे विकास का जो फल मिलेगा उससे जीवन स्तर में बेहतर बदलाव आ पायेगा। अंग्रेजी शब्दावली में इस प्रक्रिया को इस तरह से बताया गयाः Think differently, Work differently, Live differently.

1.5 विकास के मौलिक निर्देश चिह्न:

विकास संचार आर्थिक और सामाजिक समानता तथा मनुष्य निहितार्थ संभावनाओं की पूर्ति का नाम है। ये ऐसे सुनहरे लक्ष्य हैं जो विकास को मानव हित और सामाजिक परिवर्तन का बहुत बड़ा एजेन्ट मानते हैं।

गरीबी या निर्धनता, वृद्धि दर की बढ़त के बावजूद बनी हुई है. इसकी एक वजह है वितरण व्यवस्था की कमी और अन्य विसंगतियां. दूसरी ओर जनसंख्या भारी समस्या तथा अभिशाप बन गई है।

डेनिस गौले कहते हैं, देश की आम जनता की आवश्यक मौलिक जरूरतों की पूर्ति आर्थिक नहीं, मनोवैज्ञानिक कारणों से भी जरूरी है। विकास के तीन सोपान हैं-

1. जीविका यानी भरण पोषण
2. आत्म सम्मान या स्वाभिमान
3. स्वायत्तता या स्वतंत्रता

ये तीनों सोपान विकास के लिए आवश्यक हैं परन्तु इनमें जीविका या जीवन संपोषण का बिंदु बहुत जरूरी है। मनुष्य को जब रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसी बुनियादी जरूरतें हासिल होंगी तभी उसमें आत्म सम्मान का जज्बा पैदा होगा। एक गरीब आदमी जिसमें स्वाभिमान न हो, उसके लिए स्वतंत्रता अर्थहीन है.

1.5.1 भोजन:

भोजन की उपलब्धता, गुणवत्ता और संग्रहण को लेकर विकास के लिहाज से कुछ स्वाभाविक प्रश्नों पर गौर करना और उनका निदान तलाश करना ही होता है. प्रति व्यक्ति भोजन में कितनी कैलोरी स्वास्थ्य के लिए जरूरी है और वस्तुतः भारत में या किसी भी विकासशील देश में नागरिकों को जो खाद्यान्न उपलब्ध है उसके अनुसार उन्हें कितनी कैलोरी मिलती हैं, देखा जाता है कि महानगरों, छोटे शहरों और गाँवों में रहने वालों को उपलब्ध भोजन में कितनी कैलोरीज मिल पाती हैं। इसी तरह किसानों, मजदूरों और जिले के सामान्य व्यक्ति को प्रतिदिन भोजन में मिलने वाली कैलोरीज का हिसाब देखा जाता है. भोजन में गेहूँ, चावल, दाल आदि या हरी सब्जी, फल, प्रोटीन आदि उन्हें रोज मिलता है ? क्या प्रति व्यक्ति भोजन दोनों वक्त मिलता है या नहीं ? क्या अण्डा, मीट, मछली आदि भी मिलता है ? क्या उन्हें दूध प्रतिदिन मिलता है, विशेषकर बच्चों को, क्या दूध या दूध से बने पदार्थों को खरीदने का इनमें सामर्थ्य है। प्रत्येक

जिले में खाद्यान्न वितरण की क्या व्यवस्था है ? क्या लम्बे समय तक खाद्यान्न को सुरक्षित और साफ रखने की व्यवस्था है ? स्टोरेज व्यवस्था ठीक है ? भोजन के अतिरिक्त पानी की भी उतनी ही बुनियादी जरूरत है. कहा ही जाता है जल ही जीवन है। अनेक बीमारियां दूषित जल के इस्तेमाल से होती हैं इसलिए पीने के साफ पानी की उपलब्धता विकास का सबसे बड़ा पैमाना है। साफ पानी की व्यवस्था, उपलब्धता और भंडारण विकास के लिए अत्यन्त आवश्यक है।

1.5.2 आवास

विकासशील देशों में इस बात का पता लगाना चाहिए कि प्रत्येक जिले में कितने लोग पक्के मकान में रहते हैं ? कितने लोग झुग्गी झोपड़ी या टपरों में रहते हैं ? कितने मकानों में जल निकास की व्यवस्था हैं ? कितने मकानों में दो कमरे और अलग से रसोई हैं ? कितने मकानों में शौचालय की व्यवस्था है ? या घर के निकट शौचालय सुविधा है ? प्रतिदिन नियमित पीने का शुद्ध पानी उपलब्ध है या नहीं या कितना उपलब्ध है ?

आवास निर्माण, उनका मानकीकरण, गुणवत्ता, क्या कम दर भवन निर्माण सामग्री, मास हाउसिंग योजना का उपयोग किया गया था? क्या जिला प्रशासन ने कोई 'मास्टर प्लान' बनाया है ? प्रत्येक जिले में, बिजनेस क्षेत्र, आवास क्षेत्र, दुकान, उद्योग क्षेत्र, डेरी क्षेत्र आदि की व्यवस्था टाउन प्लानिंग में की गई है ? ये सब बातें विकास को चिह्नित करने वाले बिन्दु हैं।

1.5.3 वस्त्र :

प्रत्येक जिले में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष पहनने, ओढ़ने, सोने के लिए कितने मीटर औसत कपड़े की जरूरत है ? क्या 30 मीटर का औसत उचित है ? क्या पोलिएस्टर या गर्म कपड़े की खरीद औसत आय वाले व्यक्ति की क्रय शक्ति के दायरे में आते है ? कपड़ा निर्माण, हथकरधा मिल या मशीनों की जिले में क्या स्थिति है, आपूर्ति और कच्चे माल की क्या व्यवस्था है ? अन्य जिलों की वस्त्र, श्रम, तकनीक, बिक्री और निर्माण की दूसरे जिलों पर क्या निर्भरता है ? क्षेत्रीय आवश्यकता और पूर्ति में सामान्य स्थिति बनी रहती है ? क्या बेहतर, सुन्दर, भड़कीले और फैशन वस्त्र पुरूष स्त्रियों और बच्चों को उपलब्ध है ? आदि प्रश्न हैं जो विकास की कसौटी पर मनुष्य की तन ढकने की जरूरत के लिहाज से परखे जाते हैं

रोटी कपड़ा और मकान बुनियादी जरूरतें हैं. लेकिन रोजगार के बिना ये जरूरतें कैसे पूरी होंगी. इसलिए इन्हें हासिल करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के पास रोजगार होना जरूरी है। सबसे पहले इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

1.5.4 रोजगार :

आर्थिक उदारीकरण, प्रौद्योगिकी विकास और सूचना तकनीकी के दौर में रोजगार के नये अवसर बेशक बढ़े हैं लेकिन परंपरागत रोजगार या तो सिकुड़ गए हैं या रहे नहीं. शहरी और ग्रामीण बेरोजगारों की संख्य बढती जा रही है. तकनीकी रोजगार बढ़े हैं तो व्यापक तौर पर बेरोजगारी भी फैली है. हालांकि इस विकट स्थिति से निपटने के लिए भारत सरकार ने ग्रामीण बेरोजगारों के लिए महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना कार्यक्रम, मनरेगा के जरिए हर व्यक्ति को वर्ष में 100 दिन का काम दिया जाना सुनिश्चित किया है. इस योजना के सकारात्मक नतीजे भी निकले हैं लेकिन कुछ राज्यों में इस योजना की आड़ में भ्रष्टाचार की घटनाएं भी हुई हैं जिनमें ऐसी खबरें आती रही हैं कि सरकारी अधिकारी लिप्त पाए गए थे.

शिक्षा और स्वास्थ्य विकास के दो महत्वपूर्ण बिन्दु है। आठवीं तक (अब दसवीं तक करने की योजना है) निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था नई शिक्षा नीति का मूलाधार है। स्वास्थ्य की व्यवस्था भी पहले से बेहतर है जिसकी बजह से मृत्यु दर में कमी और जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई है।

राष्ट्रीय जीवन स्तर में उन्नति विकास का सबसे बड़ा पैमाना है। प्रतिव्यक्ति औसत आय, औद्योगिकीकरण, उच्च तकनीकी सेक्टर का विकास, आय के उच्चतम और निम्नतम स्तरों के बीच घटता अन्तराल और सामाजिक न्याय, बच्चों और स्त्रियों के प्रति बदलता दृष्टिकोण विकास के अन्य मौलिक निर्देश चिह्न हैं।

1.6 अभ्यास प्रश्न:

प्रश्न 1. विकास से क्या तात्पर्य है?

प्रश्न 2. विकास की अवधारणा से आप समझते हैं ?

प्रश्न 3. विकास प्रक्रिया को समझाइये ?

प्रश्न 4. विकास संचार किसे कहते हैं? इसकी प्रक्रिया को समझाइये?

प्रश्न 5. विकास में जनसंचार के महत्व को विस्तार से समझाते हुए इसके भविष्य पर टिप्पणी लिखिए ?

प्रश्न 6. विकास से जुड़ी मौलिक बातें कौन-सी हैं ?

1.7 सारांश:

संचार के संदर्भ में विकास की अवधारणा, परिभाषा और महत्व को समझना इस इकाई का उद्देश्य है। आर्थिक पृष्ठभूमि में विकास को पैमाना मानकर पूरी दुनिया को विकसित और अविकसित देशों में बांट दिया गया। 1950 के आसपास दुनिया के अनेक देशों में नवचेतना आई, स्वतन्त्रता से राजनीतिक परिर्वतन हुआ। एशिया, अफ्रीक और लातिन अमेरिका के अधिकांश अविकसित और विकासशील देशों ने जनसंख्या वृद्धि के साथ-साथ गरीबी, बेकारी, बेरोजगारी, अशिक्षा, बीमारी और भुखमरी से लड़ाई लड़नी शुरू की। तब भूख से निपटना ही पहली वरीयता बन गई थी। भारत जैसे विशाल देश को अमेरिका और आस्ट्रेलिया से खाद्यान्न मंगाना पड़ता था। गेहूं चावल की आपूर्ति राशन से की जा रही थी, कई बाधाएं थीं। प्राकृतिक आपदाएं और बीमारियां हर बार हजारों लाखों को लील लेती थीं।

बीसवीं शताब्दी के छठे सातवें दशक में विकास की अवधारणा ने नव स्वतन्त्र अफ्रीकी-एशियाई राष्ट्रों को चिन्तन करने पर विवश कर दिया, विशेषकर इन देशों की सरकारें, जिन्हें पश्चिम के विकसित राष्ट्रों ने अविकसित राष्ट्र यानी आर्थिक स्तर पर पिछड़े देश घोषित कर दिया था, अपना घर संवारने पर ध्यान केन्द्रित करने लगीं लेकिन भूख, गरीबी, बीमारी और बेरोजगारी उनके सामने मुंह बायें खड़ी थी। विवश सरकारों को कर्ज़ या आर्थिक मदद के लिए धनी देशों के दरवाजे खटखटाने पड़े।

पांचवें-छठे तथा कुछ हद तक सातवें दशक में विकास के कारकों के नये प्रतिमान सामने आए, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी विकास, सकल घरेलू उत्पाद आदि पर विकसित देशों ने विकास को आर्थिक सिद्धांतों से जोड़ दिया। मानव संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण, ग्रामीण विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास और मानव जीवन के अन्य पक्ष जिन्हें नजरअंदाज किया गया था। सातवें और आठवें दशक में विकास के नये मानक बन गये थे। विकास और विकासशील देशों की नयी परिभाषा सामने आई, अब किसी भी देश को अविकसित कहना राजनीति में स्वीकार नहीं था। अफ्रीका और एशिया के अनेक देश उठ खड़े हुए थे। उन्हें अब जागरूक और विकास के लिए प्रेरित देख विकासशील देश कहा जाने लगा। अर्थात् विकसित और विकासशील की अवधारणा मानव जीवन शैली के संदर्भ में की जाने लगी। अगली यूनिट में हम इसे विस्तार से जानेंगे.

1.8 शब्दावली:

विकास संचार: समग्र रूप से वैयक्तिक, सामुदायिक और राष्ट्रीय विकास और उनके सारे आयामों के संदर्भ में व्यक्तियों या समुदायों या जन समूहों को सूचित और शिक्षित करने के लिए जनसंचार माध्यमों का उपयोग ही विकास संचार है।

जीवन संपोषण: ऐसा संपोषण जिस पर जीवन निर्भर हो, जीवन के लिए जो आवश्यक हो। आजीविका आदि.

आत्म सम्मान: अपना सम्मान, ऐसा कार्य जिससे अपना सम्मान हो, जिससे खुद को गौरव की अनुभूति हो.

स्वायत्तता: स्वायत्तता का अर्थ स्वतंत्रता से है। यहां पर स्वायत्तता का तात्पर्य संचार की स्वतंत्रता से है।

1.9संदर्भ ग्रंथ सूची:

1. David Apter : Introduction to Political Analysis.Prentice Hall of India Pvt. Ltd.New Delhi 1981 P. 453 - 585.
2. David B. Guralnik : Webster"s New World Diction are Oxford - IBH Pub.Co. New Delhi.
3. Gunner Myrdal : Nobel Prize Winner Conformist.
4. Keval J Kumar : Mass communication of Development in Journal of national Development ;1997) Vishvidyalaya Praksan Chowk , Varanasi ;U.P) 83.84.
5. S.L. Sharma : Changing Conception of Development in Journal for national Development Val. 1 M.1 ;Summer) 1988 P1.7.
6. Nora C Quebral : What do we mean by Development Communication Introduction Development Review Feb.k~ 1973 Issue P.k~ 25.
7. Indian Govt : brochures and DAVP publications about various govt policies and programmes eg bharat nirman abhiyan
8. Everett M Rogers : Communication -development the passing of the Dorninant Paradigm sage 1982.
9. Willber Schramm : Mass media - national Development stand Ford University Press 1964.
10. Denis A Goulet : The Cruel Choice A new Concept in the theory of Development Athenaeum New York 1971 P.180

1.10 सहायक/ उपयोगी पाठ्य सामग्री:

1. Gunner Myrdal : Nobel Prize Winner Economist.
2. Keval J Kumar : Mass communication of Development in Journal of national Development ;1997) Vishvidyalaya Praksan Chowk, Varanasi ;U.P) 83.84.
3. Dr. S.L. Sharma : Changing Conception of Development in Journal for national Development Val.1 M.1 ;Summer) 1988 P1.7.1.11

1.11 निबंधात्मक प्रश्न:

1. विकास मानवीय समाज की प्रगति का द्योतक होता है ? इस संदर्भ में विकास को परिभाषित करें।

2. संपूर्ण और समग्र विकास की समस्याएं और मुद्दे आज भी गरीब और कमजोर देशों के लिए चिन्ता के विषय हैं? आप इससे सहमत हैं तो वे ऐसे कौन-से कारक हैं जो दुनिया को विकास के संदर्भ में विकासशील और विकसित देशो में बांटते हैं ?

3. विकास की अवधारणा को स्पष्ट करें और उपयुक्त परिभाषा दें।

4. विकास संचार क्या है। इसकी विशेषताएं और महत्व पर प्रकाश डालें।

5. विकास के मौलिक निर्देश चिह्नों को अपने जिले के संदर्भ में आंकड़ों के जरिये विश्लेषित करें। उसकी एक रपट तैयार करें।

इकाई – 02

विकसित और विकासशील समाज: विशेषताएं और अंतर

इकाई की रूपरेखा :

2.1 प्रस्तावना

2.2 उद्देश्य

2.3 विकासशील समाज

2.4 विकासशील समाज और उसकी विशेषताएं

2.5 अन्य

2.6 विकसित समाज

2.6.1 परिभाषा

2.6.2 कारक

2.7 विकसित एवं विकासशील समाज में अन्तर

2.8 अभ्यास प्रश्न

2.9 सारांश

2.10 शब्दावली

2.11 संदर्भ ग्रंथसूची

2.12 सहायक/उपयोगी पाठ्यसामग्री

2.13 निबंधात्मक प्रश्न

2.1 प्रस्तावना:

औद्योगिक क्रांति, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और पूंजीवाद के दम पर दुनिया के मुल्कों में सबसे प्रत्यक्ष बंटवारा विकसित देश और विकासशील देश के रूप में हुआ. विकसित यानी साधन संपन्न, अमीर देश जो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हैं और विकासशील देश जो संसाधनों की प्रचुरता के बावजूद उनके समुचित दोहन या इस्तेमाल से वंचित हैं क्योंकि जरूरी तकनीकी और प्रौद्योगिकी का अभाव है, आर्थिक निर्भरता है और बहुत ज्यादा आबादी है जो बुनियादी सुविधाओं और अधिकारों से वंचित है. इस इकाई में हम विकास के अंतर्विरोधों और साधन संपन्न और साधन विपन्न समाजों के वर्गीकरण पर ध्यान देंगे. विकासशील देशों में मानव

संसाधनों की कमी नहीं है फिर भी वे पिछड़े हुए हैं और भूमंडलीकरण और मुक्त बाजार के दौर में खुद को असहाय पा रहे हैं क्योंकि अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की कर्ज मुहैया कराने की शर्ते कठिन हैं और इस तरह न चाहते हुए भी विकासशील देशों को अपने दरवाजे खोलने पड़े हैं और विदेशी पूंजी निवेश को आमंत्रित करना पड़ा है. देश की अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के उद्देश्य से की गई ऐसी कार्रवाइयां अंततः विकासशील देशों को एक दुष्चक्र में डाले हुए हैं.

2.2 उद्देश्य:

इस इकाई का उद्देश्य विकासशील समाज को उन कारकों को ढूंढना है जो उसे आज भी विकसित कहलाने में बाधक बने हुए हैं। यही बाधाएं विकासशील समाज की चारित्रिक विशेषताएं भी कही जा सकती हैं।

इस इकाई का अध्ययन करने पर आप जान सकेंगे कि

- विकासशील समाज की विशेषताएं क्या हैं
- विकसित समाज के कारक कौन से हैं
- जब दोनों अवधारणाएं स्पष्ट हो जाएं तो दोनों के बीच जो मौलिक अन्तर है, वे क्या हैंय

2.3. विकासशील समाज:

15 अगस्त 1947 को जब भारत ब्रिटिश राज से मुक्त होकर बंटवारे (पाकिस्तान निर्माण) का दंश झेलते हुए स्वतंत्र हुआ तो विश्व के मानचित्र पर उसने अपनी राजनीतिक हैसियत स्थापित करने के लिए मानव हित में रणनीति तैयार की। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू और दूसरे राष्ट्रीय नेताओं ने देखा कि पूरी दुनिया अमेरिका और यूरोप के पूंजीवादी गुट और तत्कालीन सोवियत संघ के समाजवादी गुट के बीच बंटी हुई है। इसलिए भारत को निर्णय करना था कि वह किस गुट में शामिल होता है, अमेरिकी गुट या सोवियत गुट में। जवाहर लाल नेहरू ने इंडोनेशिया के सुकर्ण, युगोस्लाविया के मार्शल टीटो और मिस्र के कर्नल नासिर को साथ लेकर तटस्थ रहने का मन बनाया। इस तरह गुटनिरपेक्ष देशों की एक तीसरी जमात खड़ी हो गई। बाद में इसे तीसरी दुनिया भी कहा जाने लगा।

इन गुटनिरपेक्ष देशों का समाज बहुरंगी (अनेक नस्लों वाला) बहुभाषी (अनेक भाषा बोलियों वाला), बहुधर्मी (विभिन्न धर्मों को मानने वाला) और बहुजातीय समाज था। अनेक संस्कृतियों का संगम था। पहनावे से लेकर आचार व्यवहार, खानपान, रीतिरिवाज, बोलचाल और

संस्कृति तक विविधताओं वाले समुदाय और वर्ग प्रायः एशिया एवं अफ्रीका के देशों में पाये जाते हैं। भारतीय गणराज्य की यही भिन्नता,वैविध्य और बहुलता आज उसकी विशिष्टता बन गई।
इस अध्याय में हम देखेंगे कि 20वीं सदी के मध्य के दशकों में राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हुए देश विभिन्न कठिनाइयों में थे। सबसे बड़ी कठिनाई थी रोटी कपड़ा और मकान। आबादी का बाहुल्य भी धरती पर बोझ बना हुआ था। ऐसे देशों को यूरोप और अमेरिका में आर्थिक तौर पर अविकसित देश कहा जाने लगा था। ये अपनी गरीबी और भूख मिटाने के लिए विकसित देशों के सामने याचक बने रहते थे। निर्धन और भूखे देशों का निराशा से घिरा हुआ समाज प्रकृति की दया या कोप पर जीता या मरता था। मानसून उसके प्राण थे। सूखा, महामारियां, बाढ़ और बीमारियां अनेक प्राकृतिक आपदाएं उसे सताती और वह भाग्य को कोसकर मन मसोस कर रह जाता था। इन समाजों की 70 प्रतिशत जनसंख्या लगभग ऐसी ही थी। शुरूआती दौर में सत्ता बाकी 30 प्रतिशत लोगों के हाथ लगी। जिन देशों ने लोकतन्त्र को अपनाया वे गुट निरपेक्ष देश कहलाये और ऐसे समाज को सम्मान देने के लिए अविकसित देशों की बजाय विकासशील देश कहा जाने लगा। विकास के अर्थ नये संदर्भों में समझने का वक्त आ गया था।

अविकसित स्वतन्त्र राष्ट्र बीसवीं सदी में संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों से अब विकासशील देश कहलाने लगे थे क्योंकि तब संचार के संदर्भ में विकास का पैमाना प्रति 100 व्यक्तियों पर अखबार की संख्या, रेडियो की पहुंच और सिनेमा की सीटें होती थीं। जहाँ पर भी सूचना साधनों में प्रयास करके इन संख्याओं में वृद्धि की गई, वे अविकसित से विकासशील देश कहलाने लगे।

भारत जैसे अनेक विकासशील देशों की आबादी तंगहाली में थी। मनुष्य की दैनिक आवश्यकताओं रोटी, कपड़ा, मकान के लिए आधी से अधिक जनता जूझ रही थी। अखबार तो शिक्षा और अर्थव्यवस्था से जुड़े थे। अखबार की आवश्यकता मात्र एक वर्ग विशेष की थी। अतः भारत में 1975 तक अखबारी कागज की खपत प्रति व्यक्ति 0.2 किलोग्राम (200 ग्राम) प्रतिवर्ष थी जबकि अमेरिका में यह खपत 180 गुना अधिक थी। भारत में हर सौ व्यक्ति पर अखबार संख्या 1:1 है जबकि अमेरिका में 100 व्यक्तियों पर 1:32 है। विकास के पैमाने की जांच करने के लिए यूनेस्को ने काफी काम किये। यूनेस्को के संचार माध्यमों का अनुपात विकासशील देशों के लिए जो तय किया गया था, वह इस प्रकार थाः 100 व्यक्तियों के लिए 10 अखबार, 5 रेडियो सेट, 2 टेलीविजन, 2 सिनेमा सीट होनी चाहिए।

उन दिनों (1965) के आंकड़े देखें तो जापान में प्रति हजार व्यक्तियों पर 500 दैनिक अखबार थे अर्थात लगभग हर दूसरा आदमी अखबार के साथ था। एशिया का विकसित देश

जापान अपनी बराबरी यूरोप के विकसित देशों से करने में समर्थ था। 1960 के पुराने आंकड़े खंगालें तो हम पाते हैं पूरे जापान में 157 दैनिक अखबार छपते-बिकते थे जिनकी कुल प्रसार संख्या 40,000,000 प्रतियां रोज थी। जापान के एक दैनिक एसाही(Asahi) की प्रतिदिन 80 लाख कॉपी बिकती थी।

जहाँ तक अखबारों की संख्या की स्थिति है अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ को छोड़कर भारत तीसरे नंबर पर था। पर शिक्षा प्रतिशत में कमी और क्रय शक्ति के अभाव के चलते (1950-1975) समस्त भारतीय समाचार पत्रों की संख्या 33,092,000 प्रतियां थी। कुकुरमुत्ते की तरह अखबार छपते, बंटते और काल के गाल में समा जाते। उनकी संख्या ज्यादा थी पर जीवन रेखा बहुत छोटी थी। 100-150 साल पुराने जीवित अखबार आज भी मुट्ठी भर हैं, मसलन- मुंबई समाचार, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिन्दू, आज(हिन्दी दैनिक), सन्मार्ग, स्टेट्समैन आदि।

भारतीय समाज में हिन्दी प्रदेशों हिमाचल प्रदेश, कुछ भाग पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छतीसगढ़, मध्य प्रदेश, कुछ भाग महाराष्ट्र छोड़ दें तो अन्य प्रदेशों कश्मीर, पंजाब, असम, त्रिपुरा, मेघालय, नगालैण्ड, मणिपुर, मिजोरम, अरूणाचल, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण के पांच राज्य कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, और आन्ध्र प्रदेश और पुड्डुचेरी सभी की अपनी भाषाएं हैं, अपनी अनेक बोलियां हैं, अपना पहनावा और खानपान है। लेकिन जहां तक नागरिकों की मौलिक आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति का काम अब भी जारी है।

विकासशील समाज कर्मठता से परिवर्तन कर अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास सतत् करता रहता है। अगर हम विकासशीलता के संदर्भ में भारतीय समाज को देखें तो आजादी मिलने के बाद ही उसने अपनी, गरीबी, बेकारी, भूख, बीमारी और अशिक्षा को चिह्नित कर लिया था। शिक्षा और स्वास्थ्य से पहले जरूरत थी हमें भोजन की। खाद्यान्न पाँचवें छठे दशक में हमारी सबसे बड़ी वरीयता था।

औद्योगिक घराने प्रतिस्पर्धा का धन बटोरने में लगे थे, आर्थिक वृद्धि के लिए पब्लिक सेक्टर की अवधारणा को मूर्त रूप दिया गया, बांध जैसे सार्वजनिक उपक्रमों को प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू विकास मंदिरों का दर्जा देते हुए कहा करते थे कि भावी भारत के ये नव मंदिर निर्माण के कारखाने हैं, 80 प्रतिशत कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था के बावजूद भूख पहला मुद्दा बनी हुई थी। कृषि

विश्वविद्यालयों की स्थापना करके देश में हरित क्रान्ति लाने के इन्तजाम किये गए। कृषि के अनेक मीडिया कार्यक्रमों के प्रोडक्शन और प्रस्तुतीकरण से कृषक समाज में भारी बदलाव आया।

अन्न के महत्व को सरकार ने गंभीरता से लिया, प्रधानमन्त्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री ने सोमवार के व्रत की प्रथा शुरू करायी, जय जवान और जय किसान का नारा देकर खेतिहरों के महत्व को अन्न उत्पादन और भंडारण और उपयोग को तरजीह दी। उद्योग बढ़े, हरित क्रान्ति के चलते उत्पादन वृद्धि हुई, क्रय शक्ति बढ़ी तो देश महंगी चीजों(लक्जरी गुड्स) की मांग भी बढ़ी पर शिक्षा का स्तर बहुत नीचा था। देश की अनेक गतिविधियां उधार की अर्थव्यवस्था पर चल रही थीं। विदेशी धन हमें कर्जदार बना चुका था। आम हिन्दुस्तानी जन्म लेते ही कर्जदार हो जाता था। राजनेता आमजन की आलोचना के पात्र बनने लगे।

भारतीय समाज में दोहरापन व्याप्त था। इस बीच वित्त और कारोबार जगत के आर्थिक अखबार छपने लगे थे जो एक वर्ग की जरूरतों की पूर्ति करते थे। मुम्बई में 1961 में इकोनोमिक टाइम्स का प्रकाशन दस हजार कॉपियों की बिक्री से शुरू हुआ। संभ्रान्त और अभिजात वर्गक लोग और तरक्की कर रहे थे, गरीबों की संख्या बढ़ती जा रही थी। महात्मा गांधी ने अगस्त 1947 में आजादी की पहली सुबह पर कहा था, “अपनी याददाश्त पर जोर डालकर सबसे गरीब और सबस कमजोर इंसान का चेहरा याद करो जो कभी तुमने देखा हो और फिर खुद से पूछो कि जो तुम करने को उत्सुक हो क्या उससे उस इंसान का भी कोई भला हो पाएगा.”

महात्मा गांधी ने शायद ऐसे ही वक्तों के लिए ये बात कही होगी जब भीषण प्रतिस्पर्धा का दौर है और गलाकाट अंदाज में कारोबार चलाए जा रहे हैं. जहां होड़ मुनाफे की है, मूल्य और सहयोग और विकास की भावनाएं पीछे रह गई हैं.

भारी उद्योग पब्लिक सेक्टर में हो और लघु व मध्यम दर्जे की उद्यमिता निजी इजारे में तो विकास बेहतर होता। बेतरतीब औद्योगिकीकरण की दौड़ से भारत की अर्थव्यवस्था असन्तुलित हो गई, जवाहरलाल नेहरू ने दिसम्बर 1963 में अपनी मृत्यु से छह माह पूर्व लोकसभा में कहा था, “जो चीज मुझे अपराधबोध से जकड़ रही है कि भारत में ऐसे लोगों की अच्छीखासी संख्या है जिन्हें योजनाओं का कोई लाभ नहीं मिला और जो भयावह और दर्दनाक गरीबी में जी रहे हैं, मैं अब महात्मा गांधी की सोच के बारे में ज्यादा से ज्यादा सोचने लगा हूं.”

दिवंगत प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण, गरीबी हटाओ, श्रमिक कल्याण, कृषक सम्मान, पिछड़ों और आदिवासियों के लिए अनेक योजनाओं का कार्यान्वयन किया और

विकास की गति को और बढ़ाया मानवीय पक्ष को विकास में सर्वाधिक महत्व दिया। राष्ट्रीय स्तर पर विकास के कई कार्यक्रम एवं योजनाएं शुरू की गई थीं।

प्रदेश की सरकारों ने भी विकास के कई कार्यक्रम चलाए, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था, कृषि, लगान राज्य के अन्तर्गत आते हैं। इनमें आज भी सुधार और विकास की काफी गुंजाइश है। इसके लिए निरन्तर कानून भी बनाये जा रहे हैं। जिसके जरिये आम आदमी को सामाजिक न्याय मिल सके।

इलिहू काट्ज़ का संचार त्रिकोण

विकासशील समाजः त्रिकोण

परिवर्तन आवश्यकता परिवर्तन स्वीकृति

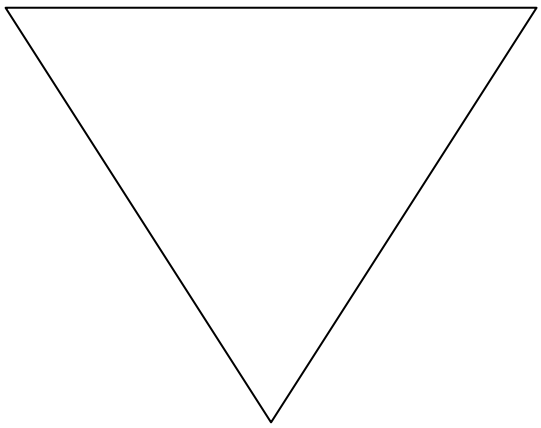

परिवर्तन की तकनीकी सफलता

उल्टे त्रिकोण के बीच में विकास संचार(पत्रकारिता) लिखें.

इलिहू काट्ज़ संचार परिवर्तन के विकास मॉडल को प्रस्तुत करते हुए संचार के त्रिकोण को महत्व देते है। उनकी मान्यता है कि संचार प्रक्रिया की भूमिका सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन संदर्भ में त्रिकोणीय है।

- संचार पत्रकारिता लोगों में वर्तमान परिस्थितियों में परिर्वतन की सूचना मुहैया कराकर उनमें बदलाव की आवश्यकता उत्पन्न करती है। उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नये ढंग से काम करने और अपनाने से कैसे पूरी हो सकती है। इसके लिए उनके मानस को तैयार किया जाता है।
- पत्रकारिता और संचार का दूसरा महत्वपूर्ण सोपान परिवर्तन की स्वीकृति भी है। इसमें जैसे खानपान, रहन-सहन में परिर्वतन, आबादी नियन्त्रण के तरीके अपनाने की शुरुआत,

खेतों में नये बीजों का रोपण आदि के जरिए समाज में परिर्वतन स्वीकृति की लहर उत्पन्न कर लोगों को उसके लिए सहर्ष तैयार करना।

- जनसंचार की मदद से परिवर्तन लोगों की सहमति से तैयार, स्वीकार और अपनाया जाता है। इसलिए संचार विशेषकर जनसंचार में की बदलाव की गुंजाइश सदा रहती है। विकासशील देशों में ऐसा होने की संभावना अधिक होती है आम जन में निराशा और उदासी के साथ कुण्ठा आ जाती है। विकास के लिए इनका हल शीघ्र निकालना चाहिए जिससे आम जन को लाभ मिल सके।

2.4 विकासशील समाज की विशेषताएं:

विकासशील समाज में संचार मीडिया का काम है कि वह वहां की समस्याओं को दूर करने में मदद करे। मसलनः

- गरीबी - अशिक्षा
- भूख - स्वास्थ्य
- बेकारी - कपड़ा
- बेरोजगारी - मलिन बस्ती आवास
- बीमारी - सन्तुलित भोजन का अभाव
- जनसंख्या वृद्धि - पेयजल अभाव, शिशु-जननी की दुर्दशा
- बाल विवाह - जच्चा-बच्चा मृत्युदर

अधिकांश अफ्रीकी और एशियाई देशों में लोग अभावग्रस्त जीवन जी रहे हैं। ग्रामीण खेती पर निर्भर परिवार भी पूरे वर्ष काम के अभाव में जीवन स्तर में कोई परिर्वतन नहीं कर पाते उनकी आर्थिक विशेषताएं उनकी सामाजिक रूढियाँ उन्हें बेड़ियों में जकड़े रहती हैं। नतीजतन वे कुछ भी नया न अपनाकर निराशाजनक जीवन जीते हुए दुखी रहने लगते हैं। तब अन्य अनेक विपदाओं- बीमारी,, नशे की लत या अपराध का शिकार हो जाते हैं।

लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था वाले समाज में विकास संचार के कई मौलिक कार्य हैं, जिन्हें प्रसिद्ध विद्वान लूसियन पई ने इस प्रकार बताया हैः

- लोकतंत्र में समाज अपनी राजनीतिक आवश्यकता को पहचाने.
- विकास पत्रकारिता किसी व्यक्ति विशेष के असाधारण काम को इस ढंग से प्रस्तुत करें कि वह पूरे समाज के लिए प्रेरक बन जाए।

- समाज में स्वीकृति का तार्किक आधार प्रदान करना समाज को आकस्मिक एवं अन्य राजनीतिक नियम स्थापित करने में मदद करता है।
- राजनीतिक आधुनिकीकरण में बकौल लूसियन पई, संचार समाजीकरण ही नहीं, भागीदारी भी पैदा करता है। यही भागीदारी राजनीति में लोकशाही का आधार होती है।

मास मीडिया विकास में पिछड़े हुए गांवों में परिवर्तन की लहर ला सकता है। परिवर्तन सांस्कृतिक मूल्यों को अक्षुण्ण रखकर भी आगे बढ़ सकते हैं।

2.5 अन्य:

विकासशील देशों की अन्तरराष्ट्रीय समस्याओं को लें तो वे एक सी हैं।

गरीबीः भारत में इसे दूर करने के लिए वर्षों से अनेक प्रयास किये गये हैं।

बीमारीः अनेक बीमारियां- संतुलित भोजन की कमी से जैसे अफ्रीकी देश पीड़ित हैं, भारत भी रहा है। इससे निजात पाने के लिए पूरी दुनिया विशेषकर यूनेस्को कार्यरत है। कृषि, अन्न उत्पादन और भंडारण और वितरण के द्वारा इस समस्या पर काबू पाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

आवासः हर इंसान की बुनियादी जरूरत है। इस पर विकसित देश आलीशान और विकासशील देश आवश्यकता और आरामदेह मकान चाहते हैं। भारत सरकार, कई राज्य सरकारों (इंदिरा आवास, राजीव गांधी के नाम से घर) के सहयोग से, मलिन बस्ती के लोगों को आवास सुविधा के लिए काम कर रही है।

पेयजलः पेयजल भी अंतरराष्ट्रीय समस्या है जो प्रायः हर विकासशील देश में है। अब तो कई देशों में जल संसाधन मंत्रालय भी बना दिया गया है। भारत में खाद्यान्न वितरण का भी कानून है। बीपीएल यानी गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों को सस्ती दर पर और कुछ निःशुल्क खाद्यान्न(सार्वजनिक वितरण प्रणाली-पीडीएस) बांटा जाता है।

राष्ट्रीय विशिष्टता अफ्रीका और एशियाई लोगों की अलग हो सकती है, पर रोटी, कपड़ा और मकान शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल रोजगार तो सबको मिलना चाहिए। ये अंतराष्ट्रीय समस्याएं सभी विकासशील देशों की है जबकि खानपान पहनावा बोली भाषा सामाजिक परंपराएं, रूढियां अलग हैं। पर शिक्षा स्वास्थ्य तो सबको चाहिए। कुछ स्थानीय आवश्यकताएं हो सकती हैं। स्थानीय रोग स्थानीय रुढियों से भी स्थानीय स्तर पर ओपिनियन लीडर्स के रूप में समाज की अगुआई कर रहे लोगों की मदद से निपटा जा सकता है. आज आर्थिक विकास ही नहीं स्थानीय स्तर पर

सामाजिक विकास भी जरूरी है। इसलिए विकास पत्रकारिता को इस ओर वैचारिक मत निर्माण करना होगा।

2.6 विकसित समाज

विकसित देशों ने संचार के सिद्धान्तों को अपने तौर तरीकों और जरूरतों के हिसाब से अपनाया। विकसित देशों में 19वीं सदी की औद्योगिक क्रांति के बाद ही भौतिकतावाद, बाजारवाद और पूंजीवाद का बोलबाला रहा है. पैसे की अधिकता के चलते बाद में सामाजिकता और नागरिकता, व्यक्ति स्वतंत्रता का मुद्दा सामने आया। धनिकों ने दान देकर समाज के हित में अपने बड़प्पन के लिए सोचना शुरू किया। लोकतांत्रिक रूप से सहयोगी समाज को तरजीह दी जाने लगी। लोकतंत्रीय उदारवादी समाजों में इस सिद्धांत की पैठ बनती चली गई। मीडिया संस्थानों का निर्माण इन विकसित देशों में खूब हुआ। बड़ी-बड़ी कंपनियाँ, ब्राण्डों का वर्चस्व विकसित समाज पर छा चुका था। इसके जरिये समाज सुधार के अनेक कार्यों को सम्पन्न किया गया था. इन देशों के वॉयस ऑफ अमेरिका और ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन जैसे संस्थानों को न केवल उनके अपने देशों में वरन पूरे विश्व में धाक जम चुकी थी और इनकी विश्वसनीयता बेजोड़ थी.

लोकतांत्रिक भागीदारी भी एक अस्पष्ट अवधारणा है, इसे राजनैतिक पार्टियों के जुड़ाव के संदर्भ में रेखांकित किया जाता है. मास सोसायटी वास्तविकताओं से दूर होती है इसलिए इसमें अल्पसंख्यक विचार या व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति के लिए स्थान प्राप्त नहीं कर पाते. विकसित समाज में व्याप्त मुक्त प्रेस सिद्धांत(free press theory) बाजार के प्रभाव में फंसकर सामाजिक दायित्व निर्वाहन में नाकाफी साबित हुई है। नागरिक समाज के लिए इन विकसित और संपन्न मीडिया संगठनों ने कोई महत्वपूर्ण काम नहीं किया क्योंकि इन पर समाज के शक्तिशाली तबकों का वर्चस्व कायम रहा। होना यह चाहिए था किः

- व्यक्ति और नागरिक अल्पसंख्यक समूह अपनी इच्छा और जरूरत से मीडिया का इस्तेमाल कर सके।
- मीडिया संगठन और उसकी विषय वस्तु राजनीति केन्द्रित या नौकरशाही से संचालित न हो।
- मीडिया का प्राथतिक अस्तित्व उसके लोगों के निहितार्थ हो न कि संस्थान के।
- समूह, संगठनों और स्थानीय समुदायों के अपने मीडिया हों यानी वैकल्पिक मीडिया
- जनसंचार और मीडिया का स्वरूप छोटे स्तर का, समन्वय और भागीदारी वाला हो

- मीडिया जन सरोकारों को समझें और उसी दिशा में अपनी कार्यप्रणाली विकसित करे

2.6.1 परिभाषा:

विकसित देशों में जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी फ्रांस और इटली आदि, वहां मीडिया अपने पाठकों/श्रोताओं/दर्शकों(तीनों के लिए एक शब्द- ऑडियंस भी है) की जरूरतों, रूचियों और आशाओं का ध्यान रखता है। लेकिन प्रतिस्पर्धा और मुनाफे की होड़ में रुचियों और आशाओं और जरूरतों का शोषण भी किया जाता है. पश्चिम का मास मीडिया सांस्कृतिक रूप से अपना एजेंडा स्थापित करता है और अपनी ऑडियंस को अपने झांसे में लेने की कोशिश करता है. वहां के मीडिया का एक ही दर्शन है- मनोरंजन. उसी मीडिया की छायाएं अब विकासशील देशों में सक्रिय मास मीडिया पर भी पड़ने लगी हैं जो कई बार प्रस्तुति और सामग्री में उनके ही प्रतिरूप से नजर आते हैं. यह सूचना और मास मीडिया का भूमंडलीकरण है. विकसित देशों से प्रवृत्तियां तो आई लेकिन वे सुधार और अधिकार नहीं आ पाए जो वहां के नागरिकों को न्यूनतम रूप से हासिल हैं.

2.6.2 कारक:

विकसित देशो में मूलभूत मानवीय आवश्यकता रोटी-कपड़ा-मकान उपलब्ध है. अभिव्यक्ति स्वातन्त्र्य है। वहाँ की राज्य व्यवस्था बेकारी और बेरोजगारी भत्ता भी देती है। शिक्षा (स्कूली) वहाँ अनिवार्य है। शिक्षा का पक्का और सुनिश्चित इंतजाम है। शिक्षा का स्तर 100 प्रतिशत है। बुजुर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था है। उनके लिए अनेक सुविधाएं उपलब्ध हैं। वहाँ के नागरिक को अपनी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निराशा का शिकार नहीं होना पड़ता. और जब तक बेहतर रोजगार नहीं मिलता, राज्य भरण पोषण की व्यवस्था करता है। आर्थिक और सामाजिक स्तर पर वहाँ का विकसित समाज जागरूक भी है। और मानव मूल्यों के प्रति संवेदनशील भी। गरीबी, जनसंख्या का भार और बीमारी खानपान की वस्तुओं की मिलावट का भय वहाँ के समाज को नहीं है। क्योंकि इसके लिए वैधानिक व्यवस्था और पुख्ता सामाजिक न्याय व्यवस्था भी ऊँचे दर्जे की है। अगर अधिकार और सुविधाएं हैं तो कुछ जवाबदेही, दायित्व और जिम्मेदारियां भी हैं. मसलन आयकर अदायगी अनिवार्य है. औद्योगीकरण आधारित अर्थव्यवस्था विकसित देशों के लिए बाजार तलाशने का काम करती है, जिससे वे अपना उत्पादन विकासशील देशो में खपा सकें.

2.7 विकसित और विकासशील देशों में अंतर:

विकसित देश औद्योगिक और प्रौद्योगिकी आधारित अर्थव्यवस्था और कानूनी रूप से संपन्न सामाजिक व्यवस्था में जीते हैं, जहाँ मानव मूल्यों और मानवाधिकारों को सर्वाधिक तरजीह दी जाती है। अपवाद को छोड़ दें तो वहाँ प्रायः मनुष्य को, अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति का डर नहीं सताता। रोटी, कपड़ा, मकान वहां के नागरिक समाज में अब भयानक समस्या नहीं है। विकसित समाज में शिक्षा और रोजगार या फिर बेकारी भत्ता नागरिकों को उपलब्ध है। बुजुर्गों के लिए सुविधाजनक ओल्ड होम, बेसहारा बच्चों के लिए जीवनयापन व्यवस्था को वर्तमान पीढ़ी अपना सामाजिक दायित्व मानती है। सामाजिक सुरक्षा के लिए कठोर कानूनों की व्यवस्था है। जिससे सामान्यतः आम नागरिक स्वयं को विकासशील देशों की तुलना में ज्यादा सुरक्षित पाता है।

सूचना प्रौद्योगिकी ने विकसित समाज में क्रांति ला दी है और आधुनिकीकरण के समस्त कारक आम जीवन का हिस्सा बन गए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार व्यवस्था, बिजली, पानी, सड़क, परिवहन, यातायात, सुरक्षा और अन्य अनेक क्षेत्रों में नई तकनीकों का प्रयोग करके विकसित देश लंबी दौड़ में बहुत आगे निकल गए हैं।

विकासशील आज भी गरीबी से जूझ रहे हैं, विशेषकर कई अफ्रीकी, लातिन और एशियाई देश. चीन और भारत जैसे देशों ने विकास कार्यक्रमों को शुरू कर नागरिकों की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के प्रयास लगभग पूरे कर लेने के दावे किए हैं और अब शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण के कार्य संपन्न करने की ओर बढ़ रहे हैं। भारत में जारी कुछ विकास कार्यक्रम इस तरह से हैं-

- राष्ट्रीय ग्रामीण जीवन यापन मिशन।
- राजीव गांधी आवास योजना।
- ESIC स्वास्थ्य योजना कार्यक्रम।
- शिक्षा का अधिकार (14 वर्ष के बालक-बालिकाओं के लिए अनिवार्य शिक्षा), अब इसे 10वीं कक्षा तक करने की योजना पर विचार चल रहा है।
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (मनरेगा)।
- जननी शिशु सुरक्षा योजना।
- राजीव गांधी पेयजल आपूर्ति योजना।
- अनुसूचित जाति-जनजाति की महिलाओं और बच्चों के कल्याण की योजनाएं आदि।

विकासशील देशों में सामाजिक कानून बनाकर सामाजिक न्याय व्यवस्था को सुलभ कराना हमारी वरीयता में आता है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से विकासशील भारत में उद्योगों को ही नहीं पूरे आधारभूत ढांचे को मजबूती मिलती है। गांव जब संड़क मार्ग से जुड़ता है तो वहाँ विकास के अनेक रास्ते खुल जाते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रहन-सहन, खानपान, पहनावा, रोजगार बढ़ता है। सोच में बदलाव आता है। जहां शहरों में उद्योंगों एवं तकनीकी विकास का क्रम जारी है, उधर गाँवों में कृषि, सड़क शौचालय, शिक्षा और स्वास्थ्य, स्वच्छता और सफाई के कार्यक्रमों का सिलसिला अनेक आर्थिक और सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं से संचालित है। सतत् विकास के भारत निर्माण के कार्यक्रम केन्द्र सरकार चला रही है। प्रदेश स्तर पर अनेक राज्य सरकारों ने अपनी योजनाएं कार्यान्वित कर रखी है। ई- शिक्षा और ई-बैंकिंग ही नहीं विकास के लिए नेशनल टास्क फोर्स एंड इंफोर्मेशन टेक्नॉलजी ने भारत में कार्य करना शुरू कर दिया है।

विकासशील देश यूनेस्को की मदद से और परस्पर सहयोग से अपनी अपनी जनता का भाग्य बदल रहे हैं जिससे अपनी अस्मिता और सांस्कृतिक मूल्यों को गंवाए बिना उनका जीवन स्तर बेहतर और सम्मानजनक बन सके।

2.8 अभ्यास प्रश्न:

प्रश्न 1. विकासशील समाज किसे कहते हैं?

प्रश्न 2. विकासशील समाज की विशेषताओं का वर्णन कीजिए।

प्रश्न 3. विकसित समाज किसे कहते हैं? स्पष्ट कीजिए।

प्रश्न 5. विकसित समाज को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं?

प्रश्न 6. विकसित एवं विकासशील समाज में अन्तर स्पष्ट कीजिए।

2.9 सारांश:

विकासशील समाज उन देशों के समूह है जहाँ बीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में विदेशी सत्ता से स्वतंत्रता प्राप्त करके संसदीय चुनाव की प्रणाली के आधार पर राजनीतिक ढंग से वहाँ की जनता ने अपनी सरकारें को चुना।

विकासशील देशों ने प्रायः गुटनिरपेक्षता की भावना बनाये रखी, न तो वे अमेरीकी यूरोपीय गुट में गये जो प्रथम विश्व कहलाता था न ही द्वितीय विश्व के समाजवादी रूस आदि के

खेमे में गए। पं. जवाहरलाल नेहरू के प्रयास से तीसरी दुनिया के देशों ने गुट निरपेक्षता को अपनाया।

विकसित देशों के नागरिकों को जीवनस्तर के लिए आवश्यक भौतिक वस्तुएं, रोटी-कपड़ा मकान, उपलब्ध थे। वे मानवीय सम्मान और विकास भागीदारी की बात करते थे जबकि विकासशील देश जिन्हें पहले अविकसित कहा जाता था। अपनी गरीबी, भूख, बीमारी, बहुल जनसंख्या, अशिक्षा, अज्ञानता और बेरोजगारी और बढ़ी मृत्युदर से जूझ रहे थे। वहाँ की सरकारें पहले अपनी जनता के लिए रोटी, कपड़ा व आवास की व्यवस्था करतीं, बढ़ती जनसंख्या बीमारियां, महामारियां अभिशाप बन गई थीं। विकासशील देशों में सरकार मीडिया ने मिलकर विकास और बदलाव के लिए सामूहिक प्रयास किए।

यूनेस्को के नवसूचना एवं संचार व्यवस्था आयोग ने विकासशील देशों में असन्तुलित संचार व्यवस्था व मानव विकास में आई बाधाओं को पाटने के लिए अनेक सुझाव दिए, इससे विकासशील देशों की विकास प्रक्रिया को और अधिक सुचारू बनाने व लागू करने में सहायता मिली। मानवाधिकार और नागरिक समाज के प्रयास से जागरूकता आई और नई पहल से विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ।

विकासशील समाज में व्याप्त अंतराष्ट्रीय स्तर की समानताओं के लिए निदान निकाले गए। गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी बहुल जनसंख्या खानपान की कमी, भूख से मौत आम बात थी। जिस पर काबू पाने के प्रयास हुए।

राष्ट्रीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर हर देश ने बिना अपनी संस्कृति व मूल्यों को गंवाए अपने-अपने विकास के मॉडल तैयार किए और उन्हें अपनाकर समाज ने बदलाव की अंगड़ाई ली। संचार आवागमन के साधन, शिक्षा ने बदलाव के द्वार खोले तो आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन लोगों की जीवन शैली को बदला। इस परिवर्तन से मानव के जीवन स्तर में सुधार हुआ।

विकसित देशों से तकनीक लेकर विकासशील देशों ने कृषि सुधार, औद्योगिक सुधार और अन्य विकास के कार्यों को पूरा कर परिवर्तन किया और बिना कुछ गवाएं सम्मानपूर्वक स्वयं को स्वस्थ और संतुष्ट नागरिक की श्रेणी में ला खड़ा किया। आज भी अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ विकास की रोशनी से अंधेरे को भगाया जाना है।

विकासशील देश भी इस दिशा में प्रयासरत हैं कि उनके नागरिकों को सम्मानजनक जीवन नसीब हो. वे अनेक ऐसी योजनाओं को मीडिया के माध्यम से चला रहे हैं जिनमें लोगों

की भागीदारी, स्वीकृति और आदत बन जाए। आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र के परिवर्तन विकास के मॉडल हैं। किसी एक मॉडल से लक्ष्य प्राप्ति सभव नहीं है। हम अपनी आवश्यकता के अनुसार विकास की आवश्यकता महसूस करें, वैसा सोचें, स्वीकृति दें और अपनाएं तभी हमारे जीवनस्तर का ग्राफ ऊँचा होगा।

इस माध्यम मे हमने विकासशील और विकसित देशों की आवश्यकताओं, विशेषताओं, समानताओं और विभिन्नताओं का अध्ययन किया, लेकिन यह समझना जरूरी है कि विकसित समाज का अंतिम लक्ष्य सतत् विकास है विराम नहीं और विकासशील तो प्रक्रिया है, जो जारी है।

2.10 शब्दावली:

प्रथम विश्व: अमेरिका और यूरोप के देश जैसे ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और इटली आदि जो औद्योगिक तौर पर सम्पन्न देश हैं जिन्हें पूंजीवादी व्यवस्था वाले देश भी कहा जाता है।
विकास समाचार: जिन्हें विकासशील देशों की सरकारें अपने कार्यक्रमों, योजनाओं और नीतियों के हित में मानती हैं। सामाजिक जवाबदेही विकास समाचार की एक बुनियादी शर्त है।

2.11 संदर्भ ग्रंथसूची:

1. Natragan, S. : A History of the press in India Asia Pub. House, Mumbai Chap 3 p 23.
2. RNI : The Press in India 1975 Govt.of India Pub New Delhi.
3. Loyod Sommerland : The Press in Developing Countries, Atama Ram and Sons Delhi P.6
4. Raghvan, G.N.S. : The press in India A New History , Gyan Pub. House New Delhi 1994 PP 22-31.
5. KatZ, Elihu : Communication Innovation - Change. Charts in Book. The Process and ffeects of mass Coram By Wilber schramm. University of Illinois Press. Chicago U.S.A. P.757
6. Lucianw, Pye : Communication - Political Development ;1963) Pub. Princeton University press precaution PP 6.7.

2.12 सहायक/उपयोगी पाठ्यसामग्री:

1.Willbur Schramm : Mass Media and national development ;1964) Slanford university Press slenford PP -115.

2. Denis Mecquail : Media society linkage chaplir mass communication theory sage publication London N. Vella.

2.13 निबंधात्मक प्रश्न:

1. विकासशील समाज की अवधारणा को स्पष्ट करें और उनकी समस्या मूलक विशेषताओं का वर्णन करें ।

2. विकासशील देशों की समानताएं क्या-क्या हैं।

3. विकसित समाज में प्रचलित मीडिया सिद्धांत का विवेचन करें।

4. विकासशील समाज में विकास के विभिन्न सोपानों का उदाहरण सहित वर्णन करे।

5. विकास का संचार त्रिकोण क्या है।

6. विकास में सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों के महत्व को प्रतिपादित करें।

इकाई -03

विकास पत्रकारिता: अर्थ, अवधारणा, प्रक्रिया और सिद्धान्त

इकाई की रूपरेखा:

3.1 प्रस्तावना

3.2 उद्देश्य

3.3 विकास पत्रकारिता

3.3.1 विकास पत्रकारिता का अर्थ

3.3.2 अवधारणा

3.3.3 परिभाषा

3.4 विकास पत्रकारिता दर्शन

3.5 विकास प्रक्रिया

3.6 विकास सिद्धांत

3.7 अभ्यास प्रश्न

3.8 सारांश

3.9 शब्दावली

3.10 संदर्भ ग्रंथसूची

3.11 सहायक उपयोगी/पाठ्यसामग्री

3.12 निबंधात्मक प्रश्न

3.1 प्रस्तावना:

देर से ही सही विकास गतिविधियां और उसका यथार्थ आम आदमी के आसपास महसूस किया जा सकता है। विकास का प्रभाव दूरदराज के गांवों में धीरे दृश्यमान होता जा रहा है। हालांकि विकास की ये रफ्तार धीमी है और इसमें कई खामियां भी हैं. नीतियों का उचित और संपूर्ण क्रियान्वयन सबसे बड़ी खामी है. भ्रष्टाचार ने भी गांवों के विकास के पहिए को अवरुद्ध किया है.

लेकिन यह भी संतोष की बात है कि मीडिया में कमियों की खबरें भी उजागर हो रही हैं, कार्यक्रम और कानून के अमल में हो रही ढील पर बहसें होती हैं. और विकास पत्रकारिता अपनी

तमाम सीमाओं के बावजूद विकासशील देशों में अपनी जगह बना रही है. मुख्यधारा के मीडिया में कई किस्म के दबावों के बावजूद विकास से जुड़े मुद्दों को जगह मिल रही है, हालांकि इसमें अपेक्षित कवरेज अभी नहीं है. और जब भ्रष्टाचार जैसी सनसनीखेज घटना होती है तभी मीडिया में भी कवरेज आती है. ग्रामीण पत्रकारिता अभी भी कई मीडिया संस्थानों में उपलब्ध नहीं है. कृषि पर रिपोर्टिंग बहुत कम है. इन्हीं सब मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र में भी चिंताएं और बहसें और चर्चाएं होती रही हैं और पत्रकारों को विकास पत्रकारिता के मायने और महत्त्व समझाने के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण दिए जाने पर जोर दिया जा रहा है.

लेकिन ये कोशिशें कॉरपोरेट मीडिया के सहयोग से अधूरी जान पड़ती हैं. इसलिए सरकारों को चाहिए कि अपने अपने देशों में वे निजी स्वामित्व वाले मीडिया संस्थानों को विकासपरक खबरों को स्थान देने के लिए नीति बनाए या सुझाव दें.

इस इकाई के अन्तर्गत विकास पत्रकारिता का अर्थ, परिभाषा, अवधारणा, प्रक्रिया और सिद्धान्तों की जानकारी दी जा रही है।

3.2 उद्देश्य:

इस इकाई में हम विकास के मॉडल के तहत विकास पत्रकारिता को समझने का प्रयास करेंगे।

इकाई के अध्ययन से आप जान सकेंगे कि-

- विकास पत्रकारिता का दर्शन क्या है?
- विकास पत्रकारिता प्रचलित पत्रकारिता से कैसे भिन्न है?
- विकास पत्रकारिता वस्तुतः है क्या?
- विकास क्या परिर्वतन का नाम है?
- विकास पत्रकारिता का भारत में शुरूआती दौर कैसा रहा ? अब क्या स्थिति है ?

3.3 विकास पत्रकारिता:

आज विकास पत्रकारिता का महत्व बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन संचार माध्यम हैं कि अभी इसके महत्व को नहीं समझ रहे हैं। इसमें खबरों को लगातार असंतुलन बना रहता है। असंतुलन का प्रमुख कारण व्यवसायिक और नीतिगत है पर राजनीतिक और वित्तीय स्थिति का ढांचा ही इसके लिए मुंख्य रूप से जिम्मेदार है। आवश्यकता है विकासशील देशों में संचार के

ऐसे मुद्दे जो मात्र मनोरंजन ही न करते हों, मात्र संवेदनाओं और भावनाओं को ही न उद्वेलित करते हों वरन् उन परिस्थितियों को उजागर करते हों, जिनके जरिए हमारे समाज को प्रेरणा देकर सक्रिय भागीदार बनाया जा सकता है। संचार प्रौद्योगिकी में नये आविष्कारों और अनुसंधानों की वजह से संचार सुविधा की पहुँच आम जन तक निरन्तर बढ़ती जा रही है। आज इंटरनेट और मोबाइल फोन ने सामान्य जन को संचार सुविधाओं का उपभोक्ता बना दिया है। समाज आधुनिक हो या परम्परागत आज संसार का कोई न कोई साधन उसके पास है जिसके चलते अनेक परिर्वतन विभिन्न स्तरों पर हमें देखने को मिलते हैं। संचार क्रान्ति ने पत्रकारिता के स्वरूप में भारी परिर्वतन कर दिया है। विकास पत्रकारिता के प्रयासों से लोगों के रवैया और व्यवहार में बदलाव दिखा है। विकसित और विकासशील देश के लोग विकास पत्रकारिता के प्रभाव से परिर्वतन को महसूस करने लगे हैं। आज लोग विकास के कार्यक्रमों में विशेषकर राष्ट्रीय विकास के मुद्दे पर सक्रिय भागीदार बन गए हैं। उनका योगदान नित्य प्रति बढ़ता ही जा रहा है।

संचार वास्तव में विकास के सन्दर्भ में एकमात्र शक्ति बन गया है जिसने सामाजिक अन्तरक्रिया, एकजुटता, गतिशीलता और आवाजाही में वृद्धि कर दी है। ज्ञान पर एकाधिकार या उसके वर्चस्व को भी तोड़ दिया है। अंतरराष्ट्रीय यथार्थ को सामने खड़ा करने का साहस दिखाया है। फिल्म, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, मोबाइल (नये मीडिया) ने प्रिन्ट मीडिया को भी अधुनातन बनने में भारी मदद की है। नतीजतन ज्ञान, अनुभव, प्रौद्योगिकी, नवस्त्रोत, विशेषज्ञता अब हमारे निकट आ गई है।

भारतीय जनसंचार संस्थान के पूर्व निदेशक महेन्द्र वी देसाई ने विकास पत्रकारिता को कुछ इस तरह से परिभाषित किया है, "विकास नीतियों और गतिविधियों से जुड़े समाचार और ऐसे समाचार जो कृषि विकास, खाद्यान्न उत्पादन, परिवार नियोजन, श्रमिक कल्याण और सामाजिक प्रगति से जुड़े हों निश्चित रूप से विकास पत्रकारिता की श्रेणी में आएंगें."

श्री देसाई ने विकास समाचारों में उन नीतियों और गतिविधियों की रिपोर्टों के महत्व को रेखांकित किया है जिनसे विकास का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है और परिर्वतन लाया जा सकता है। विकासशील व्यवस्थाओं में कृषि और कृषक की अनदेखी करना घातक हो सकता हैं। इसलिए खेती की खबरें, चाहे वे मिट्टी की हो या बीज की, खाद्य की हो या जोताई, सिचाई, बुवाई, कटाई, खेत से खलिहान की बात हो, भंडारण व मण्डी की बात हो- इन सबसे जुड़ी खबरें विकास पत्रकारिता के दायरे में आती हैं। खाद्यान्न उत्पादन नागरिकों की भूख से सीधा जुड़ा हैं। रोटी गरीब के लिए सबसे अहम मसला हैं। खाद्यान्न का उत्पादन हमे कैसे स्वावलंबी बना सकता हैं,

आज हम देख रहे हैं। खेती से जुड़ी तकनीकों की जानकारी ही नहीं, खेती की जमीन से जुड़े मसले, किसानों की समस्याएं, जमीन अधिग्रहण, बिजली पानी की किल्लत, संकर बीजों को लेकर किसानों की चिंताएं और देश के कुछ हिस्सों में किसानों का पलायन, आत्महत्या की दुखद घटनाएं- ये सारे मसले भी विकास पत्रकारिता के दायरे में आते हैं क्योंकि हर बार सरकारी कोण से खबरें देना भी उस समाज के साथ विश्वासघात है जो समस्याओं से जूझ रहा है और विकास पत्रकारिता के नाम पर उसके जीवन की गुलाबी तस्वीर पेश की जाए. ऐसी पत्रकारिता से सजग रहना भी सीखना होगा. विकास पत्रकारिता को कुछ जानकार व्यंग्य से सरकारी एजेंडे वाली या एनजीओ शैली वाली पत्रकारिता भी कह देते हैं, लेकिन ये इस व्यंग्य और सवाल का निशाना इसीलिए बनी है क्योंकि विकास पत्रकारिता करने वाले रिपोर्टर सरकारी दलील को ही पूरी रिपोर्ट मान लेते हैं. जबकि पत्रकार का यह बुनियादी दायित्व है और बुनियादी समाचार मूल्य भी यही है कि दूसरे पक्ष की बात भी सामने आनी चाहिए.

बहरहाल हम बात कर रहे थे विकास पत्रकारिता से जुडी संभावनाओं की. कृषि, बीज, खेत, पशुधन से लेकर परिवार नियोजन और ग्रामीण योजनाओं की जानकारी भी हमारे उस समाज को सूचना से मालामाल कर सकती है जिनके पास जानकारी का अभाव है. सम्भावनाओं के बावजूद आज हमारी नगरीय नई पीढ़ी और ग्रामीण क्षेत्र में अनेक स्त्री पुरुष बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। कामगारों और दिहाड़ी मजदूरों के लिए भी सरकारों को अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलानी होंगी जिससे कि उन्हें काम मिल सके और शोषण भी न हो। एक जमाना था जब काम की तलाश में लोग भटकते थे, आज काम उन्हें तलाश रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में विशेषकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून-मनरेगा लाया गया है. भारत विकासशील देशों में ऐसा पहला लोकतान्त्रिक देश है जिससे गाँव वालों को कम से कम 100 दिनों तक रोजगार देने की गारन्टी दी है ओर इसके लिए कानून बना दिया गया है। खाद्य सुरक्षा बिल संसद से पास होने की तैयारी में है. भूख से अब भारत में कहीं मृत्यु नहीं होगी, कानूनी रूप से इसकी व्यवस्था देश में कर दी गई है। श्रमिकों का शोषण न हो, इसकी भी पूरी व्यवस्था सरकार ने की है और अनेक श्रमिक संगठनों ने भी स्वतः बीड़ा उठाया है। श्रमिक कल्याण सम्बन्धी खबरों और कल्याणकारी कार्यों की गतिविधियों की रपट भी इस ढंग से लिखी जाए कि उसे भी विकास पत्रकारिता में स्थान मिल सके ।

सामाजिक परिवर्तन के अनेक कार्य मीडिया द्वारा प्रतिदिन कवरेज कर पाठकों तक पहुंचाए जाते हैं. मनोरंजक ढंग से सामाजिक बदलाव का यह कार्य परोक्ष रूप से सिनेमा करता ही रहा

है। अछूत कन्या, नीचानगर, धरती के लाल, शहर और सपना, बूट पॉलिश जैसी फिल्में हमारी धरोहर हैं और हमारे ग्राम्य समाज की विसंगतियों और तकलीफों का यथार्थपरक चित्रण हैं. टेलीविजन अपने धारावाहिक कार्यक्रमों के जरिए समाज सुधार के अनेक सीरियल मनोरंजक ढंग से दिखाता रहा है। टीवी चैनल ही नहीं, रेडियो पर भी समाज परिवर्तन के कार्यक्रम रहते हैं।

विकास पत्रकारिता की पहली शर्त है कि मात्र जानकारी देना या शिक्षा देना ही काफी नहीं है। लोग स्वतः उसमें भागीदारी करें, लेखन मीडिया में इस प्रकार किया जाय कि लोग उससे प्रेरित होकर अपनी शिरकत करें। यह काम दबाव या आदेश से न हो। अनुप्रेरणा के माध्यम से ही लोग स्वयं अपने जीवन में सुधार लाने के लिए एकजुट होकर आगे आएं। विकास पत्रकारिता अपने पाठकों को यह बताए कि भाग्य का निर्माण उपर से नहीं, बल्कि उनके अपने हाथों से होता है और प्रयास से ही वे विकास के लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। प्रसिद्ध मीडिया चिंतक और विकास संचार के प्रणेताओं में प्रमुख नाम- नोरा सी कुब्राल मानती हैं कि विकास का उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक समानताओं की अधिकतम सम्भावनाओं तथा मानव निहित स्त्रोतों और गुणों की पूर्ति है।

कुब्राल, गुसा और देसाई के विचारों को देखें तो हमें इस निर्णय पर पहुंचने में सुविधा होगी कि मनुष्य उत्थान ही विकास का अन्तिम सोपान है। मीडिया चिंतक डेनिस मेक्वेल विकास पत्रकारिता को एक सामाजिक शक्ति के रूप में देखते हैं। मीडिया को सदैव प्रेरक भी भूमिका निभाते हुए सकारात्मक सामाजिक दायित्व का निर्वाह करना चाहिए। प्रभाव की दशा दिशा के बारे में यकीन से कुछ भी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। सामाजिक सहयोग की मात्रा में अन्तर की स्थिति तो बनी रहेगी। क्योंकि मीडिया की प्रक्रिया जटिल होती है। विकास के पीछे कहीं शोषण की चाह तो नहीं है। देखना होगा किसानों को उनकी भूमि से बेदखल करके विकास के नाम पर जमीन अधिग्रहण क्या इस श्रेणी में नहीं आता। अतः वर्तमान और भविष्य के सन्दर्भ में इस अधिग्रहण का मुआवजा तय होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, तो इसके पीछे विकास की आड़ में शोषण और जुल्म की बू आती है। संभवतः इस स्थिति को मापने के बाद ही अब केन्द्र सरकार भूमि अधिग्रहण के लिए नया कानून संसद में पेश कर चुकी है. विकास के लिए सड़क और उद्योग बहुत बड़े माध्यम हैं। इनके लिए भी जमीन चाहिए, इसलिए इस कानून के आने से विकास कार्यो में और सहायता मिल सकती है। ऐसे विषयों को सकारात्मक ढंग से रिपोर्ट किया जाए तो वे निश्चित ही विकास पत्रकारिता की श्रेणी में आ सकते हैं। लेकिन यहीं पर वो बारीक द्वंद्व भी है जिसे पत्रकारिता में थिन लाइन कहा जाता है कि देखना

यह होता है कि अधिग्रहण से जुड़े मामलों की रिपोर्टिंग एकतरफा न हो यानी अधिग्रहण करने वाली शक्तियों(सरकार या कंपनी) के ही पक्ष में या उनके हितों का ध्यान रखने वाली रिपोर्टिंग न हो, बल्कि ये भी ध्यान रखा जाए कि अधिग्रहण से संभावित नुकसान उस इलाके और उस इलाके के लोगों पर क्या होंगें. विस्थापन को भी रिपोर्ट करना चाहिए और देखना चाहिए कि ऐसी नौबत न आए कि किसी को विस्थापित होना पड़े. विकास पत्रकारिता में ये जोखिम भरा हिस्सा है, जोखिम इसलिए कि मीडियाकर्मी के नाते मीडिया विशेष के अपने हित और झुकाव भी हो सकते हैं और राजनैतिक आर्थिक संस्थागत दबाव भी पत्रकार पर हो सकते हैं. ऐसे में वो न्यायसंगत तरीके से किस रूप में समाचार पेश करेगा, इसी से उसकी पेशेवर योग्यता और पत्रकारीय चेतना साबित होगी.

3.3.1 विकास पत्रकारिता का अर्थ:

विकसित देशों का, उसके मास मीडिया चलन का, उसके वृहद मीडिया स्वरूप का प्रभाव विकासशील देशों के मास मीडिया पर भी पड़ा. इंग्लैंड से शुरू होकर पत्रकारिता वाया अमेरिका दुनिया में फैली। एशियाई देशों में मिशनरी व्यक्तियों और संस्थाओं और संगठनों ने अपनी-अपनी भाषाओं में अखबार निकालकर अपनी जनता को आजादी के लिए जगाया। प्रेस ने मानव समाज में बदलाव ही नहीं किया बल्कि हलचल मचा दी। सूचना व ज्ञान पर अमीरों का वर्चस्व टूटा। ज्ञान और सूचना फैली और अनेक देश बीसवीं सदी में विदेशी साम्राज्यों की गुलामी से मुक्त हुए। अब मीडिया का मंतव्य और उसके उद्देश्य भी बदले। आर्थिक और राजनीतिक खेमेबाजी के हिसाब से देखें तो अमेरिका और यूरोप पहली दुनिया के देश थे जो पूंजीवादी बाजार व्यवस्था के सूत्रधार और समर्थक देश थे, दूसरी दुनिया कम्युनिस्ट और समाजवादी मॉडल अपनाने वाले देशों की थी जिनका अगुआ तत्कालीन सोवियत संघ था. एशिया, अफ्रीका और लातिन अमेरिका के कई देशों में एक गुटनिरपेक्ष मंच बना. जिसका अगुआ देशों में भारत था. यह तीसरी दुनिया कहलाई जो भूगोल और आबादी के लिहाज से पहली दो दुनियाओं पर भारी थी लेकिन अर्थव्यवस्था और विकास के लिहाज से बहुत कमतर थी. इनमें से ज्यादातर बहुत गरीब देश थे, कई देश लंबे समय की गुलामी के बाद आजाद होकर निकले थे, नवसृजित राष्ट्रों में भारत भी था.

इन विकासशील देशों का मीडिया अपने पूर्व विदेशी शासकों की नीतियों, शैलियों और तकनीक के अनुसार चलता रहा। धीरे धीरे विकासशील देशों की सरकारों ने अपनी आवश्यकताओं

और योजनाओं को व्यावहारिक रूप देने के लिए राष्ट्रीय नीतियों का निर्माण किया, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू तत्कालीन सोवियत संघ से पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारुप लाए और देश में छठे दशक के आरम्भ से इन्हें लागू किया. देश की पंचवर्षीय योजनाओं की अध्यक्षता प्रधानमंत्री ही करते हैं. विशेषज्ञ व्यक्ति को उसका उपाध्यक्ष बनाया जाता है। और अनेक आर्थिक और सामाजिक विशेषज्ञ और जानेमाने लोग योजना आयोग के सदस्य बनाये जाते है। योजना आयोग समस्त राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों और केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के लिए पांच साल की योजनाओं क प्रारूप बनवाता है। और उसे कार्यान्वित करने के लिए धनराशि आवंटित करता है। उसका आकलन व मूल्यांकन भी करता है। इस प्रकार केंद्र, राज्य, जिले, ब्लॉक और गांव के स्तर तक विकास का जायजा लिया जाता है। पंचायत ही अपने गांव के विकास से इस कार्य को शुरू करती है, और बजट बनाती है। इस प्रकार पूरे भारत के लिए केन्द्रीय मंत्रालयों के बजट बनाये जाते हैं। केन्द्रीय वित्त मंत्री पूरे देश की आय-व्यय के हिसाब से बजट बनाते हैं और करों का निर्धारण करते हैं। बजट संसद में प्रस्तुत और पास किया जाता है। राज्य का बजट विधानसभाओं में पेश व पास किया जाता है। इसी प्रकार नगर निगमों और पालिकाओं या पंचायतों का बजट उनकी अपनी समिति पास करती है। इन सब गतिविधियों की रपट, टिप्पणी, गतिविधियों की सूचना, जानकारी, मूल्यांकन, क्रिया, प्रतिक्रिया और जन हित के मामले में कार्य प्रगति, पारदर्शिता, उसमे चोरी या कोई नकारात्मक स्थिति की रपट, टिप्पणी, मूल्यांकन और प्रस्तुति विकास पत्रकारिता में आती है। पर विशुद्ध रूप से विकास पत्रकारिता को सकारात्मक दृष्टि से देखा जाता है। बदलाव और बेहतरी ही इसका पहला लक्ष्य होता है।

विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों की वित्तीय स्थिति भिन्न है और उनके जीवन मूल्य भी अलग हैं। उनके लिए विकसित देशों का मीडिया मॉडल कभी हितकारी नहीं हो सकता है। इसलिए उन्हें अपने सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्यों के अनुसार अपनी मीडिया आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रणनीति बनाकर उसे कार्यान्वित करना होगा। डीआर मनकेकर के मुताबिक, “विकासशील देशों को अपने यथार्थ, अपने मूल्यों और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार खबरें लेनी और देनी होंगी, पश्चिम का मॉडल विकासशील देशों की मीडिया जरूरतों को पूरा नहीं करता, लिहाजा हमें समाचार के गैर उपनिवेशीकरण (डिकलोनीलाईजेशन ऑफ न्यूज़) की अवधारणा को विकसित करना होगा।“

बड़े देश गरीब मुल्कों को अपना उपनिवेश मानते आए थे. वहां के संसाधनों और सांस्कृतिक उत्पादों पर भी उनका उपनिवेशी नजरिया था. मीडिया ऐसा ही एक वैचारिक

उपनिवेश माना जाता रहा है. भौगौलिक रूप से और राजनैतिक रूप से देश अब भले ही उपनिवेश न रह गए हों लेकिन मुक्त बाजार और भूमंडलीकरण ने विकासशील देशों में जिस तेजी से पांव पसारे हैं उसके तहत वे नए ढंग से उपनिवेश बना रहे हैं, इस प्रक्रिया को नवउपनिवेशवाद कहा जाता है. ऐसे नवउपनिवेशी रवैये से संप्रभु देशों और वहां के स्वतंत्र मीडिया को सचेत रहना होता है.

3.3.2 विकास पत्रकारिता की अवधारणाः

डीआर मनकेकर को भारत में गुटनिरपेक्ष देशों अर्थात तीसरी दुनिया के देशों के लिए अलग से एक समाचार पत्र बनाने का दायित्व सौंपा गया था। उन्होंने इसके लिए यूनेस्को और सयुक्त राष्ट्र की मार्फत वित्तीय मदद, प्रशिक्षण व अन्य सामग्री की जायज मांग उठाई थी और सीधे दो देशों के बीच की बात को अस्वीकार करते हुए कहा था कि प्रशिक्षण के नाम पर जो भी सहायता या धन मिले उसे हम विकासशील देशों के निवासी अपने मीडिया की आवश्यकताओं के अनुसार खर्च करें या प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम अपनी आवश्यकतानुसार बनाएं।

पश्चिम के मीडिया के प्रति यानी विकसित देशों के मीडिया कवरेज के प्रति तीसरी दुनिया के लोगों में मन में आक्रोश और सन्देह है तो विकसित देशों का मीडिया भी उन्हें हेय दृष्टि से देखता है। आवश्यकता है अपना मीडिया स्थापित कर उसे तकनीकी और आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए ट्रेनिंग की। इसके लिए भारत सरकार ने भारतीय जन संचार संस्थान में तीसरी दुनिया के विकासशील देशों के लिए पत्रकारिता प्रशिक्षण की व्यवस्था की और बाद में 1978 में गुटनिरपेक्ष समाचार एजेंसी के तहत विकासशील देशों के पत्रकारों को प्रशिक्षण देने के लिए पाठयक्रम शुरू किया गया।

विकसित देशों ने विकासशील देशों की इस पहल पर अपना विरोध ही नहीं जताया, तीसरे विश्व के लिए अपने मीडिया के दरवाजे बन्द कर दिए। इतना ही नहीं विकसित देशों ने मीडियाकर्मियों की बनायी आचार संहिता का भी विरोध किया.

जबकि यूनेस्को ने इसके प्रति समस्त देशों और उनके मीडिया संस्थानों को प्रतिबद्धता दिखाने का आग्रह किया था. विकासशील देस अन्तर्राष्ट्रीय मीडिया को अधिक दायित्वपूर्ण बनाने के पक्षधर है। और नागरिक समाज और मानव हित को तरजीह देने के पक्ष में है।

भारत समेत समान सोच वाले अन्य देशों की कोशिशों और दबाव के चलते यूनेस्को ने अंतरराष्ट्रीय संचार की समस्याओं, बड़े देशों से चल रही प्रमुख समाचार एजेंसियों की प्रस्तुतियों

और समाचार प्रवह में असंतुलन की शिकायतों की जांच के लिए मैक्ब्राइड कमीशन का गठन किया. भारत ने वर्ल्ड प्रेस इन्स्टीट्यूट की मांग भी उठाई.

द्वितीय विश्व युद्ध पश्चात और अमेरिका बनाम रूस के बीच शीत युद्ध वाले अंतरराष्ट्रीय माहौल के दौरान विकसित देश विकासशील देशों के प्रति सकारात्मक नहीं थे. उन्हें अपने मॉडल, संस्कृति, अर्थव्यवस्था के आगे सब बौने नजर आते थे और सभी को उनके मॉडल को स्वीकारने की ललक हो, इसके प्रयास में रहते थे. विकासशील देशों के स्वतंत्र और गुटनिरपेक्ष न्यूज पूल की अवधारणा ने नई चुनौती उत्पन्न कर दी थी। नवराष्ट्रों की अपनी पहचान अपनी संस्कृति अपनी मीडिया आवश्यकताएं थी। विकासशील देश अन्तराष्ट्रीय जगत में सह अस्तित्व और पारस्परिक सम्मान भावना और अपनी एकता और अखंडता की सुरक्षा भावना के साथ जीना चाहते थें। शान्त, सहयोदी और गैर परमाणु विश्व में रहने की उनकी चाहत थी। विकासशील देशों का यह स्वप्न पूरी तरह साकार तो नहीं हुआ लेकिन यूनेस्को के प्रयासों से 1977 में आयरलैंड के तत्कालीन विदेश मंत्री शॉन मैक्ब्राइड की अध्यक्षता में 16 सदस्यीय आयोग का गठन कर दिया गया जिसका प्रमुख काम था अंतरराष्ट्रीय संचार समस्याओं का अध्ययन करना, विकासशील देशों की शिकायतों को परखना और फिर अपनी सिफारिशें देना. आयोग का कार्य उन बाधाओं और अवरोधों का पता लगाना भी था जो अंतरराष्ट्रीय समाचार प्रवाह में व्यवधान उत्पन्न करती हैं।
नई विश्व सूचना और संचार व्यवस्था(न्यू वर्ल्ड इंफोर्मेशन एंड कम्यूनिकेशन ऑर्डर-NWICO)
1978 की घोषणाः मास मीडिया शान्ति, अन्तरराष्ट्रीय समझ, मानवाधिकार की वृद्धि के लिए काम करेगा और नस्लवाद, रंगभेद, उकसाने वाली कार्रवाई का विरोध करेगा।

अक्टूबर 1980 में अन्तरराष्ट्रीय संचार विकास कार्यक्रम (इंटरनेशनल प्रोग्राम फॉर डेवलेपमेंट कम्यूनिकेशन-IPDC) की निगरानी का काम यूनेस्को ने भारत सहित 35 देशों को सौंपा। हर देश की आवश्यकता अनुसार कार्यक्रम तैयार किए जाने की बात कही गई जिससे संचार व्यवस्था और मीडिया मानवीय लक्ष्य को प्राप्त कर सके। इसके लिए यूनेस्को ने करीब साढे 17 लाख अमेरिकी डॉलर के बजट की व्यवस्था की थी।

निम्नलिखित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कमीशन ने दो भागों में तत्कालीन यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में 1980 में अपनी रिपोर्ट पेश की। पहले भाग में एक से चार अध्यायों में विवरण और विश्लेषण है। दूसरे भाग में भावी संचार नाम से सारांश एवं संस्तुतियाँ है। संक्षेप में इस रिपोर्ट को इसके शीर्षक के नाम से भी याद किया जाता है- एक विश्व के कई स्वर, many voices one world.

रपट के उद्देश्य:

- सूचना तंत्र में विकसित देशों से विकासशील देशों की ओर समाचार प्रवाह (खबरों) में बाधाओं का अध्ययन।
- वैश्विक संचार व्यवस्था का अध्ययन करना और उसे प्रभावित करने वाले सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं तकनीकी आदि कारकों का परीक्षण।
- सूचना की प्रकृति का अध्ययन- विकसित और विकासशील राष्ट्रों के बीच ।
- विकसित और विकासशील राष्ट्रों में संचार वितरण व्यवस्था का अध्ययन।
- तकनीकी और व्यवहारिक बाधाएं क्या हैं।
- विकासशील राष्ट्रों की संस्कृति पर प्रभाव,
- नयी सूचना व्यवस्था में संचार समस्याओं का विश्लेषण।
- विकास, अन्तर्राष्ट्रीय समझ, शान्ति एवं सहयोग के संदर्भ में संचार सहयोग का पता लगाना।
- विकसित और विकासशील देशों के बीच अर्थपूर्ण वार्ता, सहयोग, सौहार्द का विश्लेषण।
- सूचना संचार व्यवस्था में असंतुलन का पता लगाकर आम आदमी को सूचना उपलब्ध कराने के लिए सुझाव देना।

इस आधार पर संचार नीतियों का एक महत्वाकांक्षी दस्तावेज तैयार किया गया.

3.3.3 विकास पत्रकारिता की परिभाषा:

विकास के सन्दर्भ में अगर विकास पत्रकारिता को परिभाषित करें तो हमारे सामने आम आदमी का चेहरा आता है। आम आदमी के जीवन स्तर और उसमें गुणात्मक परिर्वतन, और वह भी उसके सोच कार्य और प्रयासों से हो, इन सबके बारे में जानकारी देने वाली सूचनाएं, तथ्य एवं गतिविधियां विकास पत्रकारिता में आती है जो उसके खानपान, व्यवसाय, सोच, जीवन शैली और जीवन स्तर और भावी व्यवस्था से जुड़ी होती हैं। ऐसी घटनाओं का लेखन, संपादन, प्रस्तुतिकरण और आम आदमी तक उसकी पहुंच विकास पत्रकारिता है। अप्रैल 1978 में स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान मीडिया कर्मियों ने विकास के संदर्भ में मीडिया की कार्यशैली को पहली, दूसरी एवं तीसरी दुनिया के लिए इस तरह परिभाषित किया-

पश्चिमी समाज या पहली दुनिया(first world): मीडिया का काम तथ्यों का रिकार्ड करना, घटनाओं और स्थितियों को बाजार की आवश्यकतानुसार बनाना।

समाजवादी या कम्युनिस्ट देश या दूसरी दुनिया(second world): मीडिया का काम प्रमुख मानवीय समस्याओं का पता लगाना, लोगों की शैक्षिक व सांस्कृतिक आवश्यकताओं को महत्व देना।

विकासशील देश या तीसरी दुनिया या गुटनिरपेक्ष देश(third world) : मीडिया का काम राष्ट्र निर्माण के लिए संस्थान के रूप में काम करना तथा वहां की सरकारों का मानव हित और विकास में सहयोग व हिस्सेदारी करना।

3.4 विकास पत्रकारिता का दर्शन:

भारतीय प्रेस संस्थान (नई दिल्ली) "विदुरा" नामक मास मीडिया मैगजीन के अतिरिक्त विकास पत्रकारिता को समर्पित "ग्रासरूट" टेब्लॉयड पत्र भी प्रकाशित करता था। इनमें दूरदराज क्षेत्रों में मानवीय उपलब्धियों की प्रेरणादायक शैली में रिपोर्टें होती थीं जो सकारात्मक ढंग से सहज स्वीकार्य शैली में प्रस्तुत की जाती थी। पत्र बेशक अंग्रेजी में होते थे लेकिन कथाएं आम आदमी और उसके विकास की होती थी।

भारतीय प्रेस संस्थान ने पत्रकारिता की बेहतरी के लिए अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अतिरिक्त दिशा निर्देशन के काम भी किए। अनेक पुस्तकों का प्रकाशन भी किया। इसमें एक महत्वपूर्ण पुस्तिका थी- विकास पत्रकारिता का मैनुअल(a manual of development journalism). लेखक हैं ऐलन चॉकले. विकास के दर्शन और उसके व्यवहारिक पक्ष को किताब में बखूबी बताया गया है। इस छोटी पुस्तिका में विकास पत्रकारिता को मूर्त करने के गुर भी बताए गये हैं।

माइकल ट्राबर जैसे मीडिया विशेषज्ञ का मानना है कि वैकल्पिक पत्रकारिता किस प्रकार परम्परागत पत्रकारिता से भिन्न हो सकती है। वैकल्पिक पत्रकारिता तीन बातों पर निर्भर करती है जो उसे परम्परागत पत्रकारिता से अलग करती है और विशिष्ट स्थान दिलाती है। ये तीन मान्यताएं है- पहली यह कि इसे प्रमाणित नहीं किया जा सकता और विस्तृत चर्चा तत्काल इस पर की जा सकती है। दूसरा कई प्रकार से सत्यता को स्वयं सिद्ध माना जाता है। तीसरे ये मान्यता स्वतः स्वयं को वर्णित करती है।

परम्परागत पत्रकारिता में समाचार की अवधारणा के तत्वों से आप परिचित हैं. ऐसे तत्व जिनसे कोई घटना समाचार बनने योग्य कहलाई जाती है. यहां हम उन तत्वों का उल्लेख कर रहे हैं।

- सामयिकता

- प्रसिद्धि या प्रतिष्ठा
- भौगोलिक या भावनात्मक निकटता
- संघर्ष या तनाव
- असाधारणता या असामान्यता

जितनी यह घटनापूर्ण होगी, उतना ही मीडिया द्वारा इसको स्वीकृति और स्थान हासिल होगा. उपरोक्त बातें समाचार घटना को सीमा में बांधती है। वैकल्पिक पत्रकारिता उससे भिन्न होती है और उसमें भी विकास पत्रकारिता को कुछ जानकार ग्रासरूट पत्रकारिता भी कहते हैं. यानी जमीनी पत्रकारिता जिसमें उपरोक्त तत्वों जैसी कोई बात न हो लेकिन वह इसलिए खबर है क्योंकि उसका संबंध विकास से है, स्थानीय जन और उसके हित से है.

इसमें समाज के वैकल्पिक कर्ताओं को व उनके कार्यों को विषय वस्तु बनाया जाता है. हम उन्हें वैकल्पिक महत्वपूर्ण इकाई बना देते हैं। इसमें नंगे पांव की पत्रकारिता, बेयरफुट जर्नलिज्म (barefoot journalism) की भी एक श्रेणी है इसमें लोगों को अधिक सुना जाता है- अपनी ओर से कम से कम कहा जाता है। ये पत्रकारिता दूरदराज के कठिन दौरों और लंबी अनथक यात्राओं से ही संभव हो पाती है. जहां आपको सुनाने के लिए लोगों के पास अपनी अपनी दास्तानें हैं. आप बस लिखते जाइए या रिकार्ड करते जाइए.

3.5 विकास प्रक्रिया:

उपनिवेशवाद ने अपने अधीन क्षेत्रों में दोहरी संस्कृति ही नहीं दोहरी अर्थव्यवस्था और दोहरी राजनीति को खूब पनपने का अवसर दिया। आज नतीजतन भारत बनाम इंडिया की अवधारणा हमारे सामने आई है। विकास पत्रकारिता एक स्थानीयता से जुड़ी होती है, सामुदायिकता और भागीदारी का इसमें बड़ा महत्व होता है। समान परिस्थितियों वाले संगठित हो सकते है। इसमें सामाजिक व धार्मिक संगठनों की मदद ली जा सकती है।

विकास प्रक्रिया का एक उदाहरण यह है कि यूनेस्को ने ग्रामीण पत्रकारिता के जरिये भारत में सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विकास पत्रकारिता के दर्शन, प्रक्रिया और सिद्धांत को समझना सरल नहीं है। हमें भी इसका हिस्सा बनना पड़ता है, तभी इसके शत प्रतिशत परिणाम और प्रभाव सामने आते हैं।

3.6 विकास सिद्धान्त:

विकास पत्रकारिता में बदलाव संभव होता है कार्य पद्धति, सोच, स्वीकृति और उपयोग के जरिए. जागरूकता इसकी पहली आवश्यकता है। साथ ही परिस्थिति को बदलने की चाह और फिर नयी शैली (कार्य पद्धति और प्रौद्योगिकी) का इस्तेमाल, परिणाम प्राप्ति और फिर जीवन शैली और स्तर में परिवर्तन- यही विकास के सोपान हैं. यही इसका व्यावहारिक सिद्धान्त है।

- भिन्न विचार Think differently
- भिन्न कार्य शैली Work differently
- भिन्न जीवन शैली/स्तर Live differently

विकास का मीडिया सिद्धान्त (डेवलेपमेंट मीडिया थ्योरी)

विकासशील देशों में आज भी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक बदलाव प्राथमिक लक्ष्य है। विकसित देशों की वरीयता कुछ और है। विकासशील देशों के अन्तर्राष्ट्रीय हित लगभग समान है। उनकी कुछ मुद्दों को लेकर समान स्थिति है। जबकि पूंजीवादी या पूर्व कम्युनिस्ट देशों में मीडिया का लक्ष्य भिन्न रहा है। असंतुलित संचार व्यवस्था को दुरुस्त करने और विकासशील देशों की आवश्यकताओं को लक्ष्य करके नौवें दशक में व्यावसायिकता और औद्योगिकीकरण के संदर्भ में आर्थिक बदलाव की आवश्यकता शिद्दत से महसूस की गई और इन हालात ने डेवलेपमेंट थ्योरी यानी विकास सिद्धांत को जन्म दिया। इसके मुताबिकः

- मीडिया घटनाओं की सकारात्मक प्रस्तुति देगा, राष्ट्रीय स्थापित नीति का ध्यान रखेगा।
- आर्थिक वरीयताओं और विकास की आवश्यकताओं को समाज के सन्दर्भ में तरजीह दी जाएगी।
- मीडिया अपनी विषयवस्तु में राष्ट्रीयता, संस्कृति और भाषा को महत्व देगा।
- मीडिया विकासशील देशों के मूल ढांचे को भौगोलिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक रपट में पारस्परिक महत्व देगा।
- पत्रकारों का यह दायित्व होगा कि वे स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखते हुए सूचना और जानकारियां आपस में साझा करें।
- विकास के संदर्भ में सरकार को यह अधिकार होगा कि वह मीडिया पर कुछ पाबन्दी लगा सके, सब्सिडी रोके या नियन्त्रण आदि लगा सके।

3.7 अभ्यास प्रश्न:

प्रश्न 1. विकास पत्रकारिता से क्या तात्पर्य है?

प्रश्न 2. विकास पत्रकारिता का दर्शन क्या है?

प्रश्न 3. विकास पत्रकारिता प्रचलित पत्रकारिता से कैसे भिन्न है? स्पष्ट कीजिए।

प्रश्न 4. विकास पत्रकारिता वस्तुतः है क्या?

प्रश्न 5. क्या विकास परिर्वतन का नाम है? स्पष्ट कीजिए।

प्रश्न 6. विकास पत्रकारिता का भारत में शुरूआती दौर कैसा रहा ? अब क्या स्थिति है ?

प्रश्न 7. विकास सिद्धान्त किसे कहते हैं?

3.8 सारांश:

संचार सुविधाओं की वृद्धि और सूचना और समाचार प्रवाह में असंतुलन का प्रमुख कारण आर्थिक और सामाजिक है। इन्हें विकास कार्यों द्वारा दूर करके संचार का लाभ अन्तिम आदमी तक पहुंचाया जा सकता है। संचार प्रौद्योगिकी में आई क्रान्ति ने सामाजिक चेतना को आन्दोलित कर दिया है। नव मीडिया की पहुंच का दायरा निरन्तर बढ़ता जा रहा है। लोग परिवर्तन को महसूस करने लगे हैं। विकास के नाम पर भारत में राजनीति की जाती है, चुनाव लड़ा व जीता जाता है। संचार इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

विकास के सन्दर्भ में संयुक्त राष्ट्र ने नव विश्व सूचना एवं संचार व्यवस्था जैसा मंच विश्व को दिया जिसमें समाचार प्रवाह में बड़े देशों के मीडिया वर्चस्व को चुनौती दी गई और उससे निपटने के उपाय सुझाए गए.

सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन, समाज के मूल्य और सांस्कृतिक विशिष्टता को अक्षुण्ण रखते हुए, कैसे हासिल किया जा सकता है, और कैसे लोगों को चेताया जा सकता है कि स्वयं अपने भाग्य निर्माता बनें, गरीबी, बेकारी, बीमारी और भूख से मुक्ति पाएं, अपने जीवन को स्वयं संवारने का प्रयास करें -ऐसी प्रेरणा के लिए विकास पत्रकारिता और विकास संचार का सहारा लिया गया। विकास द्वारा मानव प्रगति के बाधक कारकों को बिना मानव मूल्यों का ह्रास किये कैसे समाप्त कर निजात पायी जा सकती है। मीडिया प्रिंन्ट और इलेक्ट्रानिक माध्यमों से कैसे बदलते मूल्यों को स्वीकृत कराने में सफल होता है। वैकल्पिक और विकास पत्रकारिता द्वारा कैसे लोगों को प्रेरित कर नये मूल्यों को स्वीकारने की स्थिति में लाया जाता है- इन सब बातों का उल्लेख हमने इस इकाई में किया है।

समाज के आर्थिक परिवर्तन लोकतंत्र में लोगों को साथ लेकर उनकी इच्छानुसार किये जाते हैं। परिवर्तन समाज, कानून और योजनाओं के कार्यान्वयन द्वारा आता है। सरकार की अनेक योजनाएं उन कारकों, गरीबी, बेरोजगारी, भूख, जन्म/मृत्यु, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए तैयार की गई है। इनकी समुचित जानकारी ही काफी नहीं है। दूरदराज के गाँवों को सड़क मिल जाना, उसके निवासियों के शिक्षा स्वास्थ्य सोच पहनावे आवागमन क्रय-विक्रय खेती बाड़ी खानपान और जीवनस्तर पर क्या प्रभाव डालती है? इसका वर्णन ही विकास पत्रकारिता का हिस्सा हो सकता है।

इस इकाई में परिवर्तन और मनुष्य में निहित गुण व शक्ति के सही इस्तेमाल को विकास का आधार माना गया है। विकास पत्रकारिता की अवधारणा, परिभाषा और दर्शन को प्रस्तुत किया गया है। विकास पत्रकारिता में संयुक्त राष्ट्र, केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकारों व स्थानीय इकाइयों की भूमिका को भी रेखांकित किया गया है। इनके द्वारा संचालित योजनाओं ने विकास द्वारा आम आदमी के जीवन स्तर में भारी परिवर्तन का आगाज करा दिया है।

3.9 शब्दावली:

तीसरी दुनिया, Third World – दूसरे विश्व युद्ध के खात्मे और शीत युद्ध काल के दौरान पूरी दुनिया को राजनीतिक, सामरिक और आर्थिक तौर पर तीन हिस्सों में रखा गया. पूंजीवादी बाजार व्यवस्था वाले अमेरिका की अगुवाई वाली पहली दुनिया, समाजवादी और कम्युनिस्ट विचारों वाले सोवियत संघ की अगुवाई वाली दूसरी दुनिया और इन दो विचारधाराओं से अलग अपना एक स्वतंत्र रास्ता अख्तियार करने वाले नव राष्ट्र तीसरी दुनिया का हिस्सा बने. भारत जिसमें प्रमुख देश था. इन्हें गुटनिरपेक्ष देश भी कहा जाता है क्योंकि इन देशो ने पहले या दूसरे खेमे में जाने से इंकार किया. इसमें भारत समेत एशिया के कई विकासशील देश, अफ्रीकी और लातिन अमेरिकी देश शामिल हैं. इन्हें ही विकासशील देश भी कहा जाता है.

एनवाइको NWICO: नव विश्व सूचना एवं संचार व्यवस्था के तहत यूनेस्को ने अंतरराष्ट्रीय समाचार प्रवाह में संतुलन के लिए विकासशील देशों के विकास में मीडिया को प्रभावी भूमिका निभाने का अहसास कराया और मैक्ब्राइड कमीशन की रपट के जरिये इसे लागू किया गया।

3.10 संदर्भ सूची:

1. Prof. Baldev Raj Gupta : Mass communication and development.Vishvidayalaya Prakashan Chock Varanasi 87-107.

2. Nora C. Quebral : What do woman by development International Review 1973 P.25.
3. Denis Mequail : Mass communication theory sage publication London P- 222-3.
4. Dr. Mankckar : The chairman coordination committee of the press Agencies Pool of non aligned comprise. Proust Tashkent.
5. Alan Chalkley : A manual of development journalism.Pub. Press Institute of India New Delhi.Michael Traber : Allirnahline journalism alert native Media Vicuna Press Institute India New Delhi Oct- dec 1985- Pp -217.

3.11 सहायक उपयोगी/पाठ्यसामग्री:

1. Gunner Myrdal : Nobel Prçe Winner Economist.
2.Keval J Kumar : Mass communication of Development in Journal of national Development ;1997) Vishvidyalaya Praksan Chowk, Varanasi ;U.P) 83-84.
3. S.L.Sharma : Changing Conception of Development in Journal of national Development Val.1 M-1 ;(Summer) 1988 P1-7.

3.12 निबंधात्मक प्रश्न:

1. विकास पत्रकारिता की विशेषता, उपयोगिता को विकासशील देश के सन्दर्भ में परिभाषित करें ?
2. विकास पत्रकारिता की अवधारणा, उद्देश्य और परिभाषा बताएं ?
3. गुट निरपेक्ष समाचार पूल की योजना पर टिप्पणी करें ?
4. तीसरी दुनिया के विकास संचार में नव विश्व सूचना एवं संचार व्यवस्था,NWICO ने क्या योगदान किया ?
5. विकास पत्रकारिता का दर्शन और ग्रामीण भारत में मौजूदा समस्याओं पर एक निबंध लिखें ?

इकाई-**04**

विकास पत्रकारिता: मीडिया की भूमिका, रणनीतियां और बाधाएं: अध्ययन एवं अनुभव

इकाई की रूपरेखा :

4.1 प्रस्तावना

4.2 उद्देश्य

4.3 विकास पत्रकारिता और मीडिया की भूमिका

4.4 विकास पत्रकारिता की रणनीतियां

4.5 विकास पत्रकारिता के अवरोध

4.6 विकास पत्रकारिता में व्यक्ति का महत्व

4.7 अभ्यास प्रश्न

4.8 सारांश

4.9 शब्दावली

4.10 संदर्भ ग्रंथ सूची

4.11 सहायक/उपयोगी पाठ्यसामग्री

4.12 निबंधात्मक प्रश्न

4.1 प्रस्तावना:

विकास पत्रकारिता में हम किसी ऐसे कार्य, घटना या उपलब्धि को अपना विषय बनाते हैं, जो किसी एक व्यक्ति या समूह की उपलब्धि हो, जो कुछ ऐसा प्रेरणादायक हो और चारों ओर ऐसे वातावरण और परिस्थितियों में रहते हुए भी वह हासिल कर लिया हो जो सकारात्मक बदलाव का कारण बनता है।

ऐसी घटनाओं, उपलब्धियों या व्यक्तियों या समूहों के प्रयासों की पत्रकारिता के किसी भी प्रारुप में प्रस्तुति- जिससे सामान्य जन को प्रेरणा मिले और वह आम आदमी के लिए नया और बदला हुआ परिणाम दे सके, ऐसी किसी घटना की रिपोर्ट, फोटो फीचर, लेख या इन्टरव्यू विकास पत्रकारिता के तहत आते है और मीडिया का महत्वपूर्ण हिस्सा बनते हैं।

इस इकाई में विकास पत्रकारिता और मीडिया की भूमिका, विकास पत्रकारिता की रणनीतियां, विकास पत्रकारिता के अवरोध और उसमें व्यक्ति के महत्व की जानकारी छात्रों को दी जा रही है।

4.2 उद्देश्य:

इस इकाई की विषयवस्तु का उद्देश्य विकास पत्रकारिता के महत्वपूर्ण प्रभाव को मीडिया की भूमिका के अन्तर्गत रेखांकित करना है। इस बात का पता लगाना कि किस प्रकार देश विशेष और उसमें विभिन्न प्रकार की शासन व्यवस्था के सन्दर्भ में विकास के लक्ष्यों को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। स्वतन्त्र राष्ट्रों के लिए सकारात्मक पत्रकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

इस इकाई के अध्ययन से आप -

- विकास पत्रकारिता को जान सकेंगे।
- सामाजिक विकास में मीडिया की भूमिका को समझ सकेंगे।
- विकास पत्रकारिता की रणनीतियों से परिचित हो सकेंगे।
- विकास पत्रकारिता में आने वाली बाधाओं या अवरोधों को जान सकेंगे।

4.3 विकास पत्रकारिता और मीडिया:

विकास पत्रकारिता में मीडिया की भूमिका का बड़ा महत्व है- प्रिंन्ट, इलेक्ट्रॉनिक या बेशक कोई अन्य माध्यम क्यों न हो, उनकी भूमिका कम लेकिन जोरदार होती हैं. वे सामाजिक और राजनीतिक बदलाव और आर्थिक विकास में सीमित पर प्रभावशाली भूमिका निभाते हैं। विकसित और पूंजीवादी देशों में मीडिया भी अन्य उद्योग, व्यवसाय या कारोबार की भांति होता है। मीडिया मुनाफे के लिए विज्ञापनों के जरिए अपना राजस्व बढ़ाता है और अपनी प्रसार संख्या में वृद्धि करता है. जन सेवा से जुड़े विशेष मुद्दों पर मीडिया की एजेन्डा सेटिंग नीति बरकरार रहती है।

भारत में 1947 से पूर्व प्रेस का लक्ष्य ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ संघर्ष था। पर बाद में जब स्वाधीनता का लक्ष्य पूरा हो गया तो बाद में सत्ता (शासन) के साथ मिलकर राष्ट्रीय विकास मीडिया की भूमिका का महत्वपूर्ण अंग बन गया। टाइम्स ऑफ इन्डिया के सुप्रसिद्ध पत्रकार सम्पादक गिरिलाल जैन कहा करते थे, पहले भारतीय फिर पत्रकार, first Indian and a journalist next.

वस्तुतः लोकतन्त्र में मीडिया की विश्वसनीयता ही उसका प्राण तत्व है। प्रेस को समाज के प्रहरी की और सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन में उत्प्रेरक की भूमिका निभानी होती है। आज लोकतन्त्र में मीडिया को सक्रिय सकारात्मक भूमिका के साथ सृजनात्मक, खोजपूर्ण और विकासपूर्ण कार्यों में मददगार होने की जरूरत है। मीडिया के जरिए गैर राजनीतिक मुद्दे जैसे बेरोजगारी, अल्प पोषाहार, शोषण, अन्याय, पुलिस जुल्म व ज्यादती, विकास के दूसरे कई मुद्दे, भ्रष्टाचार, घोटाले और रिश्वत काण्ड जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दे उजागर होते हैं। विकास पत्रकारिता का ध्येय लोगों को यह बतलाना और समझाना होता है कि लोग खुद ही अपने भाग्य के निर्माता हैं और अपने विकास के जिम्मेदार भी वे खुद हैं। विकास के लक्ष्य को केन्द्र में रखकर क्या नीतिया हों, कैसे कार्यक्रम हों, क्या रणनीतियां हों और मीडिया किस प्रकार का हो- ये सब लोगों को ही तय करना होता है. मीडिया इसमें जागरूक समझदार दूरदर्शी मित्र की भूमिका निभाता है।

सामाजिक विज्ञान की एक अवधारणा विकास को आधुनिकता से जोड़ कर देखती हैं। इसमें औद्योगिकीकरण, सामाजिक बदलाव और वृद्धि जैसे उत्पादन के कारकों का समावेश हो, समाज के लिए सकारात्मक और समूह विशेष के लिए अत्यन्त लाभकारी हो तो विकास का बोध सपष्ट हो जाता है।

विकास एक सार्वभौम और अपरिवर्तनीय प्रक्रिया है। विकास का पूरा ध्येय और निर्दिष्ट बिन्दु मनुष्य ही होता है. इसी तरह मीडिया का पूरा ध्येय भी विकास प्रक्रिया से हुए परिवर्तन को मनुष्य से जोड़कर प्रस्तुत करता है। भले ही विकास की इस प्रक्रिया का वाहक एक व्यक्ति या समूह ही क्यों न हो। उसका कार्य, उसकी सोच, उसकी तकनीक, परिवर्तन की स्वीकृति, उसकों अपनाने की विधि, विरोधी स्थितियों या मार्ग में आई बाधाओं पर काबू पाने के लिए अपनाई गई रणनीतियों और अन्ततः उससे मिलने वाली सफलता और बाद में उसे हासिल हुआ लाभ- ये एक पूरी प्रक्रिया है जिसके आखिर में जीवन पर उसके प्रभाव और बदलाव में उस प्रभाव की भूमिका देखी जाती है. इस तरह के मॉडल की प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक या इंटरनेट फॉर्मेट में प्रस्तुति को विकास संचार या विकास पत्रकारिता कहते है।

विकास का पश्चिमी मॉडल औद्योगिकीकरण के परम्परागत मार्केट तक सीमित था. विकास का फोकस उत्पादन पर था. विकास की इस प्रक्रिया को आधुनिकीकरण से जोड़ा तो गया लेकिन बिना इसका ध्यान रखे कि उस किस्म का आधुनिकीकरण, परम्परा और संस्कृति की कितनी

अवहेलना कर रहा है। और ऐसा करने वाली प्रक्रिया, विकास तो नहीं कहलाई जा सकती. संयुक्त राष्ट्र ने भी इस तरह से विकास अभियान चलाए जाने पर आपत्ति और चिंता जताई है.

मीडिया की भूमिका:

20वीं सदी के तीसरे दशक यानी 1930 के दशक की आर्थिक महामंदी के बाद मीडिया की नयी भूमिका और उसका प्रभाव समाज के सामने उजागर हुआ था। लेकिन आज के सन्दर्भ में बदले हुए इस विश्व में मीडिया की पूरी भूमिका ही बदल गई है। 50 और 60 के दशक में विकास के सन्दर्भ में मीडिया की सीमित भूमिका देखने को मिली थी। 1960 और 1970 के बीच युद्ध, मन्दी, शीत युद्ध,और तेल की कीमतों ने सामाजिक ढांचे को प्रभावित करना शुरू कर दिया था। मूल रूप से मन्दी ने संचार के स्वरूप, उनके प्रकार, पहुंच और प्रभाव में जबर्दस्त बदलाव किया।

सत्तारूढ़ सरकार की रुचि, कानूनविदों की राय, राजनीतिज्ञ और व्यापारियों का प्रचार, जनमत का परिप्रेक्ष्य और सामाजिक विज्ञानों के प्रचलन को ध्यान में रखकर मीडिया की भूमिका का निर्धारण होता है।

(क) मीडिया की नकारात्मक भूमिका: किसी मीडिया की वर्तमान सन्दर्भ में नकारात्मक और सकारात्मक भूमिका होती है। जैसे पीत पत्रकारिता, सेक्स, दुष्प्रचार, अपराध आदि जो दर्शक एवं पाठक को बुरी तरह प्रभावित करते हैं। मीडिया की यह नकारात्मक भूमिका है जो उसके काले पक्ष को उजागर करती है। ऐसा मीडिया मनुष्य के बुरे भावों को उत्प्रेरित करने में आग में घी का काम करता है। ऐसा मीडिया सामाजिक सन्दर्भो में नुकसान पहुंचाता है।

(ख) मीडिया की सकारात्मक भूमिका: मीडिया की सकारात्मक भूमिका का बड़ा महत्व है। मीडिया सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में ऐसे परिवर्तनों का उत्प्रेरक और सूचक बनता है जो आम समाज को बेहतर जीवन स्तर प्रदान कर सकते हैं। मीडिया की यह भूमिका मनुष्य हित में अत्यन्त लाभकारी है। इसमें सामाजिक परिवर्तन, आधुनिकीकरण राजनीतिक बदलाव और सांस्कृतिक प्रचार प्रभाव के अतिरिक्त आर्थिक विकास की भी अहमियत होता है जिसकी बदौलत देश और समाज सम्पन्न, समृद्ध और शक्तिशाली बन सकते हैं।

4.4 विकास पत्रकारिता की रणनीतियां:

औद्योगिकीकरण, विदेशी सहायता और आयात विकल्पों की रणनीति अपनाकर औद्योगिक विकास तो हासिल किया जा सकता लेकिन किसानों और मजदूरों के जीवन स्तर में सुधार के

लिए ये रणनीति कारगर नहीं कही जा सकती. प्रकट तौर पर तो लगता है कि उधार का उद्योग लगाकर विकासशील देश आत्मनिर्भर बन गए पर वित्त, मार्केटिंग, उपभोक्ता सामान और टेक्नोलजी के लिए उन्हें विकसित देशों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। माना जाता है कि विकासशील देशों को जो कुछ ऋण में या मदद के नाम पर मिलता है, वह पुराना और बेकार होता है। उन्हें फेंकने की बजाय विकासशील देशों में विकास और सहयोग के नाम पर खपा दिया जाता है।

लातिन अमेरिका के लिए आर्थिक आयोग के प्रमुख राऊल प्रेबिश ने निर्भरता का सिद्धांत (डिपेंडेंसी थ्योरी) देकर संरचना सम्बन्धों की व्याख्या अवश्य की पर टेक्नोलजी और उपकरणों के सन्दर्भो को अनदेखा कर गए। उनका मानना था कि रणनीति के तहत ढांचागत संरचना बनाते समय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सन्दर्भों को महत्व देना चाहिए पर इन सबके साथ गरीबी और गरीब की समस्या ही पूरी रणनीति का केन्द्र होना चाहिए।

पूंजीवादी देशों ने अपने आधीन उपनिवेशों का आर्थिक शोषण किया अपने यहाँ आधुनिकीकरण और औद्योगिकीकरण के जरिये उन्नति की. कच्चा माल और श्रम इन देशों से लिया और बाद में इन्हें ही बाजार बनाकर फिनिश माल कई गुना दामों पर बेच दिया. इन दास देशों(कालोनियों) में न तो विशेषज्ञता आने दी गई और न ही इन्हें सम्पन्न होने दिया गया. उन्हें सांस्कृतिक तौर पर जड़ों से अलग कर नवधनाढ्य वर्ग स्थापित कर दिया।

1970 के दशक में यूनेस्को के प्रयास से जहां नव सूचना एवं संचार व्यवस्था, NWICO की बहस छिड़ी, वहीं एक नई अन्तरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग भी तीसरी दुनिया के देशों ने उस दौरान उठा दी जिसे नाम दिया गया NIEO यानी न्यू इंटरनेशनल इकोनमिक ऑर्डर। जी-77 समूह के देशों ने आत्मनिर्भरता के लिए रणनीतियाँ बनाने की बात की. गुटनिरपेक्ष देशों ने आत्मनिर्भरता के अपने राष्ट्रीय मॉडल बनाए। भारत में महात्मा गाँधी, चीन में माओत्से तुंग और ब्राजील में समाजविज्ञानी और शिक्षाशास्त्री पाउलो फ्रेरे के दर्शन और विचारों ने इन देशों की आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय गरिमा की मुहिम को नया बल दिया।

नई दिल्ली स्थित सेन्टर फॉर दी स्टेडीड ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज के संस्थापक निदेशक और स्वावलम्बन और मानव विकास मॉडल के प्रणेता प्रख्यात समाजशास्त्री रजनी कोठारी ने इस अभियान को नये आन्दोलन के रूप में संचालित किया और विकास के लिए विभिन्न आयामों से नये द्वार सुझाए जैसेः

- Ecological-पारिस्थितिकीय

- Feminism- स्त्रीवाद
- Peace- शान्ति
- Selg determination-आत्मनिर्णय का अधिकार
- Democratization- लोकतन्त्रीकरण
- Human Rights Movement- मानवाधिकार आन्दोलन
- Bounded Labour- बंधुआ मजदूर
- Landles- भूमिहीन
- Mines- खनन
- Fisher Folk- मछुआरे
- Ethnic Minorities- जातीय अल्पसंख्यक
- Women- महिलाएं

Children and Old People- बच्चे और बूढ़े

रजनी कोठारी का मानना था कि उपरोक्त मुद्दे या आंदोलन भारत जैसे विकासशील और वैविध्य वाले समाद के लिए उपयोगी साबित होंगे, विकास की रणनीतियां बनाते समय इन बिंदुओं का ख्याल रखा जाना चाहिए, विकास की बहस या चर्चा या अभियान में इन्हें नहीं छूटना चाहिए. क्योंकि विकास का मकसद मनुष्य उत्थान ही है.

4.5 विकास पत्रकारिता के अवरोधः

बढ़ते औद्योगीकरण और आधुनिकीकरण के बीच भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में मीडिया को परिवर्तन के औजार के रूप में कार्य करना होता है। एक जानदार और शानदार मीडिया की पहली पहचान है कि वह वॉचडॉग (प्रहरी) की भूमिका निभाए न कि पेटडॉग(पालतू) की। लोकतन्त्र में पत्रकारिता की यह भूमिका इतनी सरल भी नहीं है। अनेक पत्रकारों को भ्रष्टाचारियों और अपराधियों के खिलाफ लिखने पर जान गंवानी पड़ी है. उन्हें धमकियां भी मिलती रही हैं. लेकिन अवरोध सिर्फ यही नहीं हैं. हम संचार की उन समस्त बाधाओं पर विचार करने का प्रयास करेगें जो संचार अवरोध यानी कम्युनिकेशन बैरियरर्स कहलाते हैं।

संचार के अवरोध से तात्पर्य ऐसी नाकामी से है जो सन्देश को गन्तव्य तक पहुंचाने में रूकावट बनती है। ये अवरोध कई किस्म के हैं-

- शारीरिक अवरोध- Physical barriers

- यांत्रिक अवरोध- Mechanical barriers
- मनोवैज्ञानिक अवरोध- Psychological barriers
- सांस्कृतिक अवरोध- Cultural barriers
- भाषाई अवरोध- Linguistic barriers
- पर्यावरणीय अवरोध-Environmental barriers
- व्यक्तिगत अवरोध- Personal barriers
- आर्थिक अवरोध- Economic barriers
- प्रवृत्तिमूलक अवरोध- Attitudinal barriers
- ज्ञान अवरोध- Knowledge barriers

इसके अलावा और भी कई अवरोध हैं जिनका संबंध व्यक्ति, संगठन और देश से है। इन समस्त प्रकार की बाधाओं को संचार प्रक्रिया और अकादमिक क्षेत्र में शोर/व्यवधान(Noise) कहते हैं।

शारीरिक अवरोधः तीन एस और दो टी (3S+2T) का सूत्र जो मनुष्य को जन्म से प्राप्त है। 3 एस यानी sight, sound और smell.- दृष्टि(आंख), ध्वनि(कान) और घ्राण(नाक) और 2 टी के मायने हैं teeth और toungue. दांत और जीभ. ये हमारी ज्ञानेन्द्रियां हैं. संचार प्राप्त करने के साधन हैं। इनमें से अगर कोई भी अंग आंख, नाक, कान, दांत, जीभ या हाथ काम न करे तो हमें जानकारियां और ज्ञान कैसे प्राप्त होगा?

पर्यावरण अवरोधः भीषण गर्मी, ठण्ड, उमस और पर्यावरण और प्राकृतिक आपदाएं संचार प्रक्रिया को बाधित करते हैं. वे संदेश भेजने और प्राप्त करने में बाधा बनते हैं। जलवायु और मौसम तथा वातावरण का संचार और सृजन दोनों पर गहन प्रभाव पड़ता है।

व्यक्तिगत अवरोधः अनिद्रा, बीमारी, नशीले पदार्थों का प्रभाव मनुष्य का स्वयं अपना मूड उसकी सुनने-समझने, बोलने तथा विषय को विश्लेषित करने की शक्ति को प्रभावित करता है। कभी-कभी उसमें ऐसी बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं कि व्यक्ति के संचार से जुड़े कार्य नकारात्मक हो जाते हैं और जिसका कई बार गंभीर परिणाम भुगतना पड़ जाता है।

माध्यम की अनभिज्ञता: संचार के अनेक माध्यम हैं, इनके उपयोग, महत्व और सन्देश के अनुसार उनका उपयोग अगर हमें पता नहीं होगा तो हमें कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। संचार मौखिक, लिखित, श्रव्य, दृश्य या दृश्य-श्रव्य दोनों तरह का हो सकता है। अगर हम

विषय वस्तु को उस माध्यम के अनुसार उपयोग नहीं करेंगे, जिससे कि उसका सन्देश ठीक प्रकार जा सके तो स्वयं मीडिया ही उस सन्देश के लिए बाधक बन जाएगा। और लोग उस मीडिया को उपयोग में नहीं लाएंगे।

मनोवैज्ञानिक बाधाएं: हर व्यक्ति का इस दुनिया को देखने का अपना-अपना नजरिया होता है। हर व्यक्ति इस विश्व को किसी व्यक्ति को या किसी घटना को और स्थिति को अपने अनुसार देखता परखता, समझता और प्रतिक्रिया करता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अनुभव, सोच समझ और सन्दर्भ के अनुसार मूल्यांकन करता है, अपनी प्रतिक्रिया देता है, अपना मत प्रकट करता है या स्वयं पर नियन्त्रण करता है। हमारे समस्त सन्दर्भ बाल्यकाल से लेकर वर्तमान के अनुभवों पर आधारित होते हैं। सांस्कृतिक संस्कारों का प्रभाव और साथ ही पैतृक प्रभाव भी हमारे दृष्टिकोण को बनाने में महत्वपूर्ण कारक होता है।

प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना सन्दर्भ और पृष्ठभूमि होती है इन्हीं के साथ ही वह अन्य व्यक्तियों और घटनाओं को देखता है। उसके स्तर और मूल्यों का उसके दृष्टिकोण पर प्रभाव पड़ता है। इसके जरिए ही उसको अपने कार्यों महत्वाकांक्षाओं और परिवर्तन की इच्छा चाह और जीवन में जोखिम उठाने का बल मिलता है। उसका विश्वास और उसके रवैये पर उसके सन्दर्भों और अनुभवों का प्रभाव पड़ता है। बाल्यकाल के खट्टे-मीठे अनुभव को उसके सांस्कृतिक वातावरण के साथ लेकर आगे बढ़ते हुए उसके समस्त व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं

परिवर्तन अवरोध: कार्ल रोजर्स कहते हैं कि हममें से अनेक लोग परिवर्तन के नाम से ही भयभीत हो उठते हैं और उसे रोकने का भरसक प्रयास भी करते हैं। जैसे भारत में महिला आरक्षण बिल को लेकर अनेक राजनीतिक दल उसका विरोध करते रहे हैं। पुरूष प्रधान समाज के एक प्रमुख हिस्से को डर है कि स्त्रियाँ कहीं उन्हें पछाड़ कर आगे न निकल जाएं, यह भय उन्हें सताता रहता है। यही वजह है कि अनेक नये विचारों, कार्यों और योजनाओं का हम डटकर विरोध करते हैं, उसके पीछे असुरक्षा की भावना भी काम करती है। हम जब तक पूर्णतया सहमत नहीं हों, तब तक हम उसका विरोध करते रहते हैं। प्रभावशली संचार द्वारा ही हम इस बाधा से पार पा सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि हम लोगों का विश्वास जीतें, विशेषकर रूपरेखा तैयार करते समय जैसे कि भ्रष्टाचार के बिल की तैयारी के लिए केन्द्र सरकार सिविल सोसाइटी एवं अन्य राजनैतिक दलों के साथ मिलकर कर रही है। कानून बनाने से पहले उसके ड्राफ्ट के दौरान ही चर्चा हो तो लाभदायक रहती है। लोगों का विश्वास उस परिवर्तन के प्रति आशान्वित हो उठता

है। लोगों को परिवर्तन पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए बल्कि परिवर्तन प्रक्रिया का उन्हें हिस्सेदार बनाना चाहिए. और परिवर्तन के तर्क के प्रति लोगों में सहमति विकसित की जानी चाहिए.

भय और सुरक्षा: सुरक्षा का भय परिवर्तन में बाधक तो होता ही है, साथ ही मनुष्य को भविष्य के प्रति शंकालु भी बना देता है, मनुष्य अपने तई न्याय करना चाहता है। यह जानते हुए भी कि हम गलत हैं, इसे स्वीकारने में कम लोग तैयार हो पाते हैं। हमें स्वयं पर काबू पाकर शान्त मन से परिवर्तन पर चिंतन करना चाहिए और तब उसके पक्ष विपक्ष में जाने का निर्णय लेना चाहिए।

भाषाई अवरोधः भारत में 100 से अधिक भाषाओं और बोलियों में तो अखबार ही छपते हैं। लगभग 36 दर्जन भाषाओं-बोलियों को संविधान से स्वीकृति दी गई है। भारत बहुभाषी देश है और उसमें 200 से 300 बोलियां बोली जाती हैं। संचार के मार्ग में अवरोध की दृष्टि से सन्देश को निरक्षरों और अशिक्षितों तक पहुंचाना अत्यन्त दूरूह कार्य है। कई बोलियों के शब्दों के अन्य क्षेत्रों में अलग अर्थ हैं। हिन्दी भारत की सम्पर्क भाषा है। फिर भी संदेश रचना के समय अर्थ और शब्दों को ध्यान में रखने की जरूरत है।

जैसे हिन्दी का शब्द मीठा गुजराती में पहुंच कर नमक का अर्थ देता है। मराठी का शब्द राजीनामा हिन्दी में इस्तीफा या त्यागपत्र कहलाता है। जबकि राजीनामा खड़ी बोली हिन्दी में सहमति और मेल मिलाप को दर्शाता है।

सांस्कृतिक अवरोध: भाषा बोली और खानपान से लेकर रीतिरिवाज और पहनावे तक सांस्कृतिक भिन्नता भी संचार और विकास में अवरोध बन जाती है। अंगूठा ऊपर करके दिखाना भारतीय परम्परा में चिढाने और धिक्कारने या उपहास का प्रतीक है तो पश्चिमी में हिम्मत बंधाने के लिए मुट्ठी बाधकर अगूँठा दिखाया जाता है- ये हौसला अफजाई का संकेत भी है और आत्मविश्वास का भी. अंगूठे को दाएं और बाएं करके हाथ हिलाया जाए तो यह वाहन में लिफ्ट मांगने का संकेत देता है. ये संकेत अब भारतीय महानगरों में चलन में हैं.

संचार सन्देश में सांस्कृतिक विभिन्नता के चलते अर्थ का अनर्थ हो जाना स्वाभाविक है। भारत में बालों की मांग (चीर) में सिन्दूर लगाना या माथे पर बिन्दी लगाना विवाहित महिला की पहचान है पर अन्य देशों में विवाह की यह पहचान नहीं है। उत्तर भारत में बुजुर्गो के पांव छूना सम्मान प्रदर्शन का संकेत है जबकि अन्य देशों में ऐसा करने से कोई भी व्यक्ति अपने को अपमानित महसूस कर सकता है। मिसाल के लिए भारत में स्त्री और पुरुष अगर सार्वजनिक स्थान पर एक दूसरे का चुम्बन लें तो यह अश्लीलता मानी जाती है।

सांस्कृतिक मूल्य वस्तुतः मानव मस्तिष्क के स्थायी अंश है। जो उसकी क्रिया/प्रतिक्रिया में प्रतिबिम्बित होते हैं।

यांत्रिक अवरोधः यांत्रिक प्रगति ने अनेक सूचना उपकरणों का निर्माण कर संचार प्रक्रिया को प्रभावी बनाया है. यांत्रिक विस्तार को सम्भव बना दिया है. संचार की नई क्रांति जिसे इंटरनेट क्रांति कहते हैं- उसके तहत ई मेल, ई बैंकिंग, ई गर्वनेंस, ई लर्निंग जैसी शब्दावलियां हमारे जीवन का हिस्सा बन गई हैं. आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारे दैनिक जीवन को सर्वाधिक प्रभावित कर रहा है। लेकिन एक अवरोध तो यह है कि संचार क्रांति का शहरी और पढ़ेलिखे वर्ग में तो स्वागत और उपयोग है लेकिन देश के कई इलाके अभी इस क्रांति से अंजान हैं, वहां इस क्रांति के जरिए संचार प्रक्रिया चला पाना दुष्कर है. दूसरी तरह का अवरोध बिजली आपूर्ति में उतार चढ़ाव और उपकरणों के रखरखाव और खराबी से जुडा है. मौसम की खराबी या रखरखाव की कमी से यंत्रों में व्यवधान पैदा होता है या उनकी मशीनरी ठप पड़ सकती है.

आर्थिक अवरोधः संचार साधनों की उपलब्धता का संबंध क्रय शक्ति से है. बुनियादी जरूरतें पूरी करना ही जहां प्राथमिक लक्ष्य हो वहां संचार साधनों के जरिए संवाद या विकास की बात करना दूर की कौड़ी है. निर्धनता और भौगोलिक बाधाएं आर्थिक विकास में अवरोध उत्पन्न करती है। गरीबी विकासशील देशों में संचार के मूलभूत ढ़ाँचे के विकास में बड़ी बाधा है। धन के अभाव में कई योजनाएं मूर्त रूप नहीं ले पाती हैं। नव आर्थिक विश्व व्यवस्था (NIEO) का विश्वस्तरीय मुद्दा इसीलिए उठाया गया था। धन आज के सन्दर्भ में विकास में महत्वपूर्ण कारक है।

4.6 विकास पत्रकारिता में व्यक्ति का महत्व:

विकास संचार के सन्दर्भ में हर व्यक्ति का अपना महत्व होता है। क्योंकि बदलाव को महसूस करना, स्वीकार करना और अपनाना, तदानुरूप कार्य करना और परिवर्तन का हिस्सा बनना, अपने मूल्यों और कार्य तकनीक में बदलाव लाकर इस परिवर्तन का लाभ लेकर जीवन-यापन करना विकास के आकांक्षी व्यक्ति का ध्येय है। कार्य, व्यवहार और जीवन शैली के विकास का मुद्दा व्यक्ति के सन्दर्भ में अत्यन्त महत्वपूर्ण और उपयोगी होता है।

यहाँ हम व्यक्ति विशेष के (क) अध्ययन और (ख) अनुभव के सन्दर्भ में उसकी उपादेयता और विकास में उसकी भागीदारी को टटोलने का प्रयास करेंगे।

व्यक्ति का विश्वास, उसकी अभिव्यक्ति, उसका रवैया और दृष्टिकोण व उसके विचार उस व्यक्ति की क्रियाओं को नियन्त्रित करते है। हर व्यक्ति की यह विशेषता जैविक जुड़ाव पर भी

भिन्न भिन्न होती है। कहीं भी कभी भी दो व्यक्तियों के अनुभव और अध्ययन की सौ प्रतिशत समानता नहीं मिलती है। व्यक्ति के अनुभवों का आधार उसका सांस्कृतिक पर्यावरण,समझ और संस्कार होते है। बाल्यकाल की स्मृतियाँ उसकी धरोहर होती हैं, उनके द्वारा वह कल्पनाएं और विचार करता है।

अध्ययन के बाद उसके सामाजिक व्यवहार का भी उसके अनुभवों पर प्रभाव पड़ता है. मीडिया और संगति का भी व्यक्ति विशेष पर गहन प्रभाव पड़ता है। स्कूली शिक्षा हो या उच्च शिक्षा, हर स्तर पर एक समझ बनाकर, अपने अपने ढंग के ऐसे सभी अध्ययनों के जरिए व्यक्ति घटनाओं और गतिविधियों के प्रति एक समझ विकसित करता है। उसमें परिवर्तन को स्वीकार करने की ललक उठती है। नया अपनाने की चाहत, फिर वैसा ही करने की इच्छा उसे मूर्त रूप देती है। सकारात्मक फल मिलने पर व्यक्ति में आशा और विरोध और असफलता मिलने पर उसमें निराशा आ जाती है। फिर अध्ययन उसमें हिम्मत और साहस पैदा करता है और फिर उठ खड़ा होने का जज्बा उसमें आने लगता है. इस तरह वह मजबूत इरादों वाला व्यक्ति बनता है। जापान के स्कूलों में बच्चों को ऐसी ही शिक्षा (अध्ययन) दी जाती है कि बड़े होकर वे पीड़ाओं और आपदाओं का डटकर मुकाबला कर एक सुदृढ़ राष्ट्र के साहसी नागरिक बन सके।

नयी तकनीक अपनाकर नयेपन के साथ बदले हुए परिवेश में जब व्यक्ति अपनी नयी जीवन शैली को अपनाते हैं तो विकास के चक्र की गति में तेजी आ जाती है। अध्ययन और सीख व्यक्ति के अनुभवों की गहरा बनाते हैं और उसका बौद्धिक और मानसिक स्तर परिपक्व. यही स्थिति किसी भी देश काल या परिस्थिति में उसकी जरूरतें पूरी करने में मददगार साबित होती है।

कई चीजें हमें परिवार और संस्कार से मिलती हैं। जैसे वंश धर्म, राज्य शासन, शिक्षा जिन्हें हम बिना नानुकुर किए अपना लेते हैं। फिर तार्किक बुद्धि द्वारा आवश्यकता पड़ने पर सकारात्मक या नकारात्मक परिवर्तन भी करते हैं या अपनी पसन्द से चुनाव भी।

व्यक्ति अपनी एक अवधारणा स्वयं निर्मित करता है। और अपने लिए एक छवि खुद गढ़ता है या उसकी तलाश करता है. कुछ व्यक्ति जीवन में ऐसी ऊंचाई हासिल कर लेते हैं कि लोग हूबहू उनकी छवि को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं. मिसाल के लिए स्वामी विवेकानन्द या महात्मा गांधी या रविंद्रनाथ टेगौर. व्यक्ति यथार्थ को अपने सन्दर्भों में परिभाषित करता है और हर सन्देश का अर्थ अपने मनमुताबिक ढालता है. सकारात्मक, नकारात्मक, वास्तविक या बोगस कुछ भी हो- यह व्यक्ति की स्वयं की छवि पर निर्भर करता है।

4.7 अभ्यास प्रश्न:

प्रश्न 1. विकास पत्रकारिता से क्या तात्पर्य है?

प्रश्न 2. विकास में मीडिया की क्या भूमिका है? उल्लेख कीजिए।

प्रश्न 3. विकास पत्रकारिता की रणनीतियां क्या हैं?

प्रश्न 4. विकास पत्रकारिता में संचार अवरोध का क्या अर्थ है. कौन-कौन से अवरोध आते हैं? समझाइये।

4.8 सारांश:

विकास पत्रकारिता में व्यक्ति या समूह की विशिष्ट उपलब्धि का विवरण अथवा प्रस्तुति होती है जो उन्होंने लीक से हटकर नयी सोच, नये विचार, नयी स्वीकृति, नयी क्रिया (तकनीक/प्रौद्योगिकी) के साथ अपने जीवन में बदलाव कर हासिल की हो. ऐसे जमीनी मुद्दे और महती उपलब्धियां जिनसे प्रेरित होकर लोग उन्हें अपनाएं और अपने जीवन में बदलाव ला सकें, विभिन्न मीडिया माध्यमों से उनकी रिपोर्टिंग, लेखन और संपादन ही विकास पत्रकारिता की विषय वस्तु है।

विकासशील देशों को विकास के लिए अपनी आवश्यकता के अनुसार अपनी रणनीतियों को तैयार करना है। स्वावलम्बन विकास की सीढ़ी है, मानव विकास मॉडल को विकासशील देश अपने अनुसार अपनाएं, साथ ही विकास की बाधाओं पर काबू पाएं, भले ही ये बाधाएं सामाजिक, आर्थिक मनोवैज्ञानिक या व्यक्ति विशेष की ही क्यों न हों।

वैयक्तिकता का महत्व प्रत्येक व्यक्ति के अनुभव और अध्ययन पर आधारित होता है। व्यक्ति को उपेक्षित कर विकास को तरजीह नहीं दी जा सकती है। यह विकास भौतिक ही नहीं सामाजिक और आर्थिक भी हो जो उसके जीवन स्तर को प्रभावित करता हो और सकारात्मक रूप से बदल देता हो.

4.9 शब्दावली:

निर्भरता का सिद्धान्त (डिपेंडेंसी थ्योरी)-

इसमें ऑडियंस यानी पाठक, श्रोता या दर्शक मीडिया में प्रस्तुत विश्लेषण या आकलन या प्रस्तुतिकरण पर निर्भर रहता है. इस सिद्धांत के तहत निम्न बातें आती हैं-

1. प्रस्ताव (Resolution)
2. दृष्टिकोण का निर्माण(Attitude formation)

3. एजेंडा तय करना(Agenda setting)
4. लोगों के विश्वास का विस्तार(Expansion of people's system of beliefs)
5. मूल्यों का स्पष्टीकरण(Clarification of values)

सकारात्मक पत्रकारिता (पॉजिटिव जर्नलिज़्म)-

विकास पत्रकारिता की भी विकासशील देशों में जिम्मेदारी पूर्ण भूमिका रहती है. सकारात्मक पत्रकारिता के कुछ सामाजिक लक्ष्य होते हैं. उसका पहला लक्ष्य अपने पाठकों को सकारात्मक नजरिए से सूचना और समाचार देना होता है.

4.10 संदर्भ ग्रंथसूची:

1.Keval J Kumar	:	Mass Communication in India Jaico Book Bombay P P353
2. Prof. Baldev Raj Gupta	:	Mass communication - development vish wavidyalay Prakcashan, chowk. Varanasi 1979
3. Mequail Denis ;1983)	:	Mass Communication theory An Introduction
4. De Fleur melva L. et.	:	Theories of Mass communication Me. Kay company. INc New York.
5. Emile Mcanany	:	Communication in the rural third world, New York Pracger 1980.
6. Paul Baran	:	The Political Economy of growth New York montnly review press.1967.
7. Andre Gumder Frank	:	Capitalism - under development in Latin America New York Monthly Review Press 1967.

4.11 सहायक/उपयोगी पाठ्यसामग्री:

1. उपाध्याय, डॉ अनिल कुमार: पत्रकारिता एवं विकास संचार, भारती प्रकाशन, वाराणसी।

2. Prof. Baldev Raj Gupta : Mass communication & development vish wavidyalay Prakcashan, chowk. Varanasi 1979

4.12 निबंधात्मक प्रश्न:

1. विकास पत्रकारिता विकासशील देशों में परिवर्तन की क्रान्ति लाने में सक्षम है। उदाहरण सहित व्याख्या करें?

2. विकास पत्रकारिता मीडिया के महत्व और विश्वास के साथ जन भागीदारी को बढ़ाने में सक्षम है? स्पष्ट करें।

3. विकास पत्रकारिता की रणनीतियों, सरकार और मीडिया को कैसे और किन सन्दर्भों में तय करना चाहिए? वर्णन करें?

4. विकास पत्रकारिता के मार्ग में अनेक ऐसी बाधाएं हैं जो उसके लक्ष्य में अवरोध उत्पन्न करती है? उन पर कैसे विजय पाई जा सकती है? विस्तार से बताएं?

5. वैयक्तिक अवरोध पर लघु टिप्पणी करें।

इकाई -05

विकास पत्रकारिता: नीति, रणनीति, कार्ययोजना, लोकतंत्र व विकास

इकाई की रूपरेखा :

5.1 प्रस्तावना

5.2 उद्देश्य

5.3 विकास पत्रकारिता: नीतियां, रणनीतियां और कार्ययोजना

5.4 लोकतंत्र और विकास

5.5 राष्ट्रीय विकास योजनाएं

5.6 प्रादेशिक विकास योजनाएं

5.7 पंचायत व्यवस्था: विकास योजनाएं

5.7.1 जिला ब्लॉक स्तर

5.8 अभ्यास प्रश्न

5.9 सारांश

5.10 शब्दावली

5.11 संदर्भ ग्रंथसूची

5.12 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

5.13 निबंधात्मक प्रश्न

5.1 प्रस्तावना:

विकास पत्रकारिता की यह इकाई वस्तुतः हमें विकास की नीतियों और रणनीतियों से अवगत कराती हुई उन कार्यक्रमों और योजनाओं तक ले जाती है, जिन्हें हम विकास का यथार्थ या व्यावहारिक पक्ष कहते हैं।

विकास पत्रकारिता या विकास संचार वस्तुतः व्यक्ति विशेष या समूह को उसके वर्तमान के प्रति सजग करता है और उस स्थिति पर चिन्तन करने के लिए जोर डालता है कि वे ऐसे क्यों हैं? गरीब, निर्धन, बेरोजगार, बीमार, कमजोर या बिखरे हुए जैसे होकर भी वे बेहतर सुखद, खुशहाल

और स्वस्थ क्यों हैं? आखिर कौन सी विधि अपनाकर, किस तरीके से वे उस स्थिति तक उन्नत हुए हैं?

इस इकाई में विकास पत्रकारिता की नीतियां, रणनीतियां, कार्ययोजना, लोकतन्त्र और विकास, राष्ट्रीय विकास योजनाएं, प्रादेशिक विकास योजनाएं, पंचायत व्यवस्था और विकास योजनाओं का अध्ययन किया गया है।

5.2 उद्देश्य:

भारतीय लोकतन्त्र में शासन के स्तर पर विकेन्द्रीकरण को अपनाया गया है। केन्द्र सरकार, संसद, राज्य की विधानसभाएं, नगर निगम और नगर पालिकाएं तथा जिलों व गांवों की पंचायतें शासन व प्रशासन की इकाइयां हैं, विकास के सन्दर्भ में इन सबकी कवरेज मीडिया को जांचनी परखनी और रिपोर्ट करनी होती है। इसके लिए चुनाव प्रक्रिया, गठन, कार्ययोजना, गतिविधियओं, सभाओं की कार्यवाही, बजट योजनाएं, कार्य आपूर्ति, परिणाम, लाभ और विकास- सब मुद्दों पर मीडिया को नजर रखनी होती है। यही उसका व्यावहारिक दायित्व है और समाज उससे यही अपेक्षा करता है। इस इकाई में उन विषयों पर चर्चा की जा रही है जिनसे मीडिया की अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, प्रादेशिक, जिलावार, ब्लॉक स्तरीय, ग्राम स्तरीय स्थिति की पूरी तस्वीर स्पष्ट हो सके।

इस इकाई में आप-

- विकास पत्रकारिता की नीतियों, रणनीतियों और कार्ययोजना को समझ पायेंगे।
- लोकतन्त्र और विकास के समन्वयन को जान पायेंगे।
- राष्ट्रीय विकास योजनाओं के बारे में जान पायेंगे।
- प्रादेशिक विकास योजनाओं को समझ सकेंगे।
- पंचायती व्यवस्था और विकास योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

5.3 विकास पत्रकारिता: नीति, रणनीति और कार्ययोजना:

पत्रकारीय आचरण के मानक संस्करण 2010 की भूमिका में भारतीय प्रेस परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष न्यायमूर्ति जीएन रॉय ने लिखा है कि पत्रकारिता का शक्ति के रूप में विस्तार हुआ है। इसलिए पत्रकारिता का मूल उद्देश्य यह है वह जनरुचि के विषयों पर न्यायसंगत,

निष्पक्ष, सौम्य तथा शालीन भाषा और शैली में समाचार, विचार, टीकाएं तथा जानकारियां देकर लोगों की सेवा करे।

लेकिन आज मीडिया किसी विषय या व्यक्तित्व को बिगाड़ने और बनाने की शक्ति बन गया है। इसलिए विशेषाधिकारों के साथ उसे अपने कर्तव्यों और दायित्वों के प्रति भी सजग होना पड़ेगा और आन्तरिक स्वतन्त्रता भी उसे सुनिश्चित करनी होगी। अनेक देशों में मीडिया के लिए आचार संहिता और कानून बने हैं। लेकिन भारत में बकौल न्यायमूर्ति रॉय, नीति संहिता को लेकर कोई बाध्यता नहीं है बल्कि इसे पत्रकारीय नैतिकता, विवेक और अंतःप्रेरणा का विषय माना गया है।

विकासशील देशों में पत्रकारिता का उद्देश्य आम जन की सेवा के साथ ही राष्ट्र के विकास में भागीदारी का भी है. लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार ने पत्रकारिता के लिए भारत में अलग से कोई रीति नीति या रणनीति नहीं बनाई है। हाँ, अखबारों और पत्रिकाओं को उनकी प्रसार संख्या के अनुसार दृश्य प्रचार निदेशालय, DAVP के माध्यम से विज्ञापन जारी किए जाते हैं. प्रेस को व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता के तहत ही संविधान की धारा 19-1 ए के तहत ही स्वतन्त्रता हासिल है। सरकार की अपनी संचार नीतियाँ हैं लेकिन समाचार पत्र, एफएफ रेडियो और टीवी चैनल भारत में निजी हाथों में है। सरकारी टीवी प्रसारण की कमान दूरदर्शन के पास है और रेडियो प्रसारण के लिए आकाशवाणी है. सूचना और प्रसारण मन्त्रालय दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडिया यानी आकाशवाणी का नीति नियंता है। मंत्रालय ने बेहतर संचालन के लिए इनका जिम्मा प्रसार भारती बोर्ड को सौंपा है। यह पूरा तन्त्र केंद्र सरकार के हाथ में है।

प्रत्येक समाचार पत्र चैनल के प्रबन्धन की भी अपनी रीति नीति हो सकती है, उसका अपना उद्देश्य और लक्ष्य हो सकता है। सरकार प्रेस कानून बनाती है अदालती अवमानना, मान हानि, कॉपी राइट, देशद्रोह आदि को लेकर है। सरकार की और से वैसे प्रेस के लिए किसी प्रकार बन्दिश की नीति नहीं है। मीडिया को पूर्ण स्वतन्त्रता है, उसे अपने विवेक पर छोड़ दिया गया है। इसलिए प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह को सम्पादकों से भेंटवार्ता के दौरान जून 2011 में कहना पड़ा था कि मीडिया स्वयं ही अपराध तय करता है, अभियोग चलाता है और स्वयं फैसला भी देता है।

लोकतंत्र में मीडिया की राष्ट्रीय भूमिका के साथ क्षेत्र विशेष के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रदेश स्तर के मीडिया को अपने प्रदेश में तथा स्थानीय स्तर भी मीडिया को कार्य करना पड़ता है। हर मीडिया इकाई का अपना अपना प्रभाव क्षेत्र और विश्वास का दायरा होता है।

शैल्टन गुणरत्ने के अनुसार विकासशील पत्रकारिता का आधार विश्लेषणात्मक प्रस्तुतीकरण है जिसमें सकारात्मक समालोचना, गंभीर जमीनी स्तर के सम्बन्धों का वर्णन हो. पश्चिमी परम्परागत फॉर्मूले, मूल्य तथा तात्कालिकता, निकटता, असामान्यता, संघर्ष (तनाव), जिज्ञासा और नवीनता जैसे समाचार तत्वों को अधिक तरजीह न देकर तीसरी दुनिया के आम आदमी को अपने दायित्व की धुरी मानना ही विकास पत्रकारिता है। इसे नव पत्रकारिता का नाम भी दिया गया, और कुछ संदर्भो में वैकल्पिक पत्रकारिता भी कहा गया है। विकास पत्रकारिता तीसरी दुनिया के संघर्षों, तकलीफों और उम्मीदों और आंदोलनों की हिमायती पत्रकारिता है। वह सूचना और समाचार के मुक्त प्रवाह वाले भूमंडलीय और कॉरपोरेट विश्व में तीसरी दुनिया के गरीब और वंचित तबकों की न सिर्फ आवाज बनता है बल्कि उनके हको की लड़ाई भी लड़ता है.

गुणरत्ने व हाशिम ने अपने शब्दों में इसे कुछ यूं पेश किया है, "विकास पत्रकारिता हर हाल में तीसरी दुनिया की पक्षधर, विकास की पक्षधर, मुक्ति की पक्षधर और हाशिए के लोगों और गरीबों की पक्षधर पत्रकारिता है."

गरीब, गाँव, कमजोर, गरीबी रेखा और उसके नीचे का जीवन यापन करने वाले लोगों की व्यथा कथा है विकास पत्रकारिता।

आम आदमी की जबान वाली और उसके सरोकारों को सबसे ऊपर जगह देने वाली और प्रतिरोधों की आवाजों और आंदोलनों को स्वर और समर्थन देने वाली पत्रकारिता- वैकल्पिक पत्रकारिता कहलाती है. उसके साधन, माध्यम और मकसद जो भी हैं सब वैकल्पिक ही हैं. मुख्यधारा के समृद्ध और साधन संपन्न मास मीडिया से वह मदद नहीं लेती, वह संदेश के लिए वैकल्पिक माध्यमों का उपयोग करती है. वे कुछ भी हो सकते हैं. पर्चे से लेकर लाउडस्पीकर और माइक तक. या मोबाइल फोन पर कोई लघु फिल्म.

वैकल्पिक पत्रकारिता समाचार प्रस्तुति में भी जोखिम उठाती है. वहां समाचार के सर्वविदित और सर्वथा प्रयुक्त विलोम पिरामिड को भी खारिज किया जा सकता है। समाचार और कथा प्रस्तुति आम आदमी की जुबान में पेश की जा सकती है। सामाजिक मुद्दों और आम आदमी के हितों को तरजीह दी जाती है। रिपोर्टिंग के पांच डब्लू और वन एच वाले सूत्र में से वैकल्पिक पत्रकारिता के रिपोर्टर का जोर कैसे और क्यों पर रहता है. समाचार का विश्लेषण किया जाता है। और क्या होगा को महत्व दिया जाता है। पश्चिमी और एग्लो अमेरिकी पत्रकार विकास पत्रकारिता को विकासशील देशों की सरकारों का प्रौपेगेंडा मानकर उसका उपहास करते हैं. लेकिन यह प्रचार मात्र नहीं है. विकास पत्रकारिता में विकास योजनाओं के बारे में जरूर खबरें दी

जाती हैं लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि विकास संचार का कोई पत्रकार सरकार का भोंपू या प्रचारक बन जाता हो. हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि पत्रकार किसी भी क्षेत्र का हो, वह क्या करता है और कैसे करता है- यह निर्भर करता है उसके पत्रकारीय कौशल और उसकी नैतिक सामर्थ्य और विवेक पर. भारत के प्रसिद्ध पत्रकार प्राण चोपड़ा के मुताबिक, "विकास पत्रकारिता इस काम में सरकार की मदद करती है कि लोगों को किस तरह का विकास चाहिए और सरकार किस किस्म की नीतियां लागू कर रही है."

मीडिया के लिए दिशा निर्देशों और कानून की बात करें तो कुछ कानून बेशक भारत सरकार ने बनाए हैं लेकिन समाचार उत्पादन, प्रस्तुतिकरण और वितरण को लेकर उसने कोई गाइडलाइन या दिशा निर्देश नहीं रखे हैं. इस मामले में प्रेस को आजादी हासिल है. भारत में तमाम मीडिया चाहे वे अखबार हों या पत्रिकाएं या टीवी चैनल-सबने अपनी एक आचार संहिता बनाई है. विशेषकर प्रिंट मीडिया के लिए भारत सरकार ने भारतीय प्रेस परिषद का गठन किया था जो अखबारों में पत्रकारों की समस्याओं और दायित्वों और अधिकारों पर काम करती है. परिषद ने पत्रकारीय नैतिकता के लिए आचार संहिता भी बनाई है. यहां हम उस संहिता के कुछ हिस्से संक्षेप में पेश करेंगे जिनका संबंध आम आदमी और विकास के मुद्दों से है.

सामाजिक: अफवाहों और अटकलों को तथ्यों के रूप में प्रस्तुत न किया जाए। पब्लिक इन्टरफेस वाले वित्तीय संस्थानों की साख को प्रभावित करने वाली अफवाहों के जवाब में सकारात्मक भूमिका अदा करें।

प्रेस किसी व्यक्ति के नये कृत्य के सन्दर्भ में कड़ी टिप्पणी करने के लिए उस नागरिक के पहले के आपत्तिजनक व्यवहार को आधार नही बनाए। यदि जनता के लिए वह सन्दर्भ अपेक्षित हो तो प्रेस को सम्बन्धित अधिकारियों से प्रकाशन पूर्व पूछताछ कर लेनी चाहिए।

यह आवश्यक है कि प्रेस नागरिक वर्ग के साथ प्रत्यक्षतया सम्पर्क कर पाने के कारण हासिल की गयी अद्वितीय स्थिति के कारण समाज के प्रति अपने दायित्व को समझे और अफवाहों और सनसनी को विश्वसनीयता प्रदान करने में लगे रहने की अपेक्षा देश की प्रगति और समाज की बेहतरी के लिए अपनी लाभदायक स्थिति का उपयोग करे। प्रेस लोक हित को लोक रुचि पर वरीयता दे। भारतीय प्रेस परिषद के 15वें नियम में प्रेस को नीतिगत सलाह दी गई है।

जनहित और सार्वजनिक निकाय:

जनहित के संरक्षक के रूप में प्रेस को सार्वजनिक निकायों में भ्रष्टाचार और अनियमितता के मामले उजागर करने का अधिकार है। किन्तु वह सामग्री अकाट्य प्रमाणों पर आधारित हो

और जांच तथा सम्बन्धित स्त्रोतों से सत्यापन के बाद, और जिस व्यक्ति/प्राधिकारी पर टिप्पणी की जा रही है, उसका पक्ष सुनने के बाद प्रकाशित की जाए।

समाचार पत्रों को चाहिए कि चुभने वाली तीखी तथा कड़वी भाषा का प्रयोग न करें। और व्यंग्यपूर्ण या उपहास पूर्ण टिप्पणी न करें।

प्रेस का यह प्रयास होना चाहिए कि वे संस्थानों को सुधार के लिए जागरूक करें न कि उनका नाश करें अथवा कार्य बल को खत्म करे। तदनुसार उन्हें यह कर्तव्य सौपा गया है कि वे सुनिश्चित करें कि ऐसा करते हुए वे उचित और संतुलित रिपोर्टिंग करें जो कि बाहरी दबावों से प्रभावित न हों।

लोकहित के अभिरक्षक और इसके अधिकारों के संरक्षक के रूप में प्रेस से यह भी आशा की जाती है कि वह सरकार और नेताओं के कामकाज पर सही सूचना दे ताकि उन्हें सही तरह से परखा जा सके जिन्हें जनता ने देश चलाने का दायित्व सौपा है।

जिम्मेदार प्रेसः

मीडिया और सरकार हमारे लोकतन्त्र के दो महत्वपूर्ण स्तम्भ है और सरकार द्वारा लोक हित में सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए प्रेस का जिम्मेदार और जागरूक होना अनिवार्य है।

प्रेस जाँच कर रहे सरकारी कर्मचारियों के बारे में समाचार या टिप्पणी के प्रकाशन की प्रवृत्ति ऐसी नहीं होनी चाहिए कि अपराध करने में मदद मिले या अपराधों का पता लगाने या उन्हें रोकने में अथवा अपराधी पर मुकदमा चलाने में बाधा पड़े। अन्वेषण एजेन्सी पर भी इसी प्रकार का दायित्व आता है कि जानकारी को उद्घाटित न करे और गलत जानकारी प्रचारित न करें।

ध्यान रहे कि देश में केन्द्र या राज्य सरकार के अधिकारियों के पास मीडिया को निषेध करने के लिए अधिकार हैं। शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923(ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, 1923) या उसके उपबन्ध जिसे कानून का बल प्राप्त हो ऐसा कर सकता है।

जति, धर्म या समुदाय से उनका अनादर होता हो तो उल्लेख न करें। विकास के समाचार गाव, पंचायत या ग्रामीण अथवा कृषि सम्बन्धी समाचारों में अनुसूचित जाति अथवा हरिजन शब्द का प्रयोग न करें। जब तक कि ऐसा करना आवश्यक न हों।

पत्रकारों का एक काम यह भी है कि जनता को समाज के कमजोर वर्गो की दशा से अवगत करायें। वे समाज की ओर से उन कमजोर वर्गो के रक्षक हैं। भारतीय प्रेस परिषद ने 23वीं मानक नीति में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि माना है। समाचार पत्र आत्म नियन्त्रण के रूप में कोई भी ऐसा समाचार टीका या जानकारी प्रस्तुत करने में यथेष्ट संयम तथा सावधानी बरतेंगें

जिनसे राज्य तथा समाज के सर्वोपरि हितों या व्यक्तियों के अधिकारों को जोखिम, खतरा या क्षति होने की सम्भावना हो जिनके बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 खण्ड (2) के अन्तर्गत वक्तृता तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर कानून द्वारा न्यायोचित पाबन्दियां लगाई गई हैं।

भारतीय प्रेस परिषद ने एड्स व एचआईवी की रिपोर्ट या समाचार लिखते समय कई नियम और नीतियाँ बनाई है जिनका पालन करना मीडिया का कर्तव्य है।

विशिष्ट मुद्दों पर भी दिशा निर्देश बनाये गए हैं। जैसे साम्प्रदायिक उपद्रवों के बारे में मीडिया द्वारा अनुपालन दिशा निर्देश 1969। राज्यों ने 1991 में इस विषय में कई दिशा निर्देश जारी किये। आतंकवादियों के विज्ञप्ति पत्रकों का प्रकाशन दिशा निर्देशक सिद्धांन्त 1991-92 जारी किया गया था।

सत्ता और जनता प्रेस मीडिया की शक्ति और प्रभाव को जानती है। यह शक्ति सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन में जितनी महत्वपूर्ण है उतनी आर्थिक विकास के लिए भी है। पूंजीवादी प्रथम विश्व में मीडिया भी अन्य कारोबारों की तरह एक बिजनेस ही होता है। जबकि समाजवादी देशों में जो अब प्रायः टूट चुके हैं वहां प्रेस या मीडिया सत्ता के हाथ में होता है। लेकिन तीसरी दुनिया के विकासशील देशों में मीडिया पब्लिक इंटरेस्ट की बजाय पब्लिक सर्विस को तरजीह देता है। यह समस्त मीडिया संचालकों की नीति का मूल मन्त्र होना चाहिए। जो कभी था भी लेकिन इधर 21वीं सदी में यह मिथक टूटता सा दिखाई दे रहा है। बाजार की शक्तियां मीडिया के संचालकों पर हावी होती जा रही है। उनकी रीति नीति और समस्त रणनीतियां, विज्ञापन, राजस्व और प्रसार संख्या, पाठक संख्या अथवा टीआरपी पर जाकर अटक गई है।

सत्ता के अधिकारियों और जनता के बीच संवादहीनता आ चुकी है। शीर्ष पर बैठे सत्ताधीश नेता संचार सुविधाओं के बावजूद आम जन से कटे हुए हैं। वास्तविकताओं को जांचे परखे बिना फीडबैक नीति बनाना हवा में तीर चलाने की तरह होता है। फीडबैक किसी भी नीति का अहम इनपुट होता है। साथ ही नीति को कार्ययोजना में बदलने की रणनीति का आधार भी फीडबैक होता है।

सत्ता को तोता रटंत वाला फीडबैक नहीं चाहिए, उससे सत्ता और जनता दोनों का भला नहीं होता है। तभी नीतियों का सही और उचित कार्यान्वयन किया जा सकता है और कार्य योजना को आकार देने के लिए रणनीतियाँ बनाई जा सकती हैं या फिर नयी नीतियों का निर्माण

किया जा सकता है। लेकिन ये सब काम जितने सरल लगते हैं उतने होते नहीं हैं। किसी प्रोजेक्ट या विकास कार्य पर लगने वाला धन, उसकी नीति या एक्शन प्लान सब अलग होते हैं. उदाहरण के लिए लोकपाल बिल हो या महिला आरक्षण बिल. इन बिलों को कानून बनाने के रास्ते में अभी रुकावटें हैं. ड्राफ्ट बिल संसद में अटके हैं. पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने कहा था कि, "किसी नीति के बारे में बताना आसान नहीं है. नीति में बदलाव के बारे में समझाना तो और भी मुश्किल है."

राव का मानना था कि सरकार के स्तर पर नीति और रणनीति का निर्माण और क्रियान्वयन अंग्रेजी से हिन्दी में बता देने से या अनुवाद करने से नीति आम जनता तक नहीं पहुंच जाती है। उनके मुताबिक ये काम अधिकारियों का है कि वे सरकार की भाषा को जनता की भाषा में ढालें.

यानी नीतियों की जटिलता और दुरुह शब्दावली को आमफहम और सरल सहज ढंग से जनता तक पहुंचाएं ताकि नीति से जुड़े लाभों के प्रति जनता जागरूक हो सके, वह अपने कर्तव्यों और अधिकारों को भी भली भांति समझ सके. भारीभरकम नीतियों को उतने ही भारीभरकम आदेश के साथ लागू करने से जनता में आशंका और असमंजस पनप सकते हैं. एक अच्छी नीति इस तरह क्रियान्वयन और कार्यान्वयन की राह पर आते आते भटक जाती है या नाकाम हो जाती है.

5.4 लोकतंत्र और विकास:

लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतदाता का महत्व सर्वोपरि होता है। क्योंकि मत (वोट) सत्ता का आधार होता है। तीसरी दुनिया के विकासशील देशों में जहां सत्ता का आधार लोकतन्त्र है वहां विकास की वरीयता से इंकार नही किया जा सकता। वहां मीडिया भी आम आदमी के इर्दगिर्द घूमता है और परिवर्तन की लौ जलाता है।

लोकतन्त्र में विकास पहली शर्त है तो व्यक्ति उसकी पहली वरीयता है। माइकल ट्राबर व्यक्ति के महत्व को लोकतन्त्र में विकास के सन्दर्भ में प्रतिपादित करते हुए कहते हैं, सब कुछ उसके विकास (जीवन स्तर की बेहतरी) के लिए ही किया जाना चाहिए, न मीडिया और न राजनीतिक शक्तियां उसे मात्र मोहरा बनाकर उसका इस्तेमाल करें। क्योंकि लोगों की अनदेखी अब संभव नही है। सत्ता को लोगों के पास जाकर समस्याओं के निदान ढूंढने होगें। इसलिए आज मीडिया और संचार की अत्यंत आवश्यकता है। परम्परागत संचार लोगों से जुडने का सबसे सरल

और प्रभावी तरीका है। परिवर्तनों की जानकारी मीडिया के माध्यम से आम जन तक पहुँचे, इसके लिए सत्ता को मीडिया के सामने बताना होगा कि परिवर्तन कब, क्यों और कैसे संभव हैं जिससे जनता उन्हें बेहतर ढंग से समझ सके।

5.5 राष्ट्रीय विकास योजनाएं:

परिवर्तन और विकास की अनेक योजनाओं का समय समय पर निर्धारण, कार्यान्वयन होता रहता है। इनकी जानकारी आम जन को हो तो वे इसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं। प्रधानमन्त्री सड़क विकास योजना में गाँवों को मुख्य मार्ग तक जोड़ा जाता है जिससे विकास और परिवर्तन की हवा गांवों तक पहुंच सके।

राष्ट्र निर्माण की अनेक योजनाएँ केन्द्र सरकार पूरे देश में चलाती है, बेरोजगारी की समस्या के निदान के लिए प्रत्येक व्यक्ति को सौ दिन तक गारन्टी रोजगार देने की व्यवस्था महात्मा गांधी रोजगार गारन्टी योजना के तहत पूरे देश में लागू है। एक रिपोर्ट के अनुसार सड़कें ही नहीं, सिचांई के काम में मनरेगा के अन्तर्गत 54 हजार गाँवों में 52 लाख लोगों को एक करोड़ 25 लाख रुपए का काम दिया गया। केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय स्तर पर अनेक कल्याणकारी विकास योजनाओ की नीति रणनीति बनाने का काम तो केन्द्र सरकार करती है लेकिन उनका कार्यान्वयन राज्य सरकारों के हाथ में होता है। केन्द्रीय टीमें समय समय पर ऐसे कार्यों का मूल्यांकन करने राज्यों का दौरा करती हैं।

भारत सरकार के राष्ट्र निर्माण की अनेक ऐसी योजनाओं की रीति नीति और धन व्यय का लेखा जोखा भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है। मीडिया कर्मियों को इनका विस्तार से अध्ययन करना चाहिए. समाचार तैयार करने में केन्द्र सरकार के सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालय के पत्र सूचना कार्यालय और दृश्य और प्रचार निदेशालय से सम्पर्क बनाकर संबंद्ध सूचनाएं प्राप्त कर लेनी चाहिए और समय समय पर उनकी पड़ताल करके जनता को बताते रहना चाहिए। कभी केन्द्र सरकार की शिकायत रहती है कि राज्य की कार्यान्वयन एजेंसियां केन्द्रीय योजना का धन या तो खर्च नहीं कर पाती या उसका दुरुपयोग करती है। इस पर निगाह रखना मीडिया का काम है।

शिक्षा और भोजन की गारन्टी, आवास योजनाएं, सड़क योजनाएं, पेयजल आपूर्ति, मध्याह्न भोजन व्यवस्था, पेंशन स्कीम आदि भारत सरकार की कई योजनाएं हैं। बिजली, पानी, सड़क, रोजगार, भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य के अतिरिक्त गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए

अनेक योजनाएं भारत सरकार ने चलाई हैं। उनका पत्रकारीय लेखाजोखा भी मीडिया को करते रहना चाहिए। सांसद निधि द्वारा विकास के कार्यक्रमों का मूल्यांकन करना मीडिया का काम है तभी उसकी प्रहरी की भूमिका का औचित्य सिद्ध होगा। राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों और भारत निर्माण कार्यक्रमों की एक लम्बी सूची है जो लगभग सभी मीडिया के सम्पादकीय कार्यालयों में होनी चाहिए। योजना आयोग से भी मीडिया कर्मी सम्पर्क में रहें कि राज्य सरकारें व अन्य संस्थाएं योजनाओं पर आवंटित धनराशि का किस प्रकार उपयोग कर रही हैं या उन कार्यो में कैसी प्रगति है। सरकारी नीति, रणनीति और कार्ययोजना का मूल्यांकन तो मीडिया को तत्परता से करते रहना होगा, तभी समग्र विकास में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सकेगी।

5.6 प्रादेशिक विकास योजनाएं:

पूरे भारत की प्रगति और विकास के काम जैसे भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय के तहत आते हैं, उसी तरह राज्यों की सरकारें अपने प्रदेशों में विकास के सन्दर्भ में नीतियां, रणनीतियां बनाती हैं और अनेक लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्य योजनाओं को मूर्त रूप देती हैं। इसके लिए वे अपने संसाधनों के अतिरिक्त पंचवर्षीय योजना बनाकर केन्द्र सरकार से भी आर्थिक सहायता लेती हैं।

राजस्थान का उदाहरण लें तो राज्य सरकार सुशासन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के तहत बिजली, पानी और सड़क- ये तीन सुविधाएं राज्य स्तर पर देने का वचन देती है।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना बनाई गई जिसमें 36 लाख गरीब परिवारों को दो रुपये प्रति किलो की दर से 25 किलो गेहूँ हर माह दिया जाता है, इस पर 300 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई है।

मिलावट को रोकने के लिए कड़े दण्ड की व्यवस्था की गई और 'शुद्ध के लिए युद्ध' का नारा दिया गया।

केन्द्र सरकार की राजीव गांधी आवास योजना के तहत पूरे प्रदेश में 184 निकायों में लोगों को मकान देने की व्यवस्था की जा रही है। विशेष पिछड़े वर्ग के बच्चों को 25 करोड़ रुपये की छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं। राजस्थान में पेयजल आपूर्ति की बड़ी चुनौती है। 21 हजार गाँवों में टैंकरों से पेयजल की आपूर्ति की जाती है। इस काम में 3784 करोड़ रुपये व्यय किये जा रहे हैं

जिससे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पीने का पानी मिल सके। इसके साथ ही नवीन जल नीति राजस्थान सरकार तैयार कर रही है।

दिल्ली की बात करें तो वहां प्रदेश सरकार विकास के लिए ओवर ब्रिज, छायादार सड़कें और अन्य सुविधाएं जैसे जल, बिजली, परिवहन, शिक्षा व स्वास्थ्य के लिए कई निर्माण योजनाओं को साकार कर रही है। पिछले दिनों कामनवेल्थ गेम्स दिल्ली में आयोजित किये थे, 2010 के इन खेलों में खिलाड़ियों ने देश की नाक बचा ली पर अधिकारियों और आयोजकों ने जो भ्रष्टाचार किये, वे मीडिया ने जग जाहिर किये नतीजतन कई अधिकारी जेल भेजे गये। विकास की आड़ में धन का दुरुपयोग तभी बच सकता है जब लोग ईमानदार हों, देश के प्रति वफादार हों और मीडिया जागरुक हो।

29 जून 2011 को त्रिपुरा के हेजमारा ब्लॉक से पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना शुरू की गई है और ये पूरे भारत में सब प्रदेशों और केन्द्र शासित क्षेत्रों में की जा रही है जिससे कि आम आदमी के सामाजिक आर्थिक जातिगत स्तर में परिवर्तन कर उसे बेहतर जीवन दिया जा सके।

विकास संचार राष्ट्रीय व प्रदेश स्तर पर पूरे वेग से चले, इसके लिए लोगों की भागीदारी की बड़ी भूमिका होती है, उत्तराखण्ड भी विकास के काम में निरन्तर प्रगति कर रहा है। सरकार का लक्ष्य सुराज है। उत्तराखण्ड ने विकास के लिए कई पहल की हैं और जनहित की कई योजनाएं लागू की हैं.

इस विकास यात्रा में मध्य प्रदेश को देखें तो वहां कन्याओं के लिए लाडली योजना बड़ी लोकप्रिय हुई। मध्य प्रदेश सरकार ने अन्त्योदय मेले लगाए. रोजगार मेलों की श्रृंखला वहां शुरू की जा रही है। मध्य प्रेदश का मुख्यमन्त्री आवास मिशन विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

भारत में सभी राज्य सरकारें विकास के कार्यक्रमों की मदद से लोगों का दिल जीतना चाहती हैं. अब लोकतन्त्र में विकास के नारे पर ही भावी सरकारें टिक पायेगी- ऐसी स्थिति बनती जा रही है।

5.7 पंचायत व्यवस्था विकास योजनाएं:

समाजवादी चिंतक डेनिस गलेट, आजीविका, आत्मसम्मान और स्वतन्त्रता को विकास के घटक मानते हैं। इनके समन्वय से ही भारत जैसा गाँवों का देश सुराज के विकास मार्ग पर चलकर अपने लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बना सकता है।

भारत में गावों की आबादी 65.70 प्रतिशत है और बिना मूलभूत ढ़ांचा विकसित किये विकास के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसके लिए जरूरी है कि देश विकास भी करे, बाजार में भी बना रहे और लोकतंत्र और संप्रभुता पर भी आंच न आए।

भारत में गांवों की संख्या साढ़े छह लाख है। महात्मा गांधी ने आजादी के आंदोलन के साथ ही ग्राम सुराज की बात की थी। उनका कहना था कि जब तक भारत के गांव खुशहाल और सामाजिक आर्थिक दृष्टि से मजबूत नहीं होंगे, देश की आजादी अधूरी रहेगी।

आजादी के बाद कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों ने भारत के गाँवों में विकास के लिए केंद्र सरकार को धन दिया लेकिन इसके बावजूद पुराने कुटीर उद्योग समाप्त हुए और बेरोजगारी बढ़ी। किसान खेतिहर मजदूर बन गये। हमें ग्राम विकास के मुद्दे को फिर से जीवित कर सहयोग, सदाचार और स्वावलम्बन को बढ़ाना होगा। जिससे ग्राम सुधार के कार्यक्रमों और विकास कार्यों में भटकाव न आए।

अब पंचायती राज ने ग्रामीण विकास को नयी दिशा दी है। जिला पंचायतें, ब्लाक स्तर और गाँव के स्तर पर इन पंचायतों की भूमिका विकास में महत्वपूर्ण साबित हो रही है। गांवों की प्रमुख समस्याएं हैं, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। इसके लिए अनेक योजनाएं केन्द्र तथा राज्य के स्तर पर बनाई जाती हैं। उनका क्रियान्वयन पंचायतों द्वारा किया जाता है। त्रि-स्तरीय पंचायती राज की स्थापना के बाद इन योजनाओं और कार्यक्रमों के निर्माण और क्रियान्वन में पंचों, प्रधानों, जिला पंचायतों के प्रतिनिधियों की राय को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है जिससे पता चल सके कि गांवों में किस चीज की जरूरत है।

इस पद्धति और प्रक्रिया के चलते गांवों के लोग इन विकास योजनाओं को ऊपर से सरकार द्वारा थोपी हुई न मानकर खुद अपने द्वारा बनाई व तैयार की गई योजना मानते हैं। इस तरह से उनकी इन कार्यक्रमों में और उस बहाने विकास की दौड़ में सहभागिता बढ़ जाती है। आखिरकार उन्हें अपने प्रयासों से विकास का स्वप्न साकार होता नजर आता है।

लेकिन कुछ विवशताएं ऐसी हैं जिनसे इधर हाल के वर्षों में भारतीय किसान जूझ रहे हैं। खेती से पलायन हो रहा है, खेतीबाड़ी सिमट रही है या पूरी तरह ठप हो गई है, बीज की कमी

है, पशुधन गायब हो रहा है और खेती में लाभ के अवसर मिटते जा रहे हैं. कुछ राज्यों में किसान फसल के नुकसान के बाद आत्महत्या को विवश हुए हैं, कई किसान परिवार बदहाल हैं. विकास कार्यक्रमों को एक नया नजरिया देने की जरूरत अब और महसूस की जा रही है क्योंकि एक ओर खेती पर संकट है तो दूसरी ओर निजी पूंजी निवेश और विशेष आर्थिक क्षेत्र जैसी आर्थिक बाध्यताओं ने किसानों को देखते ही देखते अपनी जमीन से उखाड़ दिया है. वे विस्थापित हो रहे हैं. बेशक उन्हें मुआवजा मिल रहा है लेकिन इसे लेकर भी देश के कई हिस्सों में आक्रोश और आंदोलन हैं. और पुनर्वास की बेहतरी की लड़ाई भी जारी है. भूमि अधिग्रहण कानून अभी संसद में लंबित है जिसके आधार पर विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाए जाने हैं और कंपनियां फैक्ट्रियां लगाने के लिए निवेश कर रही हैं-ये सब विकास के सूचक ही हैं लेकिन यह भी देखना होगा कि इस विकास में स्थानीय भागीदारी कितनी है। विकास पत्रकारिता का एक काम यह भी है।

5.7.1 जिला ब्लॉक स्तर:

कलेक्टर और तहसीलदार की बजाय ग्राम विकास के कार्यक्रम अब पंचायत की पहल पर होते हैं, जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। पक्षपात और लेनदेन का खतरा कम हो गया है। इस पंचायती राज से सबसे बड़ा लाभ यह हुआ है कि हर पंच और जन प्रतिनिधि की जानकारी में विकास के सारे काम, योजना, उस पर होने वाला व्यय, कार्य की गुणवत्ता- सब पर सबकी नजर रहती है। ग्रामीण विकास में भ्रष्टाचार के दीमक से बचाने के लिए पंचायत व्यवस्था लोकतंत्र में एक शानदार और कारगर अंकुश के रूप में सामने आई है। ग्रामीण विकास को पंचायती व्यवस्था ने नई दिशा दी है। अब जरूरी है समस्त ग्रामीणों में जागरूकता लाई जाए, वे सक्रिय हों, उनकी भागीदारी बढ़ाई जाए तो ग्राम ब्लाक व जिला स्तर पर विकास की गति तेज हो जाएगी। और वहां की तकदीर और तस्वीर दोनों में बदलाव सम्भव हो पाएगा। विकास और सम्पन्नता का खुशहाल रूप सुराज के सपने को साकार कर देगा। लेकिन यह तभी मुमकिन है जब एक इकाई के रूप में गांव बचे रहें, उनका अस्तित्व बना रहे, गांवों से विवशता में पलायन कर लोग शहरों में न आएं और गांवों की गरिमा, उसके खेत मिट्टी खलिहान, पशुधन, बीज, फसल सब चीजें यथावत रहें. यह भी सुनिश्चित करना होगा.

5.8 अभ्यास प्रश्न:

प्रश्न 1. विकास पत्रकारिता की नीतियां क्या हैं? उल्लेख कीजिए।

प्रश्न 2. विकास पत्रकारिता की रणनीति और कार्ययोजनाओं को समझाइये।

प्रश्न 3. लोकतंत्र एवं विकास के समन्वयन को संक्षेप में समझाइये।

प्रश्न 4. राष्ट्रीय विकास योजनाओं का उल्लेख कीजिए।

प्रश्न 5. किसी एक प्रादेशिक विकास योजना के बारे में विस्तार से समझाइये जो स्थानीय स्तर पर चल रही हो।

प्रश्न 6. पंचायती व्यवस्था एवं विकास योजनाओं के बारे में विस्तार में बताइये।

5.9 सारांश:

विकास संचार में मानव प्रमुख धुरी है। विकास पत्रकारिता विकास संचार आम आदमी के स्वावलम्बन की कथा है। वह कैसे जीता है उसकी कहानी है।

गाँवों के लोग जब अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के जरिये उन्नति के कार्यक्रम बनाते हैं, उन्हें चलाते है तो उनमें उन्हें सब अपना रचा हुआ लगता है, ऊपर से थोपा हुआ नहीं। जब उनका गाँव उनके द्वारा संवरता, सजता और विकसित होता है तो प्रसन्नता का प्रतिशत बढ़ जाता है। पंचायतें अपने गांव विकास के लिए अब बाहर से ऋण भी ले सकती है।

गांव का आदमी अपने मुद्दे, समस्याएं, आवश्यकताएं तलाशता, उनके हल खेजता है, उन्हें कार्यान्वित कर सहभागिता से पूरा कर उसके लाभ का भागीदार बनाता है। और विकास में बेहतर नागरिक की भूमिका निभाता है। बदलाव की इस प्रक्रिया को नोट करती और दुनिया को बताती है विकास पत्रकारिता. यही है विकास संचार का अन्तिम लक्ष्य।

5.10 शब्दावली:

पंचायत ऋण: पंचायत अपनी आय बढ़ाने के लिए सम्पत्तियों के निर्माण हेतु भारत सरकार, प्रदेश सरकार या उनकी किसी वित्तीय संस्था से धन उधार ले सकती है। लेकिन पंचायतें तभी ऋण ले सकती हैं जबकि कोई परियोजना या प्रस्तावित निर्माण कार्य पंचायत के नियन्त्रण क्षेत्र में स्थानीय सीमा के भीतर हों या उसमें रहने वाली जनता के हित में हों। पंचायत ऋण की वापसी निर्धारित समय सीमा के भीतर या उससे पहले भी कर सकती है।

5.11 सन्दर्भ ग्रंथसूची:

1. प्रेस कौंसिल ऑफ इन्डिया सम्पादित पत्रकारिता आचरण के मानक 2010 प्रकाः भारतीय प्रेस परिषद – सीजीओ काम्प्लेक्स लोदी मार्ग नयी दिल्ली 110003

2.Chopra, Pran : Why development journalism- a chapter in M.V. Desai ;edit) beyond these headlines insiders of the indians press. All need pab. New Delhi 1996 PP 112.

4.Rao, P.V. Narmisha : Communication and development a Chapter in Book Mass communication & development By Baldev raj gupta vishwavidyalaya prakashan Varanasi PP 197.

5. Traber, Michacl : Allernative journalism Alter native Media chapter in VIDURA coct dec. 1985 press institute India New Delhi.

5.12 सहायक/उपयोगी पाठ्यसामग्री:

1. आगाल, राजेन्द्र: ग्रामीण विकास की चुनौतियां अक्स प्रकाशन एपी नगर भोपाल (मध्य प्रदेश)

2. उपाध्याय, डॉ अनिल कुमार: पत्रकारिता एवं विकास संचार, भारती प्रकाशन, वाराणसी।

3.Prof Baldev Raj Gupta: Mass Communication and Development- vishwavidyalaya prakashan Varanasi PP 1979.

5.13 निबन्धात्मक प्रश्न:

1. विकास संचार में रणनीतियों का क्या महत्व है ?

2. केन्द्र सरकार के तीन प्रमुख विकास कार्यक्रमों की एक सूची तैयारी करें और बताएं कि वर्तमान में वे किस हाल में हैं?

3. लोकतंत्र और विकास के संबंधों पर प्रकाश डालें? केन्द्र व प्रदेश की कुछ विकास योजनाओं को उदाहरण सहित लिखें?

4. पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण विकास की धुरी है। टिप्पणी करें?

5. गांवों से पलायन की स्थिति पर एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। कारण और निदान का उल्लेख कीजिए?

इकाई-6

कृषि संचार और ग्रामीण विकास

इकाई की रूपरेखा:

6.1 प्रस्तावना

6.2 उद्देश्य

6.3 कृषि संचार

6.4 ग्रामीण विकास

6.5 कृषि प्रसार

6.6 कृषि संचार की पद्धतियां

6.7 अभ्यास प्रश्न

6.8 सारांश

6.9 शब्दावली

6.10 संदर्भ ग्रंथ सूची

6.11 सहायक/उपयोगी पाठ्यसामग्री

6.12 निबंधात्मक प्रश्न

6.1 प्रस्तावना:

कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती रही है. विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों और प्रयासों से कृषि को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में गरिमापूर्ण दर्जा मिला है। कृषि क्षेत्रों में लगभग 64 प्रतिशत श्रमिकों को रोज़गार मिला हुआ है। देश की लगभग 65 प्रतिशत जनसंख्या की कृषि-कार्यो में संलग्नता तथा कुल राष्ट्रीय आय के लगभग 27.4 प्रतिशत भाग के स्रोत के रूप में कृषि महत्वपूर्ण हो गयी है। देश के कुल निर्यात में कृषि का योगदान 18 प्रतिशत है। कृषि ही एक ऐसा आधार है, जिस पर देश के साढ़े पांच लाख से भी अधिक गाँवों में निवास करनी वाली 75 प्रतिशत जनसंख्या प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आजीविका प्राप्त करती है।

भौतिक संरचना, जलवायविक एवं मृदा सम्बन्धी विभिन्नताएं आदि ऐसे कारक हैं, जो अनेक प्रकार की फसलों की कृषि को प्रोत्साहित करते हैं। यहाँ पर मुख्यतः वर्ष में तीन फसलें पैदा की जाती हैं, जो निम्नलिखित हैं -

रबी की फसल

यह फसल सामान्यतया अक्टूबर में बोकर अप्रैल तक काट ली जाती है। सिंचाई की सहायता से तैयार होने वाली इस फसल में मुख्यतः गेहूँ, चना, मटर, सरसों, राई आदि की कृषि की जाती है।

खरीफ की फसल

यह वर्षाकाल की फसल हैं, जो जुलाई में बोकार अक्टूबर तक काटी जाती है। इसके अन्तर्गत चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, जूट, मूंगफली, कपास, तम्बाकू आदि की कृषि की जाती है।

जायद की फसल

यह फसल रबी एवं खरीफ मे मध्यवर्ती काल में अर्थात मार्च में बोकर जून तक काट ली जाती है। इसमें सिंचाई के सहारे सब्जियों तथा तरबूज, खरबूज, ककड़ी, करेला की कृषि की जाती है।

ग्रामीण विकास में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। ग्रामीण विकास की धुरी कृषि और कृषि से संबंधित अन्य उद्योगों पर ही घूमती है। वर्तमान समय में जब जनसंख्या बढ़ती जा रही है ऐसे में उत्पादन में लगातार वृद्धि करने की आवश्यकता है। विश्व भर के वैज्ञानिक उत्पादन वृद्धि के लिए कई प्रकार के शोधों में जुटे हैं। नये बीज, उन्नत तकनीक और बेहतर उर्वरकों के साथ ही सिंचाई आदि के तरीकों में बदलाव आ रहा है। ऐसे में सरकार की यह जिम्मेदारी बन जाती है कि वह इन नई जानकारियों और तकनीकियों को गांवों तक पहुंचाए. पंचायत स्तर पर लोगों को जानकारी देने का काम ग्राम विकास सेवक, प्रसार कार्यक्रमों के जरिए करते हैं। इनकी यह जिम्मेदारी होती है कि वे जन माध्यमों और जन के बीच के अन्तर को पाटने का कार्य करें। स्थानीय स्तर पर अपनी विश्वसनीयता बनाये रखें.

इस इकाई में विकास संचार के अंतर्गत - कृषि संचार, ग्रामीण विकास, कृषि प्रसार और कृषि संचार की पद्धतियों का अध्ययन किया जायेगा।

6.2 उद्देश्य:

इस इकाई का उद्देश्य -

- भारत में कृषि और कृषि संचार की स्थिति को समझना।
- ग्रामीण विकास की संकल्पना और सिद्धान्तों से साक्षात्कार करना।
- कृषि प्रसार की भारत में स्थिति से परिचित होना।
- कृषि प्रसार के तहत अपनाई जाने वाली पद्धतियों को जानना।

6.3 कृषि संचार:

मानव सभ्यता के विकास में संचार का अहम योगदान रहा है।विकास के कई क्षेत्रों के साथ ही कृषि में भी संचार की उपयोगिता को परिभाषित और सुनिश्चित किया गया। भारत क्योंकि एक कृषि प्रधान देश रहा है ऐसे में कृषि संचार महत्त्वपूर्ण विषय है।

1. परिभाषा:

कृषि और कृषक से जुड़ी सभी गतिविधियों, प्रक्रियाओं, विधियों के बारे में, कृषि की समस्याओं और उनके समाधान के बारे में सूचना, जानकारी या ज्ञान आदि का सम्प्रेषण ही कृषि संचार है।

2. कृषि का वर्तमान स्वरूपः

कृषि क्षेत्र के स्वरूप में बदलाव लाना देश की सार्वजनिक नीतियों की शीर्ष प्राथमिकता होनी चाहिए। इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ी नीतियां भी शामिल हैं। 2013 में कोलकाता में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के शताब्दी सत्र में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इस प्राथमिकता का उल्लेख कर चुके हैं. प्रधानमंत्री के मुताबिक देश के करीब 65 प्रतिशत लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना का अनुमान है कि खाद्य सुरक्षा हासिल करने के लिए प्रति वर्ष कृषि में चार प्रतिशत की दर से सतत वृद्धि आवश्यक है। कृषि क्षेत्र का यह रूपांतरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीतियों सहित देश की सार्वजनिक नीतियों की शीर्ष प्राथमिक चिंता होनी चाहिए। पानी और भूमि की कमी से वृद्धि के प्रभावित होने का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कृषि में पानी बचाने वाली, भूमि की उत्पादकता बढ़ाने वाली और मौसम की मार को झेल पाने वाली किस्मों का विकास करने वाली नई तकनीक की जरूरत पर जोर दिया।

भारतीय कृषि दीर्घकालिक विकास के रास्ते पर है। यह पहले के मुकाबले अधिक लचीली और विविध हो गई है। अनेक चुनौतियों जैसे मॉनसून की वर्षा पर बहुत अधिक निर्भरता, कृषि योग्य भूमि पर दबाव और जल संसाधन तथा जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद ऐसा संभव हुआ।

फसल उत्पादन के आंकड़ों के अनुसार भारत में 2011-12 में 257.44 मिलियन टन खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ, जिसमें चावल, गेहूं और उड़द का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। गैर खाद्य फसलों में कपास का उत्पादन भी पहले के रिकॉर्ड से अधिक पहुंच गया। फलों और सब्जियों के उत्पादन में भी महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। 2010-11 में खाद्यान्न उत्पादन 244.78 मिलियन टन दर्ज किया गया था. 2012-13 के लिए करीब ढाई सौ मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान लगाया है. पिछली बार की तुलना में इसमें कुछ गिरावट का अनुमान भी जताया गया है.

2011-12 में खाद्यान्न उत्पादन की फसलवार स्थिति निन्न रूप से थीः (आंकड़े मिलियन टन में)

कुल खाद्यान्न- 257.44

चावल – 104.32

गेहूं- 93.90

मोटा अनाज- 42.01

मक्का- 21.57

दालें- 17.21

तोर-2.56

उड़द-1.83

मूंग-1.71

चना-7.58

तिलहन- 30.01

सोयाबीन- 12.28

मूंगफली-6.93

सरसों और अरंडी- 6.78

कपास- 35.20 मिलियन बेल(170 किग्रा प्रत्येक)

गन्ना- 357.67

हालांकि विभिन्न फसलों की पैदावार में वृद्धि अनुकूल मानसून के कारण संभव हुई, फिर भी केन्द्र सरकार द्वारा की गई अनेक पहलों, राज्य सरकारों द्वारा कृषि के लिए दी गई सहायता और किसानों के सकारात्मक रवैये के बिना यह संभव नहीं था।

कृषि में बढ़ता निवेश

कम निवेश के कारण हरित क्रांति के बाद भारतीय कृषि के विकास की गति धीमी पड़ गई थी, लेकिन इस प्रवृत्ति में पिछले कुछ वर्षों, खासतौर से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की शुरूआत और खाद्य सुरक्षा पर सरकार के अधिक ध्यान देने के बाद बदलाव आया है। कृषि क्षेत्र में निवेश यानी कुल पूंजी निर्माण (जीसीएफ) 2004-05 में करीब 76,000 करोड़ रुपये था, जो 2010-11 में बढ़कर 142,000 करोड़ रुपये से अधिक हो गया। 2004-05 में कृषि क्षेत्र में जीसीएफ सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 13.5 प्रतिशत था, जो अब 20 प्रतिशत से अधिक है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना शुरू होने के बाद से कृषि पर राज्यों के योजना खर्च में पर्याप्त वृद्धि हुई है। राज्य पाँच वर्ष पहले कृषि को अपने योजना खर्च का करीब 4.9 प्रतिशत आवंटित कर रहे थे। 2010-11 में उन्होंने कृषि को 6.04 प्रतिशत आवंटित किया।

3. भारतीय कृषि की चुनौतियाँ:

देश की विशाल जनसंख्या को अनाज उपलब्ध कराने वाली भारतीय कृषि के लिए चुनौतियां भी कम नहीं है। बढ़ती हुई जनसंख्या को खाद्यान्न उपलब्ध कराना, सिंचाई साधनों का विस्तार, भूमंडलीकरण और बाजारवाद से उपजी प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करना और मिट्टी का उपजाऊपन बनाये रखना कृषि क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियां है। इसके अतिरिक्त भारतीय कृषि चूंकि परम्परागत से व्यावसायिक रुझान वाली व्यवस्था के रूप में परिवर्तित हो रही है, इसलिए संक्रमण के इस दौर में शोषण, लाचारी, संसाधनों की कमी और अनिश्चित्ता से बरी होना भी इसकी प्रमुख चुनौतियाँ है।

देश में कृषि के हालात पर नज़र डालें तो समूचा भारतीय ग्रामीण क्षेत्र कई चुनौतियों का सामना करता हुआ दिखता है। अभी भी गाँव की 27 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने के लिए विवश है। ग्रामीण क्षेत्रों में आवास, पेयजल, शौचालय, सड़क तथा परिवहन के साधन, स्वास्थ्य, शिक्षा व अन्य सुविधाओं की भारी कमी है।

ग्रामीण भारत की 40 प्रतिशत आबादी अभी सड़कों से दूर है। ग्रामीणों के लिए अभी भी 1.5 करोड़ आवासों की आवश्यकता है। देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 20 प्रतिशत भू-

भाग बंजर है। लगभग आधी कृषि योग्य भूमि को अभी सिंचाई की सुविधांए उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त अधिकांश सूखा व बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में आपदा नियंत्रण प्रभावी स्थिति में नहीं है। भारतीय कृषि की एक और गंभीर समस्या कृषि वित्त तथा वितरण और प्रसंस्करण सुविधाओं के अभाव की है। अधिकांश छोटे तथा सीमांत कृषकों को बैंक ऋण नहीं मिल पाता उनका जीवन महाजनों के कर्ज के चंगुल में फंसा रहता है। जिससे अक्सर किसान आत्महत्या कर लेते हैं।

अतिरिक्त उत्पादन की स्थिति में फसलों का संरक्षण नहीं होने से भी किसानों को भारी घाटा उठाना पड़ता है। इसके कारण फल, व सब्जी उत्पादन का लाभ किसानों को नही मिल पाता प्रसंस्करण उद्योग के अविकसित होने से भी इन उत्पादनों की न तो किसानों को बेहतर कीमत मिल पाती है न ही उनका कच्चा माल उपयोग हो पाता है। कृषि के पिछड़ेपन में यह कारक भी योगदान करते है।

कृषि विकास में सरकार के दावेः

1. किसानों को उनके उत्पाद का लाभकारी मूल्य मिल सके, इसके लिए सरकार ने प्रमुख फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया और विभिन्न एजेंसियों के जरिये न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उत्पाद खरीदने का प्रावधान बनाया। पिछले कुछ वर्षों में प्रमुख खाद्यान्नों विशेषकर दालों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में पर्याप्त वृद्धि की गई है। पर्याप्त खाद्यान्न पैदा करने के लिए प्रमुख खाद्यान्नों का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना रणनीति का एक प्रमुख हिस्सा है, ताकि मांग को पूरा किया जा सके।
2. किसानों को मशीनें खरीदने, डेयरी उद्योग, पशु-पालन और अनेक अन्य गतिविधियों के लिए धन की जरूरत होती है। खेती संबंधी विभिन्न कार्यों के लिए ऋण की उपलब्धता और सही मात्रा एक महत्वपूर्ण जरूरत है। सभी किसानों, खासतौर से छोटे किसानों को संस्थागत ऋण के अंतर्गत लाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है, ताकि साहूकार उन्हें लूट खसोट न सके। संस्थागत ऋण पर विशेष ध्यान देने के परिणामस्वरूप कृषि ऋण जो आठ वर्ष पहले 85,000 करोड़ रुपये था। वह 2012 में पाँच लाख करोड़ रुपये से ऊपर पहुंच गया है।
3. बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण उभरते हुए क्षेत्र हैं और इसके राष्ट्रीय बागवानी मिशन की स्थापना की गई। बागवानी के संबंध में पहाड़ी राज्यों की विशेष जरूरतों पर ध्यान देने के लिए एक इसी तरह का अन्य मिशन कार्यरत है। इन योजनाओं से राज्यों और बड़ी संख्या

में बागवानी से जुड़े किसानों को पौधे लगाने से लेकर भंडारण, मार्केटिंग और प्रसंस्करण की सुविधा मिल रही है।

4. विशेष फसलों के उत्पादन को देखते हुए पिछले पाँच वर्षों के दौरान, केन्द्र सरकार ने अनेक नई योजनाएं शुरू कीं, जिनमें ऐसी फसलों और क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया, जिससे अधिक उत्पादन हो सके। ऐसा इसलिए किया गया ताकि बेहतर कीटनाशकों को प्रोत्साहित किया जा सके, गुणवत्ता वाले उपकरणों का वितरण किया जा सके और अन्य कमियों को दूर किया जा सके।
5. कृषि क्षेत्र को केन्द्र में रखकर शुरू की गई योजना से पूर्वी भारत में हरित क्रांति आई है। देश के पूर्वी भागों में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए इसे दो वर्ष पहले शुरू किया गया। पूर्वी भारत 60 और 70 के दशक की हरित क्रांति से अछूता रहा था। यह योजना असम, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में शुरू की गई है। इन इलाकों से पिछली दो फसलों के उत्पादन आंकड़ों से पता लगता है कि इस योजना से फसलों का उत्पादन बढ़ाने में मदद मिली है।
6. चूंकि दालें, प्रोटीन का एक अत्यन्त महत्वूपूर्ण स्रोत है, भारत को अपनी दालों की जरूरत को पूरा करने के लिए बड़ी मात्रा में उसका आयात करना पड़ रहा है। इन फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए हाल के वर्षों में अनेक कदम उठाये गये। एनएफएसएम योजना का दालें अनिवार्य हिस्सा हैं, 11 प्रमुख दाल उत्पादक राज्यों के वर्षा सिंचित इलाकों के 60,000 गांवों में समेकित विकास का एक नया कार्यक्रम लागू किया जा रहा है। इसे खासतौर से वर्षा सिंचित इलाकों में दलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए लागू किया गया है। इस प्रयास में तेजी लाने के लिए गांवों का चयन किया गया है और इन इलाकों में स्थानीय तौर-तरीकों को बढ़ावा दिया गया है।
7. जम्मू कश्मीर में केसर की खेती को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन और 27 राज्यों में एक राष्ट्रीय बांस मिशन की स्थापना की गई है। शहरों के नजदीक सब्जियों की खेती, अन्य तिलहनों, मक्का, बाजरा और पशुओं के चारे को बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्यक्रम चल रहे हैं।
8. कृषि में अधिक निवेश के उद्देश्य से राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए छह वर्ष पहले 25,000 करोड़ रूपये की राष्ट्रीय कृषि विकास योजना शुरू की गई। इस योजना को इस प्रकार तैयार किया गया कि राज्य खेती और उससे जुड़ी किसी भी अन्य गतिविधि के

लिए धन का इस्तेमाल कर सकते हैं। राज्यों को उनकी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार दिये जाते हैं। स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के लिए जिला स्तर पर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना शुरू की गई। इस योजना के परिणामस्वरूप कृषि में राज्यों के निवेश में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई और यह संपूर्ण कृषि क्षेत्र को लम्बे समय तक मजबूती प्रदान करेगा।

4. राष्ट्रीय विकास एवं कृषि:

1950-51 में कुल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा 59.2 प्रतिशत था जो घटकर 1982-83 में 36.4 प्रतिशत और 1990-91 में 34.9 प्रतिशत और 2001-02 में 25 प्रतिशत रह गया। 2006-07 की अवधि में यह औसत घटकर साढ़े 18 प्रतिशत रह गया। दसवीं योजना(2002-07) के दौरान समग्र सकल घरेलू उत्पाद की औसत वार्षिक वृद्धि पद साढे सात प्रतिशत थी जबकि इस दौरान कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्र की वार्षिक वृद्धि दर करीब ढाई प्रतिशत रही। 2001-02 से प्रारंभ हुई नव सहस्त्राब्दी के प्रथम छह वर्षों में तीन प्रतिशत की वार्षिक सामान्य औसत वृद्धि दर 2003-04 में 10 प्रतिशत और 2005-06 में छह प्रतिशत की रही।

राष्ट्रीय विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में कृषि की उपयोगिता महत्वपूर्ण है।देश की कृषि यहाँ की अर्थव्यवस्था, मानव-बसाव तथा यहां के सामाजिक-सांस्कृतिक ढांचे और स्वरूप की आज भी आधारशिला बनी हुई है। बात चाहे रोजगार सृजन की हो या सकल राष्ट्रीय घरेलू उत्पाद की कृषि का योगदान सदैव महत्वपूर्ण रहा है।

राष्ट्रीय आय, रोजगार तथा व्यापार में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हालांकि अन्य क्षेत्रों का विस्तार होने से इसकी भागेदारी कुछ कम हुई है। पर यह अभी भी महत्वपूर्ण क्षेत्र बना हुआ है। देश के विदेशी व्यापार में भी कृषि का योगदान रहा है। कृषि उत्पाद निर्यात के प्रमुख मदों में शामिल है। इसके अतिरिक्त भारत के निर्यात की दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण मदों सूती वस्त्र और हस्तशिल्प में से सूती वस्त्र के लिए कच्चा माल तथा हस्तशिल्प के लिए शिल्प कौशल व कच्चा माल कृषि से ही उपलब्ध हेाता है। कृषि के प्रदर्शन का असर भी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। जब मॉनसून की कमी होती है तो उस वर्ष राष्ट्रीय विकास दर में भी कमी दर्ज की जाती है। कृषि को सरकार भी राष्ट्रीय विकास के लिए महत्वपूर्ण मानती है। पंचवर्षीय योजनाओं में इसी कारण से कृषि पर विशेष बल दिया जाता है और सरकार ने ग्रामीण विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कई योजनाओं को लागू किया है।

5. कृषि विकास में मास मीडिया यानी जन संचार माध्यमों का योगदान:

जन संचार माध्यमों का भी कृषि के विकास में प्रत्यक्ष और परोक्ष योगदान है। ग्रामीण क्षेत्रों में ये माध्यम सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के बुनियादी कार्यों के अतिरिक्त उत्प्रेरक की भूमिका निभाते हैं तथा ग्रामीण क्षेत्र के प्रवक्ता के रूप में कार्य करते हैं। ग्रामीण हितों की पहरेदारी का काम भी जन संचार माध्यम करते हैं।

विकास संदेशो के प्रसार में इन माध्यमों का विशिष्ट योगदान है। रेडियो और टीवी ने वर्षो की मेहनत से ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिकता, वैज्ञानिक चेतना और अपने अधिकारों के प्रति ग्रामीणों को संघर्षषील बनाने का काम किया है। जन संचार माध्यमों ने निरन्तर सामाजिक कुरीतियों के प्रति ग्रामीणों को सचेत करने का काम किया है। उनकी तार्किक सोच के विकास में भी वे सहायक रहे हैं।

संरक्षण, जल संरक्षण, वन संरक्षण जैसे लक्ष्यों की प्रगति में जन संचार माध्यमों की भूमिका काफी उपयोगी रही है। कृषि के विकास में इन माध्यमों ने उपयोगी ,सूचनात्मक तथा सलाहकार सेवा का निर्वाह किया है। कृषि दर्शन, खेती बाड़ी, चलो गांव की ओर जैसे कार्यक्रमों की मदद से किसानों में बीज, फसल, कृषि प्रबन्धन, कृषि विपणन, उर्वरकों का उपयोग आदि की महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध होती हैं। खेती से जुड़े विभिन्न पक्षों पर सलाहकार सेवाएं उपलब्ध कराने का काम भी जन संचार माध्यम कर रहे हैं।

ग्रामीण समस्याओं की ओर नीति नियंताओं का ध्यान आकर्षित करने में भी जनसंचार माध्यमों ने प्रभावी भूमिका का निर्वहन किया है। पत्रकारिता ने सरकार, प्रशासन, ग्रामीणों के बीच पुल का कार्य किया है। छोटी से छोटी ग्रामीण समस्या को उठाकर पत्रकारिता ने उसके निराकरण की व्यवस्था की है।

यही नहीं संचार की आधुनिकतम प्रौद्योगिकी भी ग्रामीण विकास में मददगार हो रही हैं। सूचना प्रौद्योगिकी का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए विलेज इन्फॉरमेशन कियोस्क तथा इंटरनेट ढाबा की व्यवस्था की जा रही है। यहां किसानों को मण्डी के भावों की जानकारी, कागजात संबंधी सूचनाएं और अन्य प्रशासनिक कार्यों से जुड़ी सलाहें उपलब्ध हो रही हैं। कृषि सूचना केंद्रों का भी विकास किया जा रहा है जिससे किसानों को कृषि संबंधी जरूरी सूचनाएं उपलब्ध हो सके।

परम्परागत माध्यम कृषि के प्रति लोगों के भावनात्मक रूझान को विकसित करने का काम कर रहे है। लोक प्रस्तुतियों में अपनी जमीन, अपनी जड़ों और अपने समाज के प्रति गहरा

प्रेम परिलक्षित होता है। यह प्रेम ग्रामीण समाज में खेती और खेतिहर जीवन शैली के प्रति लोगों की रुचि को बनाये रखने मे मददगार साबित होता है। इसके अतिरिक्त लोक माध्यमों ने ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन की गति को तेज करने में भी अपना योगदान दिया है।

6.4 ग्रामीण विकास:

ग्रामीण विकास का प्रश्न हमारे देश के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। अभी भी तीन चौथाई के लगभग भारत ग्रामीण भारत के रूप में पहचाना जाता है। गांवों की सामाजिक आर्थिक परिस्थितिया राष्ट्रीय सूचकांकों को भी प्रभावित करती है। कृषि की विकास दर और उत्पादकता से देश की जीडीपी और जीएसी प्रभावित होती है। ग्रामीण आबादी की गतिशीलता से शहरी भारत की जनसंख्या संरचना निर्धारित की जाती है। ग्रामीण विकास किसी भी सरकारी बजट या पंचवर्षीय योजना की सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में निरूपित किया जाता है।

ग्रामीण विकास का प्रश्न स्वतन्त्रता के पश्चात् से ही हमारे नीति नियन्ताओं के लिए महत्वपूर्ण रहा है। स्वतंत्रता से पूर्व महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज की कल्पना की थी। ग्रामीण स्वालम्बन को देश के विकास के मूल मंत्र के रूप में देखा जाता है। ग्रामीण विकास के लक्ष्यों को हासिल करने में जन सहभागिता और जन जागरूकता की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें जन संचार माध्यमों की भूमिका उपयोगी है। SITE का अनुभव, खेड़ा विकास कार्यक्रम, झाबुआ बस्तर प्रोजेक्टर, सामुदायिक टीवी तथा रेडियो की विकास तथा सूचना में महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

लेकिन देश अब भी ग्रामीण विकास के लक्ष्यों से दूर है। अभी तमाम प्रयलों के बावजूद बहुत से गांव बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसीबुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं. कुटीर उद्योग, विपणन सुविधाएं, बैंकिंग सेवा, अस्पताल आदि में भी कई गांव विकास को तरस रहे हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की सम्भावनाएं भी प्रारम्भिक अवस्था में हैं। किसानों का पलायन बढ़ रहा है. कृषि रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं, खेती कम हो रही है.

1. ग्रामीण विकास का अर्थ:

ग्रामीण विकास में ग्रामीण जनसंख्या और ग्रामीण क्षेत्र, कृषि क्षेत्र तथा कृषि आधारित उद्योग धन्धों का विकास निहित है। ग्रामीण विकास के विविध पक्षों को हम निम्न रूप से स्पष्ट कर सकते हैं-

(क) सांस्कृतिक विकास: इसमें साक्षरता में वृद्धि, जातीय व क्षेत्रीय मानसिकता का निर्मूलन, रूढ़ियों से मुक्ति, जन संचार माध्यमों का प्रचार प्रसार, वैज्ञानिक चेतना का विकास, स्त्री व बाल विकास, महिला शिक्षा आदि समाहित किये जाते है।

(ख) आर्थिक विकास: इसके तहत ग्रामीण आर्थिक विकास में कृषि को ज्यादा लाभकारी बनाना, उर्वरता प्रबंधन, ग्रामीण उद्योग धन्धो का विकास, ग्रामीण रोजगार सृजन, आर्थिक स्वावलम्बन, कृषि आधारित उद्यमों व व्यवसायों का विकास आदि शामिल किये जाते हैं।

(ग) राजनीतिक विकास: इसमें मुख्य रूप से पंचायती राज व्यवस्था का सशक्तिकरण तथा उसमें सभी वर्गो की भागीदारी आती है।

(घ) बुनियादी सुविधाओं का विकास: इसके तहत सड़क, ग्रामीण परिवहन व्यवस्था का विकास, पेयजल उपलब्धता, स्वास्थय सुविधाओं की उपलब्धता, बिजली की उपलब्धता, शिक्षा और संचार साधनों की उपलब्धता आदि शामिल किये जाते हैं।

(ड) कृषि का विकास: इसमें कृषि को व्यवसायिक और व्यापारिक स्वरूप प्रदान करना, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, नई तकनीकों का प्रसार, उन्नत खाद व बीज का प्रयोग, कृषि का यांत्रिकीकरण, कृषि विपणन और बैकिंग को बढ़ावा, बागवानी पर जोर, कृषि अनुसंधान व उसका क्रियान्वयन आदि शामिल किये जाते हैं।

(च) मानव संसाधन विकास: कृषि क्षेत्र में अकुशल श्रम को कुशल श्रम में बदलना, पारम्परिक तरीकों को आधुनिक तकनीकी कौशल से सुसज्जित करना, कौशल उच्चीकरण प्रशिक्षण आदि इसमें सम्मिलित किये जाते हैं।

भारत में ग्रामीण क्षेत्र अब भी तुलनात्मक रूप से पिछड़ा हुआ है। विकास योजनाओं की शुरुआत से ही ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है जिससे वहां रहने वालों की सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारी जा सके।

2. ग्रामीण विकास में संचार का उपयोग:

ग्रामीण विकास और रूपान्तरण की प्रक्रिया में संचार की उपयोगिता अत्यन्त महत्वपूर्ण है। लोगों को शिक्षित करने, चर्चा के उचित बिन्दुओं से परिचित कराने, विकास कार्यक्रमों से जोड़ने के लिए संचार नियोजित व्यवस्था एक अनिवार्य आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए जनमत निर्मित करने तथा वैज्ञानिक चेतना के विकास में भी संचार की महत्वपूर्ण भूमिका है।

ग्रामीण क्षेत्र और ग्रामीण जनता परम्परागत समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे समाज में नये मूल्यों की स्वीकार्यता धीरे-धीरे बनती है। ऐसा समाज कई जगहों पर रूढियों में जकड़ा हुआ होता है. रूढ़िवादी समाज अपनी पहले की स्थिति में परिर्वतन के प्रयासों को सहज

रूप में स्वीकार नही करता। ऐसे में यह आवश्यक होता है कि उनके मत में परिवर्तन किया जाये।

मत परिर्वतन का यह कार्य संचार को प्रभावी बनाकर सफलतापूर्वक किया जा सकता है। बेहतर संचार नियोजन से ग्रामीण समाज अपनी बंद खिड़कियां खोलता है। दुनिया में हो रही तरक्की तथा बदलावों को स्वीकार कर स्वयं भी बदलाव की ओर उन्मुख होता है। संचार के बदलाव ने ग्रामीण विकास तथा रूपान्तरण में हमेशा अग्रिम भूमिका निभाई है। विकास कार्यक्रमों का एक प्रमुख लक्ष्य यह भी है कि वह ग्रामीण क्षेत्रों में संचार के फासले या उसकी खाई(कम्यूनिकेशन गैप) को समाप्त करें.

3. ग्रामीण विकास में संदेश निर्माण:

ग्रामीण जनता में जागरूकता लाने तथा उन्हें विकास की जानकारी देने, विकास के लिए प्रेरित करने तथा विकास के लिए जरूरी जनमत तैयार करने की दृष्टि से ग्रामीण संदेशों का अहम स्थान है। सरकार ने हमेशा से ही विविध लोक लुभावन संदेशों के माध्यम से ग्रामीण विकास के विविध कार्यक्रमों के प्रचार प्रसार का संयोजन किया है। कुछ संदेश तो अत्यंत लोकप्रिय रहे हैं।

अधिक अन्न उपजाओ, जय जवान-जय किसान, छोटा परिवार सुखी परिवार जल ही जीवन है, दो बूंद जिन्दगी की- आदि अनेक लोकप्रिय संदेशों का ग्रामीण चेतना निर्मित करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ग्रामीण संदेश का निर्धारण एक चुनौतीपूर्ण काम है- संदेश किस प्रकार तैयार किया जाए कि ग्रामीण जनता को तुरंत समझ में आ जाये तथा वह उसे आसानी से स्वीकर कर ले। ग्रामीण जनसंख्या की अपनी सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताएं होती है। संदेश में यह तथ्य अवश्य ध्यान मै रखना चाहिए। ग्रामीण विकास संदेश के प्रमुख निर्धारक बिन्दु इस तरह से हैं-

- संदेश सरल तथा सुबोध होना चाहिए।
- संदेश की पृष्ठभूमि ग्रामीण परिवेश के अनुकूल होनी चाहिए।
- संदेश के रोल मॉडल या कम्यूनिकेटर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वीकार्य होने चाहिए।
- संदेश की भाषा में स्थानीयता का पुट होना चाहिए।
- चित्रात्मकता संदेश को और आकर्षक बना सकती है।
- संदेश को ज्यादा लंबा या जटिल संरचना वाला नहीं होना चाहिए।
- संदेश को माध्यम के अनुकूल होना चाहिए।

4. ग्रामीण विकास संदेश के लिए माध्यम चयन:

ग्रामीण विकास के संदेशों के प्रभावी निरूपण में माध्यमों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। माध्यम चयन करने समय ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी स्वीकार्यता तथा पहुंच का ध्यान रखना चाहिए। दृश्य श्रव्य माध्यम ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से उपयोगी होते हैं। इसके अतिरिक्त स्थानीय स्तर पर प्रभावशाली परम्परागत माध्यमों का भी प्रयोग किया जाना चाहिए।

क. परंपरागत माध्यम: परंपरागत माध्यम अब भी ग्रामीण क्षेत्रों में लोकप्रिय है। चूंकि ये माध्यम लोक से जुड़े है, अतः लोक विश्वास भी इन्हें हासिल है। लोक से इन माध्यमों के जुड़ाव का फायदा विकास संदेशों को भी अवश्य उठाना चाहिए। परम्परागत माध्यमों का चयन स्थानीय आधार पर किया जाना चाहिए। इन माध्यमों का चयन कर संदेशो को भी उनके अनुरूप ही विकसित करना चाहिए। यह परम्परागत माध्यम जिस प्रकार की प्रस्तुतियां करते है, संदेशों को भी उसी रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। मिसाल के लिए रामलीला, मेले, नौटंकी, करतब, झांकी, प्रभात फेरी, पंचायत, उत्सव, सामाजिक मिलन कार्यक्रम, सांस्कृतिक समारोह आदि परंपरागत या लोक माध्यम हैं.

ख. आधुनिक माध्यम: आधुनिक माध्यमों का चयन सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए। अखबार, रेडियो तथा टीवी और अब इंटरनेट ऐसे माध्यम है। इनका उपयोग लाभदायक होता है। जहाँ बिजली नहीं है वहां रेडियो तथा जहाँ बिजली व टीवी प्रसार सुविधा उपलब्ध है, वहाँ टीवी प्रभावी माध्यम है। सिनेमा व वीडियो का प्रयोग आउटडोर संदेशों के लिए किया जाना चाहिए इसके अतिरिक्त आवश्यकता अनुसार अखबार, पोस्टर, बैनर, वॉल पेन्टिंग, पैनल राइटिंग आदि का भी प्रयोग किया जा सकता है।

5. ग्रामीण विकास और आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी:

आधुनिक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का ग्रामीण विकास में प्रभावी उपयोग शुरू कर दिया गया है। ई-गर्वनेन्स के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए यह जरूरी भी है कि आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाया जाये। ग्रामीण विकास में जहां प्रयोग शुरू हुआ है वहां सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उपज की जानकारी, कम्प्यूटरीकृत किसान बही, राजस्व की जानकारी, बाजार दर की जानकारी, कृषि सूचना सेवा, भूमि रिकार्डो का लेखाजोखा आदि कार्य इसके द्वारा प्रभावी ढंग से किए जा रहे हैं।

भारत में इस दृष्टि से किये गये प्रयोग उत्साहजनक रहे है। केरल, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु आदि में भी इसकी प्रभावी व्यवस्था की जाती है।

6.5 कृषि प्रसार शिक्षा:

कहा जाता है कि करीब दो हज़ार साल पहले चीनी शासकों ने कृषि में सुधार के लिए नीतियां बनाकर कृषि को बेहतर करने के किसानी से इतर उपायों की शुरुआत कर चुके थे. 19वीं सदी के मध्य में आयरलैंड में भीषण अकाल के बाद ब्रिटिश सरकार ने वैकल्पिक फसल उगाने के बारे में सलाह देने के लिए कुछ जानकारों की टीम रवाना की थी. जानकारों की ये भूमिका दूसरे यूरोपीय देशों को भी रास आई और धीरे धीरे खेतीकिसानी में वैज्ञानिक और आधुनिक तरीकों के इस्तेमाल से लेकर गांवो की जिंदगी को बेहतर बनाने तक के आधुनिक उपायों तक- ये सारे मामले विशेषज्ञों के विषय बन गए और स्कूली सिस्टम से बाहर किसानों को जागरूक करने का बीड़ा उठाया गया कृषि प्रसार शिक्षा के जरिए. यह एक दोतरफा प्रक्रिया थी- जानकार किसानों तक समस्याओं के निदान पहुंचाते हैं और किसान अपनी समस्या जानकारों तक भेजते हैं ताकि वे उन पर और काम कर सकें और उन्हें सुधारते रह सकें. अमेरिका में भी 19वीं सदी के मध्य में कृषि प्रसार पर जोर दिया जाने लगा था, 20वीं सदी के शुरुआती दशकों में इस क्षेत्र में और काम किए गए और कानून भी बनाए गए. अमेरिका का 1914 में बनाया गया स्मिथ-लीवर कानून ऐसा ही एक कानून है.

1.कृषि प्रसार शिक्षा(एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन) की आवश्यकता:

कृषि क्षेत्र में आ रही नित नयी समस्याओं से निपटने के लिए कृषि वैज्ञानिक शोध केन्द्रों में प्रयासरत रहते है। उपलब्ध भूमि से अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए नित नयी तकनीकों और प्रविधियों का प्रयोग शोध केन्द्रों पर चलता रहता है। परंतु ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले कृषक जन इन नये प्रयोगों और तकनीकों से अवगत नहीं हो पाते। कृषि प्रसार कार्यकर्ता इस कमी को पूरा करते हैं। प्रसार कार्यकर्ता ग्रामीण लोगों ओर शोध केन्द्रों के बीच पुल का काम करता है।

“कृषक मित्र” प्रसार कृषि कार्यकर्ता का ही परिष्कृत रूप है जो न केवल जानकारी उपलब्ध कराता है बल्कि खुद उक्त तकनीकों का पालन कर उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसे अन्य कृषकों में जागरूकता के साथ ही प्रोत्साहन का भी संचार किया जा सके।

कृषि प्रसार के अंतर्गत संचार पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। यहां ‘क्या पढ़ाएं’ what to teach के स्थान पर ‘कैसे पढ़ाएं’ how to teach ज्यादा महत्वपूर्ण है। अन्य शब्दों में किसी व्यक्ति को अच्छाखासा तकनीकी ज्ञान और अन्य जानकारी है लेकिन वह दूसरों से अपने ज्ञान को

साझा करने में या उन्हें समझा पाने में असमर्थ है तो ऐसा ज्ञान बेकार ही जाएगा. इसलिए ज्ञान को साझा कर पाने की सामर्थ्य भी होनी चाहिए।

प्रसार कार्यकर्ता को न केवल कार्यक्रम और उसके उद्देश्य की जानकारी होनी चाहिए, बल्कि घटनाओं की जानकारी भी होनी चाहिये तथा उस परिस्थिति का ज्ञान भी आवश्यक है जिस परिस्थिति में मनुष्य आसानी से नई जानकारी हासिल कर सके। इस स्थिति को जान लेने के बाद ही प्रसार कार्यकर्ता को उस तकनीकी की जानकारी देनी चाहिए, जिसकी उस स्थिति में उस व्यक्ति को आवश्यकता हो। इसलिए प्रसार कार्यकर्ता के लिए प्रसार शिक्षा का यह अध्ययन आवश्यक है कि वह व्यक्ति को आसानी से नई तकनीकी अपनाने के लिए प्रेरित करता है।

2. परिभाषा:

डी इन्समिन्जर के अनुसार, "'प्रसार ग्रामीण लोगों की मदद का वह कार्यक्रम और वह पद्धति है जिसके तहत वे अपनी सहायता स्वयं कर सकने में समर्थ हो सकें, अपना उत्पादन बढ़ा सकें तथा अपना सामान्य जीवन स्तर ऊंचा उठा पाएं।''

ओ पी धामा के अनुसार, "प्रसार शिक्षा भरोसमंद तरीके से ज्ञान मुहैया कराने की एक किस्म की शैक्षिक प्रक्रिया ही है जिसकी मदद से लोग अपनी विशिष्ट स्थानीय परिस्थितियों के दायरे में बेहतर निर्णय कर सकने में सक्षम बनते हैं."

एच डब्लू बट्ट के अनुसार, "ग्रामीण जीवन में सुधार के लिए उपयोगी ज्ञान के विस्तृत फैलाव को ही हम प्रसार कह सकते है।''

बी. रमा भाई के अनुसार, "प्रसार एक दोहरा रास्ता है जो वैज्ञानिक सूचनाओं को ग्रामीणों के पास ले जाता है और ग्रामीणों की समस्याएं वैज्ञानिक संस्थाओं तक पहुंचाता है। यह ऐसी निरंतर जारी शिक्षण पद्धति है जिसमें छात्र और शिक्षक दोनों ही सीखते हैं।''

6.6 कृषि संचार के तरीके/पद्धतियां/उपागम:

1. फैलाव और विस्तार पद्धतिः **Diffusion and Extension Approach**

इस पद्धति के तहत नयी कृषि तकनीकों के साथ साथ नई सामाजिक प्रक्रियाओं/विचारों (new social innovations) का विसरण किया जाता है यानी उन्हें फैलाया जाता है। फैलाव की इस प्रक्रिया की शुरुआत इस बात के मूल्यांकन पर निर्भर करती है कि स्थानीय स्तर पर जरूरतें किस प्रकार की हैं। और इन जरूरतों को किस प्रकार पूरा किया जा सकता है। व्यक्ति और समुदाय द्वारा किसी नए विचार को अपनाने या अरुचि दिखाने के पीछे यह तथ्य महत्वपूर्ण होता

है कि संचार द्वारा उक्त विचार के बारे में क्या कहा गया है और कैसे कहा गया है। विसरण या फैलाव के शुरुआती मॉडलों में केवल भौतिक वस्तुओं के फैलाव पर ध्यान केन्द्रित था लेकिन बाद में सामाजिक क्षेत्र से जुड़े नये विचारों को भी इसमें शामिल किया गया। कृषि प्रसार नवाचार के विषय में जानकारी और जागरूकता को वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचाया जाना चाहिए विशेषकर निचले/गरीब तबके के ग्रामीण कृषकों तक।

2. जनसंचार या मास मीडिया पद्धतिः **Mass Media Appraoch**

किसी भी प्रकार के विकास संचार, कृषि प्रसार या कृषि संचार के लिए बेहतर जन संचार माध्यमों और अंतरवैयक्तिक संचार प्रणाली की जरूरत है। यहां यह देखा जाना चाहिए कि संचार प्रणाली सभी जरूरतमंदों तक भौतिक और सामाजिक दोनों रूपों में उपलब्ध हो। जन संचार माध्यमों से प्रसारित सामग्री में भेदभाव या पक्षपात नहीं होना चाहिए, प्रस्तुति और कंटेंट यानी सामग्री संतुलित होनी चाहिए। कुछ इस तरह से कि वह शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों दोनों का बेहतर तरीके से प्रतिनिधित्व हो। संदेश आवश्यकतापरक और स्वीकार्य होने चाहिये।

3. विकास समर्थित संचार: **Development Support Communication**

यदि हम विकास के परिदृश्य में संचार का मूल्यांकन करें तो संचार की भूमिका केवल लागों को सूचना पहुंचाने या शिक्षा का प्रसार करने के लिए ही नही हैं बल्कि लोगों में उत्साह का संचार करना और उनकी सहभागिता को सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। संचार का कार्य एक उत्प्रेरक का होना चाहिये। राष्ट्रीय विकास के लिए ये आवश्यक है कि लोग विकासमूलक कार्यक्रमों से भली-भांति परिचित हो। राष्ट्रीय विकास में देश के प्रत्येक व्यक्ति की अपनी भूमिका है- जब तक इस दृष्टिकोण से कार्य नहीं किया जायेगा तब तक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना कठिन है। कृषि प्रसार के संदेश सरल भाषा में होने चाहिये जिससे उन्हें समझने में सरलता हो।

4. कृषि संचार के स्थानीय तरीकेः **Localized Approach to Agriculture Communication**

इसके अंतर्गत जन संचार माध्यमों और विकास के संबंधों का अध्ययन किया जाता है कि बड़े पैमाने पर जन संचार माध्यमों की उपलब्धता और स्वीकार्यता विकास के चरों में किस प्रकार बदलाव लाती है। स्थानीय स्तर पर कृषि संचार से तात्पर्य है कि विषम भौगोलिक क्षेत्रों की अधिकता होने के कारण अलग अलग क्षेत्रों में वहां की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप कृषि प्रसार कार्य होना चाहिए। यह व्यवस्था क्योंकि स्थानीय स्तर पर कृषि प्रसार योजना के निर्माण से जुड़ी है, इससे यह दो तरफा संचार व्यवस्था को भी बढाती है।

6.7 अभ्यास प्रश्न:

प्रश्न 1. भारतीय कृषि का स्वरूप क्या है? वर्णन कीजिए।

प्रश्न 2. कृषि संचार से क्या तात्पर्य है? कृषि संचार के तरीकों का वर्णन कीजिए।

प्रश्न 3. ग्रामीण विकास से आप क्या समझते हैं?

प्रश्न 4. कृषि प्रसार या एक्सटेंशन किसे कहते हैं?

प्रश्न 5 भारतीय कृषि की क्या चुनौतियाँ हैं? व्याख्या कीजिए।

प्रश्न 6. कृषि विकास में जनसंचार माध्यमों का योगदान है? उदाहरण सहित समझाइये।

प्रश्न 7. उत्तराखंड में पिछले दस सालों में कृषि के हालात पर एक रिपोर्ट तैयार कीजिए?

6.8 सारांश:

दूसरे विश्व युद्ध के बाद पिछड़े देशों को मुख्यधारा में लाने के लिए कई योजनाएं बनायी गयीं। इन सभी योजनाओं में प्रचार प्रसार का जिम्मा तत्कालीन जन संचार माध्यमों पर छोड़ा गया। विकास के कई क्षेत्रों के साथ ही कृषि में भी संचार की उपयोगिता को परिभाषित और सुनिश्चित किया गया। आधुनिक जन संचार माध्यमों जैसे इंटरनेट और नए मीडिया का इस्तेमाल कृषि संचार को बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है। भारत क्योंकि एक कृषि प्रधान देश रहा है- ऐसे में कृषि संचार का विषय हमारे लिऐ अधिक उपयोगी है।

महात्मा गाँधी ने ग्राम स्वराज की कल्पना की थी। ग्रामीण स्वावलंबन को देश के विकास के रूप में देखा जाता था। ग्रामीण विकास के लक्ष्यों को पूरा करने में जन संचार माध्यमों ने भूमिका निभाई है इसके बावजूद बहुत से गांव बुनियादी सुविधाओं, बैकिगं सेवा आदि से वंचित है।

बढ़ती जनसंख्या, पारम्परिक खेती, मॉनसून पर निर्भरता आदि ऐसी समस्याएं है जिनसे हम जूझ रहे हैं। ऐसी विषम परिस्थितियों में व्यक्ति का सार्वभौम विकास एक कठिन लक्ष्य है। लेकिन प्रसार शिक्षा के माध्यम से यह लक्ष्य प्राप्त करना कुछ सरल हो गया है।

6.9 शब्दावली:

ग्रामीण विकास : ग्रामीण विकास में ग्रामीण जनसंख्या एवं ग्रामीण क्षेत्र, कृषि क्षेत्र तथा कृषि आधारित उद्योग धन्धों का विकास शामिल है।

6.10 संदर्भ ग्रंथसूची:

इंटरनेट सेः

1. http://nvonews.in/2012/05/28/national/18914/ (27 मई 2013 को देखा गया)
2. http://pib.nic.in/newsite/erelease.aspx?relid=85365 (27 मई 2013 को देखा गया)
3. http://bharatdiscovery.org/india/%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%A4_%E0%A4%95%E0%A5%80_%E0%A4%95%E0%A5%83%E0%A4%B7%E0%A4%BF (27 मई 2013 को देखा गया)

अन्यः

1. मास कम्यूनिकेशन इन इण्डियाः केवल जे कुमार
2. मास मीडिया एण्ड नेशनल डेवलपमेन्टः विल्बर श्रैम

6.11 सहायक/उपयोगी पाठ्यसामग्री:

1. प्रसार शिक्षा एवं सूचना तंत्रः डॉ जितेन्द्र चैहान
2. इंटरनेट
3. भारत सरकार और राज्य सरकारों के कृषि कार्यक्रमों की प्रकाशन सामग्री आदि

6.12 निबंधात्मक प्रश्न:

1. कृषि संचार की उत्पत्ति और विकास यात्रा पर लेख लिखिए ?
2. 'ग्रामीण' से आप क्या समझते हैं? भारत में ग्रामीण विकास की प्रमुख समस्याएं क्या हैं?
3. कृषि प्रसार की आवश्यकता और उसकी सार्थकता पर विस्तार से प्रकाश डालिए?
4. खाद्यान्न उत्पादन में रिकॉर्ड के बावजूद भारत का किसान समाज क्यों उपेक्षित, गरीब और संकटग्रस्त है? राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारणों पर प्रकाश डालते हुए विस्तार से समझाइए?

इकाई -07

कृषि प्रसार के प्रतिरूप

इकाई की रूपरेखा:

7.1 प्रस्तावना

7.2 उद्देश्य

7.3 कृषि प्रसार का मॉडल

7.3.1 कृषि प्रसार

7.4 भारत में कृषि प्रसार के मॉडल

7.5 नई तकनीक का प्रसार

7.5.1 नवप्रवर्तन या नवीनीकरण(Innovation)

7.5.2 प्रसार या फैलाव(Diffusion)

7.6 अपनाने की प्रक्रिया (Adoption)

7.6.1 अपनाने की अवस्थाएँ

7.6.2 सूचनाओं के स्रोत और अपनाने में उनका महत्त्व

7.6.3 अपनाने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक

7.6.4 अनुकूलक(अभिकर्ता-Adoptor) यानी अपनाने वाले के प्रकार

7.7 संचार समर्थित कृषि प्रसार से संबंधित वैयक्तिक अध्ययन

7.8 अभ्यास प्रश्न

7.9 सारांश

7.10 शब्दावली

7.11 संदर्भ ग्रंथसूची

7.12 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

7.13 निबंधात्मक प्रश्न

7.1 प्रस्तावना:

दुनिया भर में कृषि से सम्बन्धित कार्यक्रम और योजनाएं चल रही हैं जिनमें से कुछ अत्यधिक सफल रही हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम उन सफल योजनाओं की रणनीति को

अपने यहां भी अपना लें। प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र, सांस्कृतिक, सामाजिक स्थिति और धारणा अवधारणा में अंतर होता है।

लोगों की स्थानीय जरूरतों के लिहाज से नई तकनीकों का प्रसार किया जाना चाहिए तभी उन्हें सफलतापूर्वक अपनाया जा सकता है. कृषि प्रसार एक सतत् जारी प्रक्रिया है जिसमें नए नए प्रयोगों से सूचनाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं. यही सूचनाएं कृषि विकास और किसान के लिए उपयोगी बन सकती हैं.

7.2 उद्देश्य:

इस इकाई में आप जान सकेंगे-

- भारत में प्रचलित कृषि के विभिन्न मॉडलों के बारे में।
- नई तकनीक और उनके प्रसार की आवश्यकता।
- प्रसार की प्रक्रिया।
- अभिग्रहण या अपनाने की प्रक्रिया और उसके विभिन्न चरणों की जानकारी।
- नई तकनीक अपनाने वाले लोगों की स्थिति।
- निजी अध्ययनों या अनुभवों की जानकारी और उनका।

7.3 कृषि प्रसार का मॉडल:

भारत में कृषि की कुछ विशिष्टताएं है जो इसके विकास की प्रक्रिया और क्रियाओं पर प्रभाव डालती है। इनमें प्रमुख है- क्षेत्रीय असंतुलन, फसलों के प्रकार, उत्पादन, छोटे और फैले हुए खेत, कुछ क्षेत्रों में कम उपजाऊ भूमि, बाढ़ और सूखा, ज़्यादा बारिश और कम बारिश वाले क्षेत्र, कृषि के कई तरीके आदि। इन विभिन्नताओं के कारण भारतीय कृषि के लिए किसी एक नीति का निर्धारण कारगर नहीं हो सकता। क्षेत्रिय विषमता, संसाधनों की कमी और जानकारी का अभाव कुछ ऐसी प्रमुख समस्याएं हैं जिन्हें कृषि विकास परियोजनाओं के अमल में ध्यान रखना चाहिए।

विकास के लिए कोई भी योजना, नीति और कार्यक्रम बनाते समय उससे जुड़े कई बिंदुओं को ध्यान में रखने की जरूरत है जो लचीले होने के साथ ही स्थानीय स्तर पर स्वीकार्य हों. कई भूमि सुधार कार्यक्रम, केन्द्र और गांव के बीच नीतियों और संसाधनों को पहुंचाने के लिए एक कुशल प्रशासनिक तंत्र, राष्ट्रीय स्तर पर कृषि आधारित शिक्षा और शोध संस्थानों की

संरचना, सतह और भूमिगत जल के संचयन और उचित प्रयोग के लिए कार्यक्रम, अधिक मात्रा में उर्वरकों का उत्पादन, गांव में सहकारी बुनियादी ढांचे का विकास जिससे छोटे स्तर पर पूंजी का आदानप्रदान किया जा सके- ये सब बातें कृषि के समग्र विकास के लिए जरूरी हैं। कृषि विकास के प्रारंभिक चरणों के लिए कॉरपोरेट सहायता, कोल्ड स्टोरेज और कृषि उत्पादों के संग्रहण के लिए संग्रह गृहों का विकास आदि कई सारे क्षेत्र हैं जिन्हें नीति नियंताओं को ध्यान में रखने की जरूरत है।

क्षेत्र में उत्पादकता का प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि सरकार की कृषि विकास योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रति किसान का क्या दृष्टिकोण है- वह उनमें सहभागी के रूप में भूमिका निभाता है या तटस्थ रहता है या उनके प्रति नकरात्मक रूख अपनाता है।

7.3.1 कृषि प्रसार:

राष्ट्रीय कृषि आयोग (भारत सरकार, 1976) ने कृषि प्रसार की वृहद संकल्पना को अमली जामा पहनाया है। आयोग के अनुसार प्रसार से तात्पर्य कृषक समुदाय को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करने के साथ ही उन्हें प्राकृतिक वातावरण में स्कूल के बाहर शिक्षा प्रदान करना है। आयोग उन्हें उत्पादन की बेहतर क्रियाओं के अभिग्रहण के लिए प्रोत्साहित करता है। प्रबन्धन, विपणन आदि कृषि से जुड़ी अन्य गतिविधियों के बारे में किसानों को जानकारी दी जाती है। लेकिन कृषि प्रसार का उद्देश्य केवल कृषकों को जानकारी प्रदान करना या उनकी बाहरी स्थिति में सुधार से ही नहीं है जहां वह नई तकनीकों, नए प्रयोगों को अपना सके बल्कि लगातार ऐसी स्थितियों का सृजन करना है, जो उसके रहन सहन, परिवार और उसकी जीविका चलाने में सहायक हो सकें।

प्रसार वैज्ञानिकों के अनुसार कृषि प्रसार एक प्रकार की शैक्षणिक गतिविधि है जिसके तहत ज्ञान विज्ञान और तकनीकों की जानकारी को प्रयोगशाला से निकालकर ग्रामीणों तक पहुंचाया जाता है ताकि वे स्वयं अपनी मदद करने के लिए तैयार हो सकें, उनके नजरिए को बेहतर बनाया जाता है और कौशल में वृद्धि की जाती है जिससे कृषि योजना, निर्णय क्षमता, अभिलेखों का संग्रहण, विपणन आदि कार्यों के जरिये वे अपना कृषि उत्पादन बढ़ा सके और उनमें नेतृत्व क्षमता का विकास किया जाता है। कुल मिलाकर कृषि प्रसार की गतिविधियों से ग्रामीणों और किसानों के जीवन को हर लिहाज से बेहतर दिशा देने की कोशिश की जाती है।

7.4 भारत में कृषि प्रसार के मॉडल:

आजादी से से पहले ग्रामीण विकास के कार्य को कोई विशेष महत्व नहीं दिया जाता था, स्वैच्छिक और सरकारी एजेंसियां छिटपुट काम कर देती थीं। आजादी मिलने के बाद सरकार का ध्यान गांवों की ओर गया। वैसे 1947 से पूर्व कुछ कार्य व्यक्तिगत रूचि के आधार पर कुछ विशिष्ट व्यक्तियों ने प्रारम्भ किये थे- सन् 1908 में रवीन्द्रनाथ टैगोर ने शांतिनिकेतन योजना और सन् 1928 में एफएल ब्रेनी ने गुडगांव प्रोजेक्ट, 1920 में महात्मा गाँधी ने सेवा ग्राम और सन् 1925 में स्पेन्सर हैच ने 'मारथेन्डम प्रोजक्ट' प्रारम्भ किया था। इन सभी परियोजनाओं का मुख्यतः यही उद्देश्य था कि गांव के लोग शिक्षित हों, साफ स्वच्छ वातावरण में रहें, खेती का उत्पादन बढ़े और गांववालों में सहकारिता का भाव पैदा हो।

1947 के बाद प्रसार के सरकारी प्रयास में तेजी आई। इतने बड़े भौगोलिक विषमता वाले देश में जहाँ क़रीब छह लाख लोग गांवों में रहते हों, 10 करोड़ परिवारों के पास मात्र औसतन दो हैक्टेयर भूमि आती हो जिनमें करीब 15 प्रतिशत सीमान्त कृषक (एक हैक्टेयर से कम जमीन वाले) हों- ऐसे असंतुलन और विभिन्नता वाले देश में प्रसार शिक्षा का एकमात्र लक्ष्य है समस्त ग्रामीणों का सर्वांगीण विकास।

इस समय देश में प्रसार शिक्षा (तकनीकी हस्तांतरण) के कई तंत्र प्रचलित है। इनमें से कुछ इस तरह से हैं-

7.4.1 सघन कृषि जिला कार्यक्रम:

सन् 1956-60 में फोर्ड फाउंडेशन के कृषि उत्पादन मंडल ने अपनी रिपोर्ट में कृषि उत्पादन कार्यक्रमों की शिथिलता की ओर इशारा करते हुए कुछ ठोस सुझाव सरकार के समक्ष रखे। इनमें खाद्यान्न उत्पादन पर जोर देते हुए अनुकूल क्षेत्रों में अन्न की फसल पर सघन कार्यक्रम द्वारा सामूहिक प्रसार करने का सुझाव प्रमुख था। शुरुआत में इसका नाम 'सघन कृषि विकास कार्यक्रम'(Intensive Agriculture Deployment Program) रखा गया था। बाद में इस कार्यक्रम के अंतर्गत सघन कृषि जिला कार्यक्रम(Intensive Agriculture District Program) और सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम(Intensive Agriculture Area Program) चलाये गये।

1960-61 में सघन कृषि जिला कार्यक्रमों की शुरुआत देश के सात जिलों- तंजावुर (तमिलनाडु), पश्चिमी गोदावरी(आंध्र प्रदेश), सम्बलपुर(उड़ीसा), रायपुर(मध्य प्रदेश), लुधियाना(पंजाब), अलीगढ़(उत्तर प्रदेश) में हुई। इस कार्यक्रम से उत्पादन की सम्भावना विकसित हुई क्योंकि कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता दी गई, सही और कारगर क्षेत्रों का चुनाव किया गया,

वैज्ञानिक कृषि तकनीकी की सार्थकता परखी गयी। उर्वरक, फसल सुरक्षा, उन्नत बीज व प्रसार कृषि के यंत्र और उद्योग तथा विपणन के कार्य निजी क्षेत्रों को दिए गये।

लेकिन कुछ ऐसे भी कारक थे जिनसे कार्यक्रम की प्रगति अनुमानित दर से नहीं बढ़ सकी- जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, दोषपूर्ण जल नीति, पूंजी का अभाव, लचर प्रशासन तंत्र, कृषि तकनीक का शिथिल विकास और भूमि का असमान वितरण प्रमुख रूप से बाधक थे। इन बाधाओं को नई कृषि नीति से दूर करने का प्रयत्न किया गया और कृषि विकास को नया मोड़ दिया गया।

सघन कृषि जिला कार्यक्रम से प्रभावित होकर केन्द्र सरकार ने वर्ष 1964-65 में देश में 114 जिलों में सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम प्रारंभ किया। फसल के क्षेत्र वितरण को ध्यान में रखते हुए, उन विशेष क्षेत्रों का और वहां की फसल का चुनाव किया गया जिनमें विकास की संभावना अन्य की अपेक्षा अधिक थी। इस प्रकार उसी प्रशासन व्यवस्था को राज्य, जिला व प्रखण्ड स्तर पर बनाये रखते हुए फसल विशेष को उगाने तथा सम्भालने को बढ़ावा दिया गया।

सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम(IAAP), सघन कृषि जिला कार्यक्रम(IADP) से इसी बात में भिन्न था कि यह फसल और क्षेत्र विशेष पर केंद्रित था तथा इसमें प्रसार कर्मियों की सहायता भी कम कर दी गयी थी। इसके बाद 1966 में प्रारम्भ किया गया अधिक उपज देने वाला कार्यक्रम (High yield varieties) जो कि अधिक उपज देने वाली विदेशी किस्मों पर आधारित था। इसके बाद लाया गया उन्नत कृषि क्रियाओं का पैकेज कार्यक्रम- इन किस्मों ने कृषि विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

सीमाएं: 1960 में जब IADP की शुरूआत हुई तब कार्यक्रम अधिशाशी अधिकारी के अंतर्गत कई विशेषज्ञ कर्मचारी वर्ग(Subject Matter Specialists-SMS) आते थे। बाद में जब यह कार्यक्रम IAAP में परिवर्तित कर दिया गया तब SMS की जगह सहायक निदेशक का पद कर दिया गया। ग्राम सेवकों की संख्या भी गांवो के प्रसार क्षेत्रों में कम कर दी गयी। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान के शोधकर्ताओं ने मध्य प्रदेश के रायपुर जिले *(अब छत्तीसगढ़ की राजधानी)* में शोध कर यह जानकारी दी कि शोधकर्ताओं और क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के बीच संपर्क बहुत कमजोर था और क्षेत्रीय स्तर पर काम करने वाले लोगों का कृषि विकास कार्यक्रम बनाने में कोई योगदान नहीं था।

इनके अलावा समय पर प्रशिक्षण का अभाव वहां था और ग्राम सेवकों और कृषि सहायकों को धान की फसल के बारे में कम जानकारी थी जो इस क्षेत्र की प्रमुख फसल थी। इन सभी कमियों के कारण संतोषजनक नतीजे नहीं मिल पा रहे थे।

1978 में भारत सरकार ने एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम(Integrated Rural Development Programme-IRDP) शुरू किया। 1980 में इस कार्यक्रम को पूरे देश में फैला दिया गया। इसके आने के बाद ही पहले के कार्यक्रमों में कुछ गति आई और उनमें सुधार हुआ। IRDP के तहत बेहतर स्तर के बीजों और उर्वरकों का इनपुट यानी उपलब्धता बढ़ायी गयी और प्रसार कार्यकर्ता और कृषकों के बीच की दूरी को कम किया गया। बेहतर कृषि कार्यो के बारे में कृषकों की जानकारी संतोषजनक स्थिति तक पहुंच सकी।

जन संचार के साधन: जन संचार के साधनों में विशेष रूप से रेडियो को लोगों ने हाथोंहाथ लिया. प्रत्यक्ष संचार को भी किसानों ने खूब सराहा। इसके अलावा कृषकों को प्रशिक्षण संबधी फिल्में दिखाई जाने लगीं, कृषि प्रदर्शनियां लगाई गईं और किसानों को भ्रमण आदि के जरिए खेती के तरीकों और तरक्की के पहलुओं से अवगत कराया गया।

7.4.2 पंचायती राज व्यवस्था में कृषि प्रसार:

पंचायती राज व्यवस्था के तहत जिला परिषद स्तर पर जिला कृषि अधिकारी कृषि से जुडी सभी योजनाओं और कार्यक्रमों के संचालन और अनुपालन के लिए जिम्मेदार होता है। उसके साथ जिला स्तर पर विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ होते है। पंचायत स्तर पर कृषि प्रसार अधिकारी और ग्राम प्रसार कार्यकर्ता की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है।

कृषि प्रसार अधिकारी की भूमिका: अच्छे कृषि प्रसार कार्य में कृषि प्रसार अधिकारी के महत्व को कम नही आंका जा सकता है। कृषि प्रसार अधिकारी के दो प्रमुख कार्य हैं-

1. ग्राम प्रसार कार्यकर्ताओं के संगठनात्मक कार्यों की समीक्षा करना और उनकों सहायता देना।
2. ग्राम प्रसार कार्यकर्ताओं को तकनीकी सहायता प्रदान करना- जिससे वे उत्पादन के तरीकों के बारे में किसानों का सही ढंग से मार्गदर्शन कर सकें, उन्हें सिखा सकें।
3. खेती से जुड़ी कई ऐसी मुश्किलें जिनका समाधान किसान या ग्राम प्रसार कार्यकर्ता के पास नहीं है- उनके बारे में तत्काल उपयुक्त अधिकारियों को अवगत कराना।

कृषि प्रसार अधिकारी भी मूलतः खेतों पर कार्य करने वाला होता है। यह प्रत्येक पक्ष में कम से कम आठ दिन अपने क्षेत्र में बिताता है। विशेष रूप से वह निश्चित करता है कि कृषकों का चयन ठीक हुआ है, कृषकों का परिसीमन ठीक ढंग से हुआ है और सभी कृषकों को ग्राम

प्रसार कार्यकर्ता के कार्यों और अनुसूची का ज्ञान है। कृषि प्रसार अधिकारी को कृषकों के खेतों पर कुछ परीक्षण भी करने चाहिए। ऐसे प्रशिक्षण में भाग लेने के साथ-साथ अपने ग्राम प्रसार कार्यकर्ताओं के काम की समीक्षा करनी चाहिए। इन विशिष्ट कार्यों के अतिरिक्त कृषि प्रसार अधिकारी को और ऐसे कदम भी उठाने चाहिए जो ग्राम प्रसार कार्यकर्ताओं को प्रभावशाली बनाने में मदद करते हों ताकि वे कुशलतापूर्वक अपना उत्तरदायित्व निभा सकें।

ग्राम प्रसार कार्यकर्ता:

ग्राम प्रसार कार्यकर्ता ही एक ऐसा प्रसार कार्यकर्ता है जो कृषकों को उत्पादन की नई तकनीकी सिखाता है। ग्राम प्रसार कार्यकर्ता अपने अधिकार क्षेत्र के आठ कृषक वर्गों में प्रत्येक से नियमित रूप से भेंट करता है। वह कृषकों को सिफारिश की गई उत्पादन विधियां सिखाता है और उन्हें अपनाने के लिए प्रेरित करना है। उसे कृषकों को बाजार की स्थिति और आवश्यक खाद्यान्न की उपलब्धि और मूल्य के बारे में भी सलाह देनी चाहिए। उत्पादन की समस्याएं और उत्पादन विधियों से जुड़ीं सिफारिशों के बारे में कृषकों के विचार और बाजार स्थिति के बारे में उसे अपने सुपरवाइजर अर्थात कृषि प्रसार अधिकारी को रिपोर्ट देनी चाहिए और प्रशिक्षण में भी यह बात बतानी चाहिए। जिन दिनों में नियमित भेंट अथवा प्रशिक्षण न हो, उन दिनों में छूटी हुई भेंटों को पूरा करना चाहिए। कम से कम पखवाड़े में आठ दिन तक क्षेत्रीय भेंट के अतिरिक्त ग्राम प्रसार कार्यकर्ताओं को विषय-वस्तु विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण में और कृषि प्रसार कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठकों में भाग लेना चाहिए।

सीमाएं:

1. ग्रामीण स्तर पर कार्य करने वाले प्रसार कार्यकर्ताओं जैसे ग्राम विकास अधिकारी का विस्तृत कार्य क्षेत्र और सम्पर्क किये जाने वाले कृषक परिवारों की बड़ी संख्या का होना जिसके चलते वे ठीक से सभी कृषकों से संपर्क नहीं कर पाते हैं।

2. ग्राम सेवक पर विभिन्न किस्म के विकास कार्यक्रमों को लागू करने की जिम्मेदारी होना, परिणामतः वह किसी भी कार्यक्रमों को सुचारू रूप से लागू नहीं कर पाते हैं। उनके सभी प्रयास आंशिक रूप से विभाजित हो जाते हैं।

3. प्रसार कार्यकर्ताओं में आधुनिकतम तकनीक के बारे में ज्ञान व दक्षता का भी समय-समय पर आधुनिकतम तकनीक के विकास के क्रम में सम्पर्क प्रशिक्षण का अभाव होने से उनका ज्ञान पुराना हो जाता हैं।

4. तकनीकी और प्रशासकीय दृष्टिकोण से एक ही नियंत्रण अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करने को प्रयोजन का अभाव होना।

5. अनुसंधान, प्रसार और कृषक समाज में सम्यक रूप से समन्वय का न होना।

6. कृषि उत्पादकों की समुचित व्यवस्था न होना।

7. प्रसार कार्यकर्ताओं के वेतनमान, प्रोन्नति तथा प्रदत्त अन्य सुविधाओं के प्रति उनमें असंतोष होना।

संचार के साधन:

रेडियो, कृषि सेवा केन्द्रों और स्थानीय समाचार पत्रों की भूमिका, सूचनाओं के संप्रेषण में अधिक कारगार थी। ग्राम सेवक/ग्राम प्रसार कार्यकर्ता की विश्वसनीयता प्रायः कम पायी गयी। लिहाजा पंचायतीयराज व्यवस्था के अंतर्गत कृषि प्रसार कार्यक्रम का बेहतर अनुपालन एवं क्रियान्वयन नहीं हो सका।

कृषि प्रसार(विस्तार) की प्रशिक्षण और भ्रमण प्रणालीः **Agriculture Exlension and the Training and Visit System(Tsv).**

डेनियल बैनोर और जैम्स क्यू हैरिसन के लेख *कृषि प्रसार और प्रशिक्षण और भ्रमण प्रणाली (विश्व बैंक 1977)* को आधार बनाकर ये प्रणाली एशिया, अफ्रीका, यूरोप, और लातिन अमेरिका के लगभग 40 देशों में अपनाई गई है। भारत में 13 बड़े राज्यों में इस प्रणाली को सारे क्षेत्रों में सभी कृषक परिवारों के लिए अपनाया गया है।

यह प्रणाली कार्यकर्ताओं के बार-बार उन्नत प्रशिक्षण और नियमित भ्रमण/भेंट पर आधारित है। यह कृषि प्रसार का एक ऐसा तरीका है जो विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध हुआ है। इस प्रणाली की यह विशेषता है कि यह नई प्रसार विधि है जिसमें प्रसार के जानेमाने सिद्धांतों का भली-भांति पालन करने में सहायता मिलती है। इसके अन्तर्गत यह निश्चित किया जाता है कि प्रसार कार्यकर्ता नियमित रूप से कृषकों से भेंट करे और उनकी उत्पादन को आवश्यकताओं के अनुरूप संदेश पहुचाये। कृषकों की जो समस्याएँ हैं उनकी जल्दी समाधान करने के प्रसार कर्मचारियों की व्यावसायिक कुशलता की सतत वृद्धि के लिए आवश्यक नियमित प्रशिक्षण मिले ताकि वे कृषकों की तकनीकी मांग को पूरा कर सकें।

सिद्धांतः

''प्रशिक्षण एवं भ्रमण प्रणाली का मूल सिद्धांत यह है कि कुशल और योग्य प्रसार कार्यकर्ता कृषको से नियमित भेंट करें।'' कृषि प्रसार एक ही समय में करने वाला कार्य नहीं है

बल्कि इसमें निरन्तर लंबे समय तक कृषकों से सम्पर्क करने का क्रम सम्मिलित है, जिससे उनकी पैदावार की स्थिति को समझा जा सके, और अनुसंधान को मार्गदशन किया जा सके, जिससे ऐसी सिफारिशें विकसित करने में सहायता मिले जो कृषकों की तकनीकी आवश्यकताओं के अनुकूल है।

प्रसार कार्यकर्ताओं को नवीनतम तकनीकी जानकारी के लिए और खेत की बदली हुई परिस्थितियों के अनुकूल विशेष सिफारिशों की जानकारी के लिए नियमित प्रशिक्षण होना चाहिए। प्रत्येक कर्मचारी को अपने अधिकार और उत्तरदायित्व की स्पष्ट परिभाषा होनी चाहिये। हर स्तर पर प्रसार, कार्यक्षेत्र को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए।

उद्देश्यः

प्रशिक्षण और भ्रमण प्रणाली का मूलभूत उद्देश्य है कि खेत पर ही किसान को पैदावार में आने वाली तकनीकी कठिनाइयों को दूर करने में मदद मिल सके। इसके उद्देश्य हैं-

1. कृषि प्रसार सेवा में सुधार लाना।
2. कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के साथ साथ उसकी स्थिरता बनाना।

अर्थात् कृषि प्रसार की प्रशिक्षण और भ्रमण प्रणाली का उद्देश्य एक ऐसी व्यावसायिक प्रसार सेवा निर्मित करना है जो कृषकों को अपनी पैदावार और आय बढ़ाने तथा कृषि विकास में सहारा प्रदान करने में योग्य हो।

विशेषताएं- कृषि प्रसार की प्रशिक्षण और भ्रमण प्रणाली की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं-

1. इस प्रणाली में संगठन, उद्देश्य और क्रियान्वयन की सरलता पर बहुत जोर दिया जाता है।
2. यह प्रणाली किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए अनुसन्धान केन्द्र तक पहुँचाती है।
3. इस प्रणाली में प्रसार कार्यकर्ता निरंतर कृषकों से उनके खेतों पर संपर्क करता है। और उनको नई विकसित तकनीकी समझाता है।
4. यह प्रसार कार्यकर्ताओं को बारबार उन्नत प्रशिक्षण और नियमित भेंट पर आधारित है।
5. यह प्रणाली कठोर ढांचे में ढले होने पर भी काफी लचीली पद्धति है।

7.5 नई तकनीक का प्रसारः

विकास से हमारा तात्पर्य समय के साथ बदलती परिस्थितियों में परिवर्तन के लिए तैयार रहना है। साथ ही नई खोजों और नए प्रयोगों को स्वीकार करना। यह इनोवेशन(innovation) एक

विचार, प्रयोग या उद्देश्य है। विकास समर्थित (Development Suppart Communication) में नए प्रयोगों का विस्तार/फैलाव एक महत्वपूर्ण पहलू है।

7.5.1 नवाचार/नवप्रयोग**(Innovation)**

नवाचार एक ऐसा विचार, एक ऐसा अभ्यास या एक ऐसा काम है जिसमें नयेपन का बोध है.

" An Innovation is an idea, practice or object that is perceived as new by an individual."

नवाचार में नई जानकारी ही आवश्यक नहीं है। मान लीजिए एक व्यक्ति ने एक समय कोई नया विचार सुना, लेकिन उस विचार को न स्वीकार किया और न अस्वीकार किया तो यह संदेश उसका नवाचार नहीं है। कुछ समय पश्चात यही संदेश उस व्यक्ति को फिर से सुनने को मिलता है और वह उस अपनाने अथवा न अपनाने का विचार व्यक्ति करता है अर्थात व्यक्ति अपनी अभिवृति में परिवर्तन लाता है तभी वह संदेश उसके लिए नवाचार होगा। इसलिए नवाचार का अर्थ है- व्यक्ति उस विचार को सुनने अथवा देखने के पश्चात उस विचार को ग्रहण करने या न करने की प्रतिक्रिया व्यक्त करे।

7.5..2 फैलाव/विसरण **(Diffusion)**

"विसरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे एक नवाचार समय के साथ किन्ही निश्चित संचार माध्यमों के जरिए समाज और लोगों तक पहुंचता है।"

"Diffusion is the process by which an Innovation is communicated through certain channels over time among the members of a social system."

यह एक विशेष प्रकार की संचार प्रक्रिया है जिसमें संदेश हमेशा नये विचारों का होता है। क्योंकि हम जानते है कि सामान्य संचार प्रक्रिया में नये और पुराने अर्थात किसी भी तरह के संदेश को संचारित कर सकते है। विसरण एक ऐसी विशेष संचार प्रक्रिया है जिसमें समाज में एक से अधिक व्यक्ति हमेशा नये विचारों को संचारित करते हैं। इसलिए विसरण संचार प्रक्रिया की यह विशेषता है कि इसमें संदेश/विचार हमेशा नये होते है। विचारों के इस नयेपन में अनिश्चितता भी रहती है, क्योंकि नये विचार में जोखिम निहित है। समाज में हर व्यक्ति जोखिम लेने की क्षमता नहीं रखता इस कारण इससे नये विचारों का अनुसरण या उनकी स्वीकृति या अनुपालन प्रभावित होता है।

विसरण की प्रक्रिया को समझने के लिए इसके तत्वों के बारे में जानना जरूरी है। ये तत्व हैं- (1) नवाचार (2) संचार (3) सामाजिक तंत्र (4) समय

1. नवाचार:

नवाचार के प्रयोग से केवल आर्थिक लाभ नहीं होता बल्कि सामाजिक सम्मान, सुविधा और आत्मसन्तुष्टि भी होती है। यदि नवाचार में लाभ होने का भाव निहित है तो ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है। यदि नये विचार पूर्व के विचारों, सामाजिक मूल्यों और आवश्यकताओं के अनुरूप है तो व्यक्ति इन्हें शीघ्रता से ग्रहण करेगा। कठिन विचार व्यक्ति के लिए अच्छे होने पर भी ग्राह्य नहीं होते। वे नवाचार शीघ्र ग्रहण कर लिए जाते है, जिनका परीक्षण सीमित संसाधनों में हो जाता है।

2. संचार:

नवाचार विसरण दर को अधिक करने के लिए संचार प्रक्रिया प्रभावी होनी चाहिए। उदाहरण स्वरूप जनमाध्यम नवाचार को अधिक तेज एवं प्रभावी गति से संचारित करते हैं।

3. सामाजिक तंत्र:

यहां सामाजिक तंत्र से तात्पर्य ऐसे समूहों से है जिनका परस्पर अंतर्संबंध हो, एक समान लक्ष्य को प्राप्त करने तथा किसी समस्या को हल करने में एक दूसरे के सहयोगी हों। इस तरह के समूह में किसी व्यक्ति ने यदि कोई जानकारी ग्रहण की तो उसे अन्य सदस्य भी शीघ्र ग्रहण कर लेते है। क्योकि समूह में व्यक्ति एक दूसरे पर अधिक विश्वास करते है। इस तरह के समूह में एक कठिनाई यह आती है कि यदि समूह के कुछ सदस्यों ने नवाचार को अस्वीकृत कर दिया तो फिर अन्य सदस्य भी उसे अस्वीकार कर देते है।

4. समय:

उचित समय पर विसरण करने से नवाचार अधिग्रहण अधिक होता है। यदि समय उचित नहीं है तो किसी नयी सूचना को सुनकर भी व्यक्ति छोड़ देता है, तथा सोचता है कि समय आने पर विचार करेंगे लेकिन जब समय आता है तब तक उसे वो सूचना याद नहीं रहती है। इस कारण नवाचार को स्वीकार या अपनाया (adoption) नहीं जा सकता।

7.6 अपनाने या स्वीकार करने की प्रक्रिया **(Adoption Process)**

अंगीकरण एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति नये विचारों को ग्रहण करता है। नये विचारों को स्वीकार या अपनाने की दिशा में जिन मानसिक स्थितियों से व्यक्ति गुजरता है, वही अधिग्रहण की प्रक्रिया है.(ई रोजर्स)

7.6.1 अपनाने की प्रक्रिया की अवस्थाएँ:

इस प्रक्रिया में मुख्य रूप से पाँच अवस्थाएँ हैं. कुछ विद्वानों ने तीन अन्य अवस्थाओं (इच्छा, दृढ़ता एवं सन्तुष्टि) को भी महत्व दिया है।

प्रमुख पाँच अवस्थाएँ निम्न रूप से हैं-

1. जानकारी **(Information)**

इस अवस्था में व्यक्ति पहली बार किसी नए विचार के संपर्क में आता है। लेकिन उसे इस विचार के बारे पर्याप्त जानकारी नहीं होती है। जैसे समाचार पत्र में किसी नयी प्रजाति के बारे में पढ़ने पर उसे जानकारी तो मिल जाती है पर कैसे कब कहाँ आदि प्रश्न अनुत्तरित रह जाते हैं।

2. रुचि**(Interest)**

विचार के उपयोगी होने या उससे कुछ हासिल होने की अवस्था में व्यक्ति के मन में उसके प्रति रुचि पैदा होने लगती है और वो उसके विषय में अधिकतम जानकारी हासिल करने का प्रयास करता है। यह अवस्था भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

3. मूल्यांकन **(Evaluation)**

इस अवस्था में व्यक्ति किसी उपयोगी और रुचिकर विचार वस्तु के विषय में मूल्यांकन करता है। वह अपने मन में यह विचार करता है कि जो आज मैं कर रहा हूँ क्या यह उससे अच्छा उपयोगी सिद्ध होगा? क्या इससे मुझे लाभ प्राप्त होगा? ऐसी स्थिति में जब उसके मन में यह विचार बैठ जाता है कि इससे मुझे लाभ होगा अर्थात यह मेरे लिए आर्थिक दृष्टि से उपयोगी है, तभी वह उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए अगला कदम उठाता है।

4. परीक्षण **(Trial)**

आर्थिक लाभ सुनिश्चित करने के बाद व्यक्ति उसका छोटे स्तर पर परिक्षण करता है, और यह विचार करता है कि इसे कैसे करूं? कितना करूं? इसे अपने लिए उपयोगी कैसे बनाऊँ? आदि प्रकार के विचारों के साथ उस नये विचार/वस्तु का छोटे स्तर पर परीक्षण करता है।

जैसे किसी फसल के विषय में उसे नई प्रजाति के बारे में जानकारी हुई तो वह उसे छोटे खेत में प्रयोग करेगा। पूरे खेत में प्रयोग करके किसी भी प्रकार का जोखिम वह नही उठाना चाहेगा।

5. अपनाना**(Adoption)**

किसी वस्तु/विचार का पूरा परीक्षण और मूल्यांकन करने के पश्चात् जब व्यक्ति को यह विश्वास हो जायेगा कि इसका उपयोग से उसे निश्चित ही लाभ होगा, तब वह उस वस्तु/विचार का पूरी तरह प्रयोग करेगा। जैसे जब उसे किसी नई प्रजाति के बीज की उत्पादन क्षमता, प्रयोग की विधि

इत्यादि के बारे में पूर्ण जानकारी के पश्चात् उसे यह विश्वास हो जाएगा कि यह उसके लिए आर्थिक दृष्टि से लाभकारी है, तब वह उस प्रजाति को बड़े स्तर पर प्रयोग में लायेगा।

7.6.2 सूचनाओं के स्रोत और अपनाने की प्रक्रिया में उनका महत्त्व:

किसी भी नयी वस्तु या नये विचार को अपनाने से पूर्व, व्यक्ति उस प्रक्रिया की पांचों अवस्थाओं से गुजरता है। यह आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति क्रमबद्ध रूप से उपरोक्त पांचों अवस्थाओं से ही नई वस्तु या विचार को अपनाने की प्रक्रिया में सूचना स्रोत की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। यदि सूचना स्रोत अति विश्वसनीय है, तो व्यक्ति उसकी जानकारी के पश्चात् ही सीधा पाँचवी अवस्था में पहुँचकर उसे पूर्व रूप से अपना लेगा और यदि सूचना स्रोत पर उसे भरोसा नहीं है, तो वह फिर पाँचों अवस्थाओं से गुजरकर पूरी सन्तुष्टि के बाद ही उस वस्तु/विचार को अपनाएगा।

अपनाने की प्रक्रिया में जिन संचार माध्यमों की भूमिका अति महत्वपूर्ण रहती है, वे हैं-

1. जनसंचार माध्यम रेडियो टेलीविजन, समाचार पत्र और पत्रिकाएं।
2. सरकारी संगठन, ग्राम्य विकास विभाग, प्रसार संगठन और प्रसार कार्यकर्ता।
3. पड़ोसी और मित्र।
4. व्यवसायिक व्यक्ति या व्यवसायिक प्रतिष्ठान।

अपनाने की प्रक्रिया की विभिन्न अवस्थाओं में भिन्न संचार माध्यमों की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

7.6.3 अपनाने**(Adoption)** की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक:

जहां कुछ कारक और परिस्थितियाँ नवाचार के विसरण में प्रेरक का कार्य करते हैं वहीं कई ऐसे भी कारक है जो इनमें बाधा डालते हैं। बाधा पहुँचाने वालों में सबसे बड़ा कारक सांस्कृतिक रूप से नवाचार की स्वीकार्यता का न होना है। इसके साथ ही कई सामाजिक व्यवस्थाएँ नवचारों के विसरण को बढ़ावा नहीं देती है। ऐसी जड़ सांस्कृतिक एवं सामाजिक व्यवस्थाओं में व्यक्ति नये विचार, वस्तु और प्रक्रिया के प्रति उदासीनता और अरुचि दिखाता है। जिस प्रकार जहाँ चावल अधिक खाया जाता है वहाँ मोटे अनाज से सम्बन्धित नवाचार तकनीक कारगार साबित नहीं हो सकती। कई बार ऐसा देखने में आया है कुछ प्रजातियों के आशातीत सफलता प्रदर्शित करने के बावजूद लोगों ने मात्र उन्हें स्वाद, सेहत पर प्रभाव आदि के कारण अस्वीकार कर दिया। इसके अलावा अन्य प्रमुख कारक हैं-

1. नये नवाचार का तुलनात्मक लाभ।

2. सामाजिक संबंधों की स्वीकृति का प्रभाव।

3. नवाचार के बेहतर परिणाम न दे पाने पर फिर से पुरानी स्थिति पर लौटने की संभावना।

4. नवाचार के निरंतर प्रयोग में कठिनाइयाँ।

5. जितना नवाचार सरल होगा उसकी ग्राह्यता उतनी ही अधिक होगी।

इसके अलावा अभिग्रहण(Adoption) प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों का तीन अन्य कारकों में भी विभाजित किया जा सकता है।

1. व्यक्तिगत कारक:- उम्र, शिक्षा मनोवैज्ञानिक कारक, सांस्कृतिक कारक।

2. सामाजिक कारक:- सामाजिक मूल्य, स्थानीय नेतृत्व, सामाजिक संबंध।

3. पारिस्थितिकीय कारक:- कार्य की प्रकृति, फार्म आय, फार्म का आकार, फार्म स्थिति ,फार्म सूचना स्रोत, रहनसहन का स्तर।

7.6.4 अभिगृहकों**(Adopters)** के प्रकार:

सभी कृषक, किसी नई तकनीकी को एक साथ नहीं अपनाते। कुछ कृषक पहली बार परिचित होने वाली नयी तकनीकी को शीघ्र अपना लेते हैं, वहीं कुछ ऐसे कृषक होते हैं, जो काफी देर से नई सूचनाओं को अपना पाते हैं। अपनाने की तत्परता के आधार पर लोगों या अभिगृहकों को निम्नलिखित प्रकार से विभाजित किया जा सकता है-

1. प्रवर्तक या इनोवेटर**(Innovator)**

ये वे व्यक्ति होते हैं, जो किसी नई सूचना को प्राप्त होते ही ग्रहण कर लेते हैं, बल्कि यह कहना भी उचित होगा कि ये वे व्यक्ति होते हैं, जो सदा नई तकनीकी जानकारी की खोज में रहते हैं। और जैसे ही नई तकनीकी की जानकारी होती है ये तुरंत ग्रहण कर लेते हैं। सामान्य रूप से इनकी संख्या समाज में बहुत ही कम होती है। समाज में ऐसे व्यक्तियों की संख्या करीब ढाई प्रतिशत है। ऐसे व्यक्तियों के पास बड़े कृषि फार्म होते हैं। पर्याप्त धन और जोखिम सहने की क्षमता होती है। ये शिक्षित होने के साथ ही समाज के विशिष्ट स्थान रखते है। जनसंचार के माध्यमों तक इनकी पहुँच होती है।

2.शुरुआती अभिकर्ता **(Early Adoptors):**

ये वे व्यक्ति होते हैं जो किसी नई तकनीकी जानकारी होने के बाद शीघ्र ग्रहण करते है लेकिन अग्रग्राही की अपेक्षा ग्रहण करने की गति धीमी होती है अर्थात ये व्यक्ति नई तकनीकी को सोच समझकर प्रयोग में लाते है। ऐसे व्यक्तियों की संख्या करीब 13 प्रतिशत होती है। ये

व्यक्ति सामाजिक और सरकारी संगठनों की गतिविधियों में भाग लेते है। समाज का नेतृत्व करते हैं। गांव के अन्य लोगों को सलाह देते है, पत्र पत्रिकाओं और संचार के माध्यमों का प्रयोग करते हैं।

3. शीघ्र अभिकर्ता**(fast adopters)**

ये वे व्यक्ति हैं जो शीघ्रता से किसी तकनीकी का अधिग्रहण कर लेते हैं। इनकी संख्या लगभग 34 प्रतिशत के आसपास होती है। ये उम्र शिक्षा एवं कृषि अनुभवों में मध्यम स्तर के होते है। कभी कभी कृषि पत्रिकाओं आदि को पढ़ लेते है। सरकारी संगठनों की गतिविधियों में कम भाग लेते है। समाज का अनौपचारिक नेतृत्व करते है। इनकी कृषि सूचनाओं के स्रोत सामान्यतः पड़ोसी व मित्र होते हैं।

4.विलंब अभिकर्ता**(late adopters)**

वे व्यक्ति होते है जो किसी नई तकनीकी और विचार को सबसे देर से ग्रहण करते हैं। ये ऐसा मित्रों के दबाव के बाद कर पाते हैं। इनकी संख्या 34 प्रतिशत के आसपास होती है। इसमें कम शिक्षित और अधिक आयु के लोग होते हैं। इनकी आय कम होती है और फार्म का आकार छोटा होता है। जोखिम लेने की क्षमता कम होती है। सरकारी गतिविधियों में कम भाग लेते हैं। यदा-कदा कुछ पढ़ लें तो अलग बात है।

5. आखिरी श्रेणी उन व्यक्तियों की होती है जो किसी तकनीकी को सबसे अंत में प्रयोग करते हैं। इनकी संख्या 16 प्रतिशत तक होती है। कम शिक्षित अथवा अशिक्षित होते हैं। अधिकतम आयु वर्ग के होते हैं। सामान्य तौर पर किसी भी प्रकार के प्रसार साहित्य का प्रयोग नहीं करते, औपचारिक संगठनों में बहुत कम भाग लेते हैं।

7.7 संचार समर्थित कृषि प्रसार से संबंधित वैयक्तिक अध्ययन:

यहां हमने जनसंचार द्वारा विकास समर्थित संचार से सम्बन्धित कुछ एक वैयक्तिक अध्ययनों की चर्चा की है जो भारत में अपनाये गये।

1. रेडियो ग्रामीण फोरम **(Radio Rural Forum)**

कनाडा के अनुभवों के आधार पर ऑल इंडिया रेडियो ने 1956 में पूना में रेडियो ग्रामीण फोरम प्रयोग प्रारम्भ किया। इस प्रोजेक्ट के तहत 156 गांवों में सुनने वाले समूहों और चर्चा मण्डलों का गठन किया गया। सप्ताह में दो दिन कृषि और उससे सम्बन्धित अन्य क्षेत्रों के विषयों की जानकारी वाला आधे घण्टे का कार्यक्रम ग्रामीण विकास के उद्देश्यों से प्रसारित करता

था। टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान से जुड़े प्रो. पॉल न्यूरथ ने इस कार्यक्रम का एक मूल्यांकन किया और महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकालेः

1. रेडियो ग्रामीण श्रोताओं तक विकास से संबंधित सम्प्रेषण का अनुकूलतम माध्यम है।
2. अधिकतर श्रोताओं ने प्रसारित कार्यक्रमों के प्रति संतोषजनक दृष्टिकोण दिखाया।

आकाशवाणी ने कई केन्द्रों पर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसारण के लिए कार्यक्रम तैयार करने वाली कई ''फार्म एंड होम'' इकाइयों का गठन किया गया जिससे IADP (Intensive Agricultural Distt programe) कार्यक्रमों में सहयोग प्रदान किया जा सका। कृषि वैज्ञानिकों द्वारा रेडियो की भूमिका का कृषि उत्पादन वृद्धि एवं हरित क्रांति के प्रसार में महत्वपूर्ण माना गया।

2. कृषि-दर्शन कार्यक्रम **Krishi Darshan Programme on Television**:

सन् 1967 में दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली ने भारतीय कृषि शोध संस्थान(Indian Agriculture Research Institute) के प्रो एमएस स्वामीनाथन और अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉ विक्रम साराभाई के सहयोग से कृषि-दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य आधुनिक कृषि तकनीकों को टीवी के माध्यम से ग्रामीणों तक पहुँचाना था। इसके लिए 80 गांवों में सामुदायिक टेलीविजन लगाये गये। 1965 में एनसीईआरटी के सहयोग से तैयार मूल्यांकन रिपोर्ट में यह तथ्य सामने आया कि कृषि-दर्शन के कार्यक्रमों से कृषकों में फार्म तकनीकी की जानकारी का विकास हुआ है। लेकिन इसके साथ ही अध्ययनों से यह ज्ञात हुआ है कि छोटे और मझौले किसानों को इससे कोई विशेष लाभ नही मिला। इसका प्रमुख लाभ संपन्न कृषकों तक ही पहुँचा।

3.आकाशवाणी से प्रसारित स्कूल कार्यक्रम (**School on the air of AIR**)

हैदराबाद और बंगलुरू के आकाशवाणी केन्द्रों ने नई बेहतर कृषि प्रतिनिधियों का किसानों तक प्रसार करने के लिए 70 के दशक में आकाशवाणी से ''स्कूल ऑन द एअर' कार्यक्रम प्रसारित किये। इन प्रसारणों के अंतर्गत विशेष विषयों जैसे धान की खेती, गन्ने की खेती, दुग्ध उत्पादन मुर्गी पालन आदि के संबंध में जानकारी प्रसारित की जाती थी। कुछ समय बाद आकाशवाणी की 'स्कूल ऑन द एअर' सेवा आकाशावाणी के "फार्म एण्ड होम यूनिट" की नियमित इकाई बन गई। आकाशवाणी के 'श्रोता शोध इकाई'(Advance Research Unit) ने इस बात को अपने अध्ययन से साबित किया की इन कार्यक्रमों के प्रति विशेष आदर और सम्मान है। उपयोगिता और प्रशिक्षण के संदर्भ में यह अत्यंत महत्वपूर्ण है।

4. साइट **Satellite Instructional Television Experiment (SITE) :**

साइट कार्यक्रम 1 अगस्त 1975 में भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान, इसरो के अंतरिक्ष प्रयोग केन्द्र द्वारा अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के बहुउपयोगी एटीएस-6 उपग्रह(Multi Purpose Application Technology Satellite -ATS6) के सहयोग से प्रारम्भ किया गया। देश के छह राज्यों (आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान) के 26 जिलों में 2,330 गांवों को इस प्रयोग के लिए चुना गया। यह विकास समर्थित संचार (Development Support communication) का एक वृहद प्रयोग था। समूह में लोगों को कार्यक्रम दिखाने के लिए सामुदायिक टेलीविजन लगाये गये। कार्यक्रम का निर्माण इस प्रकार किया गया कि ये कृषि पशुपालन, परिवार नियोजन, स्वच्छता और स्वास्थ्य, पौष्टिक आहार के साथ दी राष्ट्रीय एकता और मनोरंजन से जुड़े कार्यक्रमों का प्रसारण करें। इसरो और अन्य संस्थाओं द्वारा मूल्यात्मक शोध अध्ययनों यह साबित किया की इन कार्यक्रमों से जानकारी का स्तर ग्रामीण स्तर पर बेहतर हुआ साथ ही जागरूकता सृजन में भी यह कार्यक्रम कारगार हुए है। निवेशक स्वास्थ्य राजनीतिक जड़ता और संपूर्ण विकास में परिवर्तन देखने में आया है। लेकिन कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में ज्यादा अंतर नहीं आया। सबसे बड़ी बात यह रही कि पहली बार गरीब कृषकों को सामुदायिक टेलीविजन के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई। अब तक यह वर्ग कृषि प्रसार कार्यक्रमों से दूर था। विकास संचार में साइट का योगदान महत्वपूर्ण रहा है।

7.8 अभ्यास प्रश्न:

प्रश्न 1. कृषि प्रसार का मॉडल क्या है?

प्रश्न 2. भारत में कृषि प्रसार के मॉडल को समझाइये।

प्रश्न 3. नवाचार से आप क्या समझते हैं?

प्रश्न 4. विसरण क्या है?

प्रश्न 5. अभिग्रहण(एडॉप्शन) या अपनाने की प्रक्रिया को समझाइये।

प्रश्न 6. सूचनाओं के श्रोत और अभिग्रहण(एडॉप्शन) में उनकी महत्ता को समझाइये।

प्रश्न 7. एडॉप्शन की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं?

प्रश्न 8. साइट से क्या तात्पर्य है? इसका उद्देश्य बताइये।

प्रश्न 9. कृषि से संबंधित प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए।

प्रश्न 10. शीघ्रग्राही क्या है? समझाइये।

7.9 सारांश:

कृषि विकास के लिए कोई भी योजना, नीति और कार्यक्रम बनाते समय वृहद आयामों पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। कृषि क्षेत्र में उत्पादकता का प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि कृषक द्वारा सरकार द्वारा चलायी जा रही कृषि विकास की योजनाओं और कार्यक्रम के प्रति उसका दृष्टिकोण क्या है। प्रसार वैज्ञानिको के अनुसार कृषि प्रसार एक प्रकार की शैक्षणिक गतिविधि है। जिसके द्वारा ग्रामीणों में ज्ञान, विज्ञान एवं तकनीकों की जानकारियों को प्रयोगशाला से निकालकर लोगों तक पहुँचाना है। इस कार्य में कृषि प्रसार के विभिन्न प्रतिरूपों की मदद ली जाती है।

विकास से हमारा तात्पर्य समय के साथ बदलती परिस्थितियों के साथ परिवर्तन के लिए तैयार रहना साथ ही नये नवाचारों को स्वीकार करना है। यह नवाचार एक विचार प्रयोग या उद्देश्य हो सकते हैं। विकास संचार में नवाचारों का विसरण एक महत्वपूर्ण पहलू है। विसरण के बाद की प्रमुख प्रक्रिया एडॉप्शन है। किसी निश्चित क्षेत्र में जब कोई व्यक्ति नये विचारों को ग्रहण कर लेता है तत्पश्चात् उस क्षेत्र में उन विचारों को अन्य व्यक्ति ग्रहण करते हैं। एडॉप्शन एक मानसिक प्रक्रिया है।

भारत सरकार द्वारा कृषि प्रसार के अतंर्गत रेडियो एवं दूरदर्शन का सकरात्मक उपयोग किया गया है। साथ ही साइट प्रयोग के जरिये कृषि प्रसार कार्यक्रमों को एक नयी दिशा प्रदान की गई है।

7.**10** शब्दावली:

Innovators- ये वे व्यक्ति होते है, जो किसी नई सूचना को प्राप्त होते ही ग्रहण कर लेते हैं, बल्कि यह कहना भी उचित होगा कि ये वे व्यक्ति होते हैं, जो सदा नई तकनीकी जानकारी की खोज में रहते हैं। और जैसे ही नई तकनीकी की जानकारी होती है ये तुरंत ग्रहण कर लेते है। सामान्य रूप से इनकी संख्या समाज में बहुत ही कम होती है। ऐसे व्यक्तियों के पास बड़ी खेती, पर्याप्त धन एवं जोखिम सहने की क्षमता होती है। ये शिक्षित होने के साथ ही समाज के विशिष्ट स्थान रखते है। जनसंचार के माध्यमों तक इनकी पहुँच होती है।

Diffusion: यह एक विशेष प्रकार की संचार प्रक्रिया है जिसमें संदेश हमेशा नये विचारों का होता है। क्योंकि हम जानते है कि सामान्य संचार प्रक्रिया में नये और पुराने अर्थात किसी भी तरह के संदेश को संचारित कर सकते है। विसरण एक ऐसी विशेष संचार प्रक्रिया है जिसमें समाज में

एक से अधिक व्यक्ति हमेशा नये विचारों को संचारित करते हैं। इसलिए विसरण संचार प्रक्रिया की यह विशेषता है कि इसमें संदेश/विचार हमेशा नये होते है। विचारों के इस नयेपन में अनिश्चितता भी रहती है, क्योंकि नये विचार में जोखिम निहित है। समाज में हर व्यक्ति जोखिम लेने की क्षमता नहीं रखता इस कारण इससे नये विचारों का अनुसरण या उनकी स्वीकृति या अनुपालन प्रभावित होता है।

7.11 संदर्भ ग्रंथसूची :

1. Lerner, Daniel and Shramm, Wilbur : Communication and change in Developing Counlmes, (east west communication center: Honolulu).
2. Ostman, Ronals : Communication and Indian Agriculture (sage Publication.

7.12 सहायक/उपयोगी पाठ्यसामग्री:

1. चौहान, डॉ जितेन्द्र: प्रसार शिक्षा एवं सूचना तंत्र
2. कुमार, जे केवल: मास कम्यूनिकेशन इन इंडिया
3. श्राम, विल्बर: मास मीडिया एंड नेशनल डेवलपमेंट

7.13 निबंधात्मक प्रश्न:

1. भारत में कृषि प्रसार के मॉडलों का वर्णन किजिए ?
2. नवाचार के विसरण(Diffusion of Innovation) की प्रक्रिया को विस्तार से समझाइये ?
3. अभिग्रहकों(Adopters) के प्रकारों एवं उनके लक्षणों को रेखांकित कीजिए ?
4. कृषि प्रसार के क्षेत्र में भारतीय जनसंचार माध्यमों की भूमिका पर लेख लिखिए ?

इकाई- 08

विकास संचार

इकाई की रूपरेखा:

8.1 प्रस्तावना

8.2 उद्देश्य

8.3 विकास संचार

8.4 कृषि

8.5 जनसंख्या और परिवार कल्याण

8.5.1 जनसंख्या नियंत्रण में विकास संचार

8.5.2 विकास समर्थित संचार एवं जनसंख्या और परिवार

8.6 शिक्षा और समाज

8.7 स्वास्थ्य

8.8 पर्यावरण और विकास

8.8.1 विकास समर्थित संचार में पर्यावरण व विकास संबंधी समस्याएं

8.9 अभ्यास प्रश्न

8.10 सारांश

8.11 शब्दावली

8.12 संदर्भ ग्रंथसूची

8.13 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

8.14 निबंधात्मक प्रश्न

8.1 प्रस्तावना:

जनमाध्यमों का प्रमुख कार्य सूचना, शिक्षा एवं संचार का सम्प्रेषण करना होता है। जनमाध्यम दूर-दराज के क्षेत्रों में विकास, कृषि एवं अन्य क्षेत्रों के विषयों में जानकारी उपलब्ध कराते है। जनसंचार के कार्यक्रम क्योंकि एक बड़े क्षेत्र कों ध्यान में रखकर तैयार किये जाते है। किसी विषय में रुचि होने पर व्यक्ति और अधिक जानकारी चाहता है तो वह जनमाध्यम पूरी नहीं कर पाते। ऐसे में असंतोष की भावना जन्म लेती है एवं अन्य योजनाओं और कार्यक्रमों के

प्रति व्यक्तियों में उदासीनता का संचार करती है। यह अतिरिक्त जानकारी देने का कार्य स्थानीय स्तर पर विकास संचार द्वारा किया जाता है।

विकास संचार ग्रामीण एवं कृषि क्षेत्रों से जुड़े विषयों के सम्बन्ध में जानकारी का दो तरफा संचार करता है। एक तो वह नीति नियांओं को स्थानीय स्तर की आवश्यकताओं से परिचित कराता है जिससे भाविष्य में कार्यक्रम करते वक्त उनके समाधान को सम्मिलित किया जा सके। दूसरा स्थानीय लोगों को यदि किसी कार्यक्रम योजना अथवा सूचना के सम्बन्ध में और अधिक जानकारी या प्रशिक्षण चाहिये तो वह पूरा करता है। इस प्रकार विकास की सफलता एवं गतिशीलता में विकास संचार की अहम भूमिका है।

8.2 उद्देश्य:

इस इकाई का उद्देश्य है-

- विकास में विकास समर्थित संचार की भूमिका को समझना।
- कृषि, जनसंख्या एवं परिवार कल्याण, शिक्षा और समाज, स्वास्थ्य, पर्यावरण आदि से जुड़े मुद्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करना।
- विकास संचार की इस क्षेत्रों में भूमिका एवं रणनीति को समझना
- पर्यावरण एवं विकास के अंतर्संबंधों को जानना।

8.3 विकास संचार:

विकास संचार की उत्पत्ति विकासशील देशों द्वारा पचास के दशक में अपनायी गयी कृषि प्रसार नीति के अंतर्गत हुई। सन 1942 में रेयान और क्रास द्वारा उच्च प्रजाति की मक्के की फसल के विसरण एवं कृषि उत्पादकता में वृद्धि के फलस्वरूप तकनीकी सूचना को आवश्यकता को बल मिला। कृषि प्रसार शिक्षा जो कृषि विज्ञान की है एक शाखा है बाद में अपने आप में एक नये विषय में रूप में स्थापित हो गई जिसके अंतर्गत कृषि के आधुनिक साधनों, विधियों और प्रशिक्षण प्रक्रियाओं की जानकारी दी जाती है। विश्व के अनेक विकासशील देशों में अधिसंख्य जनसंख्या अपनी आवश्यकताओं के लिए कृषि पर निर्भर है इसके बावजूद छोटे और मझौले किसान अपनी आवश्यकता के अनुरूप अन्न नहीं उपजा पा रहे हैं। इसका एक प्रमुख कारण कृषि के पारंपरिक माध्यमों का प्रयोग है. हमारे अपने देश में अधिकतक कृषि मौसम पर

निर्भर है। इसलिए यह आवश्यक है कि ऐसे कृषकों को कृषि प्रसार के माध्यम से नयी विधियों और प्रक्रियाओं से अवगत करा कर उत्पादन वृद्धि के लक्ष्यों को प्राप्त करना होगा।

विकासशील देशों में पचास के दशक में कृषि प्रसार के अंतर्गत नये विचारों वस्तुओं और प्रक्रियाओं से जुड़े नवाचार का आधार बनाया गया। क्योंकि कृषि प्रसार में संचार एवं सचार से जुड़ी तकनीकों पर निर्भरता आर्थिक थी, इसीलिए संचार को कृषि के साथ जोड़कर कृषि संचार एक विषय के रूप में सामने आया। इस समय तक विकास संचार भी सामाजिक विज्ञानों में जगह बना चुका था। धीरे-धीरे यह ग्रामीण संचार में परिवर्तन हो गया जहां स्वास्थ्य, पोषण, साफ-सफाई से सम्बन्धित जागरूकताओं को लोगों तक पहुंचाया गया। विकास क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियों को केवल ग्रामीणों पर केंद्रित न कर ऐसे लोग जा शहरों में झुग्गी-झोपड़ी में रह-रहे लोगों तक भी पहुंचाने के उद्देश्य को अपनाया गया। अतः ऐसी प्रक्रिया जो विकास संचार से जुड़ी सूचनाओं को लोगों तक पहुंचाने और उनकी गहता में वृद्धि करे साथ ही लोगों और विकास संचार के बीच सेतु का काम करे- उसे ही हम विकास समर्थित संचार कहते है।

विकास समर्थित संचार UNDP (United Nation Development Program) और यूएन की अन्य एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत किया गया। विकास में संचार का प्रवाह केवल ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर ही नहीं बल्कि क्षैतिज/समाज स्तर पर होता है जिससे एक स्तर पर कार्य कर रहे लोगों के बीच परस्पर संवाद होता रहे।

जॉन एल वुडस ने 1976 में एक त्रिकोणीय संजाल से विकास समर्थित संचार को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने विकास से राजनैतिक नेतृत्व, ज्ञान चाहने वाले और और ज्ञान का इस्तेमाल करने वाले (Political leadership, knowledge seekers and knowledge users) के बीच संबंधों को समझाया।

विकास समर्थित संचार की संकल्पनाः **Concept of Development Support Communication:**

1. सामान्यतः विकास का मापन आर्थिक आंकड़ों के आधार पर किया जाता हैं जैसे विकास के जितने भी मापक सूचकांक इसके पूर्व हुए हैं यथा-प्रतिव्यक्ति आय, जीवन की गुणवत्ता का स्तर, मानव संसाधन सूचकांक, सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद आदि सभी आर्थिक पक्ष पर अधिक जोर देते हैं। बाद में सामाजिक विज्ञानियों ने आर्थिक विकास के साथ ही सामाजिक विकास पर अधिक ध्यान केन्द्रित किया। उनके तर्क के अनुसार औद्योगिक विकास एवं उत्पादन में वृद्धि के साथ ही सामाजिक विकास एवं इसके अवयवों के विकास के बिना सतत विकास एवं वास्तविक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना नामुमकिन है।

2. विकास केवल आयात निर्यात के आंकड़ों में वृद्धि करना नहीं है और न ही जनसंख्या के एक सीमित वर्ग को संसाधनों की आपूर्ति करना। विकास के संपूर्ण अर्थ से हमारा तात्पर्य है विकास के विभिन्न आयामों के विकास से ऐसा विकास जो आम आदमी के विकास से संबधित हो, देश के मूल-भूत ढांचे को मजबूती प्रदान करे। जिस पर अधिक से अधिक लोग निर्भर हैं।

3. इसी को ध्यान में रखते हुए। कई ऐसे क्षेत्रों का चयन किया गया है जो विकास की प्रक्रिया को सहयोग प्रदान करते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख है-कृषि, स्वास्थ्य, पर्यावरण, जनसंख्या नियोजन एवं शिक्षा। त्वरित विकास के लिए विकास विज्ञानियों ने इनके लिये अलग से विकास संचार आधारित रणनीति तैयार की है। जिससे विकास की मुख्य क्रिया-प्रक्रिया को सहयोग प्रदान किया जा सके।

4. भारत जैसे विकासशील देशों में इस प्रकार के संचार की आवश्यकता और बढ़ जाती है क्योंकि अलग-अलग भौगोलिक प्रदेश होने के साथ ही संस्कृति और भाषा में भी अंतर है। ऐसे में विकास विज्ञानियों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है।

5. विकास समर्थित संचार जनसंचार एवं लक्षित समूह के बीच चुनिंदा विकास क्षेत्रों में राजनीति आधार पर एक सेतु का कार्य करता है। साथ ही वास्तविक के लक्ष्यो की प्राप्ति में सहायक है।

8.4 कृषि

भारत की पहचान कृषि प्रधान देश की रही है। कृषि भारतीयों का मुख्य व्यवसाय रहा है। कृषि एवं कृषि जगत को हम मुख्य रूप से दो भागों में बाँट सकते है।

(1) कृषि कार्य

(2) कृषि समाज

(1) कृषि कार्य:

कृषि कार्य के अंतर्गत कृषि आधारित उद्योग-धंधों को शामिल किया जाता है जो कुटीर रूप में ग्रामीण स्तर पर ही विकसित व स्थापित होते है। कृषि कार्य को भी हम दो भागों में बाँट सकते है।

(1) खेती या अनाज उत्पादन

(2) कृषि आधारित व्यवसाय

(2) कृषि समाज:

ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाली तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जीविकोपार्जन करने वाली जनसंख्या कृषक समाज में सम्मिलित की जाती है। समस्त विश्व की दो तिहाई से ज्यादा जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। भारत में सन् 2001 के जनगणना आकड़ों के अनुसार 72.22 प्रतिशत जनसंख्या ग्रमीण क्षेत्र में निवास करती है।

भारतीय कृषि का स्वरूपः भारत में कृषि विशाल जनसंख्या को खाद्यान्न प्रदान करती है। प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से कुल रोजगार अवसरों में से 65% कृषि क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक व्यवस्था का आधार है। भारत के सकल घरेलू उत्पादन में कृषि का योगदान 25 फीसदी है है। भारतीय कृषि मानसून पर आधारित है तथा लगभग 60 फीसदी कृषि वर्षा पर ही सिंचाई के लिए निर्भर है।

पारम्परिक रूप से याद हम भारतीय कृषि की बात करें तो वर्षा पर निर्भरता, निम्न उत्पादन, अवैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग और मौसम तथा रोगों से जूझता उत्पादन- इसकी प्रमुख विशेषता रही है।

सरकार द्वारा कृषि विकास के लिए किये गये कार्यः भारतीय संविधान में ही ये कहा गया है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इस बात के दिशा-निर्देश दिये गये हैं की सरकार की यह जिम्मेदारी होगी कि वह जनता को एक ऐसी आधारभूत संरचना प्रदान करे जिसमें प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति को विकास का मौका मिल सके।

- भारत सरकार द्वारा इसी को ध्यान में रखकर ग्रामीण मंत्रालय के साथ ही कृषि मंत्रालय का गठन किया गया है जो सदैव कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिये कार्यरत है।
- इसके अलावा ICAR, CAPAPT, NABARD, RRB, IRDP जैसे शोध संस्थान हैं जो कृषि तकनीकी विकास, ऋण प्रदान करना वैज्ञानिक क्रिया-प्रक्रिया को जन-जन तक पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं।
- सहकारी बैंक, सहकारी संस्थाएं, सहभागिता आधारित योजनाएं, ग्रामीण बैंकों का गठन, कृषि बीमा योजना, प्रशिक्षण एवं भ्रमण कार्यक्रम, कृषि विज्ञान केन्द्र के साथ ही हरित क्रांति स्वेत क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति के जटिल कई ऐसे उपाय हुए हैं एवं किये जा रहे हैं जिन्होंने ने कृषि एवं ग्रामीण विकास को नये आयम प्रदान किये हैं।

- पंचायतीराज व्यवस्था के गठन के बाद से शासन का विकेन्द्रीकरण हुआ है। इससे निर्णय लेने का अधिकार अब स्थानीय लोगों को प्राप्त है। केन्द्र आयोजित एवं प्रायोजित योजनाओं के साथ ही अब ग्राम स्तर पर ही ग्राम पंचायत, ग्राम सभा आदि के माध्यम से हम गांव आधारित विकास योजनाओं को लागू कर सकते हैं एवं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग एवं उनका संरक्षण कर सतत् विकास की प्रक्रिया में शामिल हो सकते है।
- ग्रामीण स्तर पर ऋण की व्यवस्था, मित्र कृषक की व्यवस्था, ग्राम सेवक अधिकारी बिजली, पानी, बीज आदि की उपलब्धता एवं सब्सिडी से ग्रामीण स्तर पर विकास कार्यक्रमों को सहयोग प्रदान किया जा रहा है।
- ब्लॉक, जिला आदि स्तर पर मनरेगा दिवस, तहसील दिवस आदि के माध्यमों से कृषकों एवं ग्रामीणों की समस्याओं को संबन्धित अधिकारियों तक पहुँचाया जाता है। जिससे उनका समाधान शीघ्रता-शीघ्र कर दिया जाये।
- भारत में ग्रामीण विकास के लिए जनसंचार माध्यमों का उपयोग एवं प्रयोग सरकार द्वारा द्वारा किया गया है। SITE, KHEDA, JHABUA के जरिए जिसका प्रभाव देखने में आया है।
- साथ ही सरकारी विज्ञापनों, रेडियों एवं दूरदर्शन द्वारा ऐसे कई कार्यक्रमों (रेडियो सरल फोरम, फार्म रेडियो, कृषि दर्शन, स्कूल ऑन एअर) का निर्माण किया गया है जो सूचना आधारित विभेद को खत्म करके लोगों को मुख्यधारा से जोड़ने का कार्य करते हैं।

8.5 जनसंख्या एवं परिवार कल्याण :

जनसंख्या वृद्धि का विकास पर नकारात्मक एवं सकरात्मक दोनों रूपों में प्रभाव पड़ता है। जनसंख्या एवं विकास में सह-संबध को निम्न जनसंख्या, अधिक जनसंख्या एवं अनुकूलता जनसंख्या के संदर्भ में स्पष्ट किया जा सकता है।

यदि किसी देश में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने के लिए अथवा उपयोग करने के लिए पर्याप्त जनसंख्या उपलब्ध नहीं है तो यह स्थिति निम्न जनसंख्या की होती है। पर्याप्त जनसंख्या के अभाव में संसाधन अनप्रयुक्त पड़े रहते है, अतः अपनी क्षमता के अनुसार वह देश विकास नहीं कर पाता। अधिक जनसंख्या की स्थिति से तात्पर्य उस स्थिति से है जिसमें

किसी देश के संसाधन आधार से वहाँ की जनससंख्या अधिक हो। ऐसी स्थिति में भी विकास की दृष्टि नकारात्मक नहीं है। तीसरी अवस्था अनुकूलतम जनसंख्या की अवस्था है। इसका तात्पर्य उस स्थिति से है जिसमें जनसंख्या का आकार उस देश के उपलब्ध संसाधनों के आधार के अनुरूप हो। यह एक आदर्श अवस्था है जो पूर्णतया कभी-कभार ही परिलक्षित होती है।

जनाधिक्य उन देशों के विकास पर नकारात्मक प्रभाव डालता है जो विकासशील अवस्था में है। इन देशों की आवश्यकता पूंजी निर्माण की होती है। ये देश समान रूप से अपनी समूची जनसंख्या को शिक्षा, रोजगार, प्रशिक्षण, परिवहन व सड़क पेयजल, चिकित्सा आदि की सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। जिसके चलते भूख, गरीबी, बेकारी, कुपोषण आदि की समस्याएं विकराल होती जाती हैं। जनसंख्या के दबाव में उनकी अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास नहीं हो पाता है।

8.5.1 जनसंख्या नियंत्रण में विकास संचार:

- जनसंख्या नियंत्रण में विकास संचार का सहयोग महत्वपूर्ण है। तीव्र गाति से बढ़ती हुई जनसंख्या की वृद्धि दर नियंत्रित तभी की जा सकती है जब लोगों की मानसिकता परिवार नियोजन के कार्यक्रमों एवं उनके अनुपालन में हो।
- भारत दुनिया का पहला देश है जिसने सन् 1952 से ही परिवार नियोजन की नीति अपना रखी है। इस नीति के क्रियान्वयन को जनमाध्यमों का सहयोग मिला है। लाल त्रिकोण का निशान 'Δ' लोगों के लिए ग्राहय बनाना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक 'छोटा परिवा' सुखी परिवार' के संदेशों को स्थापित कराने में जनमाध्यमों की भूमिका प्रमुख रही है।
- बदलते सामाजिक आर्थिक परिवेश में बेहतर जीवन के लिए सीमित परिवार की आवश्यकता का निरूपण करके, बालक-बालिका समानता के लिए लोगों को उत्प्रेरित करके, परिवार नियोजन के तात्कालिक एवं स्थायी उपायों का प्रयोग करने के लिये लोगों को तैयार करने में विकास संचार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- विकास संचार की एक नियोजित तथा समग्र रणनीति लक्षित जनता समूह के बीच परिवार कल्याण के प्रति सकरात्मक एवं सहयोगात्मक माहौल का सृजन करती है वह इस संदर्भ में लोगों की सूचनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है

उन्हें शिक्षित करने का प्रयास करती है तथा परिवार नियोजन के समर्थन के रूप में उन्हें तैयार करती है।

- एक बेहतर संचार रणनीति के लिए आवश्यक होता है कि उसमें ग्रामीण तथा नगरीय जनसंख्या के अनुरूप संदेशों को तैयार किया जाये। संदेशों का चरित्र और उनकी भाषा, परिवेश आदि लक्षित जनता के अनुरूप होना चाहिये। माध्यम का चयन भी लोगों तक उसकी उपलब्धता को दृष्टिगत रखकर करना चाहिये। एक बेहतर संचार रणनीति में सभी जनमाध्यमों का उपयोग समाहित होता है।

8.5.2 विकास समर्थित संचार एव जनसंख्या और परिवार कल्याण:

भारत का आर्थिक एवं सामाजिक ढांचा ऐसा है जो परिवार नियोजन के कार्यक्रमों के प्रति उदासीन एवं विरोधी है ऐसे में जनमध्यमों की भूमिका इसमें सीमित है। लोगों को इन कार्यक्रमों के प्रति जागरूक करने में स्थानीय कार्यकताओं की भूमिका अहम हो सकती है वो भी खासकर को इनके बीच से ही निकलकर आयें और इनका प्रतिनिधित्व करें। परिवार नियोजन के प्रति व्यवहार में बदलाव लेना एक लम्बी प्रक्रिया है इसलिए यह आवश्यक है कि इससे संबन्धित जानकारी, भ्रांतियों, शंकाओं आदि को समय-समय पर दूर किया जाए।

8.6 शिक्षा और समाज :

राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा का प्रचार-प्रसार महत्वपूर्ण कारक है। सामाजिक विकास तभी प्राप्त किया जा सकता है जब तक शिक्षा हर घर तक नहीं पहुँचायी जाती। विकास और शिक्षा एक दूसरे के पर्याय हैं। जिस देश में शिक्षा का स्तर जितना बेहतर होता है देश उतना ही विकसित होता है।

भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के अतंर्गत शिक्षा को शामिल किया गया है। स्वतंत्रता के बाद से ही राष्ट्रीय विकास नीति और राष्ट्रीय योजना आयोग द्वारा शिक्षा के प्रयास किये जा रहे है।

इसी प्रक्रिया में ''राष्ट्रीय साक्षरता मिशन'' का अभियान 80 के दशक में शुरू किया गया। परिणाम स्वरूप देश की साक्षरता दर में तेजी से वृद्धि आई है। जहाँ सन् 2001 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर 65 प्रतिशत के आस-पास थी वहीं 2011की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार यह दर 74 प्रतिशत के आसपास हो गयी है।

सरकार ने कई राष्ट्रीय योजनाएं शुरू की जो शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहन देती हैं। जैसे-मिड डे मील, शिक्षा का अधिकार, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय आदि।

स्कूली स्तर की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये सरकार ने केन्द्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय संगठन का विकास किया है। अनुसूचित जाति और जनजाति के साथ ही होनहार छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाती है।

विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा में एकरूपता और गुणवत्ता को बनाये रखने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग(यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन-यूजीसी) का गठन किया गया है। साथ ही ऐसे लोग जो काम के साथ ही पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए मुक्त विश्वविद्यालय का गठन केन्द्र एवं राज्य स्तर पर किया गया है।

यूजीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी विश्वविद्यालयों की कुल संख्या के मुताबिक देश में 11 फरवरी 2013 तक कुल 620 विश्वविद्यालय हैं. इनमें से 298 स्टेट यूनिवर्सिटी, 130 डीम्ड विश्वविद्यालय, 44 केंद्रीय विश्वविद्यालय और 148 निजी विश्वविद्यालय हैं. माना जाता है कि उच्च शिक्षा का दायरा बढ़ाने के लिए अभी और विश्वविद्यालयों की ज़रूरत है.

तकनीकी और प्रबंधन की शिक्षा में आज हमने विश्व में नये कीर्तिमान स्थापित किये हैं। भारतीय प्रबंधन संस्थान (Indian Instintute of Management-आईआईएम), भारतीय तकनीकी संस्थान(Indian Instintute of Technology-आईआईटी) की गिनती वैश्विक स्तर के संस्थानों में होती है।

भारत में शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए भारत सरकार ने अमेरिका के सहयोग से भारत में 1975 में साइट कार्यक्रम की शुरूआत की थी। देश के कई क्षेत्रों में कई प्रकार के कार्यक्रम शिक्षा का प्रचार-प्रसार करने के लिए चलाये जा रहे हैं। इग्नू के टीवी प्रसारण, ज्ञानदर्शन के कार्यक्रमों ने शिक्षा को प्रोत्साहन दिया है

सूचना क्रांति के दौर में 'सूचना, शिक्षा और संचार की सही स्थिति स्थापित किये बिना विकास संचार को प्रभावी नहीं बनाया जा सकता।

विकास समर्थित संचार एवं शिक्षाः

शिक्षा में संचार की उपयोगिता तय करने से पहले हमें विकास के लिए किया गया संचार और मनोरंजन के लिये किये गये संचार में अंतर का समझना होगा। चित्रहार, व्यवासायिक विज्ञापन आदि मनोरंजन कार्यक्रम है। शिक्षा के लिये संचार का उपयोग करते समय हमें निम्न बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता हैः

1. संचार मानसिक स्तर को बढ़ाता है।

2. ये लोगों की आकांक्षाओं को बढ़ाता है और उनकी जरूरतों को विस्तार देता है।

3. सामयिक विकास और सामयिक शिक्षा के संदर्भ में यह किसी विशेष मुद्दे की तरफ ध्यानाकर्षण कर उससे संबंधित समस्या के समाधान का प्रयास करता है

4. नये सांस्कृतिक और आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति में यह लोगों में एकजुटता की भावना का निर्माण करता है।

5. संचार माध्यम से नये प्रयोगों को बढ़ावा देने के साथ उनसे संबंधित ज्ञान का प्रसारण करता है।

6. लोगों को विशेष तकनीकी और कौशल सीखने में मदद करता है।

8.7 स्वास्थ्य :

मानवीय क्षमताओं का दोहन रचानात्मक कार्यो में सक्रियता के लिये स्वास्थ्य बहुत ही उपयोगी है। कोई भी राष्ट्र तभी तरक्की कर सकता है जब उसके नागरिक स्वस्थ होते है। अस्वस्थ शरीर मानव संसाधन के रूप में विकसित नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय विकास के लक्ष्यों की प्रप्ति के लिये यह आवश्यक है कि बच्चे स्वस्थ हों, रोगों से उन्हें सरंक्षण मिले, अच्छा पोषण उसे उपलब्ध हो तथा उसके शारीरिक-मानसिक विकास में कोई बाधा न पहुँचे। इसीलिए कोई भी राष्ट्र विकसित तभी माना जाता है जब वह अपने नागरिकों को स्वास्थ्य संरक्षण प्रदान करने में सक्षम हो।

विकास संचार के उद्देश्य स्पष्ट व पूर्व निर्धारित होते है। विकास गतिविधियों को बढ़ावा देना, विकास कार्यक्रम का प्रचार-प्रसार, विकास से लोगों को जोड़ना, विकास के लिये आवश्यक जन सहमति का निर्माण, विकास से जुड़ी सूचनाओं के प्रति शंकाओ का समाधान और विकास कार्यो में पारदर्शिता का समावेश आदि विकास संचार के प्रमुख लक्ष्य है।

विकास की पूर्णता, स्वास्थ्य के बिना पूरी नहीं होती। विकास को हम प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, सकल घरेलु उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जैसे सूचकांको से ही अभिव्यक्त नहीं कर सकते है। विकास की विस्तृत अवधारणाओं से लोगों के पोषण का स्तर, उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाएं, कैलोरी उपलब्धता व प्रोटीन उपलब्धता जैसी बातें भी शामिल की जाती हैं।

इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य स्वयं ही विकास की अवस्था का संकेतक है। विकसित राष्ट्र के नागरिकों के स्वास्थ्य का स्तर भी बेहतर होता है तथा लोगों की स्वास्थ्य चेतना उन्नत होती

है। लोगों के स्वास्थ्य की बेहतरी का कारण जीवनशैली तथा संरक्षात्मक उपायों से स्वास्थ्य का अर्जन होता है न कि बीमारी का शिकार होने के बाद उसका उपचार।

इसके विपरित पिछड़े राष्ट्र में ऐसी बीमारियों से भी लोग मरते हैं जिनसे बचाव संभव है। साफ-सफाई का अभाव, दूषित खाद्य सामग्री का इस्तेमाल, दूषित पेयजल का इस्तेमाल आदि महामारियों का कारण बनते हैं। स्वास्थ्य चेतना के अभाव में टीकाकरण व संरक्षात्मक उपायों के प्रति लोग सचेत नहीं रहते जिसका परिणाम भयंकर होता है।

जैसा की पूर्व में स्पष्ट किया जा चुका है विकास संचार विकास को सही दिशा देने और लोगों को उससे जोड़ने के लिए आवश्यक है। स्वास्थ्य व्यक्तिगत प्रश्न से ज्यादा सामुदायिक, सामाजिक या राष्ट्रीय प्रश्न है। यह राज्य के लिए भी महत्वपूर्ण है कि वह अपने नागरिकों के बेहतर स्वास्थ्य के निर्माण का प्रयास करे।

विकास संचार में स्वास्थ्य चेतना का प्रसार लोगों को स्वास्थ्य संबधी सूचनाएं उपलब्ध कराना, लोगों को स्वास्थ्य रक्षा के प्रति जागरूक करना तथा अकाल, महामारी, जानलेवा बीमारियों से सतर्क करना सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति कार्यक्रमों की सूचना देना स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति आदि का मूल्यांकन व पड़ताल भी विकास संचार में सम्मिलित किये जा सकते है।

भारत में स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमः 1952 से ही भारत में जनसंख्या नियंत्रण के लिये चिकित्सकीय उपायों की व्यवस्था की गयी। 1977-78 में इस क्षेत्र में परिवार कल्याण की अवधारणा स्वीकार की गयी। इसमें क्लिनिकल उपायों के साथ, स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ोत्तरी, मातृ व शिशु कल्याण के लक्ष्य जोड़े गये।

भारत में जनस्वास्थ्य की दृष्टि से पल्स पोलियो अभियान को 1995 में अपनाया गया। दसवीं पंचवर्षीय योजना में एक बढ़ी हुई राशि इसके लिये आवंटित की गयी। सन् 1977 से देश में मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम चल रहा है। इसी प्रकार फाइलेरिया पर नियंत्रण के लिये सन् 1995 से राष्ट्रीय फाइलेरिया कार्यक्रम चलाना जा रहा है। काला अजार नियंत्रण कार्यक्रम सन् 1990-91 से जारी किया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति सन् 2002 में अपनायी गयी। देश में क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम 1962 से चल रहा है जिसे 1997 में डॉटल प्रणाली के साथ पुनःनियोजित किया गया है। कुष्ठ निवारण कार्यक्रम सन् 1955 से दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम सन् 1976 से सन् 1975-76 से कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम, सन् 1992 से एड्स को रोकने के लिए कार्यक्रम चलाये जा रहे है।

जनमाध्यमों के सकरात्मक उपयोग तथा सहयोग से संक्रामक रोगों के प्रति जनता की जागरूकता बढ़ी है। तथा इन रोगों से होने वाला नुकसान कम हुआ है। आज प्रत्येक संक्रामक रोग नियंत्रण कार्यक्रम सूचना, शिक्षा एवं संचार के जरिये जन-जन तक पहुँच रहा है।

विकास समर्थित संचार एवं स्वास्थ्य व्यवहार: यह देखते हुए कि स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए जनसंचार माध्यमों की भूमिका सीमित है। हमें फिर से अन्तर्वैयक्तिक संचार के साधनों का उपयोग बेहतर रणनीति के साथ करना होगा। मौखिक संचार और व्यक्तिगत संचार में विश्वसनीयता का भाव निहित होता है। जबकि जनसंचार माध्यम चाहे कितना ही बेहतर क्यों न हो, एक अपरिचित माध्यम है, इसी कारण उसकी विश्वसनीयता संदेहास्पद है। यह बात कई शोधों के जरिये भी साबित हो चुकी है। स्वास्थ्य एवं विकास संचार दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए है। भारत जैसे विकासशील देश में यह आवश्यक है कि विकास समर्थित संचार की बेहतर रणनीति तैयार की जाये जो विभिन्न वर्गो के लोगों की समाजिक एवं सांस्कृतिक स्थितियों से मेल खाती हो। केवल जनमाध्यमों के जरिये स्वास्थ्य सूचनाओं के सम्प्रेषण से स्वास्थ्य विकास के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। ऐसे में विकास समर्थित संचार की उपयोगिता बढ़ जाती है। एक स्वास्थ्य संचारकर्ता को निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिये।

1. समुदाय एवं विभिन्न लक्षित समूहों की आवश्यकताओं/जरूरतों का पता लगाना।
2. विभिन्न प्रकार के संचार माध्यमों के प्रति लोगों की पसन्द एवं नापसन्द के सम्बन्ध में जानकारी एकत्र करना।
3. कार्यक्रम की आवश्यकता/जरूरत के प्रति लोगों को तैयार करना।
4. नीति निर्धारण एवं निर्णय लेने वाले शीर्ष स्तर के लागों तक मूलभूत सूचनाओं की जानकारी पहुँचाना।

वर्तमान समय में कार्यकर्ता/प्रसार कर्ता की भूमिका केवल सूचनाओं का हस्तांतरण भर नहीं है। वरन् उसे एक सामाजिक कार्यकर्ता और बदलाव लाने वाले एजेंट के रूप में कार्य करने की जरूरत है।

8.8 पर्यावरण एवं विकास:

पर्यावरण एवं विकास का गहरा अंतर्संबंध है। हम पर्यावरण संरक्षण के बिना विकास की कल्पना नहीं कर सकते। विकास का अर्थ केवल आर्थिक विकास से लगाया जाता था। विकास के इन आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये हमने विशालकाय बांधों का निर्माण कराया, वनों का सफाया

किया, नहरों का जाल बिछाया, खनिजों की खुदाई की। नतीजतन 20वीं शताब्दी आते-आते हम वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना करने लगे। आज विकास केवल आर्थिक विकास के रूप में ही नहीं देखा जा रहा है, उसमें पर्यावरण का प्रश्न भी जुड़ा है। विकास की अवधारणा तभी पूर्ण मानी जाएगी जब हम वर्तमान पीढ़ी के लिए सकरात्मक स्थितियां सृजित करने के साथ-साथ भावी पीढ़ी के लिए भी संसाधनों का संरक्षण करें। यदि विकास की लक्ष्य पर्यावरण की कीमत पर की जाती है तो वह नकारात्मक विकास होगा।

1. पर्यावरण संरक्षण:

पर्यावरण से आशय पर्यावरण की रक्षा, संवर्धन व उसके पूर्वस्थापन से है। आज पर्यावरण संरक्षण एक वैश्विक विषय बन चुका है। इस दिशा में अनेक देशों तथा अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा प्रयास किये जा रहे है। संयुक्त राष्ट्र(यूएन) का नाम इसमें सर्वोपरि है। संयुक्त राष्ट्र की एक अलग शाखा 'संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूएनडीपी के नाम से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सक्रिय है। विश्य बैंक भी कुछ पर्यावरण परियोजनाओं को धन उपलब्ध करा रहा है। इसके अतिरिक्त 'वर्ल्ड वाइडलाइफ फंड' (डब्लूडब्लूएफ), ग्रीन पीस, 'सेव द अर्थ' सहित तमाम गैर-सरकारी संगठन भी इस दिशा में सक्रिय है।

पर्यावरण संरक्षण के लिए वैश्विक स्तर पर अनेक सम्मेलन आयोजित किये गये हैं तथा समझौतों के प्रयास किये गये है। इस दृष्टि से सर्वाधिक चर्चित था सन् 1992 में पहली बार संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित 'विकास एवं पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन'। ब्राजील के रियो द जेनेरियो शहर में आयोजित यह सम्मेलन पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण की कोशिशों की झलक प्रमुख रूप से निम्न सम्मेलनों और बैठकों में मिलती है।

1. पर्यावरण और स्टॉकहोम सम्मेलन-1972
2. प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन, जिनेवा-1979
3. ओजोन संरक्षण पर वियना समझौता-1980
4. क्लोरोफ्लोरो कार्बन पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल-1989

2. पर्यावरण संरक्षण एवं मीडिया:

पर्यावरण संरक्षण के प्रति मीडिया का दृष्टिकोण सामान्य रूप से सकारात्मक रहा है। पर्यावरण के प्रश्न को मीडिया ने सदैव गंभीरता से उठाया है। मीडिया का पूरा सहयोग पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों और पर्यावरण की रक्षा से जुड़े लोगों को प्राप्त हुआ है। वस्तुतः पर्यावरण को

मीडिया ने सदैव आम लोगों के बीच विचार का विषय बनाये रखा है यदि देखा जाय तो मीडिया ही वह तत्व है जो पर्यावरण संरक्षण से आम आदमी को जोड़ने में सक्षम है। लोग मीडिया पर विश्वास करते हैं तथा उसे अपना मित्र मानते है। उसकी सलाह, उसके नजरिये से ही जनमत का निर्माण होता है। मीडिया की इस ताकत का अभी तक पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से पूरा उपयोग नहीं हो पाया है। अभी पर्यावरण 'प्राइम टाइम' विषय नहीं है। कई बार तो इसकी प्रस्तुति अरुचिकर तथा औपचारिक लगती है। मीडिया का प्रभावी उपयोग किया जाये तो लोगों को हम पॉलीथीन, प्लास्टिक के न्यूनतम उपयोग, वॉटर हार्वेसटिंग, जैविक खाद उपयोग के प्रति, वृक्षों के संवर्धन आदि के प्रति आकर्षित कर सकते है।

3. भारत में पर्यावरण संरक्षणः

भारत पर्यावरण संरक्षण के अगुआ देशों में रहा है। 1952 से ही हमारे देश में वृक्षों की रक्षा के लिए वन महोत्सव मनाया जा रहा है। जिसके प्रवर्तक के रूप में कन्हैयालाल मणिक लाल मुंशी का योगदान अमूल्य है।

सन् 1894 से ही हमारे देश की अपनी वन नीति है। 1952 में इसमें संशोधन किया गया तथा फिर से संशोधन के पश्चात 1988 में घोषित राष्ट्रीय वन नीति में पर्यावरण की रक्षा के महत्वपूर्ण उपाय किये गये हैं। 1973 से टाइगर रिज़र्व प्रोजेक्ट का संचालन किया जा रहा है। पर्यावरण मूल्यांकन कार्यक्रम 1978 से चल रहा है। 1982 से विकेन्द्रीकृत पर्यावरण सूचना व्यवस्था लागू है और देश भर में इसके 25 केन्द्र हैं। 1983 से वन्यजीव कानून लागू है। सन् 1992 से ही केंद्र सरकार ने पर्यावरण संरक्षण व जागरूकता के लिये विशेष ध्यानाकर्षण नीति घोषित की है। जैविक विविधता संरक्षण पर 2000 से ही राष्ट्रीय नीति घोषित की गई है। पर्यावरण की रक्षा को 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों के रूप में शामिल किया गया है। भारत में सुन्दरलाल बहुगुणा, मेधा पाटेकर, एमसी मेहता, राजेन्द्र सिंह, वंदना शिवा आदि कई नाम इस देश में पर्यावरण संरक्षण के प्रतीक हैं।

पर्यावरण जागरूरकता के प्रति लोगों को आकर्षित करने में मीडिया सक्रिय सहायता दे रहा है। नेचर वॉच, टर्निंग प्वॉयंट आदि कार्यक्रम लोकप्रिय रहे हैं। इन्वायरमेंट न्यूज, योजना, कुरूक्षेत्र जैसे सरकारी प्रकाशनों के साथ-साथ तमाम पत्र-पत्रिकाओं में नियमित रूप से पर्यावरण संबधी सामग्री व सूचनाएं प्रकाशित होती रहती हैं।

8.8.1 विकास समर्थित संचार में पर्यावरण एवं विकास संबंधी समस्याएं:

संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण और विकास पर गठित विश्व आयोग ने अपनी रिपोर्ट 'हमारा साझा भविष्य' 1987 में प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट को ब्रुंड्टलांड रिपोर्ट(Brundtland Report) भी कहते हैं। इसके अनुसार विकास और पर्यावरण की समस्याओं के बीच संबंध हैं। विश्व के सभी देश एक दूसरे पर पर आर्थिक रूप से निर्भर हो रहे हैं। इस रिपोर्ट में निम्न विषयों पर गंभीर चर्चा प्रस्तुत की गयी ।

जनसंख्या और खाद्य सुरक्षा

प्रजातियों एवं आनुवांशिक संसाधनों का ह्रास

ऊर्जा और

उद्योग

इन रिपोर्ट में सतत् विकास के साथ इस बात पर जोर दिया गया कि हम अपने संसाधनों का उपयोग इस प्रकार करें कि हमारी आवश्यकताएँ भी पूरी हो जाएं और भविष्य के लिए संसाधनों को सुरक्षित रखा जा सके। ब्रुंड्टलांड रिपोर्ट में विकास के साथ पर्यावरण के महत्व पर बल दिया गया। विकास की गति हानिकारक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से प्रभावित होती है। ये गैसें ओजोन परत को नुकसान पहुँचाती है जिससे सूर्य की पराबैंगनी किरर्णे पृथ्वी पर पहुँच कर वातावरण को गर्म कर रही है। इसका असर कृषि से लेकर भूगोल तक सब पर पड़ रहा है।

पर्यावरण को होने वाले नुकसान की रोकथाम के लिए विकासपरक नीति बनाने से पहले तीन बातों की जानकारी आवश्यक है। पहली- पर्यावरण क्षरण के वास्तविक कारणों का पता लगाना। दूसरी- समस्या के समाधान के फायदे और नुकसान के बारे में पता लगाना। तीसरी- सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा इसकी सूचना जन-जन तक पहुँचाना। विकास समर्थित संचार के अंतर्गत निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना आवश्यक है।

1. सूचना और जानकारी को स्थानीय स्तर पर शुरुआती दौर में ही संप्रेषित कर दिया जाये।
2. स्थानीय पर्यावरण समस्या और उससे प्रभावित समुदाय के साथ चर्चा करना।
3. विकास संचार की कार्यप्रणाली पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए लोगों को खुल कर प्रोत्साहित करना।
4. पर्यावरण समस्या के समाधान के लिये लोगों की टिप्पणी लेना, सुझाव लेना एवं चर्चा करना।

8.9 अभ्यास प्रश्न:

प्रश्न 1. विकास संचार से क्या तात्पर्य है? स्पष्ट कीजिए।

प्रश्न 2. जनसंख्या नियंत्रण और परिवार कल्याण में जनसंचार माध्यमों की भूमिका का उल्लेख करें।

प्रश्न 3. विकास संचार और जनसंख्या एवं परिवार कल्याण से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए।

प्रश्न 4. शिक्षा और समाज के विकास में जनसंचार माध्यमों की भूमिका का उल्लेख कीजिए।

प्रश्न 5. पर्यावरण एवं विकास से क्या तात्पर्य है? पर्यावरण संरक्षण में जनसंचार माध्यमों की भूमिका का वर्णन कीजिए।

प्रश्न 6. हमारे देश में वृक्षों की रक्षा के लिए वृक्ष महोत्सव कब से मनाया जा रहा है?

प्रश्न 7. ICAR, CAPAPT, NABARD, RRB, IRDP के पूरे नाम बताइये।

8.10 सारांश:

विकास समर्थित संचार(Development Support Communication-DSC), यूएनडीपी (United Nations Development Programme) और संयुक्त राष्ट्र(United Nations-यूएन) की अन्य एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत की गई। इसका उद्देश्य विकास के लिये विभिन्न स्तर पर कार्य कर रहे अनेक संस्थाओं और विषय-विशेषज्ञों, प्रसार कार्यकर्ताओं, राजनैतिक दलों, नेताओं, मीडिया प्रतिनिधियों, नीति-नियंताओं आदि के बीच में पुल का काम कर सभी को जोड़ना है। विकास में संचार का प्रवाह केवल ऊपर ही नहीं बल्कि क्षैतिज/समान स्तर पर भी होता है जिससे एक स्तर पर कार्य कर रहे लोगों के बीच परस्पर संवाद होता है।

इसी को ध्यान में रखते हुए कई ऐसे क्षेत्रों का चयन किया गया है जो विकास की प्रक्रिया को सहयोग प्रदान करते हैं। इनमें प्रमुख है- कृषि, स्वास्थ्य, पर्यावरण, जनसंख्या और परिवार कल्याण, शिक्षा आदि। त्वरित विकास के लिए विकास वैज्ञानिकों ने इनके लिये अलग से विकास संचार आधारित रणनीति तैयार की है। जिससे विकास की मुख्य क्रिया-प्रक्रिया को सहयोग प्रदान किया जा सके।

विकास के साथ पर्यावरण का सह सम्बन्ध है। अनियंत्रित और अनियोजित विकास ने पर्यावरण को क्षति पहुँचाई है। यदि सतत् विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना है तो पर्यावरण का दोहन और संरक्षण ध्यान से करने की आवश्यकता है।

8.11 शब्दावली:

जनसंख्या नियंत्रण में विकास संचार: जनसंख्या नियंत्रण में विकास संचार का सहयोग महत्वपूर्ण है। तीव्र गाति से बढ़ती हुई जनसंख्या की वृद्धि दर नियंत्रित तभी की जा सकती है जब लोगों की मानसिकता परिवार नियोजन के कार्यक्रमों एवं उनके अनुपालन में हो। भारत दुनिया का पहला देश है जिसने सन् 1952 से ही परिवार नियोजन की नीति अपना रखी है। इस नीति के क्रियान्वयन को जनमाध्यमों का सहयोग मिला है।

विकास समर्थित संचार एवं जनसंख्या और परिवार कल्याण: भारत का आर्थिक एवं सामाजिक ढांचा ऐसा है जो परिवार नियोजन के कार्यक्रमों के प्रति उदासीन एवं विरोधी है। ऐसे में जनमाध्यमों की भूमिका इसमें सीमित है। लोगों को इन कार्यक्रमों के प्रति जागरूक करने में स्थानीय कार्यकताओं की भूमिका अहम हो सकती है वो भी खासकर को इनके बीच से ही निकलकर आएं और इनका प्रतिनिधित्व करें। परिवार नियोजन के प्रति व्यवहार में बदलाव लेना एक लंबी प्रक्रिया है इसलिए यह आवश्यक है कि इससे संबंधित जानकारी, भ्रांतियों, शंकाओं आदि को समय-समय पर दूर किया जाए।

शिक्षा और समाज: राष्ट्रीय विकास के बच्चों को प्राप्त करने के लिए शिक्षा का प्रचार-प्रसार महत्वपूर्ण कारक है। सामाजिक विकास तभी प्राप्त किया जा सकता है जब तक शिक्षा के दीयों को हर घर तक नहीं पहुँचाया जाता। विकास एवं शिक्षा एक दूसरे के प्रयास है। जिस देश में शिक्षा का स्तर जितना बेहतर होता है देश उतना ही विकसित होता है।

पर्यावरण एवं विकास: पर्यावरण एवं विकास का गहरा सम्बन्ध है। हम विकास की कल्पना बिना पर्यावरण संरक्षण के नहीं कर सकते। प्रारम्भ में विकास का अर्थ केवल आर्थिक विकास से लगाया जाता था। आज विकास केवल आर्थिक विकास के रूप में दी देखा नहीं जा रहा उसमें पर्यावरण का प्रश्न भी जुड़ा है।

पर्यावरण संरक्षण: पर्यावरण से आशय पर्यावरण की रक्षा, संवर्धन व उसके पूर्वस्थापन से है। आज पर्यावरण संरक्षण एक वैश्विक विषय बन चुका है। इस दिशा में अनेक देशों तथा अर्तराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा प्रयास किये जा रहे है। सयुंक्त राष्ट्र का नाम इसमें सर्वोपरि है।

भारत में पर्यावरण संरक्षणः भारत पर्यावरण संरक्षण के अगुआ देशों में रहा है। 1952 से ही हमारे देश में वृक्षों की रक्षा के लिए वन महोत्सव मनाया जा रहा है। सन् 1894 से ही हमारे देश की अपनी वन नीति है। 1952 में इसमें संशोधन किया गया तथा फिर से संशोधन के पश्चात 1988 में घोषित राष्ट्रीय वन नीति में पर्यावरण की रक्षा के महत्वपूर्ण उपाय किये गये हैं।

1973 से टाइगर रिज़र्व प्रोजेक्ट का संचालन किया जा रहा है। पर्यावरण मूल्यांकन कार्यक्रम 1978 से चल रहा है। 1982 से विकेन्द्रीकृत पर्यावरण सूचना व्यवस्था लागू है जो अपने 25 केन्द्रों की मदद से सक्रिय है। 1983 से वन्यजीव कानून लागू है। सन् 1992 से ही केंद्र सरकार ने पर्यावरण संरक्षण व जागरूकता के लिये विशेष ध्यानाकर्षण नीति घोषित की है। जैविक विविधता संरक्षण पर 2000 से ही राष्ट्रीय नीति घोषित की गई है। पर्यावरण की रक्षा को 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों के रूप में शामिल किया गया है।

8.12 संदर्भ ग्रंथसूची:

1. Shukla, K.S. : The other side of Development- Socio Psycholosical Implications (Sage Publications: New Delhi), 1987

2. Sharma, S.L. : Social Development: Reflection on the Concept and the Indian Experience- 1990

3. Todaro, M. : The Struggle for Economic Development (New York LondonLongman)

4. Report, 1992 : World Environmet Development, 1992

5.UGC Website, URL http://www.ugc.ac.in/oldpdf/alluniversity.pdf retrieved on 27 oct 2013

8.13 सहायक/उपयोगी पाठ्यसामग्री:

1. प्रसार शिक्षा एवं सूचना तंत्र: डॉ जितेन्द्र चैहान।
2. मास कम्यूनिकेशन इन इंडियाः केवल जे कुमार
3. मास मीडिया एंड नेशनल डेवलपमेन्टः विल्बर श्राम

8.14 निबंधात्मक प्रश्न:

1. विकास संचार की संकल्पना पर प्रकाश डालिये।
2. जनसंख्या वृद्धि के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा करें।
3. विकास संचार के लक्ष्य स्पष्ट करते हुए स्वास्थय चेतना में जनमाध्यमों का योगदान बताएं।
4. विकास और पर्यावरण में सह संबंध है। स्पष्ट कीजिए।

इकाई-09

विकास एवं ग्रामीण प्रसार संगठन

इकाई की रूपरेखा

9.1 प्रस्तावना

9.2 उद्देश्य

9.3 विकास और ग्रामीण प्रसार एजेंसियाँ

9.3.1 अंतरराष्ट्रीय संगठन

9.3.2 राष्ट्रीय संगठन (सरकारी एवं अर्धसरकारी)

9.4 स्वयंसेवी संगठनों की विकास संचार और कृषि प्रसार में आवश्यकता

9.5 प्रभावी संचार/कृषि प्रसार में आने वाली समस्याएं

9.6 अभ्यास प्रश्न

9.7 सारांश

9.8 शब्दावली

9.9 संदर्भ ग्रंथसूची

9.10 सहायक/उपयोगी पाठ्यसामग्री

9.11 निबंधात्मक प्रश्न

9.1 प्रस्तावना:

दूसरे विश्य युद्ध के बाद यूएन का गठन हुआ और नये स्वतंत्र हुए देशों में विकास के चक्र को गति प्रदान करने के लिये प्रयत्न शुरू किए गये। विकास के कई मॉडल सामने आए और उनके क्रियान्वयन के प्रयास प्रारम्भ हो गये। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जहाँ कृषि प्रसार के लिए धन उपलब्ध कराया जाता है वहीं तकनीकी हस्तांतरण एवं वैश्विक स्तर पर हो रहे कृषि विकास, कृषि संचार एवं कृषि प्रसार से सम्बन्धित प्रयोगों को विकासशील एवं अविकसित देशों के साथ साझा किया जाता है।

स्वयंसेवी संगठन प्रशासन और जनता के बीच उत्प्रेरक का काम करते हैं। साथ ही अपने कार्यकर्ताओं द्वारा सरकारी कार्यक्रम और योजनाओं को संबल प्रदान करते हैं। वहीं अभिनव प्रयोग कर लोगों के उत्थान के लिए कार्य करते रहते हैं। इन सभी संगठनों के बावजूद अपेक्षाकृत

परिणाम कभी-कभी नहीं मिल पाते है। ऐसे कारणों को ढूंढने की आवश्यकता है जिससे इनको दूर किया जा सके।

इस इकाई में विकास और ग्रामीण प्रसार संगठन के अंतर्गत विकास और ग्रामीण प्रसार एजेसियाँ, अंतरराष्ट्रीय संगठन, राष्ट्रीय संगठन(सरकारी एवं अर्धसरकारी), स्वयं सेवी संगठनों की विकास संचार और कृषि प्रसार में आवश्यकता एवं प्रभावी संचार/कृषि प्रसार में आने वाली समस्याओं की जानकारी विद्यार्थियों को दी जायेगी।

9.2 उद्देश्य:

इस इकाई के अध्ययन करने पर आप -

- विकास एवं ग्रामीण प्रसार एजेंसियों की अवधारणा को समझ सकेंगे।
- अंतराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय कृषि संगठनों के कार्यो से अवगत हो पायेंगे।
- स्वयंसेवी संगठनों की कृषि प्रसार में भूमिका को समझ सकेंगे।
- कृषि प्रसार की समस्याओं से अवगत हो सकेंगे।

9.3 विकास एवं ग्रामीण प्रसार एजेंसियां:

9.3.1 अतंर्राष्ट्रीय संगठन:

(क) संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन **(Food and Agriculture Organization of the U.N.-F.A.O.)**

इसका गठन 16 अक्टूबर 1995 को खाद्य एवं कृषि संबंधी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के बाद हुआ था। इस संगठन का उद्देश्य पोषण-स्तर तथा जीवन स्तर को बढ़ाना है। इसका प्रमुख कार्य पोषण, खाद्य एवं कृषि सम्बन्धी सूचना संग्रहीत करना है, उनका प्रसार करना एवं विश्लेषण करना है। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए यह संस्था दुनिया के भूमि और पानी के मूल संसाधनों के विकास में योगदान देती है। यह विभिन्न देशों में उन्नत तरीकों का प्रचार करती है तथा मवेशियों की भयंकर बीमारियों/महामारियों को रोकने की व्यवस्था करती है। वह इन क्षेत्रों में तकनीकी सहायता देती है। जैसे पौष्टिक खुराक और खाने-पीने की चीजों की व्यवस्था, भूमि के कटाव को रोकना, सिंचाई, इंजीनियरी, फिर से जंगल लगाना, खाने-पीने की चीजों को नष्ट होने से बचाना और रासायनिक खाद तैयार करना। इस समय इस संगठन के सैकड़ों विशेषज्ञ देशों में सक्रिय है।

अंतरराष्ट्रीय खाद्य और कृषि संगठन में 183 सदस्य देश हैं। संगठन के अन्तर्गत 49 सदस्यों की परिषद् है, जिसे विश्व खाद्य परिषद् कहा जाता है। इसका एक सचिवालय होता हैं जिसकी अध्यक्षता प्रमुख संचालक करता हैं जो सम्मेलन के द्वारा चुना जाता है। इसका मुख्यालय रोम (इटली) में है।

(ख) मैकब्राइड कमीशन की सिफारिशें

1976 में यूनेस्को ने विश्व भर में जनसंचार माध्यमों और उनके द्वारा सम्प्रेषित सूचना के असंतुलन का अध्ययन करने के लिए आयरलैंड के राजनीतिज्ञ शॉन मैकब्राइड, की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। अविकसित और विकासशील देशों में जनमाध्यमों के प्रसार और उनके उपयोग के संबंध में उन्होंने विस्तृत रिपोर्ट तैयार की। इसके मुताबिक विकास की नीति और उसकी प्रक्रिया का जनता से फासला मिटाया जाना चाहिए। इस दिशा में विकास संचार को काम करना चाहिए। कृषि, स्वस्थ्य एवं परिवार नियोजन, शिक्षा, धर्म, उद्योग आदि में इसकी भूमिका प्रमुख है। स्थानीय स्तर पर रेडियो एवं टेलीविजन सामुदायिक कार्यक्रम का निर्माण कर सकते हैं। इसके साथ ही सामुदायिक रूप से सुनने और देखने के लिए सामुदायिक रेडियो और टेलीविजन का प्रसार आवश्यक है। जनमाध्यमों का प्रयोग शिक्षा और सूचना के सम्प्रेषण में अधिक होना चाहिये। ये माना गया कि संचार के साधनों की उपलब्धता प्रसार कार्यक्रमों को गति प्रदान कर सकती है।

9.3.2 राष्ट्रीय संगठन

1871 में ब्रिटिश हुकूमत ने भारत में कृषि विभाग की स्थापना की, इसके पश्चात् 1882 में सभी राज्य सरकारों के अधीन कृषि विभागों की स्थापना की गयी। 1905 में गर्वनर जनरल लॉर्ड कर्जन के कृषि शिक्षा अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए अपने एक व्यवसायिक मित्र हैनरी फिफ्स की आर्थिक सहायता से बिहार में पूसा की स्थापना की। पूसा जगह का नामकरण हेनरी फिफ्स, यूएसए के नाम पर किया गया। बाद में इसे दिल्ली में स्थापित किया गया। पूरे देश में कृषि अनुसंधान के समायोजन और मार्गदर्शन हेतु नीति और संगठन बनाने के लिए 1926 में शाही कृषि आयोग (Royal Commission of Agriculture) की स्थापना की गई। इस आयोग ने 23 मई 1929 को ''इम्पीरियल कौंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च'' की स्थापना का एक प्रस्ताव भारत सरकार के पास भेजा। 21 जून 1929 को आई॰सी॰ए॰आर॰ की पहली बैठक हुई तथा 16 जुलाई 1929 को आसीएआर की स्थापना हुई तथा जून 1947 को इसका नाम ''भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद'' (Indian Council of Agriculture research) कर दिया गया।

1 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ICAR

इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई थी लेकिन शिक्षा, अनुसंधान और प्रसार शिक्षा के कुशल नेतृत्व व मार्गदर्शन के लिए इसे सन् 1963 व 1975 में पुनर्गठित किया गया। इसके दो कार्यक्षेत्र हैं-

1. कृषि, पशुपालन एवं मछली पालन शिक्षा, अनुसंधान एवं क्रियान्वयन
2. कृषि एवं पशु चिकित्सा के क्षेत्र में अनुसंधान को प्रोत्साहित करना।

आई॰सी॰ए॰आर॰ अध्ययन समिति (1988) ने इसके कार्य क्षेत्र में परिवर्तन की सिफारिश की। उसने कहा कि निर्धारित कार्यक्रमों के अतिरिक्त तकनीकी स्थानान्तरण, प्रकाशन और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में भी इसे सहायता करनी चाहिए।

कृषि शिक्षा, कृषि अनुसंधान और कृषि प्रसार में एक प्राकृतिक सम्बन्ध है। जब प्रसार कार्य औपचारिक रूप से प्रारम्भ नहीं हुआ था तब भी वैज्ञानिक इस कार्य को करते थे- मिसाल के लिए वैज्ञानिक किसानों से मिलकर उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी हासिल करते थे उनका मार्गदर्शन करते थे। 1950 के दशक में इलाहाबाद एग्रीकल्चर इन्स्टीट्यूट (नैनी) इलाहाबाद, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली व कृषि महाविद्यालय सावौर (भागलपुर), बिहार में कुछ प्रसार कार्यक्रम आयोजित किये गये थे।

इसके पश्चात् भारत के अन्य कृषि संस्थानों में प्रसार कार्य होने लगा। 1958 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने अमेरिका के 'लेन्ड ग्रान्ट कालेज' की शिक्षण पद्धति के आधार पर शिक्षा, अनुसंधान व प्रसार पद्धिति को अपनाना प्रारम्भ किया। 1960 में पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पन्तनगर (उ॰प्र॰) में हुई, जिसमें तीनों प्रकार की गतिविधियों (शिक्षा, अनुसंधान व प्रसार) को समावेशित किया गया। 1963 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के मुख्यालय में प्रसार कार्यो के मूल्याकंन व प्रोत्साहित करने के लिए प्रसार विभाग की स्थापना की गई। 1965 में कृषि मंत्रालय ने ''राष्ट्रीय प्रदर्शन परियोजना'' (National Demonstrate Project) के कृषि के प्रसार विभाग को स्थानान्तरित कर दिया। 1973 में ''व्यावहारिक अनुसंधान परियोजना (Operation Research Project) कृषि विज्ञान केन्द्र (1974) और 'प्रयोगशाला से खेतों एवं परियोजना (Lab to land Project) को ICAR (1979) ने तकनीकी स्थानान्तरण योजना के अन्तर्गत प्रारम्भ किया।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उद्देश्य:

1. किसानों, प्रसार कार्यकताओं और राज्य कृषि वि॰वि॰ तथा अशासकीय संगठन की आवश्यकता को शीघ्र पूरा करने व तकनीकी के उत्पादन व ग्रहण करने में समय कम करने के लिए नवीनतम तकनीकी के प्रदर्शन आयोजित करना।

2. भारतीय परिस्थितियों में कृषि तकनीकी के प्रदर्शन आयोजित करना।

3. कृषि की समस्याओं और तकनीकी के लिए प्रमुख वैज्ञानिकों के द्वारा फीड बैक करना और आवश्यकतानुसार शिक्षा, अनुसंधान व प्रशिक्षण के कार्यक्रमों में परिवर्तन करना।

4. राज्य के कृषि विभागों व अन्य अशासकीय संगठनों के प्रशिक्षण एवं संचार के क्षेत्र में सहायता करना।

5. राष्ट्रीय स्तर पर कृषि शिक्षा, अनुसंधान एवम् प्रसार कार्य को प्रोत्साहन देने, नीति निर्धारण तथा कृषि विश्वविद्यालय, शोध संस्थाओं को वित्तिय सहायता एवं मार्गदर्शन देना।

कृषि तकनीकी स्थानान्तरण में भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद की भूमिका-

''आई॰सी॰ए॰आर॰'' एक शीर्ष संगठन है, जो विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है। इसके 46 आई॰सी॰ए॰आर॰ संस्थान, 28 राष्ट्रीय शोध संस्थान, 4 राष्ट्रीय ब्यूरो, 10 परियोजना निदेशालय, 82 अखिल भारतीय समन्वित परियोजनाएँ, 38 राज्य कृषि विश्वविद्यालय, 1 केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय तथा 4 डीम्ड विश्वविद्यालय, 490 कृषि विज्ञान केन्द्र तथा 8 प्रशिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र कार्यशील हैं।

आई॰सी॰ए॰आर॰ इन संस्थाओं के माध्यम से किसानों को नई तकनीकी अपनाने के लिए प्रेरणा देती है व प्रशिक्षण प्रदान करती है। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सामान्यतः स्थानीय फसलों की खेती, खेती की एकमुश्त पद्धतियाँ काम में लाना, और पौध संरक्षण, पशुओं का आहार और देशभाल, कुक्कुट पालन, नलकूप संचालन, सिचाई और जल नियंत्रण, पोषण, पाक विधि, स्वस्थ्य विज्ञान, खाद्य प्रसंस्करण और पाककला कृषि उत्पादों का विपणन, मछली पकड़ना और बाजार में बेचना आदि विषय सम्मिलित हैं।

आई॰सी॰ए॰आर॰ ने केवल कृषकों के प्रशिक्षण की ही व्यवस्था नहीं की है बल्कि प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण की भी प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से व्यवस्था की है। कृषि विज्ञान केन्द्र किसानों और मछुआरों के व्यावहारिक और दक्षता प्रशिक्षण देने के लिए आधुनिक संस्थान बनते जा रहे है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद ने देश के विभिन्न भागों में सात ऐसे प्रशिक्षक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की है, जहाँ कृषि विज्ञान केन्द्रों के प्रशिक्षकों,

सेवारत अन्य कर्मचारियों और व्यावसायिक कृषि संस्थानों के अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाता है।

2.कृषि विज्ञान केन्द्र

कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है। देश की उन्नति का सम्बन्ध कृषि की प्रगति से जुड़ा हुआ है। खेती की उपज बढ़ाने के लिए खेती-बाड़ी करने वाले किसानों, कर्मचारियों तथा कृषि अध्यापकों तथा प्रशिक्षकों का उचित प्रशिक्षण अत्यन्त महत्वपूर्ण है। विभिन्न शिक्षा संस्थानों का ध्यान इस पहलू की ओर विभिन्न क्षेत्रों में गया हैं परन्तु उनमें कुछ निम्नलिखित कमियाँ नजर आती हैः-

(क) अपर्याप्त विषय-वस्तु

(ख) शैक्षणिक दृष्टिकोण और प्रशिक्षण के तरीके।

(ग) व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिये सुविधाओं का अभाव।

(घ) प्रशिक्षण की तात्कालिक आवश्यकताओं से तालमेल की कमी।

(ड) गुण की अपेक्षा मात्रा पर अधिक जोर देना और

(च) प्रशिक्षण आधारभूत संरचना के लिए सीमित वित्तीय सहायता।

इन आधारभूत अवरोधों को दूर करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्र खोले गये।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि- कृषि विज्ञान केन्द्र एक नया आयाम है। यह योजना किसानों और मछुआरों के लाभ के लिए बनायी गयी है और इसका मुख्य लक्ष्य ठीक देहात के बीच प्रशिक्षण देने वाला बुनियादी ढाँचा खड़ा कर देना है।

कोठारी शिक्षा आयोग ने (1964-66) में यह सिफारिश की थी कि ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले बहुत से छात्र-छात्राओं को कृषि और सम्बन्धित क्षेत्रों के व्यवसायिक प्रशिक्षण देने के लिए विशिष्ट संस्थानों की स्थापना के लिए जोरदार प्रयास करने चाहिए। इसलिए आयोग ने ऐसे संस्थानों का नाम कृषि पॉलिटेक्नीक देने का निश्चय किया। इस तरह का कदम कृषि और उसकी संबंधित सेवाओं में काम करने वाले और टेक्नीशियनों को प्रशिक्षण देने के लिए आवश्यक समझा गया, क्योंकि किसानों, विस्तार संगठनों और प्रारंभिक कृषि उद्यागों के लिए इस तरह के प्रशिक्षण की आवश्यकता थी। कृषि पॉलिटेक्नीक की स्थापना की सिफरिश को कार्यान्वित करने के लिए सन् 1966 और 1972 के बीच कई बैठकें और विचार-विमर्श हुए जिनमें शिक्षा खाद्य और कृषि मन्त्रालय, योजना आयोग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा अन्य कृषि संस्थाओं ने

भाग लिया, फिर भी अन्त में इसको अमल में लाने के उद्देश्य से व्यावहारिक योजना तैयार करने का भार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पर पड़ा। अनेक स्तरों पर लंबे विचार-विमर्श के बाद भारतीय अनुसंधान परिषद इस कार्यक्रम को ''विज्ञान केन्द्र' के रूप में चलाने के लिए सहमत हुआ। बाद में इनका नाम 'कृषि विज्ञान केन्द्र' रखा गया न कि कृषि पॉलिटेक्नीक।

कृषि विज्ञान केन्द्र और कृषि पॉलिटेक्नीक में भिन्नता है। इन कृषि विज्ञान केन्द्रों में सर्टिफिकेट या डिप्लोमाधारी लोगों के लिए प्रशिक्षण देने का कोई विचार नहीं है। क्योंकि ये लोग आरामदेह नौकरियां ढूँढने वाले होते है। दूसरे शब्दों में कृषि विज्ञान केन्द्र का उद्देश्य खेती-बाड़ी करने वाले किसानों, विस्तार कर्मचारियों अथवा जो लोग अपने को अपने ही किसी धंधे में लगाना चाहते हो, उन सबको व्यावसायिक प्रशिक्षण देना है।

इस प्रकार संस्थावों के महत्व और भविष्य को देखते हुए राष्ट्रीय कृषि आयोग (1971-73) ने यह सिफारिश की कि छठी पंचवर्षीय योजना के तहत देश के प्रत्येक जिले में एक कृषि विज्ञान केन्द्र अवश्य खुल जाये और सन् 2000 तक प्रत्येक जिले में तीन कृषि विज्ञान केन्द्र खोले जायें।

इस कार्यक्रम को तेजी से लागू करने के लिए भारतीय अनुसंधान परिषद ने केन्द्रों की स्थापना के पूरे विवरण तैयार करने के उद्देश्य से सन् 1973 में डॉ मोहन सिंह मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस समिति ने 1974 में कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना, गठन और प्रबंध के विभिन्न पहलुओं पर परिषद को एक रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट के पेश होने के बाद ही सन् 1974 में पॉडिचेरी में पहले कृषि केन्द्र की स्थापना की गई।

कृषि विज्ञान केन्द्र तीन बुनियादी सिद्धान्तों पर आधारित है। पहला- कृषि उत्पादन इसका मुख्य ध्येय हैं, दूसरा- प्रशिक्षण और शिक्षा देने की विशेष प्रणाली काम के अनुभव के माध्यम से अर्थात आदमी काम भी करता रहे और सीखता भी रहे। तीसरा- गाँव की आबादी के कमजोर वर्ग पर ज्यादा जोर दिया जाये। इसके पीछे यह सिद्धान्त है कि उत्पादन प्रणाली में सामाजिक न्याय हो और इसकी शुरुआत समाज से ज्यादा जरूरतमंद और योग्य वर्ग से की जाय।

उद्देश्य

1. खेती-बाड़ी करने वाले किसानों, पुरूषों और महिला तथा विस्तार कर्मचारियों के लिए उनकी तात्कालिक समस्याओं पर परिक्षण और इसके बाहर दक्षता और उत्पादन सम्बन्धी अल्पकालीन और दीर्घकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन ।

2. युवा किसानों, विशेष रूप से ऐसे युवा जिन्होंने बीच में ही स्कूल की शिक्षा छोड़ दी हो उन लोगों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और गैर सरकारी स्तर पर शैक्षणिक गतिविधियों का आयोजन ताकि उन लोगों में अपनी खेती करने या अपना ही रोजगार करने में खेती की आधुनिक प्रणाली के प्रति विश्वास और योग्यता पैदा हो सके।

3. किसानों को अधिक वैज्ञानिक सूचनायें देकर उन्हें जागरूक बनाने के उद्देश्य से कृषक दिवस, किसान मेले, रेडियो परिचर्चा सूचना केन्द्र, चर्चा मण्डल आदि शैक्षणिक कार्यक्रमों का विकास।

4. सम्बन्धित स्थानीय एजेन्सियों से मिलकर किसानों के लिए क्रियात्मक साक्षरता कार्यक्रमों का आयोजन।

5. ग्रामीण पाठशालाओं तथा गाँवों में कृषि विज्ञान क्लबों (फार्म साइन्स क्लब) का आयोजन ताकि युवा पीढ़ी में कृषि तथा उससे सम्बन्धि विज्ञानों के प्रति रूचि तथा सम्मान पैदा किया जा सके।

6. किसानों तथा विस्तार कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण तथा सूचना दने की दिशा आवश्यक कदम उठाना।

7. पड़ोसी गाँव के स्कूलों और कृषि तथा सम्बन्धित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों को क्रियात्मक अनुभव कराने के लिए कृषि विज्ञान केन्द्रों में व्यवहारिक प्रशिक्षण सुविधा देना।

सिद्धान्त

कृषि विज्ञान के सैद्धान्तिक और कार्यकारी विवरण उपरोक्त अनुच्छेदों में दिया गया है। कार्यक्रम को अमल में लाते समय कमचारियों को कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु ध्यान में रखने होंगे।

- गाँव के लोगों विशेषकर निचले वर्ग के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- 'करो और सीखो' के सिद्धांत पर किसानों और मछली पालकों की वैज्ञानिक समझ और शिक्षा पर आधारित कार्य-अनुभव के द्वारा दक्षतापरक प्रशिक्षण देना होगा।
- प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आधार- कष्ट निवारक विश्लेषण होना चाहिए। मौजूदा प्रौद्योगिकी और वास्तविक अमल के बीच अंतर को समझकर आवश्यकता आधारित पाठ्यक्रम चलाने चाहिए।
- पढ़ाई में कमजोर युवकों एवं कृषि में रुचि रखने वाले किसानों का चयन विशेष रूप से किया जाना चाहिये।
- दीर्घकालीन कार्यक्रमों की जगह अल्पकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम होना चाहिए।

- किसानों के प्रशिक्षण और बाद के कदमों के लिए जरूरी है कि कृषि से संबंधित सभी एजेंसियों से संपर्क बनाया जाए। प्रशिक्षण का आधार जहाँ नयी विधियाँ हो वहाँ सेवा और साधन भी उपलब्ध होने चाहिए।
- प्रशिक्षकों का चयन व्यक्तिगत गुणों के आधार पर तो ही साथ ही व्यावसयिक उपलब्धियों के अलावा किसानों के प्रति सेवा की भावना भी उनमें होनी चाहिए।
- प्रशिक्षकों की गुणवत्ता पर जोर दिया जाता है न कि किसानों या सेवारत कमचारियों की संख्या पर, इसलिए इन केन्द्रों का क्षेत्र और प्रशिक्षार्थियों की संख्या सीमित रखी जाये।
- चालू कार्यक्रमों में रोजमर्रा के सुधार लाने के प्रशिक्षण से पूर्वः प्रशिक्षण के बाद में आंकलन की विधि को स्थायी बना देना चाहिए। अपने आप आंकलन की विधि को समझना चहिए और प्रशिक्षण कर्मचारियों को समझाया जाय।

1. नाबार्ड **National Agriculhral Bank for Rural Developmat**

नाबार्ड की स्थापना भारत सरकार ने एक विकास बैंक के रूप में की है। इसे कृषि, लघु उद्योगों, कुटीर एवं ग्रामोद्योगों, हस्तशिल्प और अन्य ग्रामीण शिल्पों के विकास और संवर्धन हेतु, ऋण प्रवाह सुगम बनाने का आदेश दिया गया है। इसे ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य सभी अनुषांगी आर्थिक गतिविधियों के लिए सहायता देने, समन्वित और दीर्घकालिक ग्रामीण विकास के संवर्धन और ग्रामीण क्षेत्रों की समृद्धि के साथ-साथ इससे संबधित और अनुषांगिक विषयों के लिए सहायता देने का आदेश भी प्राप्त है, ग्रामीण समृद्धि सुनिश्चित करने की नाबार्ड की भूमिका के निर्वहन के लिए उसे निम्न कार्य सौंपे गए हैः-

1. ग्रामीण क्षेत्रों की ऋणदाता संस्थाओं को पुनर्वित्त उपलब्ध कराना।
2. संस्थागत विकास प्रवर्तित या संबंधित करना और
3. ग्राहक बैंकों का मूल्यांकन और निरीक्षण करना।

इन प्रमुख कार्यों के अतिरिक्त नाबार्ड निम्नलिखित कार्य भी करता है।

- ग्रामीण ऋणदाता संस्थाओं के परिचालन में समन्वय करना।
- ग्रामीण विकास से जुड़े मामलों में सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य पाठकों की सहायता प्रदान करना ।

- बैंको, सहकारी संस्थाओं और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कार्यरत संगठनों को प्रशिक्षण एवं अनुसंधान की सुविधांए प्रदान करना।
- कृषि एवं ग्रामीण विकास में सलंग्न पात्र संस्थाओं को वित्तिय सहायता उपलब्ध कराने के लक्ष्य के प्राप्ति में राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करना।

भूमिका एवं कार्य:

- नाबार्ड एक शीर्ष संस्था है जिसे ग्रामीण इलाकों में कृषि और अन्य आर्थिक कार्यकलापों हेतु, ऋण के क्षेत्र में नीति, आयोजना और परिचालन से संबंधित सभी मामलों के लिए अधिकृत किया गया है।
- यह ग्रामीण इलाकों में विभिन्न विकास कार्यों हेतु निवेश एवं उत्पादन ऋण उपलब्ध कराने वाली संस्थाओं के लिए शीर्ष स्तर की पुनर्वित्त एजेंसी है।
- यह ऋण वितरण प्रणाली की ऋण उपयोग क्षमता बढ़ाने के लिए संस्था निर्माण के उपाय करता है। जिसमें मॉनिटरिंग करना, पुनर्वास योजनाएँ तैयार करना, ऋण संस्थाओं की पुनः संरचना करना, कर्मिकों को प्रशिक्षित करना आदि शामिल है।
- यह फील्ड स्तर पर विकास कार्य करने वाली सभी संस्थाओं के ग्रामीण वित्त-पोषण कार्यों का समन्वय करता है और भारत सरकार, राज्य सरकारों, भारतीय रिजर्व बैंक और नीति निर्माण से संबद्ध राष्ट्रीय स्तर की अन्य संस्थाओं के साथ संपर्क रखता है।
- यह वार्षिक आधार पर देश के सभी जिलों के लिए ग्रामीण ऋण योजनाएँ बनाता है जो समस्त ग्रामीण वित्तिय संस्थाओं की वार्षिक ऋण योजनाओं का आधार बनती हैं।
- यह जिन परियोजनाओं के लिए पुनर्वित्त प्रदान करता है उनको मॉनिटरिंग और मूल्यांकन का काम करता है।
- यह ग्रामीण बैंक, कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देता है।

4. सामुदायिक विकास योजना (**Community Development Programme**)

देश के स्वतंत्र होने के पश्चात् भारत सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए कई प्रयोग किये, उनमें से एक प्रभावी प्रयोग सिद्ध हुआ, Etawan Pilot Project। इस योजना में सरकार को काफी उत्साह जनक परिणाम प्राप्त हुए। आगे चलकर सरकार ने एक नयी योजना 2 अक्टूबर1952 से प्रारम्भ की और इस योजना को नाम दिया गया सामुदायिक विकास योजना। विशेषज्ञों का मानना था, कि देश में एक ऐसा संगठन स्थापित किया जाय जिसका मुख्य उद्देश्य सर्वांगीण ग्रामीण विकास

हो एवं इस उद्देश्य को प्राप्त करने में सभी देशवासियों का सहकारिता के आधार पर सहयोग हो। ग्रामीण क्षेत्र में मानव विकास स्त्रोत विकसित किये जाएं। जिससे ग्रामीण विकास के विभिन्न द्वार खुलें। इस दिशा में महात्मा गाँधी, रवीन्द्रनाथ टैगोर एवं इटावा पायलट प्रोजेक्ट के सफल परिणाम भी सभी जानते थे, उन्हीं आधार बिन्दुओं को आधार बनाकर यह योजना प्रारम्भ की गई। इस विषय में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चौथे विकास आयुक्त सम्मेलन में कहा था कि यह योजना विदश की कोई नकल नहीं है, यद्यपि हम अन्य देशों से बहुत कुछ सीख चुके हैं। ये भारत की परिस्थितियों में भारत के विकास के लिए बहुत आवश्यक है।

इस योजना का मूल दर्शन था- सहकारिता एवं स्वयं सहायता, जो इस देश को एक नया भारत बनायेगी। इस प्रकार सामुदायिक विकास योजना गाँव की सामाजिकता एवं आर्थिक दशा को बदलने की एक एजेंसी है। सामुदायिक योजना के तीन मूलभूत उद्देश्य निर्धारित किये गये हैं।

1. ग्रामीण समुदाय का सर्वांणीण विकास करना।
2. ग्रामीणजनों के मध्य सामुदायिक जीवन पद्धति को विकसित करना।
3. ग्रामीणों में जिम्मेदारी की भावना विकसित करना, विश्वास पैदा करना, स्वयं प्रेरित होकर कार्य करने की प्रेरणा तथा स्थानीय नेतृत्व एवं संस्थाएँ विकसित की जायें जो उस क्षेत्र की समस्याओं को अपने स्तर से निस्तारण कर सकें।

योजना आयोग पर इटावा अग्रगामी योजना के परिणामों का गहरा प्रभाव पड़ा। योजना आयोग ने इस योजना के वृहद प्रभाव के अध्ययन के लिए इसे देश के विभिन्न 15 क्षेत्रों में फोई फाउन्डेशन (अमेरिका) के सहयोग से लागू किया। इसके साथ ही चार ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना भी की। इसके अनुभव के बाद केन्द्र सरकार ने 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास योजना प्रारम्भ की। इस कार्यक्रम के निर्माण में तीन प्रख्यात अमेरिकी विशेषज्ञों ने विशेष योगदान दिया। ये थे- डगलस एन्सिमगर जो भारत में फोर्ड फाउन्डेशन के प्रमुख थे, चेस्टर बाउत्स तथा विश्वविख्यात समाजशास्त्री कार्लटेलर।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मूलदर्शनः

1. व्यक्ति का विकास।
2. परिवार का विकास।
3. व्यक्ति में जिम्मेदारी एवं स्वयं प्रेरणा का विकास।
4 सामुदायिक विकास।
5. व्यक्ति में सहकारिता का विकास।

6. विज्ञान के प्रति विश्वास ।

7. ग्रामीण नेतृत्व का विकास।

8. ग्रामीण संस्थाओं का विकास।

9. सामुदायिक विकास के लिए अन्य संसाधनों का विकास।

10. ग्रामीण समाज का सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक विकास आदि।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम के मुख्य सिद्धांत

1. सामुदायिक विकास कार्यक्रम की कार्य योजना, समुदाय की आवश्यकताओं पर आधारित होगी।

2. सामुदायिक विकास की पूर्व एवं संतुलित आवश्यकता की पूर्ति के लिए बहुउद्देशीय कार्यक्रम स्थापित किये जाएंगे।

3. विकास के प्रारंभ में उपलब्धियों के साथ व्यक्ति की अभिव्यक्ति में परिवर्तन करना आवश्यक होगा।

4. सामुदायिक विकास कार्यक्रम में स्थानीय व्यक्ति एवं नेतृत्व की पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी तथा निष्क्रिय स्थानीय प्रशासन को सक्रिय करना होगा।

5. प्रत्येक कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नतृत्व की पहचान करना, उनका उत्साहवर्धन एवं प्रशिक्षण देना होना चाहिए।

6. सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को पूर्ण प्रभावी बनाने के लिये आवश्यकतानुसार राजकीय सहायता उपलब्ध कराना।

7. सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में ग्रामीण युवाओं की सहभागिता सुनिश्चित करना।

8. राष्ट्रीय स्तर पर सामुदायिक विकास के कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए अनुरूप नीतियों का अधिग्रहण, विशेष प्रशासन व्यवस्था, कार्यकताओं की भर्ती एवं प्रशिक्षण, स्थानीय एवं राष्ट्रीय संस्थानों का सहयोग, अनुसंधान प्रायोगिक एवं मूल्यांकन संगठन की आवश्यकतानुसार आपूर्ति की जानी चाहिए।

9. सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिए स्थानीय, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय अशासकीय संगठनों का पूर्ण सहयोग लेना चाहिए।

10. राष्ट्रीय एवं स्थानीय स्तर पर सामाजिक आर्थिक प्रगति करना आवश्यक है।

कार्यक्रम

1. कृषि और संबंधित क्षेत्र- इसमें भूमि सुधार, सिंचाई की व्यवस्था, बीज, खाद की व्यवस्था और सब्जी की खेती, पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम चलाये जाते हैं।

2. सहकारिता का विकासः नई विकास समिति को खोलना तथा पुरानी समितियों का पुनर्गठन करना।

3. रोजगार की व्यवस्था करनाः उनके लिये ग्रामीण और कुटीर उद्योगों के विकास का कार्यक्रम चलाना।

4. यातायातः सड़कों के विकास के साथ-साथ अन्य यातायात के साधनों का विकास करना।

5. शिक्षाः अनिवार्य ओर निःशुल्क शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम।

6. स्वास्थ्यः स्वच्छता का कार्यक्रम, बीमारी की देख-रेख और जच्चा-बच्चा की व्यवस्था का कार्यक्रम।

7. प्रशिक्षणः दस्तकारों को प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

8. समाज कल्याणः सामुदायिक मनोरंजन तथा समाज कल्याण व परिवार नियोजन के कार्यक्रम चलाना।

5. राष्ट्रीय विस्तार सेवा **(National Extension Services):**

सन् 1953 में अधिक अन्न उपजाओ योजना का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। जिसमें सारे देश में राष्ट्रीय विस्तार सेवा लागू करने का सुझाव दिया। ये सेवाएं 2 अक्टूबर, 1953 से प्रारम्भ कर दी गई। ताकि दस साल की अवधि में सारे भारत में कृषि विस्तार का कार्य सुचारू रूप से प्रारम्भ किया जा सके। राष्ट्रीय विस्तार सेवा सामुदायिक विकास कार्यक्रम से निम्न प्रकार से भिन्न थी-

1. राष्ट्रीय विस्तार सेवा में बजट, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की तुलना में कम रखा गया है।

2. राष्ट्रीय विस्तार सेवा का मुख्य उद्देश्य समुदाय की सर्वांगीण उन्नति के कार्यक्रम संचालित करना है।

3. राष्ट्रीय विस्तार सेवाएँ, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की तुलना में काफी स्थाई हैं। राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्य आज भी चल रहा है। यद्यपि इसकी रूपरेखा अब काफी बदल चुकी है। जनतंत्रिक विकेन्द्रीकरण से पूर्व-1953-55 तक राष्ट्रीय विस्तार सेवायें तीन स्तरों पर कार्य कर रही थीं, ये स्तर निम्न प्रकार थे-

पूर्व गहन विकास स्तर: इस स्तर का समय तीन वर्ष रखा गया। इस अवधि में लोगों को कृषि प्रसार के प्रति जागरूक करना था तथा विकास कार्यो में रुचि उत्पन्न करना था ताकि वे आगे आने वाले स्तर के लिये खुद को तैयार रख सकें।

गहन विकास स्तर: इस स्तर में तीन साल के व्यय के लिए काफी धनराशि रखी गई ताकि प्रत्येक विकासखण्ड पूरी तरह से संस्थापित हो सकें, कार्यालय एवं आवास भवन निर्माण करा सके तथा विशेषज्ञों की नियुक्ति हो सके। इस अवधि में कृषि प्रदर्शन के लिये भी काफी धनराशि रखी गई तथा प्रत्येक विकास खण्ड को वहन की सुविधा प्रदान की गई।

गहन विकासोत्तर: इस अवधि में कार्यालयों एवं आवास भवनों का निर्माण पूर्ण कर दिया गया। विकासखण्ड कर्मचारियों के वेतन के अलावा अन्य व्यय में कटौती कर दी गई।

लेकिन यह व्यवस्था कारगर नहीं हो पायी तथा सन् 1958 के बाद यह त्रिस्तरीय कार्यक्रम दो स्तरों में बदल दिया गया तथा इन स्तरों की अवधि भी तीन वर्ष से पांच वर्ष कर दी गई।

6. कापार्ट **(CAPART- Council for Advancement of People's Action and Rural Development):**

कापार्ट का गठन सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत 1 सितम्बर 1986 को किया गया जिसका केन्द्र नई दिल्ली में है। इसका मुख्य उद्देश्य अशासकीय संगठन को आर्थिक सहायता प्रदान करना और उन्हें अधिक सक्रिय एवं प्रोत्साहित करना। इन उद्देश्य की पूर्ति के लिए कापार्ट निम्नलिखित क्षेत्रों में कार्य करने वाले अशासकीय संगठनों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है।

1. ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कार्यरत संगठन।
2. ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं एवम बाल विकास के कार्यक्रम ।
3. ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम।
4. केन्द्रीय ग्रामीण आपूर्ति कार्यक्रम।
5. गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वालों का आर्थिक सामाजिक स्तर ऊँचा उठाने वाले कार्यक्रम।
6. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम।
7. जवाहर रोजगार योजना।
8. उच्च स्तरीय ग्रामीण तकनीकी योजना।
9. पंचायती राज।

10. विस्थापितों का पुनर्वास।

कापार्ट को केंद्र और राज्य सरकारें अनुदान प्रदान करती हैं तथा इसको अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी सहयोग प्राप्त करती है। कापार्ट की छह क्षेत्रीय समितियाँ जयपुर, अहमदाबाद, हैदाराबाद, भुवनेश्वर, मोतीहारी और लखनऊ में स्थापित हैं. ये समितियाँ विभिन्न परियोजनाओं की संस्तुति प्रदान करती हैं।

9.4 विकास संचार और कृषि प्रसार में स्वयंसेवी संगठनों की आवश्यकता:

विकास संचार और कृषि प्रसार के माध्यम से यह प्रयास किया जाता है कि लोगों में विकास के प्रति चेतना विकसित की जाय। विकास कार्यक्रमों की लोगों को जानकारी दी जाये और उससे उन्हें जोड़ा जाये। इसके अतिरिक्त सामाजिक विकास के अनेक संकेतक ऐसे हैं जो व्यक्ति की सक्रिय भागीदारी की मांग करते है। शिक्षा, लिंग, समानता, सामाजिकता, स्वास्थ्य जागरूकता, पर्यावरण चेतना आदि ऐसे प्रश्न हैं जो बिना विकास संचार की सहायता के अनुत्तरित रह जाते हैं। ऐसे प्रश्नों के समाधान का प्रयास सरकार करती हैं विकास के लिए जनमत तैयार करने, विकास सूचनाओं को जन-जन तक पहुँचाने के लिए सरकारी सूचना एवं संचार संगठन भी कार्यरत होते हैं पर वे अपर्याप्त होते है।

ऐसे स्थिति में ऐसे संगठनों की आवश्यकता महसूस की जाती है जो विकास संचार को गैर सरकारी रूप से प्रभावी क्रियान्वयन कर सकें। जनशिक्षा में यह संगठन नितांत उपयोगी भी होते हैं। इस आवश्यकताओं को हम संक्षेप में निम्नांकित बिन्दुओं से स्पष्ट कर सकते हैं-

1. विकास संचार की सघनता को स्थानीय या सूक्ष्म स्तर तक क्रियान्वित करने के लिए।
2. विकास की समस्याओं को पहचान करने के लिए।
3. कृषि प्रसार की सूचनाओं के प्रसारण में मदद के लिए।
4. कृषि प्रसार संदेशों की प्रभावी स्थापना में मध्यस्थ तथा जनमत नेता की भूमिका निर्वहन करने के लिए।
5. विकास संदेश के ग्रासरूट लेवल या समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए।
6. सरकार तथा सरकारी तंत्र के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाले, भयभीत होने वालों या समूहों को भी मुख्यधारा से जोड़ने के लिए।

7. सरकारी मशीनरी पर एकल निर्भरता तथा तत्स्वरूप लेट-लतीफी तथा लापरवाही के खतरों से बचाव के लिए।

8. विकास संचार के उन क्षेत्रों में जहाँ सरकारी तंत्र विकसित नहीं है अथवा तंत्र के नियोजन की योजना नहीं है, वहाँ विकास संचार के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए।

9. असंगठित क्षेत्रों के विकास संबंधी अल्पकालिक प्रशिक्षण, पुनश्चर्या कार्यक्रमों, कार्यशाला आदि के बेहतर संपादन आयोजन के लिए।

10. संगठित जनसमूहों की विकास कार्यों तथा विकास संचार में भागीदारी सुनिश्चित कराने के दृष्टिकोण से।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि स्वयंसेवी संगठन विकास संचार एवं कृषि प्रसार के क्रियान्वयन में सरकार व अन्य सरकारी स्वायत्तशासी एजेंसियों के सहायक तथा पूरक का विकल्प प्रस्तुत करते है। जन विश्वसनीयता तथा जनता से इनके सीधे जुड़ाव के चलते कई स्थितियों में ये संगठन सरकारी तंत्र की अपेक्षा ज्यादा प्रभावशाली भी होते हैं।

स्वयंसेवी संगठनों के कार्य:

संचार एवं प्रसार की प्रक्रिया के सार्वभौमीकरण तथा उसकी प्रभावोत्पादकता को सशक्त करने में स्वयंसेवी संगठनों का भी योगदान है। जन विकास के लक्ष्यों से ये संगठन वर्षों से जुड़े हैं तथा जनभागीदारी, जनसमर्थन और जनता का विश्वास इनकी पूँजी है। ऐसे में अनेक महत्वपूर्ण कार्यों में इनकी सक्रियता दृष्टिगोचर होती है। संक्षेप में इस कार्य-विवरण को निम्नांकित तीन बिन्दुओं के तहत स्पष्ट किया जा सकता है।

1. प्रमुख कार्य क्षेत्र
2. स्वतंत्र भूमिका
3. सरकारी कार्यक्रमों में सहायता

1. प्रमुख कार्य क्षेत्र:

यदि हम भारत में स्वयंसेवी संगठनों के कार्यक्षेत्र पर नज़र डालें तो जनविकास के विभिन्न क्षेत्रों में यह कार्यरत हैं। शिक्षा, रोजगार, ग्रामीण विकास, युवा विकास, महिला विकास, बाल विकास, मानवाधिकार, बाल अधिकार, जन-स्वास्थ्य, प्रशिक्षण् एवं तकनीकी कौशल का विकास, आदिवासी व अनुसूचित जाति विकास आदि विविध कार्यक्षेत्रों में इनकी सक्रियता अधिक है।

यदि इनके कार्यों पर दृष्टिपात करें तो शिक्षण-प्रशिक्षण, जागरूकता मूलक कार्यक्रम जैसे- संगोष्ठी, परिचर्चाएँ प्रकाशन एवं आउटडोर संचार, शोध एवं शोध प्रतिवेदन तैयार करना, समीक्षा एवं

मूल्यांकन कार्य आदि इनके प्रमुख कार्य है। स्वयंसेवी संगठनों की कार्यप्रणाली जनसहभागिता के आधार पर विकसित होती है तथा कार्यक्रमों की संचार मूलकता इनकी प्रमुख विशेषता है।

2. स्वतंत्र भूमिका:

जनता को रूढियों से मुक्त करना, अधिकारों के प्रति सचेत करना, विकास एवं प्रसार कार्यो का लाभ उठाने के लिए उन्हें तैयार कराना, सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध सचेत करना और विकासोन्मुख जनमत का निर्माण इसमें शामिल है। स्वयंसेवी संगठन विकास को उपायों की पहचान करते हैं, उनकी महत्ता को जनता के बीच स्थापित करते हैं, तत्पश्चात जन सहयोग से उक्त कार्यों को पूर्ण करते है।

इस दृष्टि से हम अनेक महत्वपूर्ण उदाहरणों का उल्लेख कर सकते है। देश में जन जागरूकता का पर्याय बन रहा सूचना का अधिकार कानून स्वयंसेवी संगठनों के जनांदोलन की ही उपज है। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में अकाल अल्पवृष्टि व सूखे के मंजर की जगह पारम्परिक जल प्रणाली की मदद से हरियाली लाने का काम करने के लिए राजेन्द्र सिंह और उनके संगठन के कार्यों को वैश्विक सराहना मिली है। इसी प्रकार शराबबंदी, जल संरक्षण, वृक्षारोपण, महिला संरक्षण, साहूकारी से बचाव, सहकारिता आंदोलन, सामाजिक न्याय, बालिका शिक्षा व प्रौढ़ शिक्षा, मानवाधिकार आदि सम्बन्धी अनेक कार्य स्वयंसेवी संगठनों के स्वतंत्र प्रयासों और उनकी सफलता की करानी स्वय कहते है।

3. सरकारी कार्यक्रमों में सहायता:

सरकार अपनी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और ज्यादा लोगों तक उन्हें पहुँचाने के लिए विकास की संचार की सहायता लेती है। इसमें विकास संदेशों/कृषि प्रसार संदेशों का प्रसरण विकास के प्रति लोगों के रूझान का आंकलन विकास कार्यों का फीडबैंक प्राप्त करना आदि बातें शामिल हैं। विकास संचार का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए स्वयंसेवी संगठनों की सहायता ली जाती है।

अनेक क्षेत्रों में स्वयंसेवी संगठन इस दृष्टि से सरकार की प्रभावी मदद करते हैं। जनजागरूकता पैदा करने तथा संदेशों के प्रभावी स्थापन में भी सहायता मिलती हैं। सरकारी एजेन्सियां इसीलिए ऐसी कार्ययोजना तैयार करती है कि उसमें ज्यादा से ज्यादा स्वयंसेवी संगठनों और समूहों की भागीदारी सुनिश्चित हो।

यह व्यवस्था विकेन्द्रीकरण तथा सरकार की जिम्मेदारी केवल संरक्षण एवं निरीक्षण तक रखने की अवधारणा को भी बल मिलता है। अनेक क्षेत्रों में इस संयोजन के सकरात्मक परिणाम दृष्टिगोचर भी हो रहे हैं।

इस दृष्टि से अनेक सरकारी कार्यक्रमों का उल्लेख किया जा सकता है। पल्स पोलियो के विरूद्ध जागरूकता कायम करने में नागरिक सुरक्षा व समाजसेवा संगठनों की सक्रिय सहायता ली जा रही है। जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों को जनसमर्थन दिलो में गैर-सरकारी संगठनों का योगदान सराहनीय रहा है। बाल-श्रम उन्मूलन, एड्स नियंत्रण, साक्षरता का प्रसार, पर्यावरण संरक्षण देखा जा सकता है।

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय, मंत्रालयों की जनसंपर्क इकाइयाँ आदि अपने प्रसार कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में इस तरह के सहयोग निरन्तर उपयोग करती हैं। यही नहीं विविध राष्ट्रीय - अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने वाली एजेंसियां भी स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से संप्रेषणमूलक विकास कार्यक्रमों को नियमित रूप से धन उपलब्ध कराती है। देश में आज लाखों की संख्या में स्वयंसेवी संगठन इस प्रकार के कार्यों को पूरी सक्रियता के साथ प्रभावी सहयोग प्रदान कर रहे हैं और उसके सकरात्मक परिणाम भी परिलक्षित हो रहे है।

9.5 प्रभावी संचार/कृषि प्रसार में आने वाली समस्याएं:

1. मानव जाति की यह एक प्रमुख विशेषता है कि उसका एक बड़ा वर्ग हमेशा यथास्थिति बनाये रखना चाहता है। वे किसी भी प्रकार के बदलाव के लिए तैयार नहीं होते चाहे उसके कितने ही सकरात्मक प्रभाव हैं। कोई भी नयी शिक्षा तकनीक भले ही कितनी लाभदायक हो, उसे सीखने के लिए मानसिक स्तर पर तैयार होना पड़ता है। यदि वे उसे स्वीकार भी करते हैं तो अपनी शर्तों पर, अपनी इच्छा के अनुरूप उस नये विचार या वस्तु में संशोधन कर। प्रभावी संचार/कृषि प्रसार में नये बदलावों के प्रति जड़ता प्रभावी संप्रेषण में अवरोध का काम करती है।

2. हर व्यक्ति अपने आस-पास के वातावरण, जरूरतों इत्यादि के विषय में अपना एक अलग दृष्टिकोण या धारणा रखता है। इसलिए वह हर नये नवाचार को पहले अपनी धारणाओं मान्यताओं आदि के संदर्भ में अमल में लाता है। अगर विचार वस्तु, आदि उसकी धारणाओं से मेल नहीं खाती तो वह उसे अस्वीकार कर देता हैं विभिन्न व्यक्तियों की इन्ही विभिन्न अवधारणाओं और समझाने की शक्ति के कारण किसी प्रसार को सबके लिए ग्राही बनाना जटिल एवं कठिन कार्य है।

3. कुछ लोग नये विचार, वस्तु तकनीक आदि से भली-भांति परिचित होते है। उनके नुकसान एवं लाभ के बारे में भी जानते हैं पर अपनी वश अपने विचारों को अपने अन्दर समेटे रहते है।

4. एक और अवयय है जो प्रभावी संचार में बाधा उत्पन्न करता है वह है 'डर'। शीर्ष स्तर पर कार्य करने वाला व्यक्ति अपने निचले स्तर पर कार्य कर रहे व्यक्तियों को सूचना प्रदान करते वक्त उन्हें अपनी इच्छानुसार संपादित या कांट-छांट कर देता है वह किसी भी ऐसे विरोधी विचार को, जो सूचना प्राप्त करने वालों के हित में हो पर उन्हें ग्राह्य न हो, को रोक लेता है। इसी प्रकार निचले स्तर का व्यक्ति सूचना मांगे जाने पर सही तथ्यों की अपेक्षा ऐसी सूचना संप्रेषित करता है जो शीर्ष स्तर के कर्मचारी के अनुकूल हो।

5. प्रभावी संचार एक कला है। जो लगातार अनुभव एवं प्रयास के परिणाम से आती है। सभी संप्रेषकों की संचार करने की क्षमता बराबर नहीं होती। विशेषकर मौखिक संचार के जरिये अपनी बात रखना एवं संग्राहक द्वारा उसे स्वीकार कर लेना एक अच्छे संप्रेषक का गुण है।

6. कभी-कभी विचारों को ग्रहण करने में भी समय लगता है कोई भी व्यक्ति एकदम से बिजली के स्विच की तरह अपने आप को परिवर्तित नहीं कर सकता भले ही नया विचार कितना ही लाभदायक हो। व्यक्ति अपना समय लेता है उसके बाद ही विचारों को ग्रहण करता है।

7. देर से अथवा समयानुकूल सूचना न मिलने से भी प्रभावी संचार में बाधा उत्पन्न होती है। समय निकल जाने के बाद सही बात भी खराब लगती है। क्योंकि व्यक्ति नये संचार को स्वीकार कर लाभ लेना चाहता था परन्तु समय पर जानकारी न मिलने से वंचित रह गया।

8. प्रभावी संचार का एक और सबसे बड़ा बाधक तत्व है ''असंतोष''। अक्सर सरकार और समाजसेवी संस्थाएं लोगों से, किसानों से बड़े-बड़े वादे करती हैं। उन्हें सपने दिखाती हैं, लोग उनकी बातों को सुनते हैं। पर कुछ समय बाद सरकार जब उनको नयी आवश्यकताओं को, जिसका सृजन उसने स्वयं किया है, को पूरा नहीं कर पाती तो लोग सरकारी कार्यक्रमों के प्रति असन्तुष्ट हो जाते है। ऐसे में दोबारा किसी नये विचार, योजना, कार्यक्रम में उनकी सहभगिता कम हो जाती है।

9. प्रसार विधियों, नये विचारों और नयी तकनीकी का यदि स्थानीय स्तर से तालमेल नहीं है अथवा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें परिवर्तित नहीं किया गया है तो उनकी स्वीकार्यता कम ही रहेगी।

10. भ्रष्टाचार ने भी सरकारी प्रसार कार्यक्रमों के प्रभावी संप्रेषण में एक अवरोधक का कार्य किया है। जनमाध्यमों के जरिये सरकार योजनाओं और कार्यक्रम के बारे में बताती है परन्तु स्थानीय

स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण उनका क्रियान्वयन नहीं हो पाता या जितने लाभ का आश्वासन सरकार देती है उतना लाभ उन्हें नहीं मिल पाता।

11. तंत्र प्रसार कार्यकर्ता एवं लक्षित जनसमूह के बीच संचार की कभी भी प्रसार कार्यक्रमों में अवरोध का काम करती है।

12. इन सबसे अलावा कई अन्य कारण भी है जैसे-

(1) संस्थागत अवरोधः योजना निर्माण का वास्तविकता से कोई मेल नहीं, नियम कानूनों की जटिलता, जटिल प्रशासनिक तंत्र, सुविधाओं की कमी आदि।

(2) भाषायी अवरोधः संदेश का अप्रभावी प्रस्तुतीकरण, गलत अनुवाद, भाषा और संदेशों की स्थानीयता से दूरी, अस्पष्ट अनुमान लगाना आदि।

(3) व्यक्तिगत अवरोधः बड़े और छोटे का भाव, अपने आपको श्रेष्ठतर अथवा कमतर समझना, आत्मसंतोष, जड़ दृष्टिकोण, अप्रभावी/अनुपयुक्त माध्यम का प्रयोग आदि।

(4) मनोवैज्ञानिक कारणः संप्रेषक पर विश्वास की कमी, ध्यान से न सुनना, पुनः जानकारी से पहले ही मूल्यांकन करना, याददाश्त का कमजोर होना, लिखित सामग्री पर अधिक जोर देना आदि।

9.6 अभ्यास प्रश्नः

प्रश्न 1. मैकब्राइड कमीशन की सिफारिशें क्या थीं?

प्रश्न 2. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कब अस्तित्व में आया था?

प्रश्न 3. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उद्देश्य क्या हैं?

प्रश्न 4. कृषि तकनीकी स्थानांतरण में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की भूमिका का वर्णन कीजिए।

प्रश्न 5. कृषि विज्ञान केन्द्र के उद्देश्य क्या है? वर्णन कीजिए।

प्रश्न 6. नाबार्ड से क्या तात्पर्य है? इसके कार्य बताइये।

प्रश्न 7. सामुदायिक विकास योजना के कार्यों का वर्णन कीजिए।

प्रश्न 8. राष्ट्रीय विस्तार सेवा क्या है?

प्रश्न 9 कापार्ट का पूरा नाम लिखिए।

प्रश्न 10. स्वयंसेवी संगठनों के कार्य बताइये।

9.7 सारांश:

संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का उद्देश्य पोषण-स्तर तथा जीवन-स्तर को बढ़ाना है। इसका प्रमुख कार्य पोषण, खाद्य एवं कृषि सम्बन्धी सूचना संग्रहीत करना है। उनका प्रसार करना एवं विश्लेषण करना है। मैकब्राइड कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार जनमाध्यमों का प्रयोग शिक्षा एवं सूचना के सम्प्रेषण में अधिक होना चाहिए। ये माना गया की संचार के साधनों की उपलब्धता प्रसार कार्यक्रमों को गति प्रदान कर सकती है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद शीर्ष संगठन है जो विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है। कृषि विज्ञान केन्द्र किसानों और मछुआरों के लाभ के लिए बनाया गया है और इसका मुख्य लक्ष्य ठीक देहात के बीच प्रशिक्षण देने वाला बुनियादी ढांचा खड़ा करना है। नाबार्ड की स्थापना भारत सरकार ने एक विकास बैंक के रूप में की थी। इसे कृषि, लघु उद्योगों, कुटीर एवं ग्रामाद्योगों, हस्तशिल्प और अन्य ग्रामीण शिल्पों के विकास और संवर्धन हेतु ऋण प्रवाह सुगम बनाने के लिये किया गया। सामुदायिक विकास योजना का मूल दर्शन था- सहकारिता एवं स्वयं सहायता जो एक नया भारत बनाने का प्रयास था। यह योजना गाँव की सामाजिक एवं आर्थिक दशा बदलने की एंजेसी है। इसके अलावा अन्य संगठनों के साथ ही स्वयं सहायता समूह विकास प्रक्रिया के ढांचे को मजबूती प्रदान करते हैं। इन सबके बावजूद कुछ समस्याएं है जिन्हें दूर किया जाना है।

9.8 शब्दावली:

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषदः इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 में हुई थी, लेकिन शिक्षा, अनुसंधान और प्रसार शिक्षा की कुशल नेतृत्व व मार्गदर्शन के लिए इसे सन् 1963 व 1975 में पुनर्गठित किया गया।

संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठनः इसका गठन 16 अक्टूबर 1995 में खाद्य एवं कृषि संबन्धी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के फलस्वरूप हुआ था। इस संगठन का उद्देश्य पोषण-स्तर तथा जीवन स्तर को बढ़ाना है। इसका प्रमुख कार्य पोषण, खाद्य एवं कृषि सम्बन्धी सूचना संग्रहीत करना है। उनका प्रसार करना एवं विश्लेषण करना है।

मैकब्राइड कमीशनः मैकब्राइड कमीशन का गठन सन् 1976 में यूनेस्को ने विश्व भर में जनसंचार माध्यमों और उनके द्वारा सम्प्रेषित सूचना के असंतुलन का अध्ययन करने के लिए शॉन मैकब्राइड की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया।

नाबार्ड: नाबार्ड की स्थापना भारत सरकार द्वारा एक विकास बैंक के रूप में की गई है, इसे कृषि से जुड़े लघु उद्योगों, कुटीर एवं ग्रामोद्योगों, हस्तशिल्प और अन्य ग्रामीण शिल्पों के विकास और संवर्धन हेतु, ऋण प्रवाह सुगम बनाने का आदेश दिया गया है। इसे ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य सभी अनुषांगी आर्थिक गतिविधियों के लिए सहायता देने, समन्वित और दीर्घकालिक ग्रमीण विकास के संवर्धन और ग्रामीण क्षेत्रों की समृद्धि के साथ-साथ इससे संबधित और अनुषांगिक विषयों के लिए सहायता देने का अधिकार भी प्राप्त है।

9.9 संदर्भ ग्रंथसूची:

1. दत्त, रूद्र एवं सुन्दरम, केपीः भारतीय अर्थव्यवस्था
2. यूनीक-सामान्य ज्ञान
3. चौहान, डॉ जितेन्द्रः प्रसार शिक्षा एवं सूचना तंत्र

9.10 सहायक/उपयोगी पाठ्यसामग्री:

1. डॉ जितेन्द्र चौहानः प्रसार शिक्षा एवं सूचना तंत्र ।
2. केवल जे कुमारः मास कम्यूनिकेशन इन इंडिया।
3. विल्बर श्रामः मास मीडिया एंड नेशनल डेवलपमेन्ट।
4.इंटरनेट पर उपलब्ध वेबसाइटें।

9.11 निबंधात्मक प्रश्न:

1. अंतराष्ट्रीय कृषि प्रसार संगठनों के कार्यों को बताइये।
2. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पर लेख लिखिए।
3. सामुदायिक विकास योजना का गठन इटावा प्रोजेक्ट का परिणाम था। विस्तार से बताइये।
4. नाबार्ड, आरबीआई एवं निचली स्तर की इकाइयों में मध्यस्थ की भूमिका निभाता है स्पष्ट करें।
5. कृषि प्रसार में एनजीओ की भूमिका का वर्णन करें।
6. कृषि प्रसार के संचार में आने वाली समस्याओं का वर्णन करें।

इकाई – 10

विकास के लिए उपलब्ध आर्थिक ढांचा

इकाई की रूपरेखा :

10.1 प्रस्तावना

10.2 उद्देश्य

10.3 सूक्ष्म आर्थिक ढांचा

10.4 वृहद आर्थिक ढांचा

10.5 विकास संचार से सम्बन्धित वैयक्तिक अध्ययन

10.5.1 स्वतंत्रता से पूर्व के कार्यक्रम

10.5.2 स्वतंत्रता के बाद के कार्यक्रम

10.6 अभ्यास प्रश्न

10.7 सारांश

10.8 शब्दावली

10.9 संदर्भ ग्रंथ सूची

10.10 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

10.11 निबंधात्मक प्रश्न

10.1 प्रस्तावना:

भारतीय कृषक की वित्तीय आवश्यकताओं को तीन वर्गों में बाँटा जा सकता है। यह वर्गीकरण इस पर आधारित है कि किसान को किस उद्देश्य के लिए कितने समय के लिए वित्त की आवश्यकता है।

वर्तमान युग में विकास के लिए आर्थिक ढांचे का मजबूत होना आवश्यक है। अत्याधुनिक तकनीकी युग में बढ़ती मंहगाई के साथ समाज व बाजार में बने रहने के लिए आर्थिक रूप से मजबूत होना आवश्यक है।

इस इकाई में विकास के लिए उपलब्ध आर्थिक ढांचा के अंतर्गत सूक्ष्म आर्थिक ढांचा, वृहद आर्थिक ढांचा, विकास संचार से सम्बन्धित वैयक्तिक अध्ययन, स्वतंत्रता से पूर्व के कार्यक्रम एवं स्वतंत्रता के बाद के कार्यक्रमों की जानकारी विद्यार्थियों को दी जा रही है।

10.2 उद्देश्य:

विकास के लिए किसी भी देश या समाज में उसका आर्थिक ढांचे की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसकी उपयोगिता को देखते हुये इसकी जानकारी छात्रों को देना आवश्यक है।
इस इकाई से आप जान सकेंगे-

- भारत में कृषक की वित्तीय आवश्यकताओं को।
- स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सूक्ष्म आर्थिक ढांचों का।
- वृहद स्तर पर उपलब्ध आर्थिक ढांचे की संरचना को।
- भारत में स्वतंत्रता पूर्व हुए कार्यों को।
- स्वतंत्रता के बाद कृषि प्रसार क्षेत्र के कार्यक्रमों को।

10.3 सूक्ष्म आर्थिक ढांचा:

1. साहूकार **(Money lenders)**

गाँवों में दो प्रकार के साहूकार हैं, एक वे साहूकर हैं जो खेती और साहूकारी दोनों ही कार्य करते हैं। इन्हें कृषक साहूकार कहते हैं। ये मूलतः खेती करते हैं किन्तु सहायक व्यवसाय के रूप में रूपया उधार देने का भी काम करते हैं। गाँव का दुकानदार भी साहूकारी कर लेता है। इसके अलावा, एक दूसरे प्रकार के साहूकार होते हैं जिनका व्यवसाय रूपया उधार देना ही होता है।
किसान को नकद रूपये की आवश्यकता के लिए साहूकार पर निर्भर रहना पड़ता है, पिछले वर्षों से किसान को नकद धन देने वाले साधन के रूप में साहूकार का महत्व तेजी से कम होता जा रहा है। इसके बावजूद साहूकारों की प्रधानता के अनेक कारण हैं-
(क) साहूकार उत्पादक और अनुत्पादक दोनों प्रकार के प्रयोजनों के लिए तथा अल्पावधि और दीर्घावधि की आवश्यकताओं के लिए किसान को खुले रूप में ऋण देता है।
(ख) साहूकार तक किसान आसानी से जा सकता है। साहूकार का कृषक के परिवार से कई पीढ़ियों से सम्बन्ध होता है।
(ग) उनके लेन-देन के तरीके सरल और लचीले होते हैं।
(घ) स्थानीय स्थिति से परिचित रहने के कारण वह जमीन और प्रोनोट दोनों के ही बदले ऋण दे सकता है। ऋण का रूपया वापस लेने की तरकीब भी वह भली-भांति जानता है।

साहूकारों का दोषपूर्ण व्यवहारः ग्रामीण साहूकार अपने अनेक दोषपूर्ण व्यवहारों के कारण बदनाम हैं। वे किसान से बन्धपत्र और प्रोनोट ले लेते हैं। जिनमें वे ऋण की राशि बढ़ा कर लिखते हैं। किसानों से भारी किस्त वसूल करते हैं। वे किसानों को रूपया अदा करने के बदले में रसीद नहीं देते और कई बार रूपया वसूल कर चुकने पर भी मुकर जाते हैं। वे ऋण पर बहुत भारी ब्याज लेते हैं। भारतीय कृषि की बहुत सी बुराइयों की जिम्मेदारी साहूकारों पर ही है क्योंकि इनका एकमात्र उद्देश्य किसान का शोषण करना एवं उनकी जमीन हथियाना होता है।

2. व्यापारी एवं कमीशन एजेंट **Traders and Commission Agents**

व्यापारी एवं कमीशन एजेंट किसानों को फसल के पकने से पूर्व उत्पादन उद्देश्यों के लिए ऋण उपलब्ध कराते हैं। वे किसानों को मजबूर करते हैं कि वे फसल को कम कीमत पर बेचें और वे अपने लिए भारी कमीशन वसूल करते हैं। वित्त का यह स्त्रोत नकद फसलों अर्थात रूई, मूँगफली, तम्बाकू आदि या फलों के बगीचों आमों आदि के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। व्यापारी एवं कमीशन ऐजेंटों को भी महाजनों जैसा समझा जाता है क्योंकि उनके द्वारा किसानों को दिये गए उधार की दरें अत्यधिक होती हैं और इनके अन्य अवांछनीय प्रभाव भी होते हैं।

3. संबंधी **Relatives**

किसान अपने सम्बन्धियों से नकद या वस्तुओं के रूप में उधार प्राप्त करते हैं ताकि वे अस्थायी कठिनाइयों को दूर कर सकें। ये ऋण सामान्यतः अनौपचारिक रूप में दिये जाते हैं। इन पर ब्याज या तो लिया ही नहीं जाता या ब्याज की दर बहुत नीची होती है। और ये ऋण फसल कटने के फौरन बाद लौटा दिये जाते हैं। परन्तु वित्त का यह स्त्रोत अनिश्चित है। आधुनिक कृषि की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के कारण, किसान इस स्त्रोत पर अधिक निर्भर नहीं रह सकता।

4. भू-स्वामी एवं अन्य **Landlords and others**

किसान विशेषकर छोटे किसान और काश्तकार, भू-स्वामियों एवं अन्य पर अपनी आवश्यकताओं के लिए निर्भर रहते हैं। वित्त के इस स्त्रोत में वे सभी बुराइयाँ विद्यमान हैं जो महाजनों, व्यापारियों या कमीशन एजेण्टों द्वारा उपलब्ध कराये गये वित्त में पाये जाते हैं। प्रायः इस वित्त से छोटे किसानों से उनकी भूमि छल से हड़प ली जाती है। भूमिहीनों को बंधुआ मजदूर बनने के लिए मजबूर किया जाता है।

5. प्राथमिक कृषि उधार समिति **Primary Agriculture Credit Society (PACS)**

इन्हें सहकारी उधार समिति भी कहते हैं। इन समितियों की स्थापना निचले स्तर पर 1904 में सहकारी समिति अधिनियम के बाद से ही लागू हो गयी थी। समिति दस या अधिक व्यक्तियों से

आरम्भ की जा सकती है, वे व्यक्ति साधारणतया एक ही गाँव के होने चाहिए। प्रत्येक हिस्से का मूल्य सामान्यतः नाममात्र का होता है ताकि गरीब से गरीब किसान भी समिति के विफल होने की अवस्था में उसकी सम्पूर्ण हानि का प्रत्येक सदस्य पर पूर्ण उत्तरदायित्व रहे। जिनकी ब्याज दर कानून द्वारा छह प्रतिशत नियत की गई है।

6. किसान सेवा समिति **Farmers Service Society**

किसानों को अल्पावधि एवं मध्यावधि ऋण तो व्यावसायिक बैंकों या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से भी मिल जाता है। लेकिन उन्हें कभी-कभी तकनीकी सहायता, माल-ढुलाई, विपणन आदि के विषय में भी जानकारी चाहिये होती है। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सन् 1977-78 से किसान सेवा समिति की स्थापना की।

इसका मुख्य उद्देश्य केवल धन उपलब्ध कराना ही नहीं वरन् उसके साथ आवश्यक तकनीकी सलाह एवं जानकारी भी मुहैया करना है। ये किसान से जुड़ी हर गतिविधि के सम्बन्ध में उसे मदद पहुंचाती है। इन समितियों के सही और प्रभावी तरीके से काम करने के लिए प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से समन्वय रखने के निर्देश दिये गये हैं।

10.4 वृहद् आर्थिक ढांचा:

1. सहकारी केन्द्रीय बैंक **Co-operative Central Bank**

ये बैंक एक निर्दिष्ट क्षेत्र में प्राथमिक कृषि उधार समितियों के संघ हैं, जिनका कार्यक्षेत्र सामान्यतः सम्पूर्ण जिला होता है। इसलिए इन्हें कभी-कभी जिला सहकारी बैंक भी कहते हैं। इन बैंकों के हिस्सेदार कुछ निजी व्यक्ति होते हैं। जो वित्त और प्रबन्ध दोनों का काम देखते हैं। इनका मुख्य कार्य ग्राम प्राथमिक समितियों को ऋण देना होता है किन्तु इनसे यह आशा की गई थी कि ये सामान्य जनता की जमा राशि को आकर्षित कर सकेंगे। बहुत सी जगहों पर सहकारी समितियों का कार्य सिद्धान्तहीन और बेईमान तत्वों द्वारा बुरी तरह बर्बाद कर दिया गया है और इस प्रकार जरूरतमंद किसानों को सहकारिता का लाभ उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।

2. राज्य सहकारी बैंक **State Co-operative Bank**

यह बैंक जिसे शीर्ष बैंक भी कहा जाता है, प्रत्येक राज्य में सहकारी उधार संरचना का मुखिया होता है। यह बैंक राज्य के केन्द्रीय बैंकों को धन देता है और उनके तथा केन्द्रीय सहकारी बैंकों और ग्राम प्राथमिक समितियों के बीच कड़ी के रूप में काम करता है। राज्य

सहकारी बैंक केवल सहकारी उधार आन्दोलन को ही सहायता नहीं देता अपितु अन्य सहकारी उद्यमों और प्रवृत्तियों को भी प्रोत्साहन देता है।

3. भूमि-बन्धन बैंक या भूमि-विकास बैंक **Land development Bank :**

दीर्घकालिक ऋणों की आवश्यकता भूमि-बन्धक बैंक से पूरी हो रही है। इन बैंकों का उद्देश्य किसान को उसकी भूमि बन्धक रखकर दीर्घकालिक ऋण प्रदान करना है। भूमि विकास बैंकों से मिलने वाला ऋण काफी सस्ता होता है और उसकी अदायगी काफी लम्बे समय में करनी होती है। अतः यदि पिछले ऋणों की अदायगी करनी हो या नई जमीन खरीदनी हो या भूमि पर ट्यूबवैल आदि के रूप में कोई सुधार करना हो तो इन बैंकों से उधार लेना सुविधापूर्ण होता है। ऋण साधारणतया 15 से 20 वर्ष तक की लम्बी अवधि के लिए दिये जाते हैं। यद्यपि भारतवर्ष में पिछले कुछ वर्षों में भूमि-विकास बैंकों ने काफी प्रगति की है, परन्तु फिर भी किसान की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति में उनका योगदान अधिक नहीं है। बहुत से ऋणों के लिए किसानों को इन बैंकों के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है और न ही वे इनके फायदों से परिचित हैं।

4. वाणिज्य बैंक और ग्राम वित्त **Commercial Bank and Rural Finances :**

भारत में वाणिज्य बैंकों ने अपनी क्रियाएं शहरी क्षेत्रों तक सीमित रखीं, वे शहरी जनता से जमा स्वीकार करते और शहरी क्षेत्रों में व्यापार और उद्योग के लिए वित्त जुटाते। इनके खिलाफ बहुत समय से यह शिकायत की जा रही थी कि वे कृषि क्षेत्र को उधार उपलब्ध नहीं कराते। 1969 के बैंक राष्ट्रीयकरण के बाद इन्हें कृषि क्षेत्र की ओर विशेष रूप से ध्यान देने के लिए बाध्य किया गया। जून 1996-97 में वाणिज्य बैंकों ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के साथ कृषि क्षेत्र को 34,300 करोड़ रूपये के प्रत्यक्ष ऋण उपलब्ध कराए।

5. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक **Regional Rural Bank**

वर्ष 1955 में भारतीय स्टेट बैंक स्थापित किया गया जिसका लक्ष्य अन्य उद्देश्यों के साथ कृषि-ऋण के लिए विशेष चिन्ता करना था। अखिल भरतीय ग्राम ऋण सर्वेक्षण समिति (All India Rural Credit Survey Committee) ने ही बहु-एजेन्सी प्रणाली द्वारा ग्राम क्षेत्र को वित्त उपलब्ध कराने की सिफारिश की। पहली बार सरकार ने यह स्वीकार किया कि ग्राम-ऋण केवल सहकारी समितियों द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जा सकता और वाणिज्य बैंकों को भी ग्रामीण क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य भाग निभाना होगा। 1969 में 14 बड़े बैंकों के राष्ट्रीयकरण का यही मूल कारण था। इसके बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किये गये। इनका विशेष उद्देश्य छोटे तथा सीमान्त

किसानों, कृषि मजदूरों, देहाती दस्तकारों आदि को प्रत्यक्ष ऋण उपलब्ध कराना था। ये ऋण उत्पादन कार्यों के लिए दिये जाते हैं। इन बैंकों के ऋणों का 90 प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों के कमजोर वर्गों को दिया जाता है।

6. नाबार्ड NABARD

कृषि ऋण और समन्वित ग्राम विकास के रूप में बैंकों के कार्य में विस्तार के कारण इस बात की जरूरत महसूस की गई कि ग्राम विकास प्रोग्रामों के प्रतिपादन एवं कार्यान्वयन के लिए शीर्ष स्तर पर एक अधिकृत वित्तीय संस्था होनी चाहिये जो ऋण देने वाली संस्थाओं को सहायता प्रदान कर सके। इस उद्देश्य को लेकर कृषि तथा ग्राम-विकास बैंकों के कार्य एवं रिजर्व बैंक को सहकारी समितियों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सम्बन्धी पुनर्वित्त के कार्यों को भारत संभाल सके। नाबार्ड का रिजर्व बैंक से सीधा सम्बन्ध है और इसके लिए रिजर्व बैंक ने इसको हिस्सा-पूँजी के आधे के बराबर योगदान दिया है और शेष आधा भाग भारत सरकार द्वारा जुटाया गया है।

अन्य:

1. स्वयं सहायता समूह **Self help groups**

हाल के वर्षों में व्यक्तिगत-वित्त के सम्बन्ध में कई प्रकार की पहल की गई है, ''गरीबों के साथ बैंकिग'' की एक नयी पद्धति है और इसमें निम्न सौदा लागत के साथ वसूली के ऊँचे अनुपात को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। इन उपायों का मुख्य ज़ोर स्व-सहायता समूहों, गैर सरकारी संगठनों की स्थापना को बढ़ावा देना है। नाबार्ड ने इस सम्बन्ध में सक्रिय रूप में स्व सहायता समूहों एवं बैंकों को जोड़ने के कार्यक्रम को प्रोत्साहन दिया है और इसके लिए एक ओर प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया है, दूसरी ओर निधि सहायता एवं अनुदान द्वारा इसे बढ़ावा देना है। किन्तु स्व सहायता समूहों और गैर संगठनों के कार्य संचालन में बहुत त्रुटियाँ पायी गयी हैं। जिनके परिणामस्वरूप संस्थागत उधार की वसूली दर नीची ही रही है। इसके परिणामस्वरूप नये ऋणों की स्वीकृति पर दुष्प्रभाव पड़ता है। नतीजे के तौर पर ग्रामीण-निर्धनों को फिर लालची साहूकारों पर ही निर्भर रहना पड़ता है।

2. किसान क्रेडिट कार्ड ये महत्वपूर्ण योजना 1998-99 में शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य किसानों को अल्पकालिक उधार उपलब्ध कराना है। यह योजना लोकप्रिय बन गयी है। और 27 वाणिज्यिक बैंक 187 क्षेत्रीय बैंक और 334 केन्द्रीय सहकारी बैंक इसे कार्यान्वित कर रहे हैं। दो वर्ष की छोटी-सी अवधि में अर्थात् (जनवरी 2001 तक) 10 लाख से भी अधिक किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं।

3. भारतीय कृषि बीमा निगम लिमिटेड: इसकी स्थापना 20 दिसम्बर 2002 को हुई। इसके द्वारा चलायी जा रही ''राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना'' का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, जैसे- सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, तूफान, आगजनी, कीटों/बीमारियों के कारण फसल नष्ट होने पर किसान को भरपाई करना है। यह योजना सभी किसानों के लिये खुली है। कम या अधिक वर्षा, पाला पड़ने, अधिक तापमान, आर्द्रता वायु गति, आदि जैसी पैदावार पर विपरीत प्रभाव डालने वाली मौसमी घटनाओं में भी किसानों को बीमा सुरक्षा हासिल कराई जाती है।

10.5 विकास संचार से संबंधित वैयक्तिक अध्ययन:

संसार के लगभग 80 प्रतिशत लोग आर्थिक रूप से अविकसित क्षेत्रों में निवास करते हैं। यह क्षेत्र दक्षिण पूर्व एशिया, लातिन अमेरिका, अफ्रीका तथा पश्चिम एशिया में फैला हुआ है। यह वे देश हैं, जो सदियों तक गुलाम रहे और इनकी शासन प्रणाली का आधार शोषण रहा है। इसके चलते इन देशों में अज्ञानता, अंधविश्वास, अस्वस्थता आदि बुराइयों ने अपने पैर जमा लिये। दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात् तेजी से ये देश आजाद हुए। तब यह सोचा गया कि कैसे इन समस्याओं से व्यवस्थित ढंग से निपटा जाए और इसी के साथ विकास कार्यक्रमों में जान आयी। भारत जैसे विशाल देश की ओर देखें तो गुलामी के दौर में कुछ चुने हुए समाज सेवकों ने ग्रामीण विकास के कुछ कार्यक्रमों को प्रारम्भ किया। इस अध्याय में हम इन ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का अध्ययन करेंगे। अध्ययन की सुविधा के लिए इन विकास कार्यक्रमों को हम दो भागों में बाँट सकते हैं-

1. स्वतंत्रता से पूर्व के कार्यक्रम
2. स्वतंत्रता के बाद के कार्यक्रम

10.5.1 स्वतंत्रता से पूर्व के कार्यक्रम:

19वीं शताब्दी में ग्रामीण ऋण की कठिनाई को दूर करने के लिए कई प्रयास किये गये। मुगल बादशाहों के समय से चली आ रही तकावी ऋण की प्रथा, जिसे ब्रिटिश काल के प्रारम्भ में भी रखा गया, मजबूत की गई। परन्तु यह सब इतना कुछ था कि इसके चलते ग्रामीण ऋण की दशा में कोई सुधार नहीं हो सका।

इस प्रकार 19वीं शताब्दी में भी कुछ प्रयास राज्य सरकारों, जस्टिस रानाडे तथा विलियम वेडखोरन द्वारा कृषक बैंक स्थापित करके की गई। इस योजना से जुड़े ईसाई पादरी कोलसन ने

अनुभव किया कि केवल जमा पूँजी की ही जरूरत नहीं बल्कि मितव्ययिता तथा अपनी मदद आप की भावना का भी विकास होना आवश्यक है। दुर्भाग्यवश यह विचाराधारा आगे न चल सकी। और सरकारों ने निम्नलिखित कार्यक्रम चलाये।

1 आदर्श ग्राम योजना सन् 1903 में सर डेनियल हेमिल्टन ने सहकारिता के आधार पर ग्रामीण विकास की एक योजना बनाकर मद्रास के निकट सुन्दरम ग्राम में यह योजना प्रारम्भ की। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सन् 1916 में सहकारी जमा संस्थान की स्थापना की गयी। बचत के साथ-साथ स्वास्थ्य, साक्षरता तथा लघु उद्योग के क्षेत्र में कार्यक्रम चलाया गया। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार युवक-कृषकों को विशेष रूप से प्रशिक्षण देकर आत्म निर्भर बनाने पर बल दिया गया। लगभग 15-16 वर्ष तक चलने के बाद यह योजना लुप्त हो गई।

2 शांति निकेतन योजना शांति निकेतन, बंगाल प्रान्त में, कोलकाता से लगभग 100 कि॰मी॰ दूर स्थित है। यह क्षेत्र सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक दृष्टि से बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र था। गुरूदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा समाजशास्त्री श्री एल॰एम॰ हर्स्ट के सहयोग से यहां ग्रामीण विकास की योजना प्रारम्भ की। गुरूदेव ने विचार किया कि कुछ गांवों का विकास किया जाये तो अन्य गाँवों को उनसे प्रेरणा मिलेगी तथा ग्रामोत्थान का कार्यक्रम भी भारत में फैल जाएगा तथा देश का कल्याण होगा। श्रीनिकेतन ग्राम कल्याण संस्था की सन् 1920 में स्थापना की गई, जिसके निम्नलिखित उद्देश्य थेः

1. ग्रामीण जनों का ज्ञान बढ़ाना
2. कुटीर उद्योगों के लिए ग्रामीणों की सहायता करना।
3. नई तकनीकी अपनाने को प्रोत्साहन देना
4. पशुओं का विकास करना
5. सहकारिता की भावना पैदा करना
6. स्वास्थ्य एवं शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराना
7. ग्रामीण नेतृत्व का विकास करना

यह योजना प्रारम्भ में आठ ग्रामों में प्रारम्भ की गई लेकिन बाद में इसका प्रसार 15 ग्रामों में और किया गया। ये ग्राम गुरूदेव रवींद्रनाथ ठाकुर की जमींदारी के क्षेत्र में आते थे।

3. गुड़गांव योजना हरियाणा के गुडगाँव जिले में ग्रामोत्थान का कार्यक्रम राज्य की ओर से पहली बार चलाया गया था। सन् 1920 में गुडगाँव जिले में एफ॰एल॰ ब्रेनी ने डिप्टी कमिश्नर के रूप में

पदभार ग्रहण किया और उसके पश्चात् अपने जिले में उन्होंने ग्रामीण विकास की यह योजना प्रारम्भ की, जो (गुडगाँव प्रोजेक्ट) के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसके मकसद थेः

1. कृषि उपज बढ़ाना
2. फिजूलखर्ची रोकना
3. स्वास्थ्य के स्तर में सुधार करना
4. स्त्री शिक्षा का विकास करना
5. गृह विकास कार्य

यद्यपि इस कार्यक्रम में कुछ सफलताएं अवश्य मिलीं परन्तु यह कार्यक्रम भी ज्यादा दिन नहीं चल सका, क्योंकि यह भी एफ॰एल॰ ब्रेनी की इच्छा पर आधारित कार्यक्रम था और जब उनका स्थानान्तरण हो गया तो यह कार्यक्रम भी धीरे-धीरे समाप्त हो गया।

4. सेवाग्राम महात्मा गाँधी न सिर्फ एक राजनेता थे, बल्कि बहुत बड़े समाज सेवक भी थे। वे देखते थे कि जब तक भारतीय जन का शोषण होता रहेगा, तब तक वह व्यक्ति और समाज तथा राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकते। इसी शोषण को समाप्त करने के उद्देश्य से उन्होंने सन् 1920 में वर्धा में 'सेवाग्राम' नामक आश्रम बनाकर यह कल्याणकारी योजना प्रारम्भ की। इस कार्यक्रम का यही उद्देश्य था कि व्यक्ति के सामाजिक व आर्थिक शोषण को रोककर उसके मन में राष्ट्र के प्रति सम्मान की भावना पैदा की जाय अर्थात् प्रत्येक व्यक्ति यह अनुभव करे कि यह अपना ही देश है।

इसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए गाँधी जी ने एक कार्यक्रम बनाया था जो कि 'Gandhian Reconstruction Programme' के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

कार्यक्रम के मुख्य बिंदु निम्न रूप से थेः

1. खादी का प्रयोग
2. कुटीर उद्योगों को बढ़ावा
3. स्वास्थ्य कार्यक्रम
4. प्रारंभिक एवं प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम
5. ग्रामों की स्वच्छता एवं सफाई
6. पिछड़े वर्गों का उत्थान
7. नारी कल्याण कार्यक्रम
8. सामाजिक समरसता कार्यक्रम

9. आर्थिक सहायता कार्यक्रम

10. मातृ एवं राष्ट्रभाषा कार्यक्रम।

अपने इस कार्यक्रम को सफल एवं प्रभावी बनाने के लिए गाँधी जी ने 'भारतीय ग्रामोद्योग संघ,' 'हिन्दुस्तानी तालीम संघ, ' ऑल इण्डिया स्पिनर्स एसोसिएशन एवं 'कस्तूरबा गाँधी संघ' आदि स्थापित किये।

गाँधी का रचनात्मक कार्यक्रम यद्यपि अधिक से अधिक लोगों ने पूर्णतः नहीं अपनाया क्योंकि मशीनों द्वारा बनाया गया सामान सुन्दर और सस्ता होता है। इसलिए साधारण जनता इससे प्रभावित नहीं हो सकी। गाँधीजी के कार्यक्रम की विफलता का एकमात्र कारण देश में औद्योगिकीकरण पर अधिक जोर देना था।

5. मार्तंडम योजना ग्राम विकास की यह योजना सन् 1928 में डॉ स्पेन्सर हैच के निर्देशन में वाईएमसीए व 'ईसाई गिरजाघर संघ' के द्वारा केरल प्रांत के त्रिवेन्द्रम के निकट मार्तण्डम ग्राम में प्रारंभ की गई थी। यह ग्राम आर्थिक रूप से अविकसित था, अधिकतर लोगों की आर्थिक दशा खराब थी। केवल चावल व नारियल की खेती ही यहाँ कुछ स्थानों पर हो पाती थी। इस योजना के निम्नलिखित उद्देश्य थेः

1. भावनात्मक विकास (विकास के प्रति व्यक्ति की भावना को जागृत करना)
2. मानसिक विकास (सोचने-समझने व निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना)
3. शारीरिक विकास (बिना शारीरिक मजबूती के कार्यक्षमता औसत रहती है।
4. सामाजिक विकास (सामाजिक अनुकूलता का विकास करना)
5. आर्थिक विकास (आर्थिक लाभ की सम्भावना प्रेरक का काम करती है।)

कार्यक्रम योजनाः

1. कार्यक्रम चलाने से पूर्व वहाँ की आवश्यकताओं की जानकारी के लिए सर्वेक्षण किया जाता था और इस सर्वेक्षण के आधार पर वहाँ की आवश्यकतानुसार कार्यक्रम चलाये जाते थे।

2. जनता को प्रभावित करने व अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ग्रामीण ड्रामा, ग्रामीण प्रदर्शनी, अन्तः ग्रामीण प्रतियोगिता, प्रदर्शन आदि का आयोजन किया जाता था।

3. धार्मिक भावना का विकास करने के लिए धार्मिक कार्यक्रम चलाये जाते थे।

4. कार्यक्रम में ग्रामीण जीवन के सभी पहलुओं को विकसित करने तथा सभी लोगों के विकास करने का ध्यान रखा जाता था जैसे कृषि, ग्रामीण उद्योग, सहकारिता, पंचायत आदि के विकास का ध्यान रखना।

5. आर्थिक रूप से विकास करने के लिए मधुमक्खी पालन, साबुन बनाना शिक्षा कार्यक्रम आदि किये जाते थे।

डॉ हैच का यह कार्यक्रम काफी सफल रहा क्योंकि उसके पास प्रशिक्षित कार्यकर्ता थे तथा क्षेत्रीय जनता को स्वयं कार्य करने को प्रेरित किया जाता था, इस कारण उस क्षेत्र में यह योजना काफी सफल रही। लेकिन वाईएमसीए व गिरजाघर संघ के आपस में नेतृत्व के प्रश्न पर वाद-विवाद होने के कारण तथा अवैतनिक कार्यकर्ताओं के कोई आर्थिक लाभ न होने के कारण यह कार्यक्रम आगे नहीं चल सका।

6. बड़ौदा ग्राम-पुनर्निर्माण योजना इस योजना की शुरुआत सन् 1932 में बड़ौदा (गुजरात) में बीटी कृष्णामचारी द्वारा किया गया। यह योजना काफी लंबे समय तक चली।

इसके उद्देश्य निम्न रूप से थेः

1. शीघ्रता से ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार लाना
2. औद्योगिकीकरण तथा शिक्षा का प्रसार करना
3. कृषि विकास के लिए आवश्यक तत्वों का विकास करना।

इसका कार्यक्षेत्र

1. यह कार्यक्रम गुजरात प्रान्त के नवसारी जिले में चलाया गया।
2. बागवानी, कताई-बुनाई, मुर्गी पालन तथा मधुमक्खी पालन के कार्यक्रम चलाये गये।
3. पंचायतों का पुनर्जागरण व ग्राम विकास के अन्य कार्यक्रम चलाये गये।
4. प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार किया गया।

कार्यप्रणाली

1. ग्राम गाइडों द्वारा व्यक्तिगत संपर्क व शिक्षा।
2. ग्राम स्कूल शिक्षक का कार्यक्रम विस्तार में उपयोग
3. परम्परागत प्रसार साधनों का उपयोग

7. अधिक अन्न उपजाओ अभियान यह अभियान 1942 में प्रारम्भ होकर स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात तक चलता रहा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य अन्न की कमी को पूरा करना था जो द्वितीय विश्वयुद्ध के कारण पैदा हो गई थी। यह अभियान राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम बार चलाया गया। इसके अन्तर्गत काफी पैसा खर्च करके नये बीज और रासायनिक खादें किसानों को बाँटी गई। यह अभियान सरकारों के कृषि विभागों द्वारा संचालित किया गया।

लेकिन इसका कार्यक्षेत्र सीमित था। अभियान को अस्थायी मानकर कार्य किया गया। आर्थिक सहायता व अच्छे बीज खादों का वितरण केवल थोड़े क्षेत्र में ही हो सका, अधिकतर कृषि योग्य क्षेत्र इन सुविधाओं से वंचित रहे और ऐच्छिक उपलब्धि प्राप्त नहीं हो सके।

8. इंडियन विलेज सर्विस(आईवीएस) सन् 1945 में डॉ डब्लूएच विशर के नेतृत्व में यह सेवा उत्तर प्रदेश में जनपद अलीगढ़ के अगसौली नामक गाँव में प्रारम्भ हुई। लेकिन 1947 के विभाजन के पश्चात ग्राम साथी श्री एम॰वी॰ सिद्दीकी खान के पाकिस्तान चले जाने के कारण ये केन्द्र बन्द करना पड़ा।

आई॰वी॰एस॰ कार्यक्रम की रूपरेखा लगभग 1908 ई॰ से प्रारम्भ हुई। जब अमेरिका में रहने वाले एक भारतीय व्यापारी बी॰ एन॰ गुप्ता ने देखा कि अमेरिकी चर्च ग्राम कल्याण का कार्य करते हैं और ग्रामीण जीवन को बेहतर बनाना अपना कर्तव्य समझते हैं। उन्होंने सोचा कि यदि चर्च भारत में भी अपना कार्य प्रारम्भ करें तो देश का काया पलट हो सकता है। यह सोचकर उन्होंने वहाँ के चर्च अधिकारियों से बातचीत की लेकिन उन्होंने उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन 1915 में डॉ विलियम एच॰विशर नैनी में चर्च कार्य करने आये और उन्होंने ग्रामीण विकास में रुचि दिखाई, उनकी इस रुचि को देखकर डी॰आई॰एल॰ डोज़, जो अमेरिका में प्राइविटेरियन चर्च के विदेश संचार मंत्री थे, ने भारत में ग्रामीण विकास के लिए दस हजार डालर प्रतिवर्ष सहायता के रूप में देने के आश्वासन दिया तथा उनसे प्रार्थना की कि वे भारतीय और विदेशी ईसाइयों के सहयोग से एक संगठन बनायें जो यह विकास कार्य भारत में चला सके, धीरे-धीरे अन्य संगठनों ने भी सहयोग का आश्वासन दिया। तब डॉ विशर ने भारतीय व विदेशी ईसाइयों की एक कमेटी बनाई और अक्टूबर 1945 में आइसेग्रिलर टोवरा क्रिश्चियन कालेज लखनऊ में सभा हुई। इस कमेटी ने डॉ विशर की देखरेख में आईवीएस कार्य भारत में चलाने का निश्चय किया तथा उन्हें इसका संचालक घोषित किया गया।

उद्देश्य

1. ग्रामीणों को ऐसी शिक्षा देना, जिससे वे अपनी समस्या स्वयं समझ सकें।
2. जनता को विकास कार्यों में योगदान देने के लिए प्रेरित करना।
3. नगरवासियों तथा अन्य व्यक्तियों को ग्रामोत्थान कार्य में सहयोग देने का सुअवसर प्रदान करना।
4. अन्य विकास कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए मार्गदर्शन करना।

विशिष्ट कार्यक्रम:

1. स्वास्थ्य कार्यक्रम
2. गृहविज्ञान कार्यक्रम
3. कृषि विकास कार्यक्रम
4. मनोरंजन कार्यक्रम
5. शिक्षा का कार्यक्रम
6. कुटीर उद्योगों का कार्यक्रम
7. परिवार नियोजन का कार्यक्रम

निष्कर्ष

1. कार्यक्रम की बागडोर विदेशियों के हाथ में थी। वे भारतीय परम्परा के विषय में जानते नहीं थे। इस कारण भारतीय परम्पराओं के विरोध में कार्यक्रम करते थे, लिहाजा वे सफल नहीं हो सके।
2. ईसाइयों द्वारा कार्यक्रम चलाये जाने के कारण उच्च जाति के लोग इस कार्य में सहयोग नहीं देते थे।
3. क्षेत्र अविकसित एवं अशिक्षित होने के कारण जनता ने कार्यक्रमों में रूचि नहीं ली।

9. फिरका विकास योजना मद्रास सरकार (अब तमिलनाडु) ने ग्राम विकास के लिए फिरका (गाँव) स्तर पर प्रयास करने का निर्णय लिया। पहला कार्यक्रम सन् 1996 में प्रारम्भ हुआ। आजादी के पहले की यह सबसे बड़ी योजना थी।

उद्देश्य

1. ग्रामीण जीवन का सर्वांगीण विकास करना।
2. पेयजल तथा संचार साधनों का विकास करना।
3. पंचायत व सहकारी समितियों का विकास करना।
4. सिंचाई, कृषि एवं पशुपालन का विकास करना।
5. खादी व कुटीर उद्योग-धन्धों को चलाना।

कार्यक्षेत्र

1. हथकरघा के विकास की सम्भावना को ध्यान में रखकर फिरकों (गाँवों) का चयन करना।
2. कार्य 34 फिरकों से प्रारम्भ हुआ जो 1950 तक बढ़कर 84 फिरकों तक पहुँच गया।

10.5.2 स्वतंत्रता के बाद के कार्यक्रम:

1. इटावा पायलट प्रोजेक्ट

यह एक ऐसी प्रभावी योजना है जिसके परिणामों को देखकर देश में सामुदायिक विकास योजना प्रारम्भ करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसीलिए इसे अग्रगामी योजना(पायलट प्रोजेक्ट) कहते हैं।

1947 में स्वतन्त्र होने के पश्चात देश की सरकार ने ग्रामीण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी और यह काम कैसे चलाया जाय, इसके लिए किसी एक अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन आवश्यक समझा गया। तब भारत सरकार ने अमेरिका से आग्रह किया कि वह एल्बर्ट मेयर को यहाँ भेजे क्योंकि उन्हें ग्रामीण विकास और ग्रामीण कल्याण के विभिन्न कार्यक्रमों का पर्याप्त अनुभव था और वे एक ग्रामीण समाजशास्त्री थे।

एल्बर्ट मेयर ने सम्पूर्ण भारत का भ्रमण किया और यह निष्कर्ष निकाला कि यह विशाल देश साधन सम्पन्न व विभिन्न जलवायु वाला है, इसलिए किसी एक क्षेत्र का चयन किया जाय जो कि देश का प्रतिनिधित्व कर सके, जिससे कि उस क्षेत्र से प्राप्त निष्कर्षो को अधिकतम क्षेत्र में लागू किया जा सके। मेयर ने उ॰प्र॰ के जिला इटावा के महेवा ग्राम को केन्द्र मानकर उसके आसपास के 64 गाँवों को चुना और वहाँ निम्नलिखित उद्देश्यों को लेकर विकास कार्यक्रमों की शुरूआत की। बाद में इस योजना ने भारत में समुदायिक विकास योजना का मार्ग प्रशस्त किया, इस कारण इसे Pilot Project of Etawah भी कहते हैं।

उद्देश्य

1. ग्रामीणों का मानसिक विकास करना।
2. ग्रामीणों की इच्छा का जागृत करना तथा प्रयत्नशील बनाना।
3. कृषि तथा पशुपालन का विकास
4. पंचायतों का विकास
5. आत्मविश्वास जनसहभागिता तथा सहकारिता की भावना का विकास।
6. इस प्रयोग को अन्यत्र स्थानान्तरित करने की सम्भावना का पता करना।

कार्यक्रम

1. जनता की अनुभूत आवश्यकताओं की जानकारी करना।
2. कार्यक्रम के सम्बन्ध में प्रदर्शन एवं मूल्यांकन करना।

3. जनता और सरकार के मध्य सम्बन्ध स्थापित करने के लिये ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता खड़े करना।

4. कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में कृषि के विकास के लिये सहायक व्यवसाय के रूप में कुटीर उद्योगों का विकास करना।

5. बीज, यन्त्र एवं खाद के भण्डार खोलना।

6. जनता को बाह्य जगत से परिचित कराने के लिए आकाशवाणी व समाचार-पत्रों से परिचित कराना।

7. जन-स्वास्थ्य के कार्यक्रम चलाना।

8. शिक्षा के प्रसार के लिए बेसिक प्रौढ़ शिक्षा की पाठशालाएँ शुरू की गई।

9. कृषि के विकास के लिए कृषि समस्याओं को दूर करना, जैसे- ऊसर भूमि सुधार, भूमि कटाव करना, नलकूपों का निर्माण, उन्नत कृषि विधियों को समझाने के लिये प्रदर्शन की व्यवस्था, यातायात की सुविधा, बीज, खाद के वितरण की व्यवस्था, उद्यान कला का विकास आदि कार्यक्रम कृषि के विकास के लिये प्रारम्भ किये गये।

निष्कर्ष

इसी अग्रगामी योजना से भारत सरकार को काफी उत्साहजनक परिणाम प्राप्त हुए। इस योजना की सफलता से ही प्रेरित होकर गोरखपुर, फैजाबाद आदि स्थानों पर भी इस प्रकार की योजनाएँ चलाई गईं तथा भारत सरकार ने इस योजना के सफल होने के बाद ही सन् 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारम्भ किया।

2. नीलोखेड़ी परियोजना

एसके डे ने यह योजना पाकिस्तान से आये लगभग 700 विस्थापितों को बसाने के उद्देश्य से 1948 में बनाई थी। करनाल और कुरूक्षेत्र के बीच लगभग 100 एकड़ दलदली जमीन का उपयोग करके इस योजना को प्रारम्भ किया गया। इस योजना का नाम 'मजदूर मंजिल' था। इस योजना के निदेशक श्री डे बाद में भारत सरकार के सामुदायिक विकास विभाग के मंत्री बने।

उद्देश्य

1. जीवन के सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता।

2. लोगों के अनुभव के आधार पर उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा व्यवसाय दिलवाने की व्यवस्था करना।

3. बिचौलियों का उन्मूलन करना।

कार्यक्षेत्र

1. नीलोखेड़ी के आस-पास के 100 गाँवों में कार्य किया गया।
2. ग्रामसेवक, समाज विकास-अधिकारी तथा प्रखण्ड विकास की नियुक्ति।
3. सहकारी संस्थाओं का विकास व प्रचार।
4. मनोरंजन की सुविधा
5. समाजवादी समाज की स्थापना का प्रयास।

10. 6 अभ्यास प्रश्न:

प्रश्न 1. सूक्ष्म आर्थिक ढांचे से क्या तात्पर्य है? इसका उद्देश्य क्या है?

प्रश्न 2. वृहद आर्थिक ढांचा क्या है?

प्रश्न 3. स्वतंत्रता से पूर्व के विकास से सम्बन्धित आर्थिक कार्यक्रम कौन-कौन से हैं?

प्रश्न 4. सहकारी केन्द्रीय बैंक की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था?

प्रश्न 5. राज्य सहकारी बैंक किसका मुखिया होता है?

प्रश्न 6. भूमि-बन्धन बैंक या भूमि-विकास बैंक का कार्य कार्य है?

प्रश्न 7. वाणिज्य बैंक और ग्राम वित्त बैंकों का उद्देश्य क्या है?

प्रश्न 8. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी?

प्रश्न 9. 'नाबार्ड' का पूरा नाम क्या है? तथा इसका मुख्य कार्य क्या है?

प्रश्न 10. स्वयं सहायता समूहों का क्या उद्देश्य है?

प्रश्न 11. किसान क्रेडिट कार्ड से क्या तात्पर्य है?

10. 7 सारांश:

किसान अपनी अल्पावधि और मध्यावधि वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए गैर-संस्थागत योजनाओं एवं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सहायताओं पर निर्भर रहता है एवं दीर्घकालिक ऋण के लिए सरकार का सहारा लेता है, सूक्ष्म स्तर पर साहूकार, व्यापारी एवं कमीशन एजेण्ट, सम्बन्धी और भू-स्वामी आदिकाल से वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रहे हैं। लेकिन इसमें किसानों का शोषण भी होता है। भारतीय कृषक की पीढियाँ गरीबी और लाचारी में गुजरती हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सूक्ष्म स्तर पर प्राथमिक कृषि उधार समिति एवं किसान सेवा

समिति के गठन से इन कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया। साथ ही वृहद स्तर पर भी कई राष्ट्रीय संगठन किसानों को सभी अवधियों के लिए ऋण उपलब्ध करा रहे हैं।
उपरोक्त विषमताओं और कमियों के बावजूद देश के कई गांवों और क्षेत्रों में व्यक्तिगत प्रयासों के चलते सीमित एवं उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से ही विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति के प्रयास किये गये। इसमें से कुछ बेहद सफल रहे तो कुछ व्यक्ति के निधन के बाद या अन्यत्र जाने से खत्म हो गये।

10.8 शब्दावली:

1. नाबार्ड NABARD

कृषि ऋण और समन्वित ग्राम विकास के रूप में बैंकों के कार्य में विस्तार के कारण इस बात की जरूरत महसूस की गई कि ग्राम विकास प्रोग्रामों के प्रतिपादन एवं कार्यान्वयन के लिए शीर्ष स्तर पर एक अधिकृत वित्तीय संस्था होनी चाहिये जो ऋण देने वाली संस्थाओं को सहायता प्रदान कर सके। इस उद्देश्य को लेकर कृषि तथा ग्राम-विकास बैंकों के कार्य एवं रिजर्व बैंक को सहकारी समितियों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सम्बन्धी पुनर्वित्त के कार्यों को भारत संभाल सके। नाबार्ड का रिजर्व बैंक से सीधा सम्बन्ध है और इसके लिए रिजर्व बैंक ने इसको हिस्सा-पूँजी के आधे के बराबर योगदान दिया है और शेष आधा भाग भारत सरकार द्वारा जुटाया गया है।

2. स्वयं सहायता समूह **Self help groups**

हाल के वर्षों में व्यक्तिगत-वित्त के सम्बन्ध में कई प्रकार की पहल की गई है, ''गरीबों के साथ बैंकिग'' की एक नयी पद्धति है और इसमें निम्न सौदा लागत के साथ वसूली के ऊँचे अनुपात को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। इन उपायों का मुख्य ज़ोर स्व-सहायता समूहों, गैर सरकारी संगठनों की स्थापना को बढ़ावा देना है। नाबार्ड ने इस सम्बन्ध में सक्रिय रूप में स्व सहायता समूहों एवं बैंकों को जोड़ने के कार्यक्रम को प्रोत्साहन दिया है और इसके लिए एक ओर प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया है, दूसरी ओर निधि सहायता एवं अनुदान द्वारा इसे बढ़ावा देना है। किन्तु स्व सहायता समूहों और गैर संगठनों के कार्य संचालन में बहुत त्रुटियाँ पायी गयी हैं। जिनके परिणामस्वरूप संस्थागत उधार की वसूली दर नीची ही रही है। इसके परिणामस्वरूप नये ऋणों की स्वीकृति पर दुष्प्रभाव पड़ता है। नतीजे के तौर पर ग्रामीण-निर्धनों को फिर लालची साहूकारों पर ही निर्भर रहना पड़ता है।

3. किसान क्रेडिट कार्ड ये महत्वपूर्ण योजना 1998-99 में शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य किसानों को अल्पकालिक उधार उपलब्ध कराना है। यह योजना लोकप्रिय बन गयी है। और 27 वाणिज्यिक बैंक 187 क्षेत्रीय बैंक और 334 केन्द्रीय सहकारी बैंक इसे कार्यान्वित कर रहे हैं। दो वर्ष की छोटी-सी अवधि में अर्थात् (जनवरी 2001 तक) 10 लाख से भी अधिक किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं।

10.9 संदर्भ ग्रन्थसूची:

1. भारत 2011
2. Mankekar, D. R. : Media and the Third world
3. सुन्दरम, केपी एवं दत्त, रूद्र:भारतीय अर्थव्यवस्था

10.10 सहायक/उपयोगीपाठ्यसामग्री:

1. प्रसार शिक्षा एवं सूचना तंत्र- डॉ जितेन्द्र चौहान।
2. मास कम्यूनिकेशन इन इंडिया- केवल जे कुमार
3. मास मीडिया एंड नेशनल डेवलपमेन्ट- विल्बर श्राम

10.11 निबंधात्मक प्रश्न:

1. किसान की वित्तीय आवश्यकताओं के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए।
2. स्थानीय स्तर पर उपलब्ध वित्तीय स्रोतों का वर्णन कीजिए।
3. स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गठित वृहद आर्थिक ढांचे के बारे में बताइये।
4. स्वतंत्रता पूर्व के कृषि प्रसार अध्ययनों पर लेख लिखिए।
5. क्या आपके गांव में किसी तरह का(सरकारी या गैर सरकारी स्तर पर) विकास अभियान संचालित किया जा रहा है. अगर हां तो उसका विस्तार से वर्णन कीजिए. अगर नहीं तो अपने गांव की स्थिति का वर्णन करते हुए इस तरह के अभियान की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए.